(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 4 नवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का बाइसवां दिवस संख्या-9



शुक्रवार,

दिनांक 15 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाब सिंह।

### जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

354. **श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) एवं श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा)** : क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने राजस्थान में अब तक कितने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) की कहां-कहां स्वीकृति दी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति हेतु कोई नियम, एवं मापदण्ड तय किये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृत स्थान उक्त मापदण्डों की पूर्ति करते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

**शिक्षा मन्त्री (श्री हरिकुमार औदिच्य)** : (1) राजस्थान में अब तक 27 जिलों में एक-एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वीकृति दी है। स्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की योजना भारत सरकार की है। उसके सम्बन्ध में नियम व मापदन्ड भारत सरकार ने ही तय किये है। भारत सरकार द्वारा दिये गये मानदण्डानुसार ही स्थानों के प्रस्ताव राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत कर उपरान्त भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृतियां प्राप्त कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

**श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बगड़ी, नागौर,

(श्री गुलाब सिंह)

पाली में जिसकी स्वीकृति 1988–89 को हुई थी उसका भवन आज तक अधूरा है। ऐसे कौन से कारण हैं जो स्वीकृत होने के बावजूद भी आज तक दो साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन आज तक भी भवन पूरा नहीं हुआ। उस पर रोक लगा दी गई और क्या कारण हैं कि उस पर रोक लगा दी? मैं पूछना चाहता हूं कि रोक लगाने के पीछे कारणों के साथ-साथ यह भी बताने की कृपा करें कि वह कब तक शुरू करके वापस उसका काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री खंगारसिंह।

**श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1988–89 की स्वीकृति थी और आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ और पूरा नहीं होने के क्या कारण थे? इसके अन्दर क्या रोड़े अटके? क्या मापदण्डों में गलती रही? अगर मापदण्डों में गलती भी थी तो इसका भवन कब तक अधूरा रहेगा और कब तक पूरा कर दिया जायेगा? अब तक पूरा नहीं होने के क्या कारण थे? इसके अन्दर स्टे कौन सी तारीख को हुआ और इसे वापस किस तारीख को खारिज किया गया? स्टे लिया गया तो किन नियमों के तहत लिया गया और किन कारणों से दिया गया? कृपया यह बताने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

**श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 1988–89 के अन्दर नागौर शहर के लिए डाइट संस्थान स्वीकृति हुई थी, प्रस्ताव भी राज्य सरकार से नागौर के लिए भेजे गये थे लेकिन किन कारणों से कुचामन सिटी उसे ट्रांसफर किया गया, पहला? दूसरा, यह है कि राज्य सरकार ने डाइट नागौर में लगाने के लिए टेण्डर तक जारी कर दिये, प्रिंसिपल तक की वहां पोस्ट क्रिएट कर दी उसके बाद में कुचामन ले जाने के लिए क्यों कार्यवाही नहीं की गई? तीसरा, यह है कि इस विषय के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्थगन आदेश दिया कि इस डाइट को कुचामन सिटी नहीं ले जाया जाये। फिर भी राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है, यह कुचामन का क्यों दिया गया?

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी को यह जानकारी देना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है और उस शिक्षा नीति के आधार पर यह प्रशिक्षण विद्यालय का स्वयं का भवन व उसके पास 10 एकड़ से कम भूमि तथा शेष भूमि का आवंटन शीघ्र ही उसके निकट ही किया जाना है। यदि किराये का भवन है तो उसके लिए पृथक से जिला मुख्यालय के समीप एस. डी. ओ. कोर्ट मुख्यालय या पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान होनी चाहिये। जो बगड़ी के अन्दर पहले राज्य सरकार के द्वारा जिलाधीश, पाली के द्वारा सोजत के अन्दर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

10 एकड़ भूमि का आवंटन किया था उसका अलाटमेंट करके भूमि नामान्तरण डाइट के रूप में किया गया और उसके बाद में, राजनैतिक भावना से, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको बगड़ी में हस्तान्तरित कर दिया। जबकि भारत सरकार ने जो नीति निर्धारित की थी (भारतीय शिक्षा नीति) के आधार पर सोजत में डाइट नहीं होनी चाहिये। मैं माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या पाली के जिला शिक्षा अधिकारी ने सोजत के अन्दर ही उपयुक्त स्थान और भारत सरकार ने जो गाइड लाइन्स तय की है उसके अन्दर सोजत ही आता है, बगड़ी नहीं आता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे, यह डाइट वहां पर....

**श्री अध्यक्ष** : बहुत हो गया, आप बिराजें। श्रीमती तारा भण्डारी।

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने के क्या नियम हैं या मापदण्ड हैं? माउण्ट आबू प्रशिक्षण संस्थान में कितने लोग पिण्डवाड़ा तहसील के हैं? मेरे यह दो प्रश्न हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं जैसाकि उन्होंने अभी बताया कि यह केन्द्र की योजना है और उसकी जो गाइड लाइन्स हैं वह केन्द्र ने पहले भेज दी हैं उसके अनुसार राज्य सरकार ने राजस्थान भर में डाइट खोली, उसका पैसा भी सेंक्शन होकर आया और यह टुकड़ों में खोली गई....

**श्री अध्यक्ष** : यह तो जवाब में आ गया है।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : यह लम्बे समय तक, आज तक भी यह निर्धारण नहीं कर सके हैं कि वहां पर प्रशिक्षण के लिए किस तरह से लोगों को लगाया जायेगा....

**श्री अध्यक्ष** : अब आप विराजिये।

**श्री शिवकिशोर सनाढ्य** : यह आज तक उसी स्थिति में है और उदयपुर की जो डाइट है उसका भी भवन आज तक नहीं बन पाया है। उसकी रकम सैंक्शन होने के बाद भी आखिर इसके क्या कारण हैं कि दो-दो साल तक केस चलते रहें?

**श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आबू माउण्ट पर प्रशिक्षण जो चल रहा है जबकि पिण्डवाड़ा तहसील के विद्यार्थी उससे वंचित रह जाते हैं, जो आबू रोड के लिए जाते हैं जबकि पिण्डवाड़ा तहसील के विद्यार्थियों को न लेकर के चित्तौड़ से बुलाये जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि....

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री प्रेमसिंह दहिया।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बताया कि

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है राजस्थान में। तो उसकी मीटिंग हुई या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उसकी मीटिंग के अन्दर प्रत्येक जिले में प्रवेश की कितनी सीटें अभी गई हैं ? अभी हमारे जालौर जिले के अन्दर मात्र 50 सीटें हैं उनको बढ़ाने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो डाइट की सीटों की स्वीकृति का जो मामला है वह लम्बे समय से चल रहा है और केन्द्र सरकार इसका सारा पैसा देती है। टौंक में भी इस प्रकार की एक स्वीकृति 1989-90 में हुई। इन सारी डाइट बिल्डिंग की अब तक फाइनेन्सियल सैंक्शन और टेक्नीकल सैंक्शन नहीं निकालने के क्या कारण रहे ? इनके काम क्यों नहीं शुरू हुए ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या यह सही है कि इस कारण से उसकी कास्ट जो पहले 30 लाख में बनने वाला था आज वह 45-50 लाख में बनेगा तो इस कास्ट को कौन तो देगा और कैसे काम पूरें होंगे ? इसके लिए कोई उत्तरदायित्व आप निर्धारित करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री जो।

**श्री हरिकुमार औदिच्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बगड़ी और नागौर दो जगह डाइट के बारे में माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है। जहां तक बगड़ी का प्रश्न है। भारत सरकार के उसमें जो दिशा निर्देश दिये थे उसमें एक तो यह था पहला, कि जहां पर पूर्व में एस. टी. सी. स्कूल चल रहा हो। दूसरा, 10 एकड़ भूमि वहां पर उपलब्ध हो। तीसरा, सरकारी भवन हो, कोई निजी का, कोई किराये का भवन नहीं हो। इस प्रकार की उन्होंने कण्डिशन रखी थी। यह बात सही है कि बगड़ी में पहले एस. टी. सी. स्कूल चल रहा था लेकिन भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार वहां पर उनकी न तो जमीन और न भवन उपलब्ध थी। और जब जमीन का प्रश्न आया तो कलक्टर ने सोजत के अन्दर जमीन अलाट कर दी और जो नार्म्स तय किये थे उसके अनुसार सोजत के अन्दर सारी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर दी और जब वहां पर उच्च स्तरीय कमेटी गयी तब बगड़ी के ठाकुर साहब थे उन्होंने कहा कि जब आप बगड़ी के अन्दर भवन की बात करते हैं तो मैं अपना मकान इसके लिए देना चाहता हूं। तो यह सोच कर फिर हमने वहां पर जमीन की बात की है और काम शुरू कर दिया। इसी बीच में सोजत के अन्दर जमीन देने का कलक्टर ने म्यूटेशन पेश कर दिया और यह मामला जब राज्य सरकार के पास चल रहा था तो सारी बातों को गवर्नमेंण्ट आफ इण्डिया के उन निर्णयों को देख करके और राज्य सरकार ने सोजत के अन्दर डाइट खोलने का निर्णय लिया। दूसरी बात नागौर और कुचामन के बारे में था। पहले एस. टी. सी. स्कूल कुचामन में चल रही थी। वह भी किराये के भवन में थी। उसमें कलक्टर ने नागौर के अन्दर भूमि दे दी थी। जब नागौर के अन्दर भूमि दे दी तो कुचामन

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

सिटी के लोगों ने इस आधार पर कि हमारे यहां एस. टी. सी. चल रही थी कुचामन विकास परिषद् नाम की सोसायटी है वह कोर्ट में गयी और कोर्ट में जाकर स्टे लिया। उसके बाद यह सही है कि वहां पैसा भी स्वीकृत हो गया था, काम भी शुरू हो गया था। नागौर में वह चली गयी, वहां जाने के बाद केस बनाकर भारत सरकार को भेजा और भारत सरकार ने उसके आधार पर जब सारे नार्म्स तय कर दिये गये, जमीन भी दे दी तो कुचामन में करने का भारत सरकार ने फैसला कर लिया। जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कि हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है। हाई कोर्ट से तो नहीं, किसी अदालत से नागौर वालों ने स्टे लिया था वह वेकेट कर दिया है इसलिए कुचामन के अन्दर डाइट का काम शुरू कर दिया गया है।

दूसरा माननीय सदस्या श्रीमती तारा भण्डारी ने पूछा था एस. टी. सी. स्कूल में एडमिशन मैरिट के आधार पर करते हैं और कोई फार्मूला लागू नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती तारा भण्डारी ने पिण्डवाड़ा के कितने लोगों को लिया है यह पूछा था।

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** पिण्डवाड़ा के कितने हैं? यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है।

**श्रीमती तारा भण्डारी :** अध्यक्ष महोदय, पिण्डवाड़ा के लोगों को प्रवेश दिया ही नहीं और बाहर के लोग बुलाये जाते है।

**श्री अध्यक्ष :** आप बाद में कर लेना। आप विराजें, वे और सदस्यों के जवाब दे रहे हैं।

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि इसकी गाइड लाइन्स क्या हैं? वह मैंने पूर्व में बता दी। दूसरा टुकड़ों के अन्दर ही भारत सरकार से इसकी स्वीकृति मिली है एक साल में 9 को देते थे, और तीन साल में 27 को मिली है और 27 जिलों में एस. टी. सी स्कूल खाली है। दूसरी बात आयी टीचर्स के एपाइंटमेण्ट की। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि भारत सरकार के नार्म्स के अनुसार ही प्रिंसिपल तो एम. एड. लेते हैं और दूसरे लेक्चरर्स है के बी. एड. लिये जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी कि राज्य स्तरीय कमेटी बना रखी है उसकी मीटिंग ही नहीं हुई। यह नहीं है। जो निर्णय होते हैं वह राज्य स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के बाद ही होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार को भी लिखते हैं तो उसके बाद ही लिखते हैं। इसकी बराबर मीटिंग होती है या मीटिंग नहीं होती है। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि जो स्वीकृति हो जाती है वह कई दिन तक पड़ी रहती है काम नहीं होता है। हमें भारत सरकार पैसा देती है वह हम पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रान्सफर कर देते हैं। वह

(श्री हरिकुमार औदिच्य) :

बिल्डिंग बनाकर हम को सौंपते हैं। बाद में डिपार्टमेण्ट का कहीं दखल नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष** : खारची पाली के मकान के बारे में पूछ रहे थे। (व्यवधान)

**श्री गुलाबसिंह** : मेरा मूल प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं आया हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमृतलाल परमार।

**श्री गुलाबसिंह** : पूरा जवाब नहीं आया है।

**श्री अध्यक्ष** : पूरा जवाब आ गया है। विराजें आप।

**श्री खंगारसिंह चौधरी** : बागड़ी में इतना खर्चा हो गया है और इसको कब तक करेंगे.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बिराजें। श्री अमृतलाल परमार।

**निर्वाचन क्षेत्र बाली के चिकित्सालयों डाक्टर्स के रिक्त पद**

355. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाली निर्वाचन क्षेत्र में कितने चिकित्सालय हैं ?

(2) क्या सभी चिकित्सालयों में स्वीकृत डाक्टरों के पदों पर डाक्टर नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार डाक्टरों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि डाक्टरों के अभाव में मरीजों की चिकित्सा समय पर नहीं होने से अकाल मौत हो रही हैं ?

(5) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री** (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) :(1) बाली निर्वाचन क्षेत्र में—

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—7
3. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र—1

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाली में 5 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जिसमें से 4 पद भरे हुए हैं। एक रिक्त पद पर चिकित्सक का पदस्थापन दिनांक 14-3-91 को कर दिया गया है। इस प्रकार एक कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु का पद रिक्त रहता है।

ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा में 2 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जिन पर चिकित्सक कार्यरत हैं।

इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुण्डारा एवं फालना में भी प्रत्येक में दो-दो चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जो सभी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

भरे हुए हैं। शेष प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिमाना, सेवाड़ी, नाणा, लूणवा एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों में एक-एक चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं जो सभी भरे हुए हैं।

(3) कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु के एक रिक्त पद को शीघ्र भर दिया जावेगा।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**श्री अमृतलाल परमार** : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो पदों पर नियुक्ति बतायी हैं। आप पता लगायें की पांच डाक्टरों के पद बताये हैं वहां जंयपुरा होस्पिटल है बाली के अन्दर अब तक सिर्फ तीन हैं। जो लेडी डाक्टर थी....

**श्री अध्यक्ष** : आप पाली का पूछ रहे हैं या बाली का।

**श्री अमृतलाल परमार** : बाली का। बाली का ही प्रश्न है।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : दोनों में फर्क नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : मेरे ख्याल से बहुत-किलोमीटर का फर्क है। यदि आप वहां गये हों तो।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : मैं तो वहां गया हूं।

**श्री अमृतलाल परमार** : अभी बाली में तीन डाक्टर ही हैं। लेडी डाक्टर को लगाया गया था वह डाक्टर का पद 8 दिन से खाली है। जिनको लगाया गया है वह डाक्टर दो महीने पहले हाजरी भर-कर गायब हो गई।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है वह जवाब सही है ?

**श्री अमृतलाल परमार** : जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : कहां गिल्टी है वह बतायें।

**श्री अमृतलाल परमार** : बाली में जो डाक्टर की जगह बतायी है, वह अब भी खाली है। दो साल से अब तक शिशु डाक्टर लगा ही नहीं है जबकि वहां रेफरल हॉस्पिटल है।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो जवाब में ही कहा है कि वह खाली है।

**श्री अमृतलाल परमार** : आपसे निवेदन कर चुके है कि वहां बाली की हालत खराब है और वह कब तक भरी जायेगी। इसका समय बतायें। इसी प्रकार एक डाक्टर सोनी बाली में लगाया था वह भी 15 दिन रहकर वहां से भाग गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां ऐसा डाक्टर भेजते हैं जो वहां रहता ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो ट्रांसफर नीति ऐसी बनी हुई है इसलिए हो गया सो हो गया वह जाये या नहीं जाये।

**श्री अमृतलाल परमार** : इसी प्रकार आपने बताया कि वहां पर अभी एक नियुक्ति हुई है मैं प्रूफ लेकर आया हूं। श्री डूंगरदास नाम का व्यक्ति मुंडेरा का जिसको हाथी ने मार दिया था और जिसका

(श्री अमृतलाल परमार)

एक्सीडेण्ट हो गया था उसका मैंने स्वयं ने इलाज कराया इलाज कराने के बाद जब इलाज बराबर नहीं हुआ तो....

**श्री अध्यक्ष** : सवाल पूछिए, सवाल। हो गया सवाल आपका।

**श्री अमृतलाल परमार** : माफी चाहूंगा, सवाल नहीं हुआ। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। सवाल पूछिए। कथा कहानी बता रहे हैं, सवाल पूछिए। जो जगह खाली है वह कब तब भरी जायेगी ? जो डाक्टर नहीं आ रहा है उनकी जगह दूसरा लगायें यही तो सवाल हैं। माननीय श्री जुबेर खान। (व्यवधान) हां हो गया आपका, बिराजें।

**श्री जुबेर खान**: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जरा ध्यान से सुन लें। क्या राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं अगर रिक्त पड़े हुए हैं तो सरकार उनको कब तक भर देगी।

**श्री अध्यक्ष** : डा. जितेन्द्र सिंह।

अब पूरा राजस्थान पूछेगा क्या ?

**श्री जितेन्द्रसिंह** (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के जिला चिकित्सालय में भी नेत्र विशेषज्ञ व एनेस्थेटिक्स का पद रिक्त पड़ा है नेत्र विशेषज्ञ का पद काफी अर्से से रिक्त पड़ा है, उसको जल्दी से जल्दी भरवा दें।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। श्री टीकम चन्दकान्त।

**श्री प्रभुराम गरासिया** : आबू क्षेत्र के पिण्डवाड़ा तहसील में डाक्टर का रिक्त पद है। उनको कब तक भरा जायेगा, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है।

**श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से एक जानकारी लेना चाहूंगा कि पिछले वर्ष जब स्थानान्तरण के दौरान इधर-उधर ट्रांसफर हुए और उसमें जिन डाक्टर्स को इधर-उधर लगाया गया, उन डाक्टर्स ने आज तक जोइन नहीं किया। वे लम्बी छह-छह, आठ-आठ महीने की छुट्टियां लेकर घर पर बैठे हुए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या रैफरल अस्पतालों पर आज तक डाक्टर नहीं पहुंचे। क्या सरकार की निगाह में यह बात आई कि वहां भी डाक्टर लगाये। अगर ऐसी कोई बात आपकी निगाह में आये, आप डिपार्टमेंट से जानकारी लें। आप कृपा कर वहां पर डाक्टर लगाने की व्यवस्था करें। नहीं तो एक-एक साल से, आठ-आठ महीने से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और रैफरल अस्पताल....

**श्री अध्यक्ष** : हो गया। चलिये। श्री दहिया।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के पानी में फ्लोराइड होने से दांतों की बीमारी बहुत ज्यादा है। पर्टिकुलरली हमारे जालौर जिले के अन्दर छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, सब के दांत बहुत खराब है और फ्लोराइड के कारण सब के दांत गिर रहे हैं। भीनमाल के अन्दर डेंटिस्ट की कोई पोस्ट नहीं है। बार-बार लिखने के उपरान्त भी, मंत्रीजी, पोस्ट बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की है।

**श्री अध्यक्ष :** ठीक है। श्री माहिर आजाद।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बाली से आने वाले सदस्य का जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से एक बात तो यह जानना चाहूंगा कि बाली विधान सभा क्षेत्र में जो चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, उक्त क्वेश्चन आने के बाद उनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। यह बतायें।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि चिकित्सा विभाग में राज्य सरकार के सर्विस नियम में इस तरीके का प्रावधान है कि अगर पति और पत्नी दोनों चिकित्सक हैं तो उनको एक स्थान पर रखा जायेगा। तो काफी चिकित्सक ऐसे हैं, जिनकी पत्नी दूसरे स्थानों पर हैं और पति को दूसरे स्थान भेजा। इसलिये वह नहीं जा पाते हैं। तो माननीय मंत्रीजी इस बात का भी जवाब दें, क्या एक जगह रखने का आप विचार कर रहे हैं और कब तक....

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री मनीराम जी,

**श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह कोई बाली का ही प्रश्न नहीं है, स्वास्थ्य के लिहाज से पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मेरे लूनकरणसर विधान सभा क्षेत्र में रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। उसमें बार-बार मंत्री महोदय से निवेदन करने के बावजूद भी आज तक कोई डाक्टर नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री प्रद्युम्न सिंह। आ गया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह (राजखेड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो मोटे प्रश्नों की जानकारी चाहूंगा। जितने प्रश्न यहां पर आये हैं, आपको इसके ऊपर निर्णय लेने हैं कि जिन डाक्टरों को भेजा जाता है, वे किस प्रकार वहां जोइन कर लें। नम्बर एक।

आपकी जो कमी है, पूरे राजस्थान में कितने डॉक्टर्स की कमी है आप उन पदों को मंजूर करके भर्ती कर लें।

तीसरी बात सबसे अहम है। अध्यक्ष महोदय, डाक्टर ही नहीं आपका पैरा-मेडिकल स्टाफ सरकार की नीति के अनुसार जहां आपने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है, उन गांवों में रहता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मूल में बात यह है कि जो आपका मन्तव्य था, आपकी मंशा थी कि हम लोग को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा देंगे दूर-दराज ईलाकों में। डाक्टर तो वहां रहता नहीं है। जिन्हें नियुक्ति देते हैं, वे जाते नहीं है और पैरा-मेडिकल स्टाफ गांव के अन्दर रहता नहीं है। इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इसे अगर आप बता दें तो सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर आ जायेगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री किशना राम।

**श्री किशना राम नाई (श्री डूंगरगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का समय सिर्फ एक घण्टे का मिलता है और 3-4 प्रश्नों में ही पूरा का पूरा घण्टा हो जाता है। तो यह क्या व्यवस्था है?

**श्री अध्यक्ष :** तो आप मत कीजिये। आप मत पूछिये।

**श्री किशना राम नाई :** मैं तो नहीं पूछूंगा लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में कितने सदस्य बोल सकते हैं, यह हम पूछना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री कृपलानी । आप प्रश्न काल काल का टाइम लेते जा रहे हैं।

**श्री किशनाराम नाई :** हम जो नये सदस्य आये हैं, हम भी पूछना चाहते हैं। हम भी प्रश्न करना चाहते हैं। लेकिन हमारा नम्बर ही नहीं आता है।

**श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार की लापरवाही से राजस्थान के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने पद रिक्त थे और भा. ज. पा. सरकार के आने के बाद कितने पद भरे गये। यह बताने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

**श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि नागौर के जिला चिकित्सालय के अन्दर पिछले साल भर से 10 सी. ए. एस. के पद रिक्त हैं और दो जूनियर स्पेशलिस्ट के पद रिक्त हैं। फिर भी आप नहीं भर रहे हैं।

दूसरा, निवेदन मेरा यह है कि आपको स्वयं को नागौर के अस्पताल ले जाकर दिखाया। वहां पर अस्पताल के अन्दर पानी की कमी होने की वजह से सफाई नहीं हो पाती और हॉस्पिटल के अन्दर ही महामारी फैलने का डर है। वहां उनको ले जाकर दिखाया। आपने एक लाख रुपये स्वीकृत भी किये लेकिन आज छह महीने हो गये, वह एक लाख रुपया नहीं मिला।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि नागौर के टी. बी. अस्पताल के अन्दर तीन पद हैं, जिनमें सिर्फ एक सी. ए. एस. पूरे छह महीने से चला रहा है। दो सीनियर डाक्टर के पद अभी तक रिक्त हैं।

**श्री अध्यक्ष :** अब बिराजिये। माननीय मंत्रीजी। अब कोई नहीं पूछेगा।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, बाली से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न किया था, मैं उन डाक्टर्स के नाम बता रहा हूं जिनकी पोस्टिंग उस जगह है और कब से है, यह भी बता रहा हूं। डॉ. आनन्द पुरोहित, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) 5-88 से वहां कार्यरत हैं। डा. रवीन्द्र नाथ 5-88 से वहां कार्यरत है। डा. शोभा वर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ 8--89 से वहां कार्यरत है और डा. गंगा प्रसाद बोहरा 14--3--91 से कार्यरत है। इसी प्रकार मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बाली में डा. रेखा पारोक फरवरी, 1990 से लगा दी गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड़ा ब्लाक में डा. एस. आर. सुखाड़िया 11--90 से हैं। डा रामावतार गुप्ता 6-90 से हैं। मुण्डारा में एम. एल. कोठारी 12--90 से हैं। डा. सुनीता कोठारी 2--91 से हैं। फालना में डा. अशोक भार्गव 5--90 से हैं और विजय रानी भार्गव 5—90 से। भिमाना में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

ए. एल. जाटव 4—87 से हैं। सिवाड़ी में एस. आर. छीपा 10—90 से हैं। स्वास्थ्य केन्द्र नांणा में श्याम लाल वैष्णव 7—89 से हैं। सिवाणा में 8—85 से हैं।

मैंने यह जानकारी इसलिये दी है, मैं माननीय विधायक की इस बात से निश्चित रूप से सहमत हूं कि डाक्टर्स में बहुत पुराने समय से यह परम्परा बनी हुई है कि जिन डाक्टर्स को अपना वांछित स्थान नहीं मिलता, वे डाक्टर्स एक बार जोइन कर लेते हैं और काफी समय तक नहीं जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस प्रकार के प्रयत्न किये है, डिसिप्लीनरी एक्शन लिया है और आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एक सीनियर स्पेशलिस्ट, दो जूनियर स्पेशलिस्ट और कुछ सी. ए. एस. को इस कारण से हमने सस्पेंड भी किया है। राज्य सरकार इस नाते से प्रयत्नशील है किन्तु बहुत समय की पड़ी हुई आदतों के कारण बहुत बड़ी कठिनाई है। इसका विचार हम लगातार करते चले जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि जिसका तबादला हो जायेगा, क्योंकि डाक्टर सब की नाड़ी पकड़ता है, हमारी पहचान के लोगों को लाता है, हमने कहा कि तीन महीने तक एक बार उस स्थान पर पहुंचकर सेटिस्फैक्ट्री काम करने के पश्चात ही तुमको तबादले की दृष्टि से उस पर विचार किया जायेगा। उसके पहले नहीं। इस कारण से इस दबाव के कारण लगातार डाक्टर ज्वाइन करने लगे हैं। आपके माध्यम से मैं जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जूनियर स्पेशलिस्ट के कुछ पद अधिक रिक्त हैं। मैंने बहुत कोशिश की। हमारे यहां डाक्टर एलिजिबल ही नहीं है कि जिनमें जूनियर स्पेशलिस्ट को प्रमोट किया जाय। इसलिये आज व्यवस्था यह है कि जो छोटी नगरपालिका के स्थान हैं, उसमें जूनियर स्पेशलिस्ट के स्थान रिक्त पड़े हैं। अब सरकार ने, आज मैंने सारे विभागों के लोगों को बुलाया है। इसलिये यह तय किया है, इसके साथ एक और निवेदन कर दूं कि पिछली बार यह नीति बनाई थी कि हम नये डाक्टर्स को न डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में लगायेंगे, न नगर पालिकाओं के क्षेत्र में लगायेंगे, उसके नीचे ग्रामीण इलाकों में लगायेंगे। इसके कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह होता है कि नगर पालिकाओं के नीचे जितने ग्रामीण स्थान हैं, उन सब को राज्य सरकार ने भर दिया है। ऐसे डाक्टरों की संख्या 840 है। किन्तु जब यह समस्या आ गई कि वह जगह खाली पड़ी है, इसलिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि जिन जूनियर स्पेशलिस्ट की जगह खाली है, अब हम एलीजिबिलिटी के कारण देर नहीं कर सकते। इसलिए जो नये डाक्टर्स जो, एम. एस. और एम. डी. किये हुए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में तो नहीं, मेडिकल कालेज के स्थान पर तो नहीं, एक नगर पालिका में तो नहीं, उनके नीचे बाकी स्थानों पर हम जूनियर स्पेशलिस्ट के अगेंनस्ट इन एम. एस. और एम. डी., जिन्होंने नये प्रार्थना-पत्र दिये हैं, को लगायेंगे और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मार्च 1991 तक हम सारे पद निश्चित रूप से भर देंगे, उसमें कठिनाई जरूर

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आयेगी कि इस प्रकार के लोग जो नहीं जाते हैं, मैं बहुत कठोर हूं। मैं माननीय सदस्यों का भी सहयोग इसमें चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य भी डाक्टरों के तबादले के विषय में इस प्रकार के लोगों को चाहते हैं। जिनका तबादला हो गया, तीन महीने तक नहीं गया' कृपया किसी की सिफारिश न लायें तो....

**श्री हेतराम बेनीवाल :** चतुर्वेदी जी, उनके नाम हाउस में बताओ।

**श्री ललितशोर चतुर्वेदी :** मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री निर्भय लाल :** जूनियर स्पेशलिस्टों को लगाया गया है।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बिराज जायें।

**श्री प्रेमसिंह दहिया :** कौन है, बताइये।

**श्री अध्यक्ष :** आप हैं, बिराजिये। जो बीच में डिस्टर्ब करते हैं, वह समझो।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जूनियर स्पेशलिस्टों का सवाल किया, मैं जानता हूं कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे इस बात के लिए बधाई पत्र भी भेजा है कि चिकित्सा मन्त्री महोदय आप बधाई के पात्र हैं कि 40 वर्ष के इतिहास में पहली बार जैसलमेर में सारे रिक्त पद भरे गये हैं। शायद यह मेरी बात की हां भी करेंगे।

**श्री जितेन्द्र सिंह :** नहीं, नहीं आप वाकई बधाई के पात्र हैं। मैं इस सदन को साक्षी रखकर इस सन्दर्भ में इनको बधाई देता हूं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** अध्यक्ष महोदय, जो जगह अभी प्रमोशन से रिक्त हैं, जैसी योजना मैंने बताई है, उस योजना के आधार पर उनको भी भरने का सवाल किया जायेगा। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे, उन्होंने कहा, मैं ले गया, वह तो नहीं ले गये, मैं अपने हिसाब से गया था, मैंने उस स्थान को देखा था, पानी की बहुत समस्या है एक लाख रुपये स्वीकृत किये थे, किन्तु थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, वह स्वीकृत हो कर अब वहां काम प्रारम्भ हो गया है। पति-पत्नी को एक साथ रखने के बारे में और झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा....

**श्री गुलाम मुस्तुफा खान :** और वह सारे पद खाली हैं।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** मैंने पिछले इसी मार्च के महीने से राजस्थान भर में सभी सी. एम. एच. ओ. को यह बात कही है कि जो पति-पत्नी अलग हैं, हम ज्यादा दिन विदाई-जुदाई नहीं रखना चाहते, वैसे तो परिवार कल्याण में हमें इससे सहयोग होता है, किन्तु नहीं, वह भी ध्यान करके हम उनको एक स्थान पर लाना चाहते हैं, ऐसे प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं कि हमने अलग नहीं किया, किसी का प्रमोशन हो गया, इसलिए वह प्रमोट होकर अलग चला गया। इसीलिए उनकी विदाई हुई है, उसके बाद भी उस विदाई-जुदाई को समाप्त करने का लगातार हमारा विचार है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पेरा-मेडिकल स्टाफ की बात की, मैं सचमुच बहुत पीड़ित हूं। हमारे यहां का पेरा मेडिकल स्टाफ प्रशिक्षित ही नहीं है, जो योजना बनी है, हमारे यहां जितनी ए. एन. एम. प्रशिक्षित होकर निकली हैं, जितनी स्टाफ नर्सें प्रशिक्षित होकर निकली, जितने लैब टैक्नीशियन प्रशिक्षित होकर निकले, जितने रेडियोग्राफर प्रशिक्षित होकर निकले, उन सबको लगा दिया है। अब सवाल यह है कि प्लानिंग की कमी पिछले कुछ वर्षों से रही है, राज्य सरकार उस नाते से प्रयत्नशील है। मैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को बताता हूं कि इस प्रकार के पेरा मेडिकल स्टाफ के लोग जो भी उनके ध्यान में आयें, जो बेकार बैठे हैं, उनको लगाने की गारण्टी मैं निश्चित रूप से करूंगा और उनको निश्चित रूप से लगाया जायेगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** यह आपका परिणाम है।

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** हमारे एक विधायक ने दांतों की बीमारी की चर्चा की है, मैं यह जानता हूं कि कुछ क्षेत्रों में दांतों की बीमारी है, वहां डेन्टिस्ट लगाये जाने चाहिये, राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है किन्तु इसमें यह प्रश्न आकर खड़ा हो रहा है कि हमारी फाइनेन्शियल स्थिति क्या हो और उसके अनुसार हम कितने डाक्टरों को लगाने की व्यवस्था करें।

**श्री सम्पत सिंह :** अभी तो और दांत खट्टे होंगे।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट, श्री गोविन्द सहाय।

**कैलादेवी ट्रस्ट, करौली**

356. **श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) :** क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि करौली के भूतपूर्व महाराजा ने श्री कैलादेवी नाम का ट्रस्ट बना रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि देवस्थान विभाग द्वारा उक्त ट्रस्ट का कभी भी आडिट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि कैलादेवी ट्रस्ट के वाहन एवं टेलीफोन का उपयोग करौली राजघराने के सदस्य कर रहे हैं ?

(4) कैलादेवी ट्रस्ट में कुल कितने सदस्य हैं ? उनमें से राजघराने के कितने सदस्य हैं ? राजघराने के कितने लोग मन्दिर की व्यवस्था देखते हैं ? कैलादेवी ट्रस्ट की कुल वार्षिक आय कितनी है ? 1985 से 1990 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कर्मचारियों को वेतन कम दिया जाता है एवं दर्शाया अधिक जाता है ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी।

**देवस्थान मंत्री** (श्री रामकिशोर मीणा):
(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानानुसार प्रन्यास द्वारा प्रतिवर्ष आय व्यय के लेखों का आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से कराया जाता है। देवस्थान को आडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत बने नियमों के अनुरूप सार्वजनिक प्रन्यास के ट्रस्टी ही प्रतिवर्ष के आय-व्यय के लेखों का आडिट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से कराते हैं। यदि देवस्थान विभाग को चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट पर कोई लेखा सम्बन्धी अनियमितता प्रतीत होती है तो देवस्थान विभाग आदेश देकर विशेष आडिट करवा सकता है।

(3) जी नहीं।

(4) कैलादेवी ट्रस्ट के एक मात्र प्रन्यासी भूतपूर्व महाराजा, करौली, वर्तमान में श्री कृष्णचन्द्र पाल हैं। इनके अलावा राजघराने का कोई अन्य सदस्य इस प्रन्यास का सदस्य नहीं है। राजघराने का कोई भी सदस्य मन्दिर एवं न्यास व्यवस्था में नहीं है। कैलादेवी ट्रस्ट की रात 5 वर्षों अर्थात वर्ष 1985 से 1990 तक की आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

1985—15,95,525.32
1986 15,94,039.11
1987—24,14,081.99
1988-89—32,32,509.91
1990—59,42,451.76

(5) जी नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री गोविन्द सहाय** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया, इसके लिए पहले भी प्रश्न पेश किया था। न कभी भी देवस्थान विभाग से उसका आडिट होता है और अब तक यह कहते हैं कि उनको आपत्ति नहीं होती, कभी वह इस बात को देखते ही नहीं हैं कि उनको आपत्ति तो तब होती। सवाई माधोपुर जिले में पांच इतने महत्वपूर्ण देवस्थान हैं, मेंहदीपुर बालाजी, महावीर जी, कैलादेवी इनकी आय का जो इन्होंने 15 हजार का लेखा-जोखा दिया है, वह बिल्कुल गलत है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवायी जाये। इन बड़े-बड़े स्थानों की सम्पत्ति का जो पैसा आता है, वह जयपुर में कोई महन्त जी हैं, वह बंगला बनाकर, कार रखकर यहां ऐश करते हैं। कुछ महावीरजी की सम्पत्ति का....

**श्री अध्यक्ष** : आपने सुझाव दे दिया। ठीक है, आप फिर जांच करवा लेना। नेक्सट।

**श्री गोविन्द सहाय** : दूसरा मैंने यह कहा है कि ट्रस्ट बना रखा है, उस ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : बता दिया ना।

**श्री गोविन्द सहाय** : इन्होंने बता दिया, सिर्फ एक है, बाकी अतिरिक्त कौन है और प्रन्यास में एक सदस्य नहीं होता है। प्रन्यास में अतिरिक्त राजघराने के नहीं हैं तो दूसरे लोग कितने हैं, जो उसकी व्यवस्था देखते

(श्री गोविन्द सहाय)

हैं। दूसरा जो इन्होंने कहा है, उसका टेलीफोन और गाड़ी, कैलादेवी ट्रस्ट की दो गाड़ी, टेलीफोन और तीन गाड़ियां, सब उनके महल में रहती हैं, कैलादेवी के काम में कोई नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि 14 तारीख से 15 दिन का मेला लगता है जिसमें 30 लाख आदमी से अधिक वहां पर आते हैं। उनकी ओर से पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, सारा जाली स्टाफ देवस्थान विभाग की ओर से....

**श्री अध्यक्ष :** अब मन्त्री जी देख लेंगे। श्री सुरेन्द्र गोयल। नेक्स्ट।

**जैतारण एवं निमाज क्षेत्र के शराब विक्रेताओं को शराब का वितरण**

357. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका क्षेत्र जैतारण एवं निमाज में आबकारी विभाग द्वारा ठेकेदार को माह अप्रैल, 1989 से जनवरी, 1991 तक किस-किस माह में कितनी-कितनी देशी व अंग्रेजी शराब एवं बीयर कितने रुपये की जारी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मन्त्री जी।

**आबकारी मन्त्री** (श्रीमती विद्या पाठक): (1) अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा की आपूर्ति आबकारी विभाग, गंगानगर शुगर मिल्स के मार्फत करता है। भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर अनुज्ञाधारी आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर सीधे कम्पनियों से क्रय करते हैं। नगरपालिका क्षेत्र निमाज में भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर की कोई दुकान नहीं है। नगरपालिका क्षेत्र जैतारण में स्थित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान हेतु जारी परमिट की सूची संलग्न है। दोनों नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा की दुकानों हेतु जारी की गई देशी मदिरा की "ईश्यु प्राइस" का विवरण भी संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**श्री सुरेन्द्र गोयल :** अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि विदेशी मदिरा व बीयर व देशी मदिरा के ज्यों ही परमिट जारी होते हैं परमिट जारी होने के बाद ठेकेदार द्वारा गोदाम से माल निकालने से पहले क्या नगरपालिका और ग्राम पंचायत में चुंगी चुकाना आवश्यक है। दूसरा, मेरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि जैतारण दुकान के अलावा उक्त ठेकेदार जिसका जैतारण में ठेका है और 1989-90 और 1990-91 और कहां-कहां दुकान का ठेका था। क्या निविदा के अनुरूप शराब उठाकर दूसरे जिले जहां उनका ठेका नहीं है, सप्लाई आबकारी निरीक्षक की मिलीभगत से उक्त ठेकेदार द्वारा किया जाता था। जहां उनका ठेका नहीं है, मन्त्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि जैतारण क्षेत्र में जैतारण के अलावा निमाज, कालू बलून्दा बाबरा में विदेशी शराब देशी शराब की दुकानों पर बिक रही है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं?

**श्री ईश्वरलाल सैनी** : एक प्रश्न ।

**श्री अध्यक्ष** : नशा चढ़ जायेगा अभी ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रश्न का दायरा बहुत सीमित है, जैतारण और निमाज तक ही इसको सीमित रखें हम । तीन प्रश्न अभी माननीय सदस्य ने पूछे ...

**श्री अध्यक्ष** : आपकी चर्चा बहुत हो चुकी इसलिए मैं सीमित ही रखूंगा ।

**श्रीमती विद्या पाठक** : उसमें आपत्ति नहीं है मगर जिन प्रश्नों का जवाब यहां सम्भव नहीं है वे प्रश्न नहीं पूछे जायं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे । एक तो उन्होंने यह पूछा कि जैतारण, निमाज के ठेकेदारों के और भी कोई ठेके हैं कि नहीं । मैं यह कहना चाहती हूं कि जैतारण और निमाज का एक-एक करके ठेका नहीं दिया जाता । प्रमुख रूप से जैतारण, पाली और सोजत समूह के नाम से एक पार्टी है जिसने इस क्षेत्र में ठेके ले रखे हैं । पूछा है । और कहीं सप्लाई करते हैं कि नहीं ? उस ठेके के जूरिस्डिक्शन के दायरे के भीतर कहीं सप्लाई कर सकते हैं । माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या नगरपालिका से ये पूछते हैं । नगरपालिका से पूछने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री रामसिंह विश्नोई ।

**श्री परसादीलाल मीणा** : प्रश्न संख्या 358. आपको दे गये थे लिखकर ।

**श्री अध्यक्ष** : कल का था, आज का नहीं आया ।

**श्री परसादीलाल मीणा** : जब तक नहीं आयेंगे तब तक । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये, बिराजिये । यह सवाल बहुत रेस्ट्रिक्टेड है । आगे सवाल अच्छे आ रहे हैं उनमें करिये ।

### ट्रकों व बसों की चैकिंग हेतु विभागीय नाके

358. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) (के स्थान पर) **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ट्रकों व बसों की चैकिंग के लिए राज्य में परिवहन विभाग के कितने नाके स्थापित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नाकों पर तैनात कर्मचारी लाखों करोड़ों रुपए नाजायज रूप से कमा रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है व गत पांच वर्षों में कितने दोषी कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ? इनमें से कितने सेवानिवृत्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार बसों की चैकिंग से होने वाली यात्रियों की असुविधा व देरी को समाप्त करने के लिए ऐसा प्रबन्ध करने का विचार रखती है कि चलती बसों में ही चेकिंग कर ली जाय और बसों को स्थान स्थान पर नहीं रोका जाय ? यदि हां, तो कब तक इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायेगा ?

**यातायात मंत्री** (श्री जगमाल सिंह यादव) : (1) ट्रकों व बसों की चैकिंग के लिए राज्य में परिवहन विभाग के अधीन निम्न 21 चैकपोस्ट स्थापित हैं :— 1. शाहजहांपुर, 2. ऊंचा नंगला, 3. चम्बल ब्रिज, 4. रायपुर, 5. निम्बाहेड़ा 6. रतनपुर, 7. आबू रोड, 8. गोनेड़ा, 9. बरेठा, 10. गोमाना चौराहा, 11. नौगांवा, 12. रारह, 13. पीपली, 14. झुंझुनूं, 15. राजगढ़, 16. साधुवाली 17. पतली 18. संगरिया, 19. मण्डार, 20. माखूपुरा, 21. भिवाड़ी तावडू और 22. इकलेरा।

(2) जी नहीं। चैक पोस्ट पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। चैक पोस्टों पर समय समय पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। गत पांच वर्षों में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है और न ही किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया गया है।

(3) जी नहीं, ऐसा किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि जिन चैक पोस्टों पर गड़बड़ी होती है, जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त होती हैं उन कर्मचारियों के खिलाफ पांच वर्ष से कार्यवाही विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है? चैक पोस्ट के जरिये सालाना आय में बढ़ोतरी होती है या आय घटती है? चैक पोस्ट लाभदायक है या हानिकारक? अस्थायी चैक पोस्ट, जिनका माननीय मंत्रीजी ने उल्लेख नहीं किया और पिछले वर्ष जिनको हटा दिया गया, उसके बाद आय घटी या बढ़ी?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने पूछा कि पिछले पांच सालों में कार्यवाही विचाराधीन है....

**श्री परसादीलाल मीणा** : कितने लोगों के खिलाफ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है कि कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि कुछ चैक पोस्ट हमने अस्थायी तौर पर कायम की थीं। उसमें हमने....

**श्री परसादीलाल मीणा** : मंत्री महोदय, आपने कहा है कि गत पांच वर्षों में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया है। कार्यवाही विचाराधीन है, मौन रहे हैं अपने उत्तर में आप, अच्छी तरह पढ़िये।

**श्री अध्यक्ष** : आप इसका इण्टरप्रिटेशन मत करिये, जो लिखा है वही पढ़िये।

**श्री जगमालसिंह यादव** : कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : यही है इसका मतलब।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : इसका अभिप्राय यही है, माननीय मंत्री महोदय। आपके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लिखित उत्तर की जो एडवांस कापी माननीय सदस्य को मिली है उसके अन्दर तो आपने कहा है कि दण्डित इस कारण से नहीं किया गया क्योंकि इन्क्वायरी पैंडिंग है, अभी इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर स्वयं देखें तो आप पायेंगे कि इसका अभिप्राय यही है।

**श्री जगमाल सिंह यादव :** आप माननीय सदस्य दुबारा खुद मान रहे हैं।

**श्री परसादीलाल मीणा :** हां, इन्होंने घुमा फिराकर उत्तर तो दिया है लेकिन इसका अभिप्राय क्या है ?

**श्री अध्यक्ष :** मेरे पास में भी जवाब है। इसमें यही लिखा है कि गत पांच वर्षों में कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है और न किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया गया है, यह कहा है।

**श्री परसादीलाल मीणा :** इसका मतलब विचाराधीन तो है ?

**श्री अध्यक्ष :** मतलब जो आप निकाल रहे हैं वह मतलब निकलता नहीं है।

**श्री परसादीलाल मीणा :** या तो मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष :** अब आ गया, स्वयं भी कह रहे हैं कि नहीं। मतलब आ गया आपका। आप बता दीजिए कि कुछ आमदनी बढ़ी है क्या चैक पोस्टों से ? यह पूछ रहे हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव :** वही निवेदन कर रहा हूं। यह बात भी सही है, देखने में आया है कि हमने अपने विभाग की चैक पोस्टें थीं उनका काम वाणिज्यिक चैक पोस्टों को दिया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैंने इसकी जांच करायी है। माननीय सदस्य की यह बात सही है, मैं आपकी राय से सहमत हूं कि पहले की वाणिज्यिक चैक पोस्टों के बाद टैम्परेरी चैक पोस्ट, अपनी चैक पोस्ट कायम करने के बाद उनसे विभाग की आय में वृद्धि हुई है।

**श्री परसादीलाल मीणा :** कितने प्रतिशत ?

**श्री जगमाल सिंह यादव :** लेकिन इसी साल हमने चार नयी चैक पोस्ट कायम की हैं। हमारे विभाग में अभाव की वजह से नयी चैक पोस्ट पर भी इसी साल हमें विभाग के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी लगाने पड़े। मैं यह सर्वे करा रहा हूं राजस्थान में। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुछ अन्तर्राज्यीय मार्ग खुल गये हैं जो मार्ग पहले हमने ईयरमार्क किये हुए थे, उनके अलावा नयी सड़कें बन जाने की वजह से अन्तर्राज्यीय मार्ग खुल गये हैं जहां से इस तरह के टैक्स की चोरी होती है। इसकी जांच मैंने लिख दी है और जो सम्भावित चैक पोस्ट हो सकती हैं उनके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं कि उन सबका एक व्यापक सर्वे करा लिया जाय और जहां जहां नयी चैक पोस्ट खोलना सम्भव हो नयी चैक पोस्ट खोल दी जायं। जहां हमारा काम वाणिज्यिक चैक पोस्टों के पास है उनसे काम खुद के पास लेकर यदि

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आमदनी बढ़ सकती हो तो उसके बढ़ाने के लिए प्रयास किये जायं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य सीधा सवाल।

**श्री हीरालाल आर्य** : क्या यह सही है कि इन चौकियों पर भारी गबन और घोटाला होने की वजह से इन चौकियों से होने वाली आय प्रति वर्ष घटती जा रही है ?

**श्री अध्यक्ष** : जवाब नहीं सुन रहे हैं इसका मतलब।

**श्री हीरालाल आर्य** : नहीं, साहब, वे कह रहे हैं कि....

**श्री अध्यक्ष** : वे कह रहे थे कि मान ली उनकी बात, अब ये अपने लोग लगायेंगे। अब दूसरा सवाल करिये। जवाब तो सुन नहीं रहे आप।

**श्री हीरालाल आर्य** : कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि बसों की चैकिंग के लिए समस्त बसें रुकती हैं, अनावश्यक समय लगता है और सवारियां परेशान होती हैं। इसमें राजस्थान रोडवेज को भी जोड़कर क्या प्रत्येक जिले में मोबाइल चैकिंग की व्यवस्था करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। माहिर आजाद।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय अध्यक्ष महोदय, चैक पोस्टों की जांच और उनके क्रियाकलापों के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ समय पूर्व माननीय यातायात मंत्री स्वयं ने गोनेड़ा चैक पोस्ट का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो उस समय कौन-कौन कर्मचारी पैसा लेकर मंत्रीजी को देखकर भाग गये थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? इन्होंने कहा कि किसी को सस्पैण्ड नहीं किया गया। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले उसी चैक पोस्ट के 2-3 कर्मचारियों को सस्पैण्ड किया गया है ? यदि हां, तो किस कारण और उनके खिलाफ क्या इन्क्वायरी हुई ?

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या चौकियों पर गबन की वजह से आमद घटी है ? मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर साल सरकार मेरे विभाग का टार्गेट बढ़ाकर तय करती है, इसलिए इस बार टार्गेट की प्राप्ति नहीं हुई यह बात तो सही है लेकिन उसका कारण गबन या घोटाले नहीं हैं। इस बार देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए, मण्डल आयोग की वजह से यातायात प्रभावित हुआ, गल्फ वार के कारण डीजल संकट की वजह से भी ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ। इसलिए यह कहना कि गबन और घोटाले की वजह से टार्गेट प्राप्त नहीं किया जा सका, मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही कि चलती बसों में चैकिंग की व्यवस्था की जाय। मेरे विभाग के कर्मचारी टिकटों की जो चैकिंग करते हैं पैसेंजर से, वह चलती बस में ही करते हैं। लेकिन गाड़ी की फिटनैस ड्राइवर से देखने

(श्री जगमालसिंह यादव)

का या गाड़ी के सही कागजात हैं या नहीं, देखने का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात की उम्मीद करेंगे क्या कि चलती बस से कोई गाड़ी का ड्राइवर उनको कागजात दिखा दे। लेकिन जितना कम विलम्ब हो सकता है उस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकारी इस बात का पूरा प्रयत्न करते हैं कि कम से कम समय में जितनी चैकिंग हो सके उतनी की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया कि मेरे द्वारा गोनेड़ा चैक पोस्ट पर पिछले दिनों कोई चैकिंग की गयी। यह बात सही है, मैंने खुद वहां जाकर रात को चैकिंग की। गबन या पैसा लेने की बात बिलकुल गलत है, पैसा लेकर भागने वाली बात नहीं थी। वहां कुछ ऐसे दस्तावेज मैंने देखे जो काफी दिनों से वहां पड़े थे। मैंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जब इस मामले में जानना चाहा कि इतने दिनों से विभाग के कागजात चैक पोस्टों पर क्यों पड़े हुए हैं तो वे कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके। मैंने जब उनको सस्पेण्ड करने की कार्यवाही करनी चाही, स्थानान्तरण करने की कार्यवाही करनी चाही तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वे हाई कोर्ट से स्टे ले आये। हाई कोर्ट के स्टे के बाद मैं उनका ट्रांसफर कर नहीं सकता था, अंततः इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा और अभी कुछ ही समय दिन पूर्व मैंने उनको सस्पेण्ड कर दिया है।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट, श्री राजेन्द्र गहलोत।

**श्री हीरालाल आर्य :** चालान बुक अपने पास रखना क्या गबन-घोटाले की श्रेणी में नहीं आता है, मंत्री महोदय ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय हीरालाल जी आर्य, कृपया बैठिये।

**श्री हीरालाल आर्य :** चालान बुक जो चौकियों पर रखते हैं उनमें बिना नम्बर.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराज जाइये। यह बात का विषय नहीं है। आपने प्रश्न पूछा जवाब आ गया। बिराजिये।

**राज्य के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में भेड़–बकरियों की तस्करी**

359. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में गत 10-15 वर्षों से भेड़ों की संख्या कम हुयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से भेड़ों व बकरियों की तस्करी भी की जाती है ? यदि हां, तो इसे रोकने के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अन्य जिलों की तुलना में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

जिलों में भेड़ों की संख्या कम होते हुये भी दवाइयां क्रय करने हेतु बजट अधिक उपलब्ध करवाया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

**भेड व ऊन राज्य मंत्री (श्री रमजान खां)** : (1) जी हां, कमी 1983 व 1988 के दौरान हुई । इसका मुख्य कारण वर्ष 1987-88 में पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ना एवं 1990-91 में भयंकर बाढ़ के कारण भेड़ों की संख्या में कमी आई है।

(2) जी नहीं। विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(3) जी हां, यह सही है कि अन्य जिलों की तुलना में डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में भेड़ों की संख्या कम होते हुए भी दवाइयां क्रय करने हेतु, बजट अधिक उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि यह सारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है और यहां पर संकर प्रजनन का कार्य भी सघन रूप में किया जाता है । संकर नस्ल के मेमनों में बीमारी सहन करने की क्षमता कम होती है । जिसके कारण, मामूली कारणों से ही बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको बीमारी से बचाने के लिए दवाइयां अधिक उपलब्ध कराई जाती हैं।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बाढ़ और अकाल के कारण भेड़ों की संख्या में जो कमी बताई गई है, इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पश्चिमी क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र....

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : प्रश्न पूछ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछिये, कारण आप क्यों बता रहे हैं, आप डाइरेक्ट प्रश्न पूछिये।

**श्री राजेन्द्र गहलोत** : ट्रकों द्वारा प्रतिदिन हजारों की संख्या में भेड़ और बकरियां जा रही हैं और भेड़ों में भी मादा भेड़ें अधिक संख्या में यहां से जाती हैं। दूसरा, कभी कभी समाचार-पत्रों में सीमा क्षेत्र पाकिस्तान में जाती हुई भेड़ों का भी उल्लेख होता है...(व्यवधान)

साथ में पश्चिमी राजस्थान और उदयपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अन्दर दवाइयों के असन्तुलन की बात बताई गई है। यह असंतुलन भी दूर किया जाय क्योंकि भेड़ों की संख्या पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मांगीलाल मेघवाल ।

**श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में ही अधिकांशतः भेड़ें और बकरियां पाली जाती हैं ? और क्या यह सही है कि राज-

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

स्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांशतः अकाल पड़ने की वजह से भेड़ पालकों को अपनी भेड़ें लेकर राजस्थान से बाहर मध्य-प्रदेश और यू. पी. जाना पड़ता है, जिस क्षेत्र में होकर भेड़ें निकलती हैं उस क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं, मध्य-प्रदेश और यू. पी. में भी परेशानी होती है, टैक्स में उनकी लूट हो रही है तो क्या इन समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर या उस क्षेत्र में निश्चित चारागाह तय करने का विचार रखती है ?

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराजिये ।....श्री गुलाबसिंह ।... आप भाषण मत दीजिए । हो गया आपका ।

**श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित** (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह कहा है कि अकाल और बाढ़ के कारण से भेड़ों की संख्या में कमी हुई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसके तहत भेड़ पालकों को सब्सिडी या लोन आदि का प्रोत्साहन देकर लाभान्वित किया जाय जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सके ?

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि अलग-अलग जिलों में भेड़ों की चराई की अलग-अलग दरें निर्धारित हैं जिससे परेशान होकर आर्थिक अभाव में वह भेड़ें बेचने को मजबूर हो जाते हैं, वह भेड़ें राज्य के बाहर कटने के लिये चली जाती हैं, तो मेरा निवेदन है कि क्या आप इस तरह की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे राजस्थान के सभी जिलों में एक ही चराई की व्यवस्था हो सके ।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी ।

मैं एक प्रश्न और लेना चाहता हूं ।

**श्री रमजान खां :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों ने दवाई की बात कही है कि पश्चिमी राजस्थान में दवाइयां कम दी जाती हैं, इसकी अगले बजट के अन्दर व्यवस्था हो जायेगी कि संतुलन बना रहे, दवाइयां कम न दी जायें । और जहां तक सीमावृति इलाकों में झगड़े का प्रश्न है, हमने पूर्व में भी कहा था कि इस बार हमने पूरी चौकसी रखी जिसकी वजह से कहीं भी भेड़ पालकों के बीच में या स्थानीय लोगों के बीच में कहीं भी टकराहट की स्थिति पैदा नहीं हुई । और जहां तक चारागाह का प्रश्न है चारागाह के लिये यदि मिक्स फार्मिंग कोई काश्तकार करना चाहे, खेती भी करे और अपने भेड़ पालकों के लिये कोई चारागाह की व्यवस्था भी यदि करना चाहे तो उसके लिये भी विभाग की ओर से अनुदान देने की व्यवस्था की जायेगी । इसके अलावा हमने विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया है कि इन्दिरा गांधी नहर पर कुछ जमीन इस काम के लिये अलाट कर दी जाय ताकि वहां पर चारागाह विकसित किया जा सके । और जो भेड़ें बाहर निष्क्रमण पर जाती हैं उनको वहीं पर रोक लें ।

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट ।

श्री दयाराम परमार ।

**जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु आयुक्त स्तर का कार्यालय**

360. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिये एक आयुक्त स्तर का अलग से कार्यालय है? यदि हां, तो कानूनों एवं व्यवहारिक दृष्टि से जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये आयुक्त के क्या-क्या अधिकार एवं कर्तव्य हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आयुक्त जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों से कभी सम्पर्क नहीं करते हैं, इसलिये न तो उन्हें जनजाति समुदाय की समस्याओं का ज्ञान होता है, और न ही उनका समाधान कर पाते हैं ?

जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : (1) जी हां। आयुक्त, जनजाति विकास के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट—1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) यह सही नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 3 देखें।)

**श्री दयाराम परमार** : अध्यक्ष महोदय, यह आयुक्त महोदय के अधिकार और कर्तव्यों की जो सूची दी है मैंने उन्हें सदन में रखने के लिये नहीं कहा है, इसको पढ़कर सुनायें।

**श्री अध्यक्ष** : पढ़कर सुनायें ?

**श्री दयाराम परमार** : हां, मंत्रीजी पढ़कर सुनायें।

**श्री अध्यक्ष** : क्यों आप पढ़ लीजिये ना ?

**श्री दयाराम परमार** : मेरे इलाके के और भी माननीय सदस्य हैं जिन्हें पता नहीं है। हम सब जानना चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : हां, पढ़ दीजिये।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को लिस्ट नहीं मिली हो तो मैं दे दूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, नहीं और लोगों को नहीं मिली हैं, पढ़ दीजिये ठीक है।

**श्री चुन्नीलाल गरासिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राज्य सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करेंगे।

आयुक्त, जन जाति क्षेत्रीय विकास का कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :—

**(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र** :

इस क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की छः तहसीलें। फलासिया (झाड़ोल), खैरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया एवं गिर्वा ब्लाक के 81 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील एवं सिरोही जिले में आबू रोड़ तहसील का आबूरोड़ ब्लाक।

(ब) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा), जो माडा के नाम से जाना जाता है

राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 13 जिले अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व उदयपुर के 36 लघु खण्ड इसमें है ।

(स) सहरिया क्षेत्र :

कोटा जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलें । उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना, माडा सहरिया क्षेत्र में शामिल किये जाने वाले क्षेत्र हैं ।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निम्न कर्त्तव्यों का निष्पादन किया जावेगा :

(अ) वे अपने कार्य क्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों के आयोजन एवं परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(ब) वे जनजाति क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों की कार्य प्रणाली में समन्वय एवं एकीकृत कार्य पद्धति को सुनिश्चित करेंगे ।

(स) वे इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि विकास कार्यक्रमों तथा पर्यावरण में उपलब्ध सम्पदा से अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ मिले और इसके लिये वे आवश्यक अधिकारों एवं शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

(द) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिये विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(1) कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ।

(3) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पादन, उपभोग एवं सामाजिक कार्यों की पूर्ति हेतु साख सुविधा का प्रबन्ध—

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय मुझे ऐसा लगता है कि सदस्यों की सुनने में रुचि नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं । बिराजिये आप । अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिए परिशिष्ट 4 देखें ।)

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**कन्साइनमेन्ट टैक्स से राज्य को राजस्व आय**

657. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(1) कन्साइनमेन्ट टैक्स से राज्य को कितनी राजस्व-वसूली होने की सम्भावना है ?

(2) आठवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त टैक्स से कितनी अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी ?

(3) कन्साइनमेन्ट टैक्स के लगने से राज्य को होने वाली हानि-लाभ का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खेप कर के सम्बन्ध में संसद ने अभी कोई कानून नहीं बनाया है। इस राज्य से दूसरे राज्यों में प्रति वर्ष करीब 2 हजार करोड़ के ब्रांच ट्रांसफर होते हैं, इसके अनुसार यदि खेप कर की दर सभी वस्तुओं पर 2% रखी जाती है तो उस स्थिति में राज्य को एक वर्ष में 40 करोड़ की आय सम्भावित है। यदि खेप कर की दर 4% रखी जाती है तो प्रति वर्ष 80 करोड़ की आय सम्भावित है।

(2) आठवीं पंच वर्षीय योजना 90-91 से शुरू हुई है। आठवीं योजना के शेष वर्षों में खेप कर 4% की दर से लगने पर प्रतिवर्ष 80 करोड़ एवं 2% की दर से लगने पर 40 करोड़ प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय सम्भावित है।

(3) राज्य के बाहर माल ब्रांच ट्रांसफर के रूप में भेजा जाता है, जो अन्तर्राज्यिक विक्रय की परिधि में न आने के कारण इस पर कोई बिक्री कर देय नहीं होता है। इस प्रकार के ब्रांच ट्रांसफर पर बिक्री कर की वसूली हेतु संविधान में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। जिससे ब्रांच ट्रांसफर पर कर लगाया जा सकता हैं। परन्तु इस संबंध में संसद द्वारा अभी कानून पारित नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप ब्रांच ट्रांसफर पर खेप कर नहीं लगाया जा रहा है। इस कानून के बनने से अन्य राज्यों के डिपो जो इस राज्य में खुले हुए हैं, वे बन्द हो जावेंगे किन्तु इससे राज्य की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि इस स्थिति में माल सीधा अर्न्तराज्यिक बिक्री से व्यवसाईयों के पास आयेगा और जब वह माल राजस्थान में बिकेगा तो उस पर राज्य को कर प्राप्त हो जावेगा।

**ग्राम नारी का बास (जयपुर) के अग्नि काण्ड पीड़ितों को सहायता**

658. **श्री किशनाराम नाई** (श्री डूंगरगढ़) : क्या पुनर्वास विभाग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माह नवम्बर, 1984 में ग्राम नारी का बास, पंचायत समिति, झोटवाड़ा, जिला जयपुर में एक अग्नि काण्ड हुआ था जिसमें करीब-करीब सभी घरों में आग लग गई थी? यदि हां, तो इस अग्नि काण्ड में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों के एवं सवर्ण जातियों के लोगों के घर जले थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री किशनाराम नाई)

(2) क्या इन सभी प्रभावित लोगों को राज्य सरकार ने मुआवजा दे दिया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? अब इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

(3) क्या यह भी सही है कि पुनः इसी ग्राम में अग्नि काण्ड हुआ? यदि हां, तो सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की क्या कार्यवाही की तथा उन्हें कब तक मुआवजा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) दिनांक 27-11-84 को ग्राम नारी का बास पंचायत समिति, झोटवाड़ा में अग्निकांड हुआ था जिनमें 11 परिवार बलाई जाति, 6 परिवार अहीर जाति, 4 परिवार खाती, 1 परिवार नाई जाति एवं 1 परिवार ब्राह्मण जाति के थे। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी नहीं। अग्नि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। अग्नि पीड़ित सभी परिवारों को सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

(3) ग्राम नारी का बास में पुनः अग्नि कांड होने की कोई सूचना कलेक्टर, जयपुर को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 5 देखें।)

**राज्य के पंचायत मुख्यालयों तक सड़क निर्माण**

659. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के पास क्या कोई योजना है? यदि हां, तो इस पर वर्ष 1991-92 में कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जो अभी सडकों से जोड़े जाने शेष हैं? इन्हें कब तक जोड़ दिया जायेगा?

(3) जिला जयपुर की पंचायत समिति, जमवारामगढ़ की पंचायत वासना, गहारी, रूपवास, इन्द्रगढ़, पंचायत समिति, झोटवाज की सुमेल व जयसिंहपुरा खोर को कब तक मुख्य सड़क से जोड़ दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) योजना आयोग के निर्देशानुसार गांवों (मय पंचायत मुख्यालयों) को 1971 की जनगणनानुसार प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़े जाने की योजना निम्न प्रकार है :—

**(अ) सामान्य क्षेत्र :—**

(I) 1500 से अधिक आबादी वाले 100%

(II) 1000 से 1500 तक आबादी वाले गांव 50%

**(ब) जनजातीय, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र :—**

(I) 1000 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(II) 500 से 1000 तक आबादी वाले गांव 50%

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

**(स) पहाड़ी क्षेत्र :—**

(I) 500 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(II) 200 से 500 तक आबादी वाले गांव 50%

उक्त मापदण्डों के पूर्ण होने के पश्चात् 1981 की जनगणनानुसार 1500 से अधिक आबादी वाले गांव/पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जावेगा। तदोपरान्त शेष रहे पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ा जायेगा। वर्ष 1991—92 में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(2) राज्य में कुल 7350 पंचायत मुख्यालय है जिनमें से 31.3.90 तक कुल 1741 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े जाने शेष है। इन शेष रहे पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ा जाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ की पंचायत वासना, गहारी, रुपवास, इन्द्रगढ़ एवं पंचायत समिति कोटपुतली की सुमेल व जयसिंहपुरा खोर को मुख्य सड़क से जोड़ने का विवरण निम्न प्रकार है।

(1) **वासना** :—यह मेटल्ड सड़क से जुड़ा हुआ है एवं डामर का कार्य कृषि उपज मण्डी द्वारा करवाया जा रहा है।

**(2) गहारी** :— जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार इस नाम का कोई गांव नहीं है अपितु राहोरी एक गांव पंचायत मुख्यालय है जो कि सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

(3) **रुपवास** :— यह पंचायत मुख्यालय ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है।

(4) **इन्द्रगढ़** :— यह पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है।

(5) **सुमेल** :— यह पंचायत मुख्यालय रा. ऊ. मा. सं. 11 से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है केवल 100 मीटर गांव के पास वाल टुकड़ा जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ से गांव के पास एक किलोमीटर छोड़कर यह पंचायत मुख्यालय जगोजी की बावड़ी (रा. ऊ. मा. सं. 11) से भी डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

(6) **जयसिंहपुरा खोर** :— यह पंचायत मुख्यालय रा. ऊ. मा. सं. 8 से डामर सड़क से जुड़ा हुआ है।

जो पंचायत मुख्यालय सड़कों से नहीं जुड़े हुए है उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

**टौंक जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना**

660. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में 1500 की आबादी के कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जो अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़े हैं ?

(श्री रामनारायण बैरवा)

(2) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सर्वे कराकर कोई प्लान तैयार किया है ?

(3) यदि हां, तो फैज्ड प्रोग्राम के अनुसार कब तक यह कार्य सम्पन्न करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में 1500 की आबादी (1971) की जनगणना के 23 ग्राम पंचायत मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़े हुए नहीं है।

(2) जी हां।

(3) इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाना संभव हो सकेगा।

**विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना**

661. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1500 की आबादी वाले गांवों के पंचायत मुख्यालयों को पंचायत समिति या अन्य पक्की सड़क से जोड़ने की कोई योजना बनी है ? यदि हाँ, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 53 ग्राम पंचायतों में से कितनी कच्ची, ग्रेवल व पक्की सड़कों से जुड़ी हुई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र की बकाया ग्राम पंचायतों को इस वर्ष सड़क से जोड़ने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो किन-किन बकाया ग्राम पंचायतों को इस वर्ष सड़क से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

योजना आयोग के निर्देशानुसार राज्य सरकार की गांवों को किसी भी प्रकार की सड़क से जोड़ने की योजना निम्न प्रकार है :—

**(अ) सामान्य क्षेत्र :—**

(1) 1500 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 1000 से 1500 तक आबादी वाले गांव 50%

**(ब) जनजातीय, तटीय, मरुस्थलीय :—**

(1) 1000 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 500—1000 आबादी वाले गांव 50%

**(स) पहाड़ी क्षेत्र**

(1) 500 से अधिक आबादी वाले गांव 100%

(2) 200 से 500 तक आबादी वाले गांव 50%

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 53 ग्राम पंचायतों में से 14 ग्रेवल्ड से, 6 मेटल्ड से व 22 डामर की सड़कों से जुड़े हुए है। विवरण सलंग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र की बकाया 11 ग्राम पंचायतों को इस वर्ष सडक से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। इन ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 662

(स्थगित)

**विधान सभा क्षेत्र खण्डार की सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि**

663. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में खण्डार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली सड़कों के पेच रिपेयर हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क के लिए स्वीकृत थी? क्या उक्त सड़कों की पेच रिपेयर करवा दी गयी है? यदि हां, तो पेच रिपेयर ठेकेदारों को ठेका देकर करवाई गई या विभाग द्वारा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खण्डार, पाली, तलवाड़ा, बालेर फलौदी, भगवतगढ़ व शिवाड आदि की सड़कों की भी जांच करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की पेच रिपेयर न करवाकर अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता व क. अभियन्ताओं ने मिली भगत से राशि का मुगतान उठा लिया है, यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दण्डित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर, सा. नि. वि. खण्ड को वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में क्रमशः 30 लाख रुपये व 38 लाख रुपये की राशि सड़कों के रख-रखाव (एन्युअल मेंटीनेंस) हेतु स्वीकृत लिए गये थे।

जी हां। खण्डार विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की पेच रिपेयर आवश्यकतानुसार करवा दी गई है। वर्ष 1990-91 में मात्र 2645 रुपये का पेच रिपेयर हेतु लेबर चार्जेज कार्य केवल मई-मंडावर सड़क पर श्री रामविलास, ठेकेदार से करवाया गया है। इसके अतिरिक्त समस्त सड़कों के पेच रिपेयर कार्य विभागीय स्तर पर किये गये हैं। खण्डार विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में सड़कों के पेच रिपेयर पर खर्च का विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है (प्रपत्र "अ" संलग्न है।)

(2) खण्डार, पाली, तलवाड़ा, बालेर, फलौदी, भगवतगढ़ व शिवाड़ आदि सड़कों की पेच रिपेयरिंग का कार्य आवश्यकतानुसार

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

विभागीय स्तर पर किया जा चुका है। अतः जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। व्यय कार्य अनुसार ही किया गया है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखे।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 664

(स्थगित)

**अधिशासी अभियन्ता, डीडवाना द्वारा लकड़ी की खरीद में अनियमिततायें**

665. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना ने डीडवाना उप-खण्ड में लकड़ी की खरीद की है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त लकड़ी को जो टेण्डर 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से स्वीकृत किया गया है वही लकड़ी डीडवाना अथवा लाडनूं में 40 रु. प्रति क्विंटल की रेट से उपलब्ध है?

(3) क्या यह सही हैं कि लकड़ी की खरीद में भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है तथा विभाग को जान-बूझकर घाटा पहुंचाया गया है?

(4) क्या सरकार लकड़ी की खरीद में हुए घोटाले की जांच करवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं, 76.80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट स्वीकृत की गई है। खण्डीय कार्यालय की निविदा सूचना संख्या 8/90 के तहत कुल 8 टेण्डर प्राप्त हुए थे। उनमें न्यूनतम दर 76.80 रुपये प्रति क्विंटल एवं अधिकतम दर 120.00 रुपये प्राप्त हुई थी। अतः 40 रुपये क्विंटल का भाव कहना सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

**टोलों का लुहारिया, नन्दवाई एवं भैरू घाटी की सड़कों का निर्माण**

666. **श्री चुन्नीलाल** (बेगूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोलों का लुहारिया से जावदा नीमड़ी, नन्दवाई से चरछा तथा नन्दवाई से भैरू घाटी सड़कों के निर्माण की योजना सरकार के पास प्रस्तावित है? यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि वर्तमान में इनके निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है, तो क्या

(श्री चुन्नीलाल)

आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार नयी योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) (अ) टोलों का लुहारिया से जावदा नीमड़ी सड़क के कार्य का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ब) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ-2(37) पी. डब्ल्यू./ए. एस./89 दिनांक 22-1-90 के तहत सड़क नन्दबाई से चरछा की स्वीकृति, किमी. 3 रुपये 3.00 लाख की जारी की गई जिसके तहत किमी. 0/0 से 1/500 तक की लम्बाई में ही डामरीकरण किया जा सकेगा जिसका कार्य मार्च, 91 में शुरू किया जा कर वर्ष 1991-92 में पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

(स) सड़क नन्दबाई से भैरू घाटी की योजना सरकार के विचाधीन नहीं है । उक्त सड़कों का ब्यौरा संलग्न है । (सूची "1")

(2) इन सड़कों का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें ।)

**सवाई माधोपुर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना**

667. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय ले रखा है ? यदि हां, तो अब तक जिला सवाई माधोपुर में कितने मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ दिया गया है ?

(2) जिन मुख्यालयों को अब तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है क्या सरकार उनको जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं । योजना आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत केवल 1500 से अधिक आबादी (1971) तक के गांवों (मय पंचायत मुख्यालयों के) को ही सड़कों द्वारा जोड़े जाने की नीति है । जिसका क्रियान्वयन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । जिला सवाई-माधोपुर में 389 पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें से 186 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, 12 पंचायत मुख्यालय मेटल सड़क से एवं 35 पंचायत मुख्यालय ग्रेवल सड़क से जोड़े जा चुके हैं ।

(2) जिले के शेष 156 पंचायत मुख्यालय जो सड़कों से नहीं जुड़ पाये हैं इनमें से 13 पंचायत मुख्यालय निर्माणाधीन सड़क कार्यों के पूर्ण होने पर डामर सड़क से संलग्न सूची "1" में दर्शायेनुसार जोड़

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जाने की संभावना है। अवशिष्ट 143 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं तथा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

**विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में सड़कों का निर्माण**

668. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य में अधूरी सड़को एवं नई सड़कों के निर्माण का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितनी पूर्ण एवं अपूर्ण सड़कें है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जवाहर योजना में सड़कें पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या महावीर जी से टोडाभीम एवं मनकपुरा से नेशनल हाई-वे एवं बालाजी बाई पास सड़क सरकार के विचाराधीन हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य में अधूरी सड़कों एवं नई सड़कों का निर्माण करना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) जिला सवाई माधोपुर के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पूर्ण तथा अपूर्ण सड़कों की ग्राम वाइज सूची क्रमशः संख्या 1 व 2 संलग्न है।

(3) जी हां। जिला सवाई माधोपुर टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की तहसीलवाइज सूची संख्या 3 संलग्न है।

(4) सड़क महावीरजी से टोडाभीम पूर्व में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। शेष सड़कों को बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**प्रतापगढ़ से रठाजना-थड़ा परडीया नीमच रोड का निर्माण**

669. **श्री छगनलाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने प्रतापगढ़ से रठाजना-थड़ा परडीया नीमच रोड़ की डामरीयुक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो कब ?

(2) इस सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा।

(श्री छगनलाल)

(3) इस सड़क के निर्माण के लिये अब कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी व्यय हो चुकी हैं व कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस सड़क के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 7.50 लाख रुपये की स्वीकृति सं. पं. 13/34/सानि/88 दिनांक 9-6-89 दी गई है।

(2) उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत पुलियाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़क निर्माण का कार्य योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाना संभव हो सकेगा।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में इस सड़क की कुल लम्बाई 27 किमी. है जिसमें से 19 किमी. लम्बाई में डामर सड़क है तथा शेष 8 किमी. कच्ची है जिसके डामरीकरण से पूर्व पुलियाओं के निर्माण कार्य हेतु उक्त स्वीकृति रुपये 7.50 लाख की दी गई थी जो व्यय की जा चुकी है। शेष 8 किमी. लम्बाई के डामरीकरण की अनुमानित लागत रुपये 24.00 लाख है।

**कोटा जिले की स्वीकृत सड़कें**

670. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगंज व शाहबाद सहित कोटा जिले में वर्ष 1989-90 में कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किशनगंज व शाहबाद की निम्न पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु :—

(1) रामपुरिया-मांगरोल
(2) छजावा-जलवाड़ा
(3) कस्बाथाना-आगर
(4) भंवरगढ़-नाहरगढ़ तथा
(5) मुडियर-राजपुर

पुरानी सड़कों पर कितना-कितना बजट आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगंज व शाहबाद सहित कोटा जिले में वर्ष 1989-90 में स्वीकृत सड़कें संलग्न सूची-1 में दर्शाई गई है।

(2) किशनगंज व शाहबाद तहसील में निम्न सड़कों की वर्ष 1990-91 में मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र. सं. | सड़क का नाम | राशि (लाखों में) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | रामपुरिया से मांगरोल | 0.35 | 5कि.मी. डामर सड़क निर्मित है। 6कि.मी. निर्माणाधीन है। |
| 2. | छजावा से जलवाड़ा | शून्य | नई सड़क निर्माणाधीन है। |

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. कस्बाथाना से आगर | शून्य | नई सड़क निर्माणाधीन है। | |
| 4. भंवरगढ़ से नाहरगढ़ | 1.40 | — | |
| 5. मुडियर से राजपुर | शून्य | नई सड़क निर्माणाधीन हैं। | |

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) के गांवों में सड़कों का निर्माण**

671. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के कुल कितने गांव स्वतन्त्रता के बाद सड़कों से जोड़े गये हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों में से कितनी अधूरी पड़ी हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन अपूर्ण सड़कों को पूरा कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विभाग द्वारा किन-किन नई सड़कों का प्रस्ताव विचाराधीन है तथा कब तक कार्य शुरु कर दिया जायेगा ?

(4) विभाग द्वारा किन-किन सड़कों का कार्य चलाया जा रहा हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के अधिकतर गांवों को पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों को कब तक जोड़ दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल 64 गांव विभिन्न सड़कों से स्वतन्त्रता के बाद जोड़े गये है। (सूची-1 संलग्न है।)

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में विभाग द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं में अधूरी पड़ी सड़के चार है। (सूची-2 संलग्न है) अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) विभाग द्वारा वर्तमान में नई सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में 42 कार्य चित्तौड़गढ़ जिले में चलाये जा रहे हैं। (सूची-3 संलग्न है)

(5) जी हां। बिना जुड़े हुऐ गांवों की सूची-4 संलग्न है। इन गांवों को जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

**बड़ोदिया से चेचटरोड़ (चित्तौड़गढ़) की सड़क का निर्माण**

672. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में बड़ोदिया से चेचट रोड़ के निर्माण की सरकार की क्या योजना है ?

(2) इकलिंगपुरा में आखोट रोड की रिपेयरिंग जो 15-1-1991 तक पूरी होनी थी उसकी अभी तक रिपेरिंग क्यों नहीं हुई ?

(3) क्या सरकार अब इसे जल्दी ही रिपेरिंग कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़ में बड़ोदिया से चेचट रोड के निर्माण हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

(2) इकलिंगपुरा से आखोट रोड की कुल लम्बाई 19 किमी. है। जिसमें 0/0 से 10/0 किमी. लम्बाई कोटा जिले में पड़ती है। इस मार्ग में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नई सड़क बनाई जा रही है जिसमें से 8 किमी. डामर की सड़क बनाई जा चुकी है तथा शेष पर कार्य चालू है।

इस डामर सड़क का 10/0 से 19/0 किमी. का भाग चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। वर्षा के उपरांत सड़क के इस टुकड़े की आवश्यक पेच रिपेयर 15-1-91 तक कर दी गई थी, परन्तु पुनः कहीं-कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है वो कार्य प्रगति पर है। किमी. 15 एवं 16 काफी क्षतिग्रस्त है वर्तमान में इन क्षतिग्रस्त किमी. में पेच रिपेयर द्वारा मरम्मत करने का कार्य प्रगति पर है।

सड़क मरम्मत का कार्य एक लगातार प्रक्रिया है अतः आवश्यकतानुसार समय-समय पर कार्य किया जाता है।

(3) किमी. 15 एवं 16 जो कि अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, कि आवश्यक मरम्मत आगामी (1991-92) में करवा दी जायेगी।

**भेड़ों का स्थायी एवं अस्थाई निष्क्रमण**

673. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या भेड व ऊन राज्य मन्त्री यह बतांने की कृपा करेंगे :—

(1) स्थाई व अस्थाई निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों की संख्या क्या है ?

(2) क्या भेड़ों के निष्क्रमण के कारण भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा व सवाई माधोपुर आदि जिलों में इन जिलों के काश्तकारों व भेड़पालकों के बीच टकराव की घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो गत 5 वर्ष की घटनाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन घटनाओं में कितने जान व माल का नुकसान हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पशुपालन विभाग ने जिस प्रकार

(श्री सालिगराम)

गाय व भैंसों की चराई के लिए भूमि आरक्षित करने के लिए मापदण्ड निर्धारित कर रखें ? क्या उसी प्रकार भेड़, बकरी व ऊंट के लिए कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

वर्ष 1989–90 में :—

(1) स्थाई निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों की संख्या 12 लाख तथा अस्थाई निष्क्रमण पर जाने वाली भेड़ों की संख्या 20 लाख 79 हजार 291 है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम या अधिक होने की स्थिति में भेड़ों की संख्या घटती बढ़ती रहती है।

(2) दिनांक 4-1-1987 को ग्राम सहणा तहसील नैनवां, जिला बूंदी में ग्रामवासियों द्वारा भेड़पालकों पर हमला कर दो भेड़पालकों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया।

दिनांक 31-7-1987 एवं 1-8-1987 को खड़ीपुर से दो किलोमीटर दूर जिला बून्दी में ग्रामीणों ने भेड़पालकों पर बन्दूक से फायर कर भेड़पालकों को घायल कर दिया जिसमें एक भेड़पालक मारा गया तथा तीन भेड़पालक घायल हो गये।

दिनांक 1-8-1987 को धलेश्वर के ऊपर काली पीपल स्थान पर गड़वा के पास जिला बून्दी में ग्रामवासियों ने भेड़पालकों पर हमला कर दिया जिसमें दो भेड़पालकों की हत्या हो गई और 8 भेड़पालक घायल हो गये तथा दो हजार रुपये नकद लूट कर ले गये।

दिनांक 15-8-1987 को जम्बूदीप के पास रावतमाटा जिला–कोटा में ग्रामीणों ने भेड़पालकों पर बन्दूकों से लैस होकर हमला बोल दिया। बन्दूक चलने से चार भेड़पालकों के छाती, गला, हाथ एवं पैर में छर्रे लगे। एक भेड़पालक की गोली लगने से हाथ की अंगुली उड़ गई। इस झगड़े में किसी की मृत्यु नहीं हुई। झगड़े में ऊंटों के भी छर्रे लगे।

दिनांक 12-9-1987 को बड़ीलाख तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़ में ग्रामवासियों ने भेड़पालकों पर हमला बोल दिया। इस झगड़े में छः ग्रामीण एवं तीन भेड़पालक घायल हो गये। मरा कोई नहीं।

दिनांक 17-9-1988 को विजयपुर क्षेत्र ग्राम भीमपुरिया के जंगल में जिला चित्तौड़गढ़ में ग्रामवासियों एवं भेड़पालकों में झगड़ा होने के कारण गोली लगने से एक भेड़पालक की मृत्यु हो गई एवं एक ग्रामवासी की मृत्यु हो गई।

नोट : वर्ष 1986, 1989 एवं 1990 में कोई टकराव की घटना नहीं हुई।

(3) प्रश्न के भाग संख्या 2 में अंकित है।

(4) जी नहीं। अभी विचारणीय नहीं है।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 674**

(स्थगित)

**लाडपुरा (कोटा) सेन्टर की महिला सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायतें**

675. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशो-राय पाटन) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में लाडपुरा सेक्टर की महिला सुपरवाइजर के विरुद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा लिखित में शिकायत दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो किसके विरुद्ध एवं किस प्रकार की ?

(2) क्या उक्त शिकायतों के आधार पर जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं के मकान किराया एवं ईंधन के बिल बकाया हैं ? यदि हां, तो कितने केन्द्रों के कितने-कितने ? इन बिलों के भुगतान की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां। श्रीमती इन्द्रपाल, महिला पर्यवेक्षक, सेक्टर लाडपुरा, कोटा शहर की परियोजना के विरुद्ध 17 सी. सी. ए. के अन्तर्गत दोषारोपण पत्र आंगनबाडी कार्य-कर्त्ताओं एवं सहायिकाओं की उपस्थिति पत्र एवं भवन किराया पत्रों में प्रमाणित नहीं कर प्रस्तुत करने के फलस्वरूप दिया गया है।

(2) जी हां। जांच चल रही है।

(3) लाडपुरा सेक्टर के आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन किराये के बिलों का भुगतान जनवरी, 1991 तक किया जा चुका है। ईंधन के बिल अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1990 के पास करा दिये हैं। नवम्बर एवं दिसम्बर के बिल बनाये जाकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

**फागी से सांगानेर सड़क मार्ग पर दुर्घटनायें**

676. **श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फागी से सांगानेर के बीच सड़क के बीच कितने खतरनाक घुमाव मोड हैं ? क्या इन्हीं घुमावों की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं ? यदि हां, तो सरकार इन घुमावों को सीधा करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

सांगानेर-फागी सड़क पर मात्र एक खतरनाक मोड किमी. 3 (0/0 किमी. सांगानेर पर) में रेल्वे पुलिया के नीचे से होकर गुजरता है। इस घुमाव के कारण दुर्घटनायें होने की आशंका बनी रहती है।

मौके की स्थिति के अनुसार रेल्वे पुलिया के दोनों ओर की सड़क रेल्वे लाइन के समानांतर है। अतः इस कारण उप-रोक्त घुमाव को सीधा किया जाना सम्भव नहीं है। फिर भी दुर्घटनाओं की सम्भावना को न्यूनतम किये जाने की दृष्टि से रेल्वे पुलिया के दोनों ओर सड़क के घुमावों को पूर्व में ही यथासम्भव चौड़ा कर दिया गया है।

**विभाग द्वारा टौंक जिले में खर्च राशि**

677. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टौंक जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1989–90 एवं वर्ष 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई एवं प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक खर्चा कितना-कितना हुआ ? प्रत्येक का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

टौंक जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों वर्ष 1989–90 में रुपये 562.43 लाख तथा वर्ष 1990–91 (15 फरवरी तक) में 560.86 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है । की विभिन्न कार्यों पर व्यय की गई राशि की सूचना संलग्न सूची–1 में दर्शाई गई है । वर्ष 1989–90 में रुपये 32,19,577/– तथा वर्ष 1990–91 (15 फरवरी तक) रुपये 29,15,952/– का प्रशासनिक व्यय किया गया है ।

(विवरण विस्तृत के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

**बीयर के अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया**

678. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में बीयर की बिक्री हेतु लाइसेन्स प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ? वर्तमान में कितनी लाइसेन्स शुदा दुकानें कार्यरत हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बीयर उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र में कारखाने लगाने हेतु लाइसेन्स जारी किये जाते हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में निजी क्षेत्र में कितने कारखाने कार्यरत हैं ?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में बीयर की खुदरा बिक्री हेतु एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत विदेशी शराब के ठेकेदारों को एवं राजस्थान पर्यटन विकास निगम को लाइसेंस दिये जाते हैं । ठेकेदारों को अपनी मा. नि. वि. म. की खुदरा दुकानों पर ही बीयर बेचनी होती है । वर्ष 1990–91 में कार्यरत ऐसी दुकानों एवं उपदुकानों की कुल सं. क्रमशः 465 एवं 79 है । इसकी आबकारी जिलेवार सूची संलग्न है । राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है, 46 बीयर दुकानों की सूची भी संलग्न है ।

बीयर की थोक बिक्री के लाइसेन्स निश्चित लाइसेन्स फीस पर प्रदान किये जाते हैं । राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 47(1)(ए) के अन्तर्गत बीयर के विनिर्माताओं (**manufacturers**) को जारी किये जाने वाले लाइसेन्स के लिये 50,000/– रु. की लाइसेन्स फीस वसूल की जाती है । ऐसे अनुज्ञाधारियों की सं. 11 है । द्वितीय प्रकार के थोक अनुज्ञा-पत्र राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 47 (1)(बी)

(आबकारी मन्त्री)

के अन्तर्गत राज्य में बीयर के खुदरा विक्रेताओं को जारी किये जाते हैं। इसके लिये लाइसेन्स फीस जयपुर शहर में रुपये 50,000/- एवं राज्य में अन्य स्थानों के लिये रु. 25,000/- है। ऐसे अनुज्ञा-पत्रों की सं. 22 है। बीयर थोक अनुज्ञा-पत्र जिस स्थान के लिये एवं जिस पार्टी के नाम से स्वीकृत है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) बीयर उत्पादन हेतु भारत सरकार से औद्योगिक लाइसेन्स जारी होने के उपरान्त ही आबकारी विभाग द्वारा लाइसेन्स जारी किया जाता है। राज्य में ब्रेवरी हेतु दो लाइसेन्स जारी है परन्तु अभी एक भी ब्रेवरी स्थापित नहीं हो पाई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

**नागौर तहसील में शराब की दुकानें**

679. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर तहसील में कुछ कितनी दुकानों पर देशी व अंग्रेजी शराब बेचने की इजाजत राज्य सरकार द्वारा दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों के अलावा भी ठेकेदार द्वारा अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री की जाती है? यदि हां, तो आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 में इस प्रकार के उल्लंघन के कितने मामले तैयार किये गये तथा कितने चालान इस सम्बन्ध में न्यायालय में पेश किये गये?

(3) क्या नागौर तहसील में ऐसी कोई शराब की दुकान है जिसे हटाने के लिये नागरिकों द्वारा जिला प्रशासन को आवेदन किया गया है? यदि हां, तो उस पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गये?

(4) क्या यह सही है कि विभिन्न प्रकार की शराब की राज्य सरकार द्वारा जो दरें निर्धारित हैं वे नागौर, जोधपुर, बीकानेर व अजमेर जिले में अलग-अलग हैं? यदि हां, तो क्या इससे अवैध बिक्री को बढ़ावा नहीं मिलता? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

**उत्तर**

(1) नागौर तहसील में देशी मदिरा की 13 दुकानों/उपदुकानों तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा की एक दुकान द्वारा मदिरा बेचने की स्वीकृति दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त अवधि में विभाग द्वारा ऐसा कोई मामला दर्ज कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

(3) जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार नागौर तहसील में नागरिकों द्वारा शराब की दुकानों को हटाने बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है।

(4) जी नहीं।

**अलवर जिले में निगम की बसें चलाने हेतु सर्वे**

680. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर जिले में माजरी-नीमराना से वाया ग्राम काली पहाड़ी कस्बा मोलावास, जालावास, भोजपुरी (बंध के पास से), हुलमाना खुर्द हुलमाना कलां होते हुए कस्बा बीजवाड़ चौहान तक के मार्ग पर बसें चलाने की दृष्टि से सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का सर्वे न होने से इस क्षेत्र/कस्बे-ग्रामों के यात्रियों से इस कच्चे/पक्के रूट पर चलने वाले अवैध जीप/मैटाडोर इत्यादि मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस रूट पर :—

(अ) माजरी/नीमराना से वाया कस्बा मोलावास-जालावास, बीजवाड़ चौहान होते हुए पहले मुण्डावर तक या

(ब) नीमराना से वाया-काली पहाड़ी, मोलावास, जालावास, बीजवाड़ चौहान होते हुए रेल्वे स्टेशन खैरथल या

(स) इस क्षेत्र के पश्चिम से जाने वाली रेल्वे लाइन (रेवाड़ी से रींगस) पर स्थित रेल्वे स्टेशन नारनौल से वाया डूमरोली, माजरी, नीमराना, ईसरीपुरा, काली पहाड़ी, मोलावास, जालावास, बीजवाड़ चौहान, बीचला, गादूवास होते हुए इस क्षेत्र के पूर्व से जाने वाली रेल्वे लाइन (दिल्ली-जयपुर) के स्टेशन अजरका या माजरी नांगल तक का सर्वे करा कर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाना या प्राइवेट बसों को परमिट देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। परमिट के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सर्वे कराया जाता है। अभी तक कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) इन मार्गों का सर्वे कराने हेतु निजी बस मालिकों या निगम की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। परमिट हेतु जैसे ही कोई आवेदन करेगा, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। जहां तक इन मार्गों पर अवैध वाहनों के संचालन का प्रश्न है, इस संबंध में समय-समय पर चालान बनाये जाते हैं। अप्रेल 1990 से फरवरी 1991 तक की अवधि में 30 वाहनों के चालान बनाये गये हैं और 21803.00 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है।

**राज्य में ट्रेवलिंग एजेन्सियां**

681. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी ट्रेवलिंग एजेन्सीज कार्यरत हैं ? राज्य में इन ट्रेवलिंग एजेन्सीज के पास कुल कितने वीडियो कोच एवं कितने लग्जरी कोच पंजीकृत हैं ?

(2) क्या पथ परिवहन निगम के

(श्री हरीश कामनानी)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उक्त वाहन नित्य प्रति चलते हैं ? यदि हां, तो इससे निगम को कितनी हानि प्रति वर्ष होती है ? अप्रेल, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक ऐसे कितने वाहनों को जब्त या चालान किया गया और इनसे कुल कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

(3) क्या राज्य में कुछ मार्गों पर अवैध वाहन चल रहे हैं ? यदि हां, तो इन मार्गों पर तैनात विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या व सूची अप्रेल, 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक की सदन की मेज पर रखें।

(4) अप्रेल, 1990 से 15 जनवरी, 91 तक अजमेर से ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ व पुष्कर यात्रियों को अवैध रूप से लाने ले जाने में कितने ऐसे अवैध वाहनों का चालान किया और कितनी राशि जुर्माने में वसूल हुई ?

(5) अजमेर जिला मुख्यालय पर अभी कुल कितनी डीलक्स बसें, किन-किन स्थानों से आती है ? वर्ष 1991–92 में और कितने मार्गों पर अतिरिक्त डीलक्स सेवा प्रारम्भ करना प्रस्तावित है ?

**उत्तर**

(1) राज्य में कुल कितनी ट्रेवलिंग एजेन्सीज कार्यरत हैं व राज्य में इन ट्रेवलिंग एजेन्सीज के पास कुल कितने वीडियो कोच व लग्जरी कोच पंजीकृत हैं बताना सम्भव नहीं है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत इनके पंजीयन का प्रावधान नहीं है।

(2) उक्त वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को हानि होना सम्भव है। निगम को हो रही हानि का आंकलन करना सम्भव नहीं है। अप्रेल, 1990 से 15 फरवरी तक ऐसे 6884 वाहनों का चालान किया गया। 1984 वाहन जब्त किये गये तथा 47,41,761.00 रुपये की राशि को बतौर जुर्माना वसूल की गई है।

(3) जी हां। विभाग के भरसक प्रयत्नों के बावजूद अवैध वाहनों का चलना सम्भव है जिन्हें रोकने के यथोचित प्रयास किये जाते हैं। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) अप्रेल, 1990 से 15 जनवरी, 1991 तक इन मार्गों पर 18 वाहनों के चालान किये गये तथा 14914 रुपये की राशि जुर्माने की वसूल की गई है।

(5) अजमेर जिला मुख्यालय पर वर्तमान में कुल 3 डीलक्स बसें निम्न स्थानों से आती हैं :—

1. जोधपुर — 1
2. दिल्ली, जयपुर — 2

वर्ष 1990–91 में किसी मार्ग पर अतिरिक्त डीलक्स बस सेवा प्रारम्भ करने

(यातायात मन्त्री)

के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**परिवहन निगम द्वारा टायरों की खरीद एवं बसों की बॉडीज बनाने में अनियमिततायें**

682. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गबन एवं घोटालों को लेकर रोडवेज मुख्यालय में माह जनवरी, 1991 में टायरों की खरीद तथा बसों की बॉडीज बनाने के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ फायलें जब्त की हैं ?

(2) यदि हां, तो किसके द्वारा एवं क्यों ? विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ?

(3) उक्त मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) के पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित पत्रावलियां परिवाद में अंकित आरोपों की सत्यता के परीक्षण के लिये दिनांक 14-1-91 को प्राप्त की गई।

(3) मामले की जांच राज्य अन्वेषण ब्यूरो के विचाराधीन है। जांच के बाद ही दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के बाबत सूचना दी जा सकती है।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 683**

(स्थगित)

**अतारांकित प्रश्न संख्या 684**

(स्थगित)

**उचित मूल्य की दुकान नम्बर 291 एवं 292 (जयपुर) का आवंटन**

685. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई माधोपुर) : क्या खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित उचित मूल्य की दुकान नम्बर 291 व 292 किसको, किस स्थान पर कब से आवंटित कर रखी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1983 में विभाग द्वारा राशन कार्ड बनवाये गये थे ? यदि हां, तो उक्त दुकानों पर कितने उपभोक्ताओं के नाम राशन कार्ड आवंटित किये गये उनमें से कितने उपभोक्ता उन दुकानों से खाद्य पदार्थ लेते हैं और कितने नहीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानदार उपभोक्ताओं के राशन कार्ड पहले जमा कर लेता है और बाद में राशन देता है ? यदि हां, तो किन नियमों/आदेशों के अन्तर्गत ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकानदार अपनी इच्छानुसार उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं विक्रय करता है ? ऐसे

(श्री मोतीलाल)

कितने उपभोक्ता है जो इन दुकानदारों के व्यवहार से परेशान हैं और खाद्य वस्तुएं क्रय करने से वंचित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) उक्त दुकानों का कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा निरीक्षक किया गया एवं क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जयपुर स्थित उचित मूल्य की दुकान नम्बर 291 व 292 जिसको जिस स्थान पर जब से आवंटित कर रखी है इसका विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी हां। उचित मूल्य की दुकान नम्बर 291 के 387 एवं दुकान नं. 292 के 407 राशन कार्ड बनाये गये थे, इन राशन कार्डो के क्रमशः 2565 व 2515 उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं में से दुकान नं. 291 पर 2354 एवं दुकान नं. 292 पर 2117 उपभोक्ता खाद्य पदार्थ लेते हैं। दुकान नम्बर 291 पर 211 एवं दुकान नं. 292 पर 98 उपभोक्ता खाद्य पदार्थ नहीं लेते हैं।

(3) यह सही नहीं है।

(4) यह सही नहीं है ।

(5) उक्त दुकानों का जब-जब जिस-जिस अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया एवं जो–जो अनियमितताऐं पाई गई उसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें । )

**अलवर शहर में जहरीले पान मसाले का उत्पादन**

686. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर शहर में जो चुर्री (जहरीला पान मसाला) का उत्पादन हो रहा है उसकी जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो चुर्री उत्पादन कर्ताओं को लाइसेंस क्यों दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या सरकार यह जानती है कि यह चुर्री कैंसर जैसे भयानक रोग की जन्मदाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन उत्पादन कर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां, । अलवर शहर में चुर्री (जर्दा पान मसाला) का उत्पादन हो रहा है । लाईसेंस नगर परिषद् अलवर द्वारा दिये जाते हैं ।

(2) चुर्री (जर्दा पान मसाला) से कैंसर बीमारी के बारे में अभी तक अन्वेषणाधारित जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

**मूल्य सूचकांकों में वृद्धि**

687. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे :—

(1) 1989 को आधार वर्ष मान कर 1 मार्च, 1990 से 20 फरवरी, 1991 तक मूल्य सूचकांकों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ?

(2) उक्त अवधि में प्रमुख जिन्सवार मूल्य वृद्धि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में तेल, गेहूं, चीनी, कपड़ा, चाय, घी, दूध के अलावा अन्य सामान्य वस्तुओं की (1989-90 व 1990-91) मूल्य सूची तुलनात्मक रूप से सदन की मेज रखें।

**उत्तर**

(1) 1989 को आधार वर्ष मानकर 1 मार्च, 1990 से जनवरी, 1991 तक जितनी प्रतिशत वृद्धि मूल्य सूचकांकों में हुई है उसका विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अप्रैल, 1989 से फरवरी, 1991 तक प्रमुख जिन्सों के मूल्यों में हुई वृद्धि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ठ "ख"

(3) उक्त अवधि में तेल, गेहूं, चीनी, कपड़ा, चाय, घी, दूध के अलावा अन्य सामान्य वस्तुओं की 1989–90 व 1990-91 की तुलनात्मक मूल्य सूची प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में परिशिष्ट "ख" में दर्शाई जा चुकी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

**तहसील लाडनूं में चीनी एवं गेहूं का वितरण**

688. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील में अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 1990 में चीनी एवं गेहूं का वितरण नहीं हुआ है ?

(2) क्या राज्य सरकार तीन माह का चीनी एवं गेहूं का वितरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) लाडनूं तहसील में माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में लेवी चीनी का वितरण नहीं हुआ, यह सही है। किन्तु गेहूं का वितरण नहीं हुआ है, यह सही नहीं है।

(2) नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसैल भण्डार, नागौर की तहसील क्षेत्र लाडनूं के लिए थोक विक्रेता नियुक्त कर माह नवम्बर, दिसम्बर व जनवरी, 91 की लेवी चीनी माह फरवरी में वितरण करवा दी गई है।

**राज्य में आवश्यक उपभोक्ता सामग्री का वितरण**

689. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अमीन खां)

(1) सरकार ने राजस्थान में कौन-कौनसी रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं के वितरण का इन्तजाम कर रखा है ?

(2) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह कितनी वस्तुयें वितरित की जा रही हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान सहकारिता के अन्दर कितनी दुकानें हैं व प्राइवेट कितनी हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई दुकानदार सही वितरण नहीं करते हैं और उनके खिलाफ जनता शिकायतें भी करती है परन्तु किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार ने राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, लेवी चीनी, चावल, खाद्य तेल एवं केरोसीन के वितरण का इन्तजाम कर रखा है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण जनसंख्या के आधार पर समान रूप से किया जाता है। राज्य में जो वस्तुएँ वर्ष 1990-91 में वितरित की गई है, का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राज्य में सहकारी एवं प्राईवेट उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार संख्या की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जिन दुकानदारों के विरुद्ध सही वितरण नहीं करने के संबंध में जनता द्वारा शिकायत की जाती है उन पर उचित जांच कराकर कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

**प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) की उचित मूल्य की दुकानें**

690. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद तहसीलों में सस्ता अनाज वितरण व्यवस्था हेतु वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये हुए हैं तथा इनकी वितरण व्यवस्था क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त तहसीलों में कितने लाइसेन्स सहकारी समितियों को व उच्च वर्ग के व्यक्तियों को तथा कितने अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये हैं ? लाइसेन्स होल्डर का नाम एवं लाइसेन्स नम्बर तथा गांव का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र अनुसूचित जन जाति हेतु रिजर्व है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को लाइसेन्स देने का विचार

(श्री रखबचन्द मीणा)

रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ व अरनोद तहसीलों में सस्ता अनाज वितरण व्यवस्था हेतु उचित मूल्य की दुकानों के प्राधिकार पत्र जिन-जिन व्यक्तियों को जारी किये हुये है उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । आवंटित वस्तुओं की मात्रा का क्षेत्र में उपभोक्ताओं को निर्धारित दर एवं मात्रा अनुसार वितरण कराये जाने की व्यवस्था है ।

(2) प्रतापगढ़ व अरनोद तहसीलों में जिन-जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को प्राधिकार पत्र दिये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

| | प्रतापगढ़ | अरनोद |
|---|---|---|
| 1. अनु. जाति | 1 | – |
| 2. अनु. जन जाति | 12 | 8 |
| 3. सह. संस्थाएं | 16 | 17 |
| 4. अन्य | 35 | 10 |
| 5. रिक्त | 3 | 3 |

प्राधिकार धारक का नाम एवं प्राधिकार पत्र संख्या, तथा गांव का नाम संबंधी विवरण प्रश्न के भाग 1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) सार्वजनिक प्रणाली के वितरण के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को अनुसूचित जन जाति के लिए रिजर्व नहीं रखा गया है बल्कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वरियता क्रम के अनुसार रिक्त स्थानों व नई दुकानों हेतु विज्ञप्ति जारी कर नियुक्ति दी जाती है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

**विधान सभा क्षेत्र डग (कोटा) की उचित मूल्य की दुकानों द्वारा काला बाजारी**

691. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में गेहूं, मिट्टी का तेल अन्य वस्तुएं जनता को पूरी मात्रा में राशन (कन्ट्रोल) की दुकान मे नहीं मिल पा रही हैं ? अधिकांश ब्लेक हो रहा है जिसमें वहां के निरीक्षकों की भी मिलीभगत है ?

(2) यदि हां तो क्या राज्य सरकार सारी जांच कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) झालावाड़ जिले से राशन (कन्ट्रोल) की दुकानें किन-किन लोगों को एलॉट कर रखी हैं ? पूर्ण पते नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । डग विधान सभा

(खाद्य व आपूर्ति मंत्री)

क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में गेहूं, मिट्टी का तेल व अन्य वस्तुयें ब्लैक में बेचने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है और निरीक्षकों की मिलीभगत का कोई मामला भी प्रकाश में नहीं आया है।

(2) यदि इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आई, तो उसकी पूर्ण जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(3) झालावाड़ जिले में राशन की दुकानें जिन-जिन लोगों को आवंटित कर रखी हैं, उनके पूर्ण पते, नाम आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा रेपसीड ऑयल की खरीद**

692. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गत वर्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम की यूनिटों द्वारा रेपसीड आयल की खरीद की गई थी? यदि हां, तो कितनी मात्रा में एवं किन-किन यूनिटों द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रेपसीड ऑयल को खाद्य पदार्थ बनाने के काम में लाया जा सकता है? यदि नहीं, तो इस तेल का उपयोग निगम की यूनिटों द्वारा किसके लिए किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राजस्थानी भाषा की फिल्मों को कर से मुक्ति**

693. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर): क्या कला एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थानी भाषा से सम्बन्धित फिल्मों के विकास हेतु विभाग की क्या योजना है ?

(2) क्या विभाग ने राजस्थानी भाषा की फिल्मों एवं राजस्थान में बनी फिल्मों को कर-मुक्त करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश की है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उत्तर**

(1) फिल्मों के मनोरंजन कर सम्बन्धी छूट देने की पुनरीक्षित स्कीम दिनांक 19-12-1988 को जारी की गई है। (प्रतिलिपि संलग्न है)।

(2) राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों को कर मुक्त करने का अधिकार उपर्युक्त स्कीम के तहत राज्य सरकार को ही है, अतः इस मामले में विभाग द्वारा राज्य सरकार को कोई सिफारिश नहीं की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

**पाली जिले के पर्यटक स्थलों का सर्वे**

694. **श्री अचला राम** (देसूरी) : एवं **श्री लक्ष्मी नारायण दवे** (सोजत) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में पर्यटक स्थलों हेतु किन-किन स्थानों का सर्वे करवाया गया है ? सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किन-किन स्थानों को सरकार पर्यटक स्थल घोषित करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सोजत विधान सभा क्षेत्र के विख्यात धारेश्वर मन्दिर को सरकार ने पर्यटक स्थल हेतु सर्वे कराया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विभाग द्वारा पाली जिले में निम्न स्थलों का सर्वेक्षण कराया गया है :—

(1) जगदम्बा मन्दिर, निमाज

(2) नारसिंह जी की माकरी, सोजत

(3) मानपुर माकरी, पाली

(4) नाडोल

(5) सोना खेतल जी

(6) नारलाई

(7) देसूरी की नाल

(8) हट्टूंडी

(9) सालेश्वर महादेव जी

(10) रणकपुर में ट्रेकिंग की सम्भावना

विभाग किसी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं करता है। विभाग पर्यटन की दृष्टि से उन स्थलों का विकास कार्य तभी कराता है, जबकि वहां वर्ष पर्यन्त देशी एवं विदेशी पर्यटकों का काफी बड़ी संख्या में आवागमन रहता हो।

(2) जी नहीं।

**अतारांकित प्रश्न संख्या 695**

**स्थगित**

**ग्राम निमाज (जैतारण) स्थित मगरमण्डी माता मन्दिर**

696. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का जैतारण तहसील के ग्राम निमाज में स्थित मगर मण्डी माता के मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने का विचार है ?

(2) क्या सरकार को इस मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु लिखित प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पर्यटन विभाग में किसी स्थान

(पर्यटन मंत्री)

विशेष का पर्यटन स्थल घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। विभाग स्थान विशेष के पर्यटन महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्य करवाता है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा इस स्थान का सर्वेक्षण करवा लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा इस स्थल पर सूचना हेतु बोर्ड लगवाया जा रहा है एवं सड़क निर्माण हेतु जिला कलक्टर, पाली को निवेदन कर दिया गया है।

**पंचायत समिति डेगाना में अकाल राहत कार्यों की स्वीकृति**

697. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्वत् 2043-44 (1987-88) के अकाल के समय अकाल राहत कार्यों के तहत पंचायत समिति डेगाना में किन-किन कार्यों के लिये स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अकाल राहत कार्यों में से कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया, कितनी राशि का भुगतान पंचायत समिति डेगाना में अभी तक बकाया पड़ा हैं ? बकाया भुगतान की सूची कार्य एवं राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति डेगाना द्वारा अकाल राहत की बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? अब बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) पंचायत समिति डेगाना में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सम्वत् 2043 में 193 कार्य एवं संवत 2044 में 739 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत किये गये कार्य संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

(2) विभाग द्वारा कोई बकाया भुगतान देय नहीं है। भुगतान हेतु समस्त राशि कलक्टर, नागौर को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

(3) अकाल राहत की कोई बकाया राशि का भुगतान विभाग द्वारा देय नहीं हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

**विधान सभा क्षेत्र--सिवाना में अकाल राहत कार्य**

698. **श्री हुक्माराम** (सिवाना) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य चला रही हैं ? यदि हां, तो कहां--कहां पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं ?

(2) क्या सिवाना विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य चल रहे हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(3) क्या सरकार सिवाना में अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने का

(श्री हुक्माराम)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । राज्य में कोई भी गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

**विधान सभा क्षेत्र फागी के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद**

699. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में कितने रेफरल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट एवं सब सेन्टर हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन सभी अस्पतालों में स्टाफ की कमी है ? यदि हां, तो किस-किस अस्पताल में किस-किस वर्ग के कर्मचारी की कमी है ? यदि कमी है तो इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या इन अस्पतालों में किसी यंत्र या मशीनरी की भी कमी है ? यदि हां, तो क्या व कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ?

(4) क्या इन अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयां बाजार में बेची जाती हैं ? यदि हां, तो बेचने वालों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठायेगी एवं कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फागी में दो रेफरल अस्पताल, चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चार उच्चीकृत उप केन्द्र (एडपोस्ट) एवं 23 उपकेन्द्र है

अस्पतालों में स्टाफ की कमी का विवरण इस प्रकार है :—

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी (रेफरल अस्पताल)
   1. स्टाफ नर्स-5
   2. च. श्रे. कर्मचारी-1
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाकसू (रेफरल अस्पताल)
   1. मेल नर्स श्रेणी प्रथम-1
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, मन्डावरी
   1. चिकित्सा अधिकारी-1
   2. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय-1
   3. वार्ड ब्वाय-1
   4. हरिजन-1
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, माधोराजपुरा—
   1. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय-1
5. एडपोस्ट (उच्चीकृत उपकेन्द्र)—चित्तौड़ा रेनवाल
   1. मेल नर्स श्रेणी द्वितीय-1
6. उपकेन्द्रों पर प्रसाविका के पद-- 10

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

1. लसाडिया 2. कासेल 3. हिंगोनिया 4. फरवग 5. मंडावरा 6. कुंडली 7. मादी 8. मोसायदी 9. दोसरा 10. मन्डोर।

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे है। नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(3) आवश्यक उपकरण उपलब्ध है लेकिन रेफरल अस्पताल में एक्सरे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आवश्यक भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर एक्स-रे की सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जावेंगे।

(4) जी नहीं।

**विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र**

700. **श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र-सलूम्बर के विभिन्न चिकित्सालयों एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(2) उक्त क्षेत्र में इस वर्ष किन किन अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है और कहां-कहां नये स्वास्थ्य व उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

(3) क्या विभाग सलूम्बर चिकित्सालय का विस्तार करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित चिकित्सालयों में दो चिकित्साधिकारियों के पद रिक्त हैं। इन्हें शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्साधिकारियों के पद स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(2) इस वर्ष 1990–91 में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईटालीखेड़ा तथा उपकेन्द्र सरेडी को उच्चीकृत किया गया है।

(3) वर्तमान में सलूम्बर अस्पताल में 30 शैयायें उपलब्ध हैं। वर्तमान में इस अस्पताल का विस्तार विचाराधीन नहीं है।

**फर्जी डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही**

701. **श्री हरिश चन्द्र (नांवा)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18-5-1990 को महामंत्री भाजपा. नांवा तहसील (ग्रामीण मंडल) द्वारा नागौर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी को एक फर्जी डाक्टर ओमप्रकाश निवासी लूणवां के खिलाफ कार्यवाही कराने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या उन्होंने उसे इन्सपेक्टर नागौर को दिनांक 14-6-1990

(श्री हरिश चन्द्र)

को जांच करने भेजा और वे अवैध दवाई का स्टाक तथा एलोपैथिक इलाज के उपकरण जब्त कर ले गये ? यदि हां, तो उक्त नीमहकीम के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 16-7-1990 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को पुनः फर्जी डाक्टर व नीमहकीम ओमप्रकाश निवासी लूणवां तहसील नावां के खिलाफ बिना प्रमाण अवैध एलोपैथिक इलाज चालू रखने को रोका जाने हेतु कार्यवाही किये जाने की लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां, औषधि निरीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच 14-6-1990 को की गई। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के अन्तर्गत फार्म नम्बर 16 में औषधियां, सिरीन्ज, स्टेथेस्कोप, बी. पी. ऐपेरेटस आदि, सीज किए गए तथा 15-6-90 को नियमानुसार मुंसिफ मजिस्ट्रेट मकराना से कस्टडी आदेश प्राप्त कि एगए। तत्पश्चात् श्री ओमप्रकाश शर्मा से 16-6-90 को योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं सीज की गई औषधियों के क्रय बिल मांगे गये। प्राप्त योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की जांच की जा रही है तथा क्रय बिल निरन्तर प्रयास किए जाने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुए। इस सम्बन्ध में सहायक लोक अभियोजक से राय लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। चूंकि श्री ओमप्रकाश के विरुद्ध प्रश्न भाग एक के अनुसार कार्यवाहा की जा रही है। अतः प्राप्त शिकायत पर नये सिरे से कोई कार्यवाही किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देने पर लिया जा रहा शुल्क**

702. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक चिकित्सालय उदयपुर के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. एन. एस. कोठारी द्वारा वर्ष 1988-89 एवं 1989-90 में किन-किन को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा देय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर कोई शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या वह राज्य कोष में जमा होता है या मेडिकल ज्यूरिस्ट के पास रहता है ?

(3) उदयपुर सार्वजनिक चिकित्सालय में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर गत दस वर्षों में कौन-कौन चिकित्सक नियुक्त किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) मेडिकल कालेज, उदयपुर के संलग्न सामान्य चिकित्सालय संघ, उदयपुर में मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. एन. एल. कोठारी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

द्वारा वर्ष 1988-89 में 507 एवं 1989-90 में 309 स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किये, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा दिये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का शुल्क अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, संघ उदयपुर के राज्यकोष में जमा होता है।

(3) इस महाविद्यालय के संलग्न सामान्य चिकित्सालय संघ, उदयपुर में गत दस वर्षों में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर नियुक्त किए गए चिकित्सकों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**मेडिकल कालेजों में चिकित्सा यूनिट**

703. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में पदस्थापित कनिष्ठ व वरिष्ठ विशेषज्ञों की पृथक चिकित्सा इकाई (यूनिट) गठित करने का प्रावधान है?

(2) क्या यह प्रावधान मेडिकल कौंसिल के नियमों के अनुसार है?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर मेडिकल कालेज के वक्ष रोग चिकित्सालय में एक कनिष्ठ विशेषज्ञ की पृथक् चिकित्सा इकाई गठित की गई है।

(4) क्या राज्य सरकार विभिन्न मेडिकल कालेजों में पद स्थापित कनिष्ठ व वरिष्ठ विशेषज्ञों के लिए भी पृथक् चिकित्सा इकाई गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जयपुर मेडिकल कालेज में विशेष परिस्थितियों में वक्ष रोग चिकित्सालय में 2-9-88 से थोरासिक सर्जिकल यूनिट गठित की गई है जिसके प्रभारी कनिष्ठ विशेषज्ञ हैं।

(4) जी नहीं।

**विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा के चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पद**

704. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेडा (छोटी सादडी) में किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सा केन्द्र हैं? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या चिकित्सा केन्द्रों पर स्वीकृत स्टाफ के अनुसार स्टाफ कार्यरत है? यदि

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

नहीं, तो चिकित्सा केन्द्रों के नाम व रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार, ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा केन्द्रों पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने का इरादा रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेडा/छोटी-सादडी में 2-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6-प्रा. स्वा. केन्द्र, 6–उच्चीकृत उपकेन्द्र तथा 27 उपकेन्द्र है। नामवार सूची (शहरी एवं ग्रामीण) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) स्वीकृत चिकित्सा संस्थान जिसमें स्टाफ के पद रिक्त है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हाँ। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे है। गत माह फ़रवरी, 91 में केली एवं मण्डलाचारण स्वा. केन्द्रों पर चिकित्सा अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति दे दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

**राजकीय चिकित्सालय, केकड़ी में रोगी शैयाएं**

705. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार केकड़ी नगर के राजकीय चिकित्सालय में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रोगी शैयाओं का विस्तार करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या राजकीय रेफरल चिकित्सालय सरवाड़ के लिये मैचिंग ग्रान्ट देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार विचाराधीन मैचिंग ग्रान्ट को देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजकीय चिकित्सालयों में मानदण्डों के अनुसार औषधियों की आपूर्ति की जाती है ?

उत्तर

(1) केकड़ी शहर में मानदण्ड के अनुसार एक 30 शैयायुक्त रेफरल अस्पताल स्वीकृत हैं जो वर्तमान में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त है। अतः रोगी शैयाओं के विस्तार का फिलहाल कोई विचार नहीं हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

**अजमेर में कैन्सर कोबाल्ट प्लांट**

706. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पूर्व मुख्य मंत्री ने अजमेर में कैन्सर कोबाल्ट प्लान्ट लगाने की घोषणा की थी ?

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(2) क्या इस घोषणा के बाद कैन्सर कोबाल्ट प्लांट के मद में जन सहयोग से लाखों रुपये एकत्र किये गये थे ? यदि हाँ, तो इस धन का उपयोग कहीं अन्यत्र तो नहीं कर लिया गया है ?

(3) क्या प्लांट के प्रस्तावित भवन का मानचित्र भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर से स्वीकृत करवा लिया गया है ? यदि हां, तो नक्शा पास होने के बाद से अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) ऐसी किसी घोषणा की जानकारी विभाग को नहीं है।

(2) विभाग द्वारा कोई राशि जन सहयोग से एकत्रित नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र बम्बई ने उनके पत्र क्रमांक डी. आर. पी/एम. सीए एस. एन./आर. जे.–6/टी.टी/40174/90 दिनांक 6-8-90 द्वारा प्रस्तावित भवन को मानचित्र एवं ले-आउट प्लान की स्वीकृति दे दी है। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर को स्वीकृत भवन का नक्शा एवं ले-आउट प्लान की प्रतिलिपि भेजते हुए अनुमानित व्यय का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए निवेदन किया गया है।

पाली जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ

707. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) एवं श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में कितने स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र, मातृशिशु कल्याण केन्द्र अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा केन्द्र कार्यरत हैं ? इनमें प्रत्येक में कितने-कितने चिकित्सक, एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें चिकित्सा विभाग की ओर से किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है ?

(3) क्या गांवों में सरकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस तरह की तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) पाली जिले में किन-किन अस्पतालों एवं चिकित्सा केन्द्रों में कितने-कितने चिकित्सकों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के पद कहां-कहां पर रिक्त है ? ये पद कब तक भर दिये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में चिकित्सा संस्थानों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. जिला चिकित्सालय - 1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2. अन्य चिकित्सालय 1

3. प्रा. स्वा. केन्द्र 61

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 9

5. शहरी डिस्पेंसरी 1

6. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 11

7. उप केन्द्र 385 (इनमें से 40 उच्चीकृत) इन संस्थानों में 222 डाक्टरों के पदों में से 171 तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के 1783 पदों में 1433 कर्मचारी कार्यरत है।

(2) पाली जिले में 836 ग्रामों में से 501 ग्रामों में विभिन्न चिकित्सा संस्थाएं उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से सभी ग्रामों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) जी हां, पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3000 की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र तथा एक लाख की जनसंख्या पर एक रेफरल अस्पताल स्थापित करने के मापदण्ड निर्धारित है जिसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) पाली जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

रिक्त पदों को शीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

गत माह फरवरी, 91 में 20 चिकित्सा अधिकारियों को इस जिले में तदर्थ नियुक्तियां दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**राज्य में दवा व इन्जेक्शन से मरीजों की मृत्यु**

708. **श्रीमती रमा पायलेट** (हिण्डौली) **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में दवा व इन्जेक्शन से गत वर्ष 1990 में कितनी मौतें हुई ? इनमें ग्लूकोज की वजह से कितने मरीजों की मृत्यु हुई ? जिलेवार, अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मामलों में किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या किसी को दोषी पाये जाने पर पुलिस में अपराध दर्ज कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राज्य में दवा व इन्जेक्शन के रियक्शन से गत वर्ष 1990 में तीन व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी है। इनमें

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

से सोडियम क्लोराइड व डेक्सट्रोज (ग्लूकोज) के प्रयोग के उपरान्त केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है विवरण निम्न प्रकार है :—

| जिला | अस्पताल/अन्यत्र | संख्या |
|---|---|---|
| बांसवाड़ा | एम. जी. अस्पताल | 1 |
| बीकानेर | सिटी डिस्पेन्सरी संख्या-4 | 1 |
| कोटा | भाटिया डेन्टल क्लीनिक (निजी) | 1 |

(2) बांसवाड़ा के प्रकरण में मैसर्स कृष्णा लेबोरेटरी, अहमदाबाद का डेक्ट्रोस बैच नं. ए ओ जे सेलाइन 108 बी का सैम्पल लेकर स्टाक फ्रीज कर दिया गया है। विश्लेषण की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

द्वितीय प्रकरण में मैसर्स इनका लेब बम्बई के इन्जेक्शन लेरिअगो बैच नं. डीटी-12 का सैम्पल जांच हेतु भेजा गया जिसे भारत सरकार के सी. आई.पी. एल. गाजियाबाद द्वारा मानक कोटि का पाया गया।

तृतीय प्रकरण में मैसर्स साराभाई केमिकल्स के इन्जेक्शन एम्बोस्ट्रार्न बैच संख्या ओजी-2575 का सैम्पल जांच हेतु भेजा गया है रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

इस प्रकार द्वितीय प्रकरण में ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं बनती। शेष दो प्रकरणों में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव है।

तीनों ही मामलों में किसी को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है। अतः अब तक पुलिस में अपराध दर्ज नहीं कराया गया है।

**राज्य में डिस्पेन्सरी खोलने के मानदण्ड**

709. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डिस्पेन्सरी खोलने के सरकार के कोई मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जो डिस्पेन्सरी निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति नहीं करती है, उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक ही स्थान पर दोहरी चिकित्सा संस्थाएं चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें दूसरी जगह स्थानान्तरण करने का सरकार का विचार है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेन्सरियां नहीं खोली जाती है। इनके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाते है।

वर्तमान में इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां।

**नागौर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद**

710. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर में चिकित्सकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? चिकित्सालय के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों की पूर्ति अब कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिला नागौर में 9 चिकित्सा अधिकारियों को, पिछले माह फरवरी में तदर्थ नियुक्ति दी गई है। वरिष्ठ कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

**जोधपुर जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद**

711. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में 1985 से दिसम्बर, 1990 तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां खोले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की कमी है. वहां रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

**उत्तर**

(1) जोधपुर जिले में 1985 से दिसम्बर, 1990 तक खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जोधपुर जिले में 11 चिकित्सा अधिकारियों की पिछले माह फरवरी, 91 में तदर्थ नियुक्ति की जा चुकी हैं।

नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पद की पूर्ति प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**टौंक जिले में चिकित्सा सेवा के रिक्त पद**

712. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक जिले में चिकित्सा सेवा में कहां–कहां पर किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) रिक्त पदों को अभी तक क्यों नहीं भरा गया और अब कब तक भर दिया जायेगा ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न है।

(2) उच्च पदों को पदोन्नति से एवं चिकित्सा अधिकारी के पदों को नव नियुक्ति से भरा जा रहा है। स्वास्थ्य निरीक्षकों के पदों को फिलहाल नहीं भरने का निर्णय लिया है। शेष पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं भरा जा सकता है। रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

**अतारांकित प्रश्न संख्या 713**

(स्थगित)

**सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित पद**

714. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत सवाई माधोपुर में सहायक लेखाधिकारी का पद सृजित है? यदि हां, तो क्या उक्त पद के अनुरूप सहायक लेखाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पद पर कार्यरत जूनियर केडर के व्यक्ति को हटाकर सीनियर केडर के व्यक्ति को लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त पद के अनुरूप सहायक लेखाधिकारी का पदस्थापन किया हुआ है।

(2) सहायक लेखाधिकारी अधीनस्थ लेखा संवर्ग का सीनियर केडर ही होता है अतः जूनियर केडर के व्यक्ति को हटाने का प्रश्न ही नहीं है।

**अजमेर में मच्छरों का प्रकोप**

715. **श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में मच्छरों का प्रकोप दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है जिससे मलेरिया फैलने का अन्देशा बढ़ता जा रहा है? मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

(2) पिछले एक वर्ष में अजमेर में मलेरिया के कितने रोगियों का उपचार किया गया तथा कितने लोगों के खून की जांच कराई गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस समय अजमेर शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने की कोई सूचना नहीं है। वर्तमान में खेतों की फसलों से उत्पन्न होने वाले कीटों की संख्या में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

बढ़ोतरी हो रही है जो काफी संख्या में तापमान में परिवर्तन होने पर पैदा हो जाती है तथा वे दो या तीन दिन में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः इनसे मलेरिया फैलने की कोई संभावना नहीं है।

निदेशक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, दिल्ली के द्वारा राज्य सरकार को 11 वेतन फोग फोगिंग मशीन वर्ष 1980 में उपलब्ध कराई गई जो निम्न जिलों को आवंटित की गई है :—

जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, अलवर, उदयपुर, श्री गंगानगर, अजमेर, भरतपुर, अजमेर की फोगिंग मशीन खराब होने से जयपुर में है।

अजमेर में वर्ष 1984–85 में फोगिंग मशीन का उपयोग किया गया था। वर्तमान में फोगिंग मशीन का कार्य मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। अतः यह मशीन अजमेर भेजने का फिलहाल में कोई विचार नहीं है।

(2) पिछले वर्ष अजमेर शहर में 333 मलेरिया रोगियों का उपचार किया गया तथा 19596 लोगों के खून की जांच कराई गई।

### संस्कृत महाविद्यालय बारां को अनुदान

716. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के बारां नगर में संस्कृत महाविद्यालय को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रतिमाह कितना ? इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा क्या उन्हें प्रतिमाह वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कितने माह का बकाया है ?

(2) संस्कृत महाविद्यालय की शास्त्री व आचार्य की कक्षाओं में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा कालेज के एक छात्र पर प्रतिवर्ष कितना धन खर्च हो रहा है ? क्या सरकार इसका प्रबंध अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

### उत्तर

(1) जी हां। बारां स्थित सार्वजनिक आचार्य संस्कृत महाविद्यालय को 80 प्रतिशत राजकीय अनुदान, वर्तमान में 89–90 के लेखों के आधार पर अस्थायी भुगतान के रूप में प्रतिमाह 29733/-- रु. का अनुदान दिया जा रहा है। महाविद्यालय में 18 कर्मचारी कार्यरत है। अप्रेल, 90 से कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कार्यकारिणी में विवाद होने के कारण नियमित रूप से नहीं होने से अप्रेल, 90 से दिसम्बर, 90 तक के वेतन का भुगतान सीधे ही विभाग द्वारा किया गया है।

(2) संस्था में शास्त्री कक्षाओं में 7 छात्र एवं आचार्य कक्षाओं में दो छात्र अध्ययनरत है। महाविद्यालय स्तर के एक छात्र पर प्रतिवर्ष 14863/– रुपये औसतन व्यय किया जा रहा है।

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**राज्य में लीज डीड**

717. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक सौ रुपये मूल्य या इससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के ट्रांसफर के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है अन्यथा निष्पादन के आठ महीने पश्चात् ये दस्तावेज वैधानिक तौर पर कोई प्रभाव नहीं रखते ?

(2) यदि हां, तो क्या राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, सपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल के निमित्त और उनकी ओर से निष्पादित भूमि के पट्टे, जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि एक सौ रुपये या इससे अधिक का उल्लेख किया गया है, का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है ? यदि नहीं, तो निष्पादन के आठ महीने पश्चात् ये पट्टे कानूनन निष्प्रभावी हो जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान की नगरपालिकाएं, जे. डी. ए. नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल इत्यादि संस्थाएं राज्यपाल के नाम से लीज डीड जारी करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है एवं इन लीज डीड के धारक प्रतिवर्ष भूमि के मूल्य का 2.5 से 5 प्रतिशत तक लीज रेन्ट अथवा अरबन एसेसमेंट देते हैं ? क्या यह सही है कि राजस्व विभाग के उपरोक्त लीज डीड न तो रजिस्टर हैं और न ही इनके धारक लीज रेन्ट देते हैं ? क्या इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट एवं संविधान के अनुच्छेद 14 इक्वेलिटी बिफोर ला का उल्लंघन करने के फलस्वरूप यह वैधानिक हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त दस्तावेज रजिस्ट्रेशन नहीं होने से स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि एवं लीज रेंट की वसूली नहीं करने से राज कोष को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की हानि हुई है ? यदि हां, तो इस हानि को कब तक वसूल कर लिया जायेगा।

उत्तर

(1) भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रुपये एक सौ अथवा इससे अधिक मूल्यांकन की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण होने पर उसका आलेख पंजीयन कराना अनिवार्य है। कोई भी आलेख निष्पादन की दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। चार माह की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् ऐसे आलेखों के पंजीयन कराने हेतु अग्रिम चार माह तक की ही अवधि पंजीयन शुल्क की निर्धारित दण्ड राशि जमा कराने पर बढ़ाई जा सकती है, जो मूल पंजीयन शुल्क की राशि की अधिकतम दस गुणा राशि तक हो सकती है। उक्त अवधि के पश्चात् ऐसे आलेखों का पंजीयन नहीं किया जाता।

(वित्त मन्त्री)

(2) राजस्थान भू-राजस्व नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन सपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम 1981 के अन्तर्गत राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निष्पादित भूमि पट्टे जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि एक सौ रुपये या इससे अधिक का उल्लेख किया जाता है ऐसी भूमि के प्रोपराइटरी हकूक राज्य सरकार में ही निहित रहने से राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 उपधारा-2 के क्लोज-7 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत लीज के आलेखों को पंजीयन से मुक्त किया गया है अतः इनके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मुद्रांक अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल-35 के अनुसार लीज के आलेखों पर मुद्रांक कर देय है।

(3) यह सही है कि राजस्थान की नगरपालिकाओं, जे. डी. ए. नगर सुधार न्यास, आवासन मण्डल इत्यादि संस्था राज्यपाल के नाम से लीज डीड जारी करते हैं और इनके बाबत एक सौ रुपये या इससे अधिक राशि प्रीमियम जमा होने पर ऐसी लीज डीड का भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 20 के प्रावधानान्तर्गत नगर विकास न्यासों द्वारा रियायती दर पर आवंटित भूखण्डों पर 2/3 भाग पर निर्माण होने पर पट्टे जारी किये जाते हैं जबकि नीलामी से विक्रय भू-खण्डों पर एकांक यूनिट निर्माण होने पर पट्टे जारी किये जाते हैं। इन्हीं नियमों के नियम 7(1) के अनुसार आवासीय भूखण्डों पर ढाई प्रतिशत की दर से व व्यावसायिक भू-खण्डों पर 5 प्रतिशत की दर से शहरी जमा बन्दी वसूल की जाती है। राजस्थान आवासन मण्डल एवं नगर विकास न्यासों द्वारा आवंटित आवास गृह भू-खण्डों के पट्टे भी पंजीकृत किये जाते हैं।

(4) सम्बन्धित विभाग द्वारा आलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर ही स्टाम्प ड्यूटी देय होती है।

**विभिन्न विभागों में रिक्त पद**

718. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन विभागों में कितने-कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। उनको भरने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि हर विभागों में सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान के विभिन्न कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों के लगभग 891 स्थान रिक्त है। अन्य पदों की सूचना विभागाध्यक्षों के पास रहती है तथा पदों के भरने की कार्यवाही के साथ इस में परिवर्तन होता रहता है।

(वित्त मन्त्री)

जहां तक रिक्त पद भरने का प्रश्न है इस विषय में संबंधित विभागों द्वारा अपने स्तर पर ही कार्यवाही की जाती है।

(2) राज कार्य में मितव्ययता करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। परन्तु विभिन्न अभियांत्रिकी विभागों द्वारा अधिशेष घोषित वर्कचार्ज कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस व्यवस्था से विभागों में अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन किया जा सकेगा। इस प्रकार के कर्मचारियों के समायोजन के बाद व राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहने पर प्रतिबन्ध समाप्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

**राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर दुर्घटनायें रोकने के प्रयास**

719. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार दिल्ली से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर पड़ने वाले गांव व कस्बों के पास से बाई-पास रोड निकालने हेतु कोई एक मुश्त प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार को भेजने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) इस मार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिये बाई-पास के अतिरिक्त और क्या प्रयास राज्य सरकार करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। बाई-पास बनाने की स्वीकृति इन पर संभावित यातायात एवं पूरे प्रदेश में इन बाई-पासों की प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करती है और इसी आधार पर स्वीकृति की जाती है। अतः किसी भी एक राष्ट्रीय राज मार्ग पर सारे बाई-पास एक साथ प्रस्तावित करना संभव नहीं है। उपरोक्तानुसार।

(2) दिल्ली-जयपुर सेक्शन में अचरोल से आमेर तक (17 कि.मी.) सड़क को चार लेन में चौड़ी किया जा रहा है कोटपूतली से अचरोल तक (69 किमी.) का चार लेन का कार्य वर्ष 1991-92 में शुरू होने की सम्भावना है। बाकी टुकड़ों को अजमेर तक चार लेन में चौड़ी करने का आठवीं पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायेगा। उपरोक्तानुसार।

**विभाग द्वारा की गई नियुक्तियां**

720. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चिकित्सा विभाग में माह सितम्बर 1989 से 6 जून, 1990 तक कितने कर्मचारियो को किस-किस अधिकारी द्वारा कहां-कहां नियुक्ति दी गयी थी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नियुक्तियां देने से पहले इनकी रिक्तियों का विज्ञापन किसी समाचार पत्र में दिया गया ? यदि हां, तो किस-किस

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

समाचार पत्र में ? यदि नहीं, तो क्यों व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जो नियुक्तियां दी गई उनमें विज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नियुक्तियां नियमानुसार मृतकों के आश्रितों, प्रशिक्षित तकनीकी अभ्यार्थियों जो विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए गए एवं अन्य को नियोजन कार्यालय से नाम मंगा कर नियुक्तियां दी गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

**विभाग में रिक्त पद**

721. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशोरायपाटन) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सहायक परियोजना अधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षकों के कितने पद है ?

(2) उक्त पदों में से 31 जनवरी, 1990 तक कितने पद रिक्त पड़े थे ?

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से ?

(4) क्या विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पर्यवेक्षकों एवं सहायक परियोजना अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हुई है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षकों के पद पर पदोन्नति देने हेतु परियोजना अधिकारियों द्वारा नाम मांगे गये है ? यदि हां, तो इस प्रकार के नामों की सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अभी प्रदेश में सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के 70 एवं महिला पर्यवेक्षक के 802 पद स्वीकृत हैं।

(2) उक्त पदों में जनवरी, 90 के पूर्व और बाद के सृजित पद सम्मिलित हैं, 31 जनवरी, 90 तक सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 11 पद रिक्त थे और महिला पर्यवेक्षक के 59 पद रिक्त थे।

(3) जी हां। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा। महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भर्ती करने की चयन संबंधी प्रक्रिया विचाराधीन है।

(4) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको महिला पर्यवेक्षकों के पद पर चयन किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) महिला पर्यवेक्षक के चयन हेतु

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

नाम मांगें गये थे। सूची सदन के मेज पर रख दी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें।)

**मेहता वेजीटेबल्स, चन्देरिया (चित्तौड़गढ़) द्वारा वनस्पति घी का विक्रय**

722. **श्री शांतिलाल (राजसमन्द)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1985 से 31 जनवरी 1991 तक चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित "मेहता वेजीटेबल्स" द्वारा डोली वनस्पति घी के कुल कितने टिन प्रतिवर्ष उत्पादित किये ?

(2) उक्त उत्पादित घी के कितने टिन्स कौन-कौन से डीलर्स के माध्यम से प्रति वर्ष विक्रय किये गये ?

(3) मेहता वेजीटेबल्स एवं इनके विक्रय डीलर्स के पास 31 जनवरी, 1991 को कितने-कितने टिन्स का बैलेन्स था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चन्देरिया, जिला चित्तौड़गढ़ स्थित 'मेहता वेजिटेबल्स' द्वारा 1 अप्रेल, 1985 से 31 जनवरी, 1991 तक डोली वनस्पति घी के जितने टिन प्रति वर्ष उत्पादित किये गये, उनके विवरण निम्न प्रकार है :—

| क्र. स. | वर्ष | उत्पादित टिनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | 1985-86 | 1,85,516 |
| 2. | 1986-87 | 1,37,678 |
| 3. | 1987-88 | 95,700 |
| 4. | 1988-89 | 32,464 |
| 5. | 1989-90 | 11,035 |
| 6. | 1990-31.1.1991 | 13,490 |

(2) उत्पादित घी के जितने टिन्स जिन-जिन डीलर्स माध्यम से प्रति वर्ष विक्रय किये गये। उनकी सूची संलग्न है।

(3) मेहता वेजिटेबल्स एवं इनके चित्तौड़गढ़ जिले के डीलर्स के पास 31 जनवरी, 1991 को निम्नांकित टिन्स का स्टाक बैलेन्स में था :—

| क्र. सं. | नाम | 31-1-91 को स्टॉक |
|---|---|---|
| 1. | मै. मेहता वेजिटेबल्स | शून्य |
| 2. | क्रय विक्रय सहकारी समिति, चित्तौड़गढ | 52 टिन |
| 3. | मै. अनिल ट्रेडिंग कम्पनी चित्तौड़गढ़ | 71 टिन |
| 4. | मै. श्री नृपति ट्रेडर्स, निम्बाहेडा | 74 टिन |

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

5. मै. गांधी ब्रदर्स प्रतापगढ़ 120 दिन

6. मै. वर्धमान ट्रेडिंग कार्पोरेशन कपासन 37 दिन

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**केन्द्र से राज्य को दैनिक उपयोग की वस्तुओं का कोटा**

723. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को वर्ष 1990-91 हेतु कितना कोयला, मिट्टी का तेल, पैट्रोल, डीजल शक्कर तथा कपड़ा आदि का कोटा आवंटित किया गया, उसमें से राज्य सरकार ने कितना कोटा उठाया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का कोटा पर्याप्त नहीं उठाने तथा वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अब जनता को सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

**उत्तर**

(1) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 हेतु राजस्थान राज्य को आवंटित मिट्टी का तेल, पैट्रोल, डीजल एवं शक्कर का कोटा एवं उसमें से राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मात्रा विवरण संलग्न है। कोयले का आवंटन मांग नहीं होने से प्राप्त नहीं किया जाता, कपड़ा मांग के अनुसार एन. सी. सी. एफ. एवं उपभोक्ता संघ द्वारा प्राप्त कर वितरण किया जाता है।

(2) जी, नहीं। किसी अधिकारी के दोषी होने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। केन्द्र सरकार को इन वस्तुओं का अधिक आवंटन राज्य को करने के लिए समय-समय पर निवेदन किया जाता रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

**राज्य में स्थित मिड-वे पर ड्राईवरों को सुविधाएं**

724. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य स्थित मिडवे पर रुकने वाले वाहनों के ड्राइवर्स को भोजन आदि की पृथक से कोई व्यवस्था की हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार से ड्राइवर्स के लिये भोजन आदि की अलग से व्यवस्था किये जाने हेतु कोई मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(3) क्या होटल निगम के कर्मचारियों द्वारा ड्राइवर्स के साथ दुव्यवहार करने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

### उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित मिडवेज पर आने वाले वाहनों के ड्राईवर्स एवं परिचालकों को चाय-- नाश्ता एवं लंच, डिनर के समय निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस हेतु पृथक से चालकों/परिचालकों के बैठने के लिये भी व्यवस्था की हुई है।

(2) जी हां। बहरोड़ मिडवे पर ड्राईवर्स के लिये भोजन आदि के लिये अलग से बैठने की व्यवस्था किये जाने बाबत चालकों/परिचालकों द्वारा मांग की गई थी, क्योंकि चालक/परिचालक उपलब्ध स्थान को उपयुक्त नहीं समझते थे। इसलिये नये निर्माणाधीन मिडवे पर पृथक से स्थान की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

### राज्य की पर्यटन नीति

725. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पर्यटन नीति के लिए एक मसविदा तैयार किया है? पर्यटन नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर जैसलमेर एवं बीकानेर के मरु त्रिकोण विकास के लिए एक विशेष योजना बनायी गई है? यदि हां, तो इस योजना की कितनी लागत आयेगी? जिलेवार योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना हेतु भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं से कितनी-कितनी विशेष सहायता मिलने की संभावना है?

### उत्तर

(1) जी हां। अभी पर्यटन नीति का प्रारूप स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

(2) जी हां। इसके लिए मै. ए. एफ. फर्ग्युसन एण्ड कन्सलटेंट, दिल्ली से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही इस योजना को अंतिम रूप दिया जा सकेगा और उसके बाद ही योजना की लागत एवं आकार के बारे में ज्ञात हो सकेगा।

(3) योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात इसे भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया जावेगा। भारत सरकार के माध्यम से विदेश से आर्थिक सहायता प्राप्त की जावेगी। राशि के बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

## झालावाड़ जिले के पर्यटक स्थल

726. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कौन--कौन से पर्यटन योग्य स्थान हैं ? राज्य सरकार द्वारा उनका विकास तथा सुन्दर बनाने हेतु कब-कब क्या क्या प्रयास किये गये तथा उन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) क्या यह सही है कि कौलवी की पुरातन गुफाएं पर्यटन योग्य हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस पर अधिक बजट स्वीकृत करके इसको अधिक सुन्दर बनाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश मेहरा भी इन गुफाओं को देखने गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में पर्यटन योग्य निम्न स्थान प्रमुख है :—

(1) गागरोन का किला
(2) सूर्य मंदिर झालरापाटन
(3) कोलवी—बिनायका एवं क्यासरा गुफाएं
(4) चन्द्रभागा मंदिर परिसर झालरापाटन
(5) भीमगढ–काकोनी
(6) दलहनपुर
(7) उन्हेल
(8) चाँदखेड़ी
(9) भवानी नाट्य शाला

विभाग द्वारा चन्द्रभागा में एक कियोस्क के निर्माण तथा भवानी नाट्यशाला के विकास के प्रस्ताव सतम्बर, 1988 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये थे, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होना शेष है। झालावाड़ में एक पर्यटक विश्रामगृह के निर्माण के प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजे गये थे, जिसकी 10.85 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। कौलवी की गुफाएं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिन संरक्षित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ हुई बैठक दिनांक 6--10--89 को यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पहले खुदाई का कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पर्यटन की दृष्टी से इसके विकास की योजना बनाई जायेगी। उक्त विभाग से खुदाई सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश मेहरा के कोल्वी गुफाओं को देखने जाने के कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा उक्त स्थान पर खुदाई का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही इस स्थान के विकास की योजना पर विचार करना सम्भव होगा।

**राज्य में आगन्तुक देशी एवं विदेशी पर्यटक**

727. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में गत तीन वर्षों में कुल कितने पर्यटक आये ? इनमें देशी एवं विदेशी पर्यटको की सख्या कितनी-कितनी रही ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार प्रान्त में पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आकर्षित करने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

(3) इस वर्ष पर्यटकों की संख्या कम होने के क्या कारण रहे ?

**उत्तर**

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार रही है :—

| वर्ष | देशी | विदेशी |
|---|---|---|
| 1988 | 3495158 | 366435 |
| 1989 | 3833008 | 419651 |
| 1990 | 3735174 | 417641 |

(2) प्रान्त में पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों की जानकारी पर्यटन साहित्य का मुद्रण एवं वितरण, पर्यटन स्थलों का विकास तथा उन स्थलों का विकास तथा उन स्थलों पर पर्यटकों के आवास, भोजन एवं भ्रमण की सुविधाएं पर्यटक विश्राम गृहों एवं मिडवेस द्वारा प्रदान करायी जा रही है। राज्य की समृद्ध कला एवं संस्कृति का पर्यटकों को दिग्दर्शन कराने हेतु मेले एवं त्यौहारों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन भी करता है।

(3) राज्य में देश के विभिन्न स्थानों से पर्यटकों के आगमन में कमी का मुख्य कारण देश व विदेश की विभिन्न परिस्थितियां व आवागमन के साधनों में कटौती है।

**ग्राम कुरज (उदयपुर) के नाले एनीकट निर्माण पर खर्च राशि**

728. **श्री शान्ति लाल** (राजसमन्द) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुरज ग्राम (राजसमन्द) के नाले पर अधूरे निर्मित एनीकट पर सरकार ने कब-कब एवं कितना-कितना धन खर्च किया ?

(2) क्या उक्त अधूरा निर्मित एनीकट पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1982-83 (सम्वत् 2039) में कुरज गांव (राजसमन्द) के नाले पर अधूरे निर्मित एनीकट पर राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 2.23 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में अभाव स्थिति नहीं होने के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**राज्य के मन्त्रियों एवं विधायकों की सम्पत्ति की घोषणा हेतु कानून**

729. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार मंत्रियों एवं विधान सभा सदस्यों के द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा करने के सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार के मंत्रियों के अपनी सम्पत्ति की घोषणा करने के संबंध में आचरण संहिता बनी हुई है ।

विधान सभा सदस्यों के सम्बन्ध में आचार संहिता बनाने का राज्य सरकार के समक्ष फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**अलवर जिले के मेडिकल स्टोर्स निरीक्षण**

730. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में 1 अप्रेल, 1990 से 1 जनवरी, 1991 तक कितने मेडिकल स्टोर्स की चैकिंग की गई ? मय नाम के सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त चैकिंग में कौन-कौन से मेडिकल स्टोर दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अलवर जिले में 1 अप्रेल, 1990 से 1 जनवरी, 1991 तक 69 मेडिकल स्टोर्स की चैकिंग की गई । सूची मय नाम के सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट "क")

(2) उक्त चैकिंग के दौरान पाये गये दोषी मेडिकल स्टोर्स की सूची एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "ख")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें ।)

**ग्राम सुराणा (जालौर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण**

731. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालौर जिले की सायला पंचायत के ग्राम सुराणा में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाया जा रहा है उसमें मातृ शिशु सेन्टर की सुविधा हेतु भी व्यवस्था हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में मातृ शिशु सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराने का इरादा रखती हैं ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । क्योंकि सुराणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, अतः

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

(2) फिलहाल सुराणा में मातृ शिशु कल्याण की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

**सामुदायिक चिकित्सालय, बांदीकुई के भवन की मरम्मत**

732. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक चिकित्सालय, बांदीकुई का भवन व फर्श जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो सरकार इनकी कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(2) सामुदायिक अस्पताल जनसंख्या के अनुपात में छोटा होने के कारण भवन की कमी काफी वर्षों से महसूस की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक इसकी वृद्धि कराने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां, उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत अगले वित्तीय वर्ष 1991-92 में इसकी मरम्मत कराने के प्रयास किये जाएंगे।

(2) उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत सामुदायिक चिकित्सालय बांदीकुई में अतिरिक्त भवन व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष 1991-92 में उपलब्ध कराने के प्रयास किये जावेंगे।

**अजमेर जिले के चिकित्सालय**

733. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988 से जनवरी, 1990 तक अजमेर जिले में कहा कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल होस्पीटल, जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालय संस्थान खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त हेतु वर्ष 1988-89 व 1989-90 और 1990-91 में कितनी कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया ?

(3) अजमेर शहर में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन कितनी डिस्पेन्सरीज हैं ? इनकी पृथक्-पृथक् वार्षिक बजट राशि क्या है ?

(4) क्या गत वर्षों में इन बजट राशि में कोई वृद्धि की गई ? यदि हां, तो कितनी, यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त डिस्पेन्सरियों में आम जनता को प्राथमिक चिकित्सा में काम आने वाली दवाईयां भी नहीं दी जातीं ? क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी वर्ष में दो या तीन बार ही डिस्पेन्सरीज को कुछ पट्टियां व कुछ साधारण सी गोलियां ही वितरित करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(72)



(श्री हरीश झामनानी)

(6) क्या सरकार इस व्यवस्था को सुधारने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सम्पूर्ण अजमेर जिले का बजट एकजाही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर को विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार आवंटित किया गया :—

| वर्ष | राशि (लाख में) |
|---|---|
| 1988-89 | रु. 306.75 |
| 1989-90 | रु. 339.86 |
| 1990-91 | रु. 373.41 |

इसमें से औषधि के बजट का उक्त संस्थाओं का आवंटन विवरण इस प्रकार है:-

| संस्थान का नाम | 88--89 | 89--90 रुपये | 90--91 रुपये |
|---|---|---|---|
| 1. सेटेलाईट चिकित्सालय, अजमेर | — | 20,000 | 1,20,000 |
| 2. रेफरल चिकित्सालय, किशनगढ़ | — | 1,95,000 | 1,95,000 |
| 3. सामु. स्वास्थ्य केन्द्र | — | 57,000 | 65,000 |
| 4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | — | 20,000 | 2,61,000 |
| 5. उच्चीकृत उपकेन्द्र | — | 30,000 | 52,000 |
| 6. उप केन्द्र (प्रति उपकेन्द्र 2000/- प्रति वर्ष) | | | |

(3) अजमेर शहर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन 6 डिस्पेन्सरीज है, शहरी डिस्पेन्सरीज के मद में पूरे जिले की एक मुश्त राशि आवंटित की जाती है :— गत् तीन वर्षों में आवंटित की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

| 88--89 | 89-90 | 90-91 |
|---|---|---|
| 18,87,463 रुपये | 20,67,069 रुपये | 24,28,300 रुपये |

(4) जी नहीं। वृद्धि की गई राशि का ब्यौरा प्रश्न के भाग 3 में दे दिया है।

(5) जी नहीं,

जिले की सभी चिकित्सा संस्थानों को वर्ष में 3–4 बार बजट के अनुसार दवाईयां वितरित की जाती है। इसके अलावा इमरजेन्सी में सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी की मांग पर अतिरिक्त दवाईयां भी दी जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(6) विभाग व्यवस्था को सुधारने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

**पाली जिले में विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के रिक्त पद**

734. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में चिकित्सीय संस्थानों में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स एवं नर्सेज के कितने कितने पद कहां-कहां किस कारण रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नई नियुक्तियां करके इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) पाली जिले में चिकित्सीय संस्थानों में डाक्टर्स, कम्पाउन्डर्स एवं नर्सेज के पदों की रिक्तियों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के प्रशासनिक कारण रहे है?

(2) जी हां। पाली जिले में 30 डाक्टर्स की तदर्थ नियुक्तियां फरवरी 91 में दी जा चुकी हैं। नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर शीघ्र भरा जाना सम्भव होगा।

**विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में डाक्टर्स एवं नर्सों के रिक्त पद**

735. **श्री रखब चन्द मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालयों में कितने पद डाक्टर्स एवं नर्सों के रिक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार रिक्त पदों को कब तक भरना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के चिकित्सालयों में 15 डाक्टर्स एवं 35 नर्सों के पद रिक्त है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| डाक्टर्स—15— | प्रतापगढ़ | 11 |
| | अरनोद | 2 |
| | सहागपुरा | 1 |
| | अम्बामाता | 1 |
| नर्सों के—35— | प्रतापगढ़ | 27 |
| | अरनोद | 4 |
| | सहागपुरा | 3 |
| | बेडीसाखथली | 1 |

(2) रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जा रहे है। गत माह फरवरी 91 में इस विधानसभा क्षेत्र में 2 चिकित्सा अधिकारियों को तदर्थ नियुक्ति दी गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नर्सिंग स्टॉफ की नियुक्ति प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 736

(स्थगित)

**समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कचर्मारियों को केन्द्र के समान वेतनमान**

737. **श्री मोती लाल** (सवाई माधोपुर) एवं **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) व **श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने बाबत वर्ष 1989 में कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेश किस--किस तिथि से अमल में लाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दिये गये वेतनमान का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब सरकार केन्द्र के समान वेतनमान देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि राज्य कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्र सरकार के अधिन समान पदों के वेतनमानों के अनुरूप किये जावेंगे। उक्त निर्णय के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 प्रचलित किए जाकर 1--8--88 से प्रभावशील किये गये हैं।

2. राज्य सरकार के निर्णयनुसार कर्मचारियों के वेतनमान सुझाने के लिये एक समता समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा सुझाये गये अनुसार समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनमान संशोधित कर दिये गये हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को वेतनमान संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 26 देखें।)

**राज्य कर्मचारियों पर चिकित्सा पुनर्भरण व्यय**

738. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य कर्मचारियों पर कुल कितना चिकित्सा पुनर्भरण व्यय होता है ? कर्मचारियों को निश्चित चिकित्सा राशि दी जाय तो अनुमानित खर्च क्या होगा ?

(2) क्या कर्मचारियों की ओर से निश्चित राशि देने की मांग है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों पर एक वर्ष में चिकित्सा पुर्नभरण पर औसतन 13 करोड़ रुपये व्यय होता है। जब तक निश्चित चिकित्सा राशि की दर निर्धारित नहीं करदी जाती, अनुमानित खर्च का आंकलन संभव नहीं है परन्तु वर्तमान व्यय-भार से अधिक भार आने का अनुमान है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई मांग नहीं होने की स्थिति में अन्य प्रश्न नहीं उठते।

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

(स्थगित)

**झुन्झुनूं जिले में उर्दू विषय के सृजित पद**

740. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनूं) : क्या भाषायी अल्प संख्यक राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिले में उर्दू विषय के प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने पद सृजित हैं? इनमें से कितने पद कहां–कहां रिक्त हैं? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान भाषायी अल्प संख्यक विभाग का निदेशक कौन है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक इस पद पर नियुक्ति कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं जिले में उर्दू अध्यापकों के श्रेणी–वार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सृजित एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

| श्रेणीवार | स्वीकृत पद | रिक्त पद |
|---|---|---|
| उर्दू विषय प्रथम श्रेणी | 2 | 1 |
| द्वितीय | 12 | 2 |
| तृतीय | 19 | — |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 594 | 89 |

(2) भाषायी अल्प संख्यक विभाग में निदेशक का कोई पद सृजित नहीं है।

**उदयपुर जिले में भ्रष्टाचार विभाग द्वारा पंजीबद्ध मुकदमें**

741. **श्री कुबेरसिंह (फलासिया)** : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में किन–किन व्यक्तियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा किन–किन धाराओं में मुकदमें पंजीबद्ध किये गये है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से किन-किन मामलों में किन-किन व्यक्तियों को चालान किया गया तथा किन-किन व्यक्तियों के विरूद्ध चालान पेश नहीं हुए हैं तथा किन-किन व्यक्तियों की किन–किन कारणों से तफतीश नहीं हुई है?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (अब राज्य अन्वेषण ब्यूरो) में पिछले पांच वर्षों में उदयपुर जिले के 48 मुकदमें पंजीबद्ध किये गये है। जिसकी सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) 1. 18 मामलों में 36 व्यक्तियों का चालान किया गया है। उनका विवरण परिशिष्ट "ब" में सलंग्न है।

2. 6 मामलों में 11 व्यक्तियों के चालान पेश नहीं किये गये है जिनका विवरण परिशिष्ट "स" में सलंग्न हैं।

3. 24 मामलों में 52 व्यक्तियों से सम्बन्धित अपराधों में अन्वेषण प्रगती पर है जिसका विवरण परिशिष्ट "द" में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**अतारांकित प्रश्न संख्या 742**

(स्थगित)

**राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ कंट्रोल आर्डर**

743. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) एवं

**श्रीमती रमा पायलट** (हिन्डोली): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पेट्रोलियम पदार्थ कण्ट्रोल आर्डर पुनः लागू हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए क्या अधिकार हैं ?

(2) इस प्रकार के अधिकारों से क्या राज्य सरकार गैस एजेन्सियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सक्षम है जबकि उपभोक्ताओं को संरक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार पर है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कन्ट्रोल आर्डर अथवा नियम को प्रभावी बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है ?

(4) कण्ट्रोल आर्डर के तहत उसके पुनः आरम्भ होने के पश्चात् अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस कण्ट्रोल आर्डर के तहत क्या पेट्रोल पदार्थ व गैस डीलरों द्वारा अभी तक लाइसेन्स नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या लाइसेन्स के अभाव में कण्ट्रोल आर्डर निष्प्रभावी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण आदेश, 1990 पुनः लागू हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए निम्नांकित अधिकार हैं :—

1. गैस वितरक को राज्य सरकार क्रय, विक्रय, निस्तारण और भण्डारण के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकती है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

2. गैस वितरक के कारोबार स्थल में प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं।

(2) जी हां।

(3) गैस के संबंध में राज्य सरकार का अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण आदेश, 1990 एवं केन्द्र सरकार का लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाई एवं डिस्ट्रब्यूशन) आर्डर, 1988 प्रभावशील है। अतएव राज्य सरकार के समक्ष कण्ट्रोल आर्डर को प्रभावशील बनाने की कार्यवाही विचाराधीन होने का प्रश्न नहीं है।

(4) कण्ट्रोल आर्डर के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का समय 27-1-91 तक बढ़ाया गया था। इस आदेश के तहत अब तक अनुज्ञप्ति हेतु 1329 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं, और चार सौ पैंतालीस अनुज्ञापन जारी किये जा चुके हैं।

(5) जी नहीं।

**उदयपुर जिले में स्वीकृत शराब के ठेके**

744. **श्री शांतिलाल** (राजसमन्द) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा, राजसमन्द एवं मावली तहसीलों में वित्तीय सत्र 1989-90 एवं 1990-91 में अलग-अलग ठेका परिधि क्षेत्र के पृथक्-पृथक स्थानों पर कितनी-कितनी राशि के देशी एवं विदेशी शराब के ठेके स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त तहसीलों के अलग-अलग स्थानों (मय दुकानों) पर कितनी-कितनी राशि की शराब विक्रय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्धारित दुकानों एवं अतिरिक्त दुकानों की सूची, अतिरिक्त काउन्टर दिये जाने के नियमों की प्रक्रिया के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 1989-90 व 1990-91 के लिए हुये आबकारी बन्दोबस्त में तहसील रेलमगरा व मावली की दुकानें उदयपुर शहर-नाथद्वारा-मावली-गोगुन्दा समूह में शामिल हैं। तहसील राजसमन्द की दुकानें राजनगर समूह में सम्मिलित है। समूह में सम्मिलित दुकानों की पृथक-पृथक राशि नहीं होती। इन समूहों की वर्ष 1989-90 की प्राप्त राशि निम्न अनुसार थी :—

| | | उदयपुर शहर नाथद्वारा-मावली-गोगुन्दा समूह | राजनगर समूह |
|---|---|---|---|
| (1) | दे. म. | 4,60,01,201 | 31,11,111 |
| (2) | मा. नि. वि. म. खुदरा | 5,36,23,497 | 15,11,111 |
| (3) | मा. नि. वि. म. थोक | 3,97,301 | — |
| (4) | बीयर | 72,53,601 | 3,89,289 |

(आबकारी मन्त्री)

वर्ष 1990-91 की राशि वर्ष 1989-90 की राशि में 12.5% की वृद्धि कर निर्धारित की गई।

(2) चूंकि मदिरा के विक्रय मूल्य पर विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं होता, अतः यह सूचना उपलब्ध करा पाना कठिन है कि किस-किस स्थान पर कितनी-कितनी राशि की शराब विक्रय की गई।

(3) निर्धारित दुकानों, उपदुकानों की सूची निम्नांकित है :—

**तहसील रेलमगरा—**

दुकानें :—गोगातला, खडबामणीया, पछमता, पीपली, डोडीयान, जेवाधा, कुरज, रेलमगरा, कुण्डियां, सादड़ी चौकडी, गिलुण्ड।

उपदुकानें :—यादव कोलोनी।

**तहसील राजसमन्द—**

दुकानें :—राजनगर, जलचक्की, कुवांरिया, पीपरडा, मोही, पसून्द, केलवा, पडासली, ओडा

उपदुकानें :—कांकरोली स्टेशन, सूरजपोल, स्टेशन, कुवांरिया, लालपुरा, राजीयावास, मोरचणा

**तहसील मावली—**

दुकानें :—मावली स्टेशन, मावली कस्बा, फतहनगर, सनवाड, धासा, कुचेली, पलाणा, खेमली, सराय, सांगवा, नाहरमगरा, फलीचडा, बोयणा, डबोक, खेडी

उपदुकानें :—चंगेडी, भीवाडा (सनवाड), बंजारों का खेड़ा, मादडी, नऊवा, विजणवास, भानासोल, सुखवाड़ा

अतिरिक्त काउन्टर दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री प्रकाश चन्द बैरवा, सदस्य एवं 3 अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से चाकसू कस्बे में दिनांक 13 मार्च, 1991 को हुई डकैती में जन धन की क्षति से उक्त क्षेत्र में व्याप्त भय के वातावरण को दूर कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में कल भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है।

2. श्री रामस्वरूप मीना व 5 अन्य माननीय सदस्यों की ओर से 25 फरवरी, 1991 को बैंक आफ बड़ोदा के बैंक मैनेजर श्री ओ. पी. मीना की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से घनी आबादी वाले क्षेत्र कोटपूतली को जिला बनाए जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की लालसोट तहसील के ग्राम कल्याणपुरा में खसरा नं. 179 में अनुसूचित जाति के लोगों की एक-एक बीघा आवंटित भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री रामप्रसाद, सदस्य व एक अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से दिनांक 7 मार्च, 1991 को भरतपुर जिले के कस्बा बैर में ग्राम बांघरेन से आयी बारात की शोभायात्रा के समय मकान का छज्जा टूटने से दो व्यक्तियों की मृत्यु व 30 अन्य के घायल होने के सन्दर्भ में राहत प्रदान करने हेतु।

मैं समझता हूँ इस सम्बन्ध में कल मुख्य मन्त्री जी ने राहत दे दी है इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य के निवेदन पर दस-दस हजार रुपए मृतकों को देने की घोषणा कल मुख्य मन्त्री जी ने कर दी है इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

6. श्री जनार्दन सिंह गहलोत व 8 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नौकरी से निकाले गए 44 अस्थायी व्याख्याताओं की पुर्ननियुक्ति में किए जा रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

7. श्री अमीन खाँ, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेगिस्तानी जिला बाड़मेर व जैसलमेर में यूनानी एवं आयुर्वेदिक औषधालयों में हकीम व वैद्यों के अभाव से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(8) डा. चन्द्रभान व श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य/सदस्या विधान सभा की ओर से दिनांक 3 मार्च, 1991 को उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसील के हुँडमेतियां ग्राम में उच्च वर्ग के प्रभावशाली लोगों जिनकी संख्या 500–600 थी और हथियार बन्द थे आदिवासी लोगों पर कातिलाना हमला किया जाने से क्षेत्र में व्याप्त तनाव के सम्बन्ध में।

(9) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर नगर में 15 कुएं सूख जाने से बीकानेर की भंयकर पेयजल समस्या के समाधान के बारे में।

(10) श्री हेतराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त में चिकित्सालयों में दवाईयां नहीं मिलने व खुले बाजार में नकली व घटीया कम्पनी की दवाईयां धड़ल्ले से बिकने से आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उक्त प्राप्त प्रस्तावों की जानकारी हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(II) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्या, व 9 अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा नगर न्यास के गुमानपुरा के थाने के समीप स्थित भूमि पर अवैध व्यवसायिक निर्माण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आज इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी, जिसमें माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(III) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर और बीकानेर जिले में पंजाब की नदियों से निरन्तर पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण फसल बर्बाद होने के फलस्वरूप किसानों को हुई क्षति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने दिनांक 14 मार्च, 1991 को इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और मुख्य मन्त्री जी को भी जानकारी दी थी जिस पर मुख्य मन्त्री जी ने शीघ्र कार्यवाही मुआवजा आदि देने के सम्बन्ध में किए जाने हेतु आश्वासित किया है। अतः इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थता है।

(IV) राजस्थान के विभिन्न प्रान्तों एवं जयपुर नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगों से जन धन की क्षति होने व प्रभावितों को राहत देने तथा न्यायिक जांच कराने के सम्बन्ध में सर्व श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री बी. डी. कल्ला व ईश्वर लाल सैनी तथा 5 अन्य विधान सभा की ओर से गत दिनों प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इन प्रस्तावों को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। निम्नांकित माननीय सदस्यों को तीन--तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी :—

1. श्री प्रद्युम्न सिंह
2. श्री बुलाकीदास कल्ला
3. श्री ईश्वर लाल सैनी
4. श्री जनार्दन सिंह गहलोत
5. श्री हरिसिंह
6. श्री परसादी लाल मीणा
7. श्री जुबेर खां
8. श्री रामनारायण वर्मा

**प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव**

1. श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर की ग्राम पंचायत चाणोद, हेमावास, धनापुरा और गुडाएन्दला के सरपंचों द्वारा मनमाने तरीकों से ग्रमीणों को आतंकित करने व विकास कार्यों के पैसे का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में।

2. श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना की 11 ग्राम पंचायतों के गांवों को बांका पट्टी जलदाय योजना गच्छीपुरा लागू कर पेय-जल उपलब्ध करवाया जा रहा है लेकिन 250 से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों को उक्त योजना का लाभ नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री मनीराम सिहाग, सदस्य, विधान सभा की ओर बीकानेर जिले के विभिन्न ग्रामों में बिना फिल्टर किया गन्दा पानी सप्लाई किए जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में जिला परिसद् के अधीन विद्यालयों में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में।

5. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों के बीड़ों की सीमा व लगान दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाएं नहीं बनाए जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

7. श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से सोजत सिटी में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

8. श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अटरू तहसील के विभिन्न गावों को बिना विद्युतीकृत किए ही ग्रामीणों से लाखों रुपए वसूल कर जनता के साथ धोखा धड़ी किए जाने के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्या, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के विभिन्न गांवों तथा पंचायत मुख्यालयों का डामरीकरण कर सड़क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री गोपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में लेन्ड सीलिंग एक्ट लागू होने के फलस्वरूप भूमि पर से सरचार्ज हटाने के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा की ओर से जमवारामगढ़ तहसील के सबसे बड़े कस्बे नायला में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को दूर करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

12. श्री मदन लाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में डार्क जोन को प्रभावित क्षेत्रों पर पुर्नविचार कर उन क्षेत्रों में किसानों को सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

13. श्री नन्द किशोर, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा क्षेत्र की सिंचाई सुविधा हेतु नदियों के पानी का उपयोग तथा तालाबों एवं एनिकटों का उपयोग व निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी है।

**श्री अध्यक्ष :** आप एक-एक करके बोलेगें तो मैं सुनुंगा। पहले व्यास जी बोल रहे हैं बोलिए।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव नियम 119 के तहत मैंने 12 तारीख को दिया था। उसके बारे में व्यवस्था आपने अभी तक नहीं दी।

**श्री अध्यक्ष :** उसका जवाब मंगवाया है, सरकार से जवाब आया नहीं है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** तीन दिन का समय निर्धारित करते हैं आप।

**श्री अध्यक्ष :** आज 15 तारीख है, आपने 12 तारीख को दिया, हमारे यहां से 13 तारीख को गया आज 15 तारीख है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** तीन दिन हो गए। मैंने तीन दिन पहले इसीलिए प्रार्थना नहीं करी कि तीन दिन तो आप की निर्धारित अवधि है।

**श्री अध्यक्ष :** 12 को आपने दिया 13 को यहां से गया अब तीन दिन कब से मानोगे आप। आज 15 है।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रस्ताव पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री अध्यक्ष :** वह मान लिया मगर तीन दिन का समय पूरा हो जाने दीजिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** मैं यह आग्रह कर रहा हूं उस पर आप कब फिक्स करेंगे टाइम निश्चित कर दीजिए।

**श्री अध्यक्ष :** जवाब आने के बाद।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** जवाब नहीं देगी सरकार।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं देगी तो मैं सोचूंगा। तब मैं अपना डिस्क्रिशन यूज करूंगा। मैं तीन दिन पूरे होने पर ही करूंगा 13 तारीख को हमारे यहां से गया है, तीन दिन पूरे नहीं हुए। आप बैठिए।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** आप मन्डे को व्यवस्था देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** मैं जवाब की प्रतीक्षा करूंगा, और उसके बाद निर्णय करूंगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** जवाब तो आपका आधार बनेगा।

**श्री अध्यक्ष :** आप मुझे बांध क्यों रहे हो। मैं क्या करूंगा यह अभी नहीं बताऊंगा। जब मेरी व्यवस्था होगी तब बता दूंगा।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** यह मैं पूछ भी नहीं रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता।

**श्री सुरेन्द्र व्यास :** आप स्वविवेक पर जो करेंगे वह शिरो धार्य होगा लेकिन सवाल यह है कि आप निर्णय अवश्य करेंगे ना।

**श्री अध्यक्ष :** हां–हां निर्णय करूंगा।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव :** अध्यक्ष महोदय, मेरा और चार अन्य माननीय सदस्यों का एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थान पथ परिवहन निगम में घोटाले, अनियमितता, गबन करोड़ों का मामला है। उसको आज चार रोज हो गए है।

**श्री अध्यक्ष :** ऐसा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और आर. एस. ई. बी. आप दोनों उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इन दोनों पर इसी सत्र में डिस्कशन होगा उसमें आप भाग लेंगे। मैंने जवाब भी मंगवा लिया है। .... (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर दयाल यादव :** वह काल-अटेंशन मोशन अलग है।

**श्री अध्यक्ष :** हां तो वह काल मोशन उसी में है जिस पर आप चर्चा करने वाले हैं। उनके लिए अलग से टाइम निर्धारित होकर पूरी चर्चा होगी। राजस्थान राज्य

(श्री अध्यक्ष) :

पथ परिवहन निगम पर और आर. एस. ई. बी. पर पूरी चर्चा होगी।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कौनसा ऐसा विवाद है जिस पर चर्चा नहीं होती है, सबकी होती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का अलग ही महत्व है।

**श्री अध्यक्ष** : अलग से होगी। मैंने जवाब मांग लिया है।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : विशेष बात होती है तो ही कहते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है, ठीक है।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : इनकी चर्चा के लिए लास्ट डेज रखते हैं, जो भी सरकार होती है भाग जाती है। इन पर कोई चर्चा भी नहीं होती है।

**श्री अध्यक्ष** : आप पहले से ही क्यों कह रहे हैं कि भाग जाते हैं।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : हमको दिख रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मैनेजमेंट द्वारा लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला किया....

**श्री अध्यक्ष** : आप मेरे से मिलिये। मुझे पता नहीं उसका जवाब आया कि नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं एक चीज बताऊं माननीय सदस्य को कि करोड़ों रुपये के घोटाले की अगर वह थोड़ी सी जानकारी दे दें तो आप जब भी प्रश्न उठाये, समुचित उत्तर दिया जा सके।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मैं जानकारी दूंगा। इसके अलावा पहले और दे दूंगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं बोलने की बात नहीं करता। बोलने का आपका अधिकार सुरक्षित है।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मैंने तो वही बात कही है माननीय मुख्य मन्त्रीजी घोटाले में गबन के मामले में आप हमेशा ही प्रभावी रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी सुन लीजिए। मैं इतना ही कह रहा हूं कि आप जब भी बोलना चाहे बोलें। लेकिन अचानक कोई मामला उठेगा तो उसका समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता अगर कोई अचानक मामला उठेगा तो। मैं चाहता हूं कि आप बोलें उसके पहले यदि मुझे जानकारी दे दें तो इसके सम्बन्ध में हम भी पूरी जानकारी करके आपके सामने सही स्थिति रख सकें।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : मैंने काल अटेन्शन मोशन माननीय मुख्यमन्त्री जी को दिया है। (व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : आपके तो ट्रान्सपोर्ट विभाग के मन्त्री ने ही आपको बहुत घोटालों की जानकारी दे दी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : इन सब पर कार्यवाही होगी। मुझे इस बात की खुशी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है कि आप ट्रांसपोर्ट मन्त्री की यह तो प्रशंसा कर रहे हैं। कई घोटाले उन्होंने पकड़े.... (व्यवधान)

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : अगर इसको राज्य सरकार ने दबाया तो मैं यह मानकर चलूंगा कि यातायात मन्त्री भी उसमें शामिल है।

**श्री अध्यक्ष** : डा. चन्द्रभान। (व्यवधान)

**श्री सम्पत सिंह** : पहले के या अबके।

**श्री रामेश्वर दयाल यादव** : पहले वाले भी आयेंगे तो उनको भी नहीं बख्शा जायेगा।

**डा. चन्द्रभान** : पहले वाले शामिल थे या नहीं, इन्होंने तो मुख्य मन्त्री जी के नेतृत्व में काम किया। यह अपनी जुबान से कह दें इस बात को कि जांच करवा लें।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलिये कि आपको क्या कहना है।

**डा. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय, इस आरोप की जांच के लिए पहले निवेदन किया है। आप इन सब मामलों की जांच करवा दीजिए। और हाउस की कमेटी से करवा दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : जरूरत नहीं है, आप बताये क्या कह रहे हैं।

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भूतपूर्व यातायात मंत्री जांच के लिए सहमत होंगे तो मैं भी जांच करवा लूंगा। यह अपनी सहमति मुझे लिख कर भिजवा दें। यातायात मंत्री जी चाहेंगे उसी मुद्दे पर मैं जांच करवा लूंगा। (व्यवधान)

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : आप तो अपनी जांच के लिए सहमत हो जाओ... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : यातायात मंत्रीजी हम से क्या चाहते हैं, बताइये आप।

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या कह रहे हैं, बोलिये। मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइये।

**डॉ. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय, चाकसू के डकैती के काण्ड के सम्बन्ध में कल मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी कल वहां पर पहुंच गये थे। चाकसू कोई जयपुर से दूर नहीं है। तो सरकार की ओर से या तो इस पर आज जवाब दे दिया जाये और यदि आप स्थगन प्रस्ताव को खारिज करते हैं तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने टाइम दिया है उस का वेट करें कल भेजा है। कल मेरे पास चाकसू का एडजोर्नमेंट मोशन आया है जवाब के लिए सरकार को भेजा है। मैं तीन दिन प्रतीक्षा करूंगा, जवाब आ जायेगा तो ठीक है नहीं आयेगा तो आपको बोलने का मौका दूंगा।

**डॉ. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आपको मौका दूंगा।

चिकित्सा विभाग में डाक्टरों द्वारा घोटाले

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने चिकित्सा सुविधाओं में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, विशेष तौर से मैं गंगानगर जिले की कह सकता हूं कि जो डॉक्टर्स पर्ची लिखते हैं वह दुकानदार से कमीशन लेते हैं। जो दवाइयां बिकती हैं, वह फर्जी बिकती हैं। चिकित्सा मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे पास एक किसान आया है, दो महीने गंगानगर जिले में सारे अधिकारियों के पास फिरा है और उसको नकली दवाई सप्लाई की गयी। उसने वो दवाइयां मेरे को दी है। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा मंत्रीजी ने जो यह आश्वासन दिया है, वह गंगानगर जिले में जिस तरह की डाक्टर्स की व्यवस्था है, 6-6, 10-10 साल से जिस तरह से बैठे है, जिस तरह से डॉक्टर्स पर्चियां लिख कर उन मरीजों को भेजते हैं मैं आपसे अर्ज करूं....

श्री अध्यक्ष : आपका जब एडजोर्नमेंट मोशन आये तब कह देना।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं निवेदन करूं कि वह जांच किस बात की करेंगे प्रेस्क्रिप्शन है उस डाक्टर के जिसने दवाई की पर्ची दी है। जहां दुकान से खरीदी है यह दवाई है। इसमें केल्शियम इन्जेक्शन है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा यह मेरे पास एक केल्शियम इन्जेक्शन है। जिसके नीचे फफून्द जमी हुई है। और यह इन्जेक्शन जिस गरीब महिला को दिया गया, यह तीन इन्जेक्शन दिये गये। जब वह डाक्टर के पास गयी, डिस्पेन्सरी में लगाने के लिए, तो उस डाक्टर ने उसको कहा कि यह अगर तेरे लगाऊंगा तो मर जायेगी। वह लेकर चिकित्सालय हनुमानगढ़ गयी वापस उसके बाद उसका पति उस दुकान पर गया, दुकानदार ने उसको धक्के मार कर निकाल दिया। वह जो सी. एम. एण्ड एच. ओ. है उसके पास गया। सी.एम. एण्ड एच. ओ. को एक महीने पहले यह गंगानगर सी.एम. एण्ड एच. ओ. को उसने शिकायत की, असल बात यह है अध्यक्ष महोदय, ड्रग्स इन्सपेक्टर दुकानदारों से दुकान खोलता है अस्पताल के आगे, उनसे महीने में चन्दा वसूल करते हैं। पता नहीं कहां तक पहुंचता है। आपने ऐसे दुकानदार के खिलाफ, एक भी दवाई वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि चिकित्सा मंत्री यहां जवाब दे तो मैं उनको सारी....

श्री अध्यक्ष : आप उनको दे दीजिए। वह जांच कर लेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह सारी की सारी चिकित्सा मंत्रीजी को पेश करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अभी तो कोई काम ही नहीं है जिस पर पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठ रहा है।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने 131 के तहत हमारे जालौर....

**श्री अध्यक्ष** : मेरे से मिल लेना, आप बैठिये। श्री प्रद्युम्नसिंह।

**जयपुर में हुए साम्प्रदायिक दंगे।**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के आठ माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। वह इस बात को लेकर था कि जयपुर के जो साम्प्रदायिक दंगे हुये और जिनमें सरकार ने खुद मंजूर किया कि 54 लोग मारे गये। जबकि इसके आंकड़े जो हैं, मरने वालों की संख्या के बारे में लोगों की अलग-अलग राय है। इतना बड़ा नरसंहार एक प्लान्ड वे के अन्दर राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक नहीं हुआ। इसके ऊपर हमने ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग की हैं। आपने सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहा, लेकिन इस गूंगी सरकार के द्वारा, इस बहरी सरकार के द्वारा आज दिन तक उस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया। आखिर आपको मजबूर होकर, आपने स्वयं ने यहां कहा कि सरकार को कोई उत्तर इसके बारे में नहीं आया और आपने हमारे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर हम लोगों को बोलने की मन्जूरी दी। श्रीमन् आपने समय सीमा बांध रखी है और कहा है कि आधे घंटे के अन्दर आपके दल के सदस्यों को बोलना पड़ेगा तो मैं आपसे जो मुद्दे जिसके ऊपर हमारी ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग है, और आप स्वयं सहमत है। श्रीमन् दंगा कराने में किसका हाथ था श्रीमन् क्या मुख्यमंत्री जी का भाषण जो इन्होंने यहां पर दिया, क्या वह भाषण दंगे के लिए जिम्मेदार था यहां पर? राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री श्री भंवरलालजी का दुकानें बन्द कराने के अन्दर क्या रोल रहा, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद के लोगों ने जबरन दुकानें बन्द कराई उसमें क्या रोल रहा और क्या मरने वाले लोगों के आश्रितों व पीड़ितों को पूरी सहायता दी गयी, मुल्जिमान थे क्या उन मुल्जिमानों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो किन कारणों से नहीं गिरफ्तार किया गया, किसका उनको प्रोटेक्शन था? यह सब मुद्दे ऐसे है जिसके ऊपर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी होना आवश्यक है। राजस्थान के अन्दर कई दफा कई छोटे-छोटे मामलों के ऊपर, जहां मरने वालों की संख्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के ऊपर 1,2,3 रही उस वक्त भी यहां पर ज्यूडीशियल इन्क्वायरी कई मामलों में कांग्रेस सरकार ने कराई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद, जिसकी की मांग बहुत लम्बे समय से कर रहे हैं सदन में, अखबारों के द्वारा की और लोगों ने की। भारत के गृह मंत्री को इन्होंने उस इलाके में जाने नहीं दिया, हर एक को जाने से रोका कुकृत्य छुपाने के सम्बन्ध में। यह सब ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग करते हैं और यही मेरा आपसे निवेदन हैं कि सरकार को ज्यूडीशियल इन्क्वायरी की मांग मन्जूर करनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री ईश्वर लाल सैनी।

**श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

"हो गई पीरवर पर्वत-सी,
पिघलनी चाहिए,
अब हिमालय से नई गंगा
निकलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना
मेरा मकसद नहीं,
मेरा मतलब है देश की सूरत
बदलनी चाहिए।।"

**श्री अध्यक्ष** : और आपको भागीरथ बनना चाहिए, नहीं तो गंगा कैसे निकलेगी ?

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : "शांति का मिशन लें जो यात्रा की हमारे राजीव ने। उनके हर कदम से, प्रेम की धारा निकलनी चाहिए।" ...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आज ज्ञान की बात कैसे कह रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री जी। समय निर्धारित है, कृपया समय न लें।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : अध्यक्ष महोदय, 8 दिसम्बर, 1989 भारत के लिए और 4 मार्च, 1990 राजस्थान के लिए, राजस्थान को क्रूर ग्रह ने घेर लिया, यह हमारे देश की बदकिस्मती है। अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्तों और आदर्शों की बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की वह बात सही है लेकिन उनकी पात्रता संदिग्ध रही है। स्वयं उनका आचरण और व्यवहार उसके विपरीत रहा है। जो वायदे किए वे पूरे नहीं कर सके हैं। इतिहास गवाह है जहां-जहां भी हिन्दुस्तान में, इस प्रदेश में दंगे हुए हैं उनमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं हाथ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 1989 में जब लोक सभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भार्गव साहब का विजय जुलूस निकला तो यहां के प्रशासन के बार-बार मना करने के बाद भी, माणक चौक पर रोका लेकिन नहीं रुके और रामगंज की तरफ गए और ऐसे नारे लगाये जिनसे दंगा भड़क गया और वह आपके सामने है।

30 नवम्बर, 1989 को ही उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष जो आज मंत्रिमण्डल में हैं। श्री भंवर लाल जी, उन्होंने पत्रकारों को यह बताया कि इसमें सरकार की गलतियां हैं और इस सरकार की वजह से ही यह हुआ है। मैं कहता हूं यह उनकी निराधार असत्य और गलत बात थी। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 सितम्बर, 1990 को अयोध्या रथयात्रा शुरू की मैं समझता हूं कि जो अयोध्या रथयात्रा शुरू थी उसमें राम को उन्होंने बीच में लिया। सही बात यह थी कि उस रथ यात्रा में या तो अडवाणी जी जाते नहीं और जाते भी तो इनका झण्डा नहीं लगाना चाहिए। वह रथ यात्रा निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की थी। वह न तो विश्व हिन्दू परिषद की, न भारतवासियों की और न हिन्दुओं की थी। जहां-जहां भी दंगे भड़के वे रथ यात्रा का ही परिणाम थे। अडवाणी जी 12-10-90 को जयपुर में आए और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। सारे

(श्री ईश्वरलाल सैनी) ...

हिन्दू उनको देखने आ गए। हमारे मुख्य मंत्री जी (व्यवधान)

बस 2 मिनट में अभी खत्म करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : 2 नहीं, 4 मिनट हो गई है।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : आवेश में आकर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अगर हिम्मत हो तो भारत सरकार के गृह मंत्री इस रथ यात्रा को रोक कर बता दें। मैं आपसे इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर को रथ यात्रा समस्तीपुर में रोक दी गई। मैं अब इनसे निवेदन करूं, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, नैतिकता का तकाजा है। रथ यात्रा रोकी गई। इन्होंने यह भी कहा था कि मस्जिद की जगह मन्दिर बनकर रहेगा। किसी की हिम्मत हो तो इस रथ यात्रा को भारत में रोक दें। 3 तारीख को रथ यात्रा समस्तीपुर में रोक दी गई। उसके बाद होना यह चाहिये था कि हमारे मुख्य मंत्री जी स्तीफा दे देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जब 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आह्वान कर दिया कि 24 तारीख को भारत बन्द रहेगा। तो सबसे पहले दंगा हमारे ब्यावर में भड़का। उससे सीख लेनी चाहिए थी। जब 23 को ही दंगा भड़क गया था तब भी उन्होंने सीख नहीं ली। भारत बन्द के बाद 24-25 को जो हालत इस राजस्थान में 5-6 जगह हुई कोटा में, जयपुर में....

**श्री अध्यक्ष** कृपया समाप्त करें। 5 मिनट हो गए हैं 3 मिनट की जगह।

**श्री ईश्वर लाल सैनी** : बस एक मेरा निवेदन है। हमारी पार्टी की मांग है कि इसमें ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो तो सारे लोगों के साथ न्याय होगा और मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी, अब तक आपको यह इन्क्वायरी करा देनी चाहिए थी। अब लास्ट में इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं—

'बम घरों पर गिरे कि सड़क पर,
पूरी तामीरी ज़ख्म खाती है।
कोख धरती की बांझ होती है,
जमीं फाकों से तिलमिलाती है।।"

इसलिए ए शरीफ इन्सानों, जंग चलती रहे, बेहतर है तुम्हारे और हमारे आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री जनार्दन सिंह।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : अध्यक्ष महोदय,....

**श्री सम्पतसिंह** (कृषि मंत्री) : लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने देश की सूरत बदलने की बात कही है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : यह विषमता है अगर खुद बनाकर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती उजला जी, कृपया शान्त रहिए।

**श्री सम्पत सिंह** : मेरी माननीय सदस्य को सलाह है कहीं अपनी शक्ल से मिलती-जुलती न बना लें।

**श्री अध्यक्ष** : ठीक है। शक्ल भगवान देता है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जिस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे राजस्थान में घटे हैं वे दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी दल की सरकार हो इस तरह के दंगे राजस्थान के इतिहास में न तो पहले कभी हुए और मैं सोचता हूं न भविष्य में कभी होंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान के अन्दर दंगे हुए, खासतौर से ब्यावर, चौमूं, जोधपुर और खास तौर से जयपुर में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ और दुर्भाग्य तो इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिन्दू परिषद के लोग इन दंगों को कराये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिसकी सरकार हो वही दंगे कराये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य इस बात से नाराज होंगे कि आप बार–बार भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं। लेकिन रामगंज थाने के अन्दर इन्चार्ज ने जो एफ. आई. आर. दर्ज की है....

श्री अध्यक्ष : आपको बीच में एक हिदायत दूं। राम का नाम लेने से राम भगवान हो गए। ज्यादा नाम लेने से उसकी कीर्ति बढ़ जाती है यह ध्यान रखिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से ज्यादा नाम लेने से कभी–कभी कंटरवर्सीज भी हो जाती हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस प्रकार दंगे कराकर भारतीय जनता पार्टी और मुख्य मंत्री जी नाम करना चाहते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं ही लगती लेकिन प्रश्न इस बात का है कि इस बात के मेरे पास सबूत है जो एफ. आई. आर. रामगंज थाने में दर्ज की उसकी कापी आप कहो तो पढ़ दूं या रख दूं जिसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार 10 बजकर 45 मिनट पर जुलूस चला तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जुलूस में अपने समर्थकों को लेकर जिस प्रकार पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों ने आवागमन को रोका उसके बाद लाठी–सरिए लेकर लोगों को रोकने की कोशिश की। यह भारतीय जनता पार्टी के शब्द एफ. आई. आर. के अंदर दर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इसे सदन की मेज पर रख सकता हूं और आप कहो तो पढ़कर सुना दूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात से अपने आपको बचा नहीं सकती। अगर उनकी सरकार है वह उससे बचना चाहे, लीपापोती करना चाहते तो अलग बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यहां पर दंगे हुए मासूम लोग यहां पर मारे गये। इसी साल में गालब ऋषि कालोनी में जिस प्रकार मकान का पीछे का हिस्सा तोड़कर 6 लोग अन्दर जला दिए गए, स्वाहा कर दिए गए वे लोग एक समुदाय के लोग थे। इसी प्रकार चाहे वह पुरानी बस्ती की मस्जिद के पास का मामला हो, मस्जिद को तोड़ने का मामला हो, चाहे किशनपोल के अंदर मंदिर तोड़ने का मामला हो हम किसी पार्टी को इसका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

हत्याएं हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहिद और युसुफ नाम के जिनकी ढाई साल पहले ही निकाह हुई थी वे दोनों एक साथ इसी दंगे के अंदर मारे गए। यहां तक हालत हुई कि जहां पर किसी लड़के के मां और बाप दोनों एक साथ मारे गए हैं जिसका बच्चा 6 साल का किस प्रकार बिलखकर, तिरस्कृत होकर किसी प्रकार से परेशानी महसूस करता हो। ऐसी घटनाऐं जयपुर के अंदर हुई। आज यह कहा जा सकता है, राजस्थान सरकार कहती है कि 50 से ज्यादा लोग नहीं मरे। लेकिन कम से कम जयपुर शहर में 100–150 लोग मरे हैं, कई लोग पलायन करके चले गए, कई लोग घर छोड़कर चले गए और कई लोगों की शिनाख्त तो इसलिए नहीं हुई कि इस सरकार के लोकल बोडीज मंत्री श्री भंवर लाल जी उस मुर्दाखाना के बाहर बैठे थे जिन्होंने डम्परों के अन्दर लाशों को भरा–भराकर श्मशानगृहों में दाह संस्कार करा दिया। जिनका रिकार्ड में नामो-निशान ही समाप्त करा दिया। अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है और सही है कि इस प्रकार के वहां कई लोग हैं जिनकी शिनाख्त ही नहीं हुई जिनका रिकार्ड भी नहीं है। इस प्रकार की हालत इसमें हुई है यह बात सही है जिस प्रकार जयपुर में बाजारों के अंदर लाशें उठा-उठाकर भेजी जाती थी मेरे पास वे फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरी घटना को मोड़ रहे हैं और यह साम्प्रदायिक विष फैलाने की कार्यवाही कर रहे हैं।....

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिए, बिराजिए ....(व्यवधान)

**श्री शांतिलाल चपलोत** : इस तरह भंवरलालजी का नाम घसीट कर यह एक तरीके का विष वमन करना चाहते हैं......

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी, समय निर्धारित है, आप बैठ जाइये। आप उनका समय मत बढ़ाइए। अब आप समाप्त करिए।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मै ज्यादा लम्बी बात नहीं करता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जितने लोगों की मौतें हुई हैं उतनी रिकार्ड में नहीं हैं जितने लोगों को मुआवजा दिया गया है। वह देख-देख कर तिलक निकाला गया है। कइयों को मुआवजा मिला है, कइयों को नहीं मिला है। उसके अन्दर भी यह शिनाख्त की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि यह हमारा समर्थक है तो दिया जाये, समर्थक नहीं है तो नहीं दिया जाये। इस प्रकार का फैसला अगर सरकार के बैठें लोग करते हैं तो जयपुर के लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन दंगों के अन्दर पुलिस ने जिस प्रकार की सतर्कता बरती....

**श्री अध्यक्ष** : आप छह मिनट बोल लिए। आपको छह मिनट हो गए।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं एक आदमी को और....

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट और। आपके हुक्म की पूरी तामील होगी साहब।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : इस पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है....

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं-इन दंगों के अन्दर पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, चाहे वह रामगंज थाने में लिया, चाहे वह कोतवाली में लिया, चाहे माणक चौक के थाने में लिया, उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा। जिन्होंने दंगे किये, जिन्होंने वहां पर लूट-पाट की, जिन्होंने गोलियां-तलवारें चलाई, उन लोगों को पकड़ा, काफी लोग पकड़े गये लेकिन मैं इस सदन में कहे बिना नहीं रह सकता, कोतवाली थाने के अन्दर खुद इनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष कालीचरण सराफ ने जाकर उन लोगों को छुड़ाया जिसके अन्दर इनके भाई का लड़का, भंवरलालजी का रिश्तेदार और इनके सारे लोग जो दंगाइयों के अन्दर शामिल थे। कोतवाली थाने में जाकर इन के एम. एल. ए. बैठ गये और इन दंगा करने वालों को छुड़ा कर ले आये। इनका रिकार्ड के अन्दर कुछ नहीं है....

**श्री अध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, इसलिए इन सारे मसलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी से सारा मामला सामने आ जायेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिसिंह।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : कोई तथ्य नहीं है,+++

**श्री अध्यक्ष** : +++ बधाई है, आप जरा संसदीय भाषा का प्रयोग तो करिये।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल संसदीय भाषा का उपयोग कर रहा हूं। यह बिल्कुल+++ और मतलब जो है इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं,+++ देखिए।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बिराजिए, बिराजिए। अब आप इन्वाइट करेंगे तो यही होगा। हां, बोलिए।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से कुछ अनुरोध करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री भैरोसिंह शेखावत अपनी उदार नीतियों के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है....

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : यह क्यों कह रहे हो, यह हमको भी पता है।

**श्री हरिसिंह** : जयपुर के, ब्यावर के, चौमूं के, जोधपुर के जो दंगे हुए हैं उन्होंने श्रीमान् मुख्य मन्त्रीजी के व्यक्तित्व को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दुखद स्थिति तो यह है कि जब यह प्रति पक्ष के

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिसिंह)

नेता बन कर बैठते थे तो छोटी-छोटी हर बात पर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी मांगते थे और न्यायिक जांच कई बार इनके अनुरोध पर सरकार ने की है, उस समय की कांग्रेस सरकार ने। लेकिन हिन्दुस्तान का, यह मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा हादसा इनके नेतृत्व में हुआ और इनके नेतृत्व में इसलिए हुआ कि इस सरकार ने स्वयं बाजार बन्द और जयपुर बन्द की मांग की। उसमें सरकार के आदमी भी मौजूद थे और उस मांग में सरकार के केबिनेट स्तर के मन्त्री अगुवाई करें, झण्डी हाथ में लेकर जायं और दुकानें बन्द करवायें, जबरदस्ती लूट-पाट करवायें तो सरकार के पूरे के पूरे आचरण पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जिस कदर जो हादसा हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, यह सब आपकी जमात है और आपका नैतिक फर्ज है कि इसमें जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितना खून-खराबा हुआ है, जितने बेगुनाहों को मारा गया है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस बात की हुई है कि मारने का नाम मुसलमानों का लिया....

**एक माननीय सदस्य** : आपके असामाजिक तत्व थे....

**श्री हरिसिंह** : कोलियों के मोहल्ले में, मालब नगर में आग लगी और आग लगाने वाले बजरंग दल के लोग थे, आर. एस. एस. के लोग थे, कोई मुसलमान नहीं था। इस तरह पूरी की पूरी समूची आपकी सरकार ...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : इनके आग लगा कर जो आंसू बहा रहे हो....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री हरिसिंह** : कठघरे में खड़ी हुई है। मुख्य मन्त्री जी, आप....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : पहले दंगा कराते हो और फिर+++ पहले खुद आग लगाते हो, युवक कांग्रेस ही यह सारा कर रही है....

**श्री अध्यक्ष** :आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। अब आप बिराजिए। देखिए, उनका समय मत लीजिए।

**श्री मदनलाल सैनी** : उस समय तो एक मोहल्ले की बात थी, आप तो पूरे देश में आग लगाने की भाषा बोल रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सैनीजी, बिराजिए, बिराजिए।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, टौंक में इन्होंने दंगे कराये केवल वोट लेने के लिए। मकराना में, टौंक में मरवाया....

**श्री अध्यक्ष** : अब आप बिराजिए।

---

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

यह समय आपको नहीं मिला है, माननीय महावीरजी, कृपया बैठिये।

**श्री हरिसिंह :** मुख्य मन्त्रीजी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक थोड़ा-सा अनुरोध आपसे करना चाह रहा हूं। आपके व्यक्तित्व का कुछ असर है, मुसलमानों पर भी है, हिन्दुओं पर भी है और हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आप जैसा संजीदा व्यक्ति राज्य का मुख्य मन्त्री है। बहुत खुशी है। आपकी इस श्वेत, सबल, धवल ड्रेस पर आज दाग ही दाग हैं इनको धो दीजिए, इसका एक ही उपाय है कि आप इन दंगों की न्यायिक जांच करवायें और अपने मुंह पर लगी कालिख को आप साफ करिये। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** श्री परसादीलालजी।

**श्री परसादीलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में जयपुर में जो भी घटनाएं हुई, पिछले एक हजार वर्ष में भी ऐसी घटनाएं जयपुर के इतिहास में नहीं हुई... (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह :** नहीं हुई। 1947–48 में भी नहीं हुई। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज।

**श्री अर्जुनदास मदान :** आपको यह मालूम है कि जयपुर को बसे हुए कितने दिन हो गये ?

**श्री परसादीलाल मीणा :** जयपुर में तो नहीं हुई.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

**श्री परसादीलाल मीणा :** आप सुनने की तो हिम्मत रखिये, आप सुनिये।

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

**श्री अर्जुनदास मदान :** पूछ लीजियेगा कि जयसिंहजी ने जयपुर को बसाया तब हजार-पन्द्रह सौ लोगों को....

**श्री मदनलाल सैनी :** जयपुर को बसे हुए ही नहीं हुए और एक हजार वर्ष की बात कर रहे हैं....

**श्री अध्यक्ष :** यह अलंकार की भाषा है, बैठिये। ठीक है।

**श्री परसादीलाल मीणा :** मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योंही लोक सभा के चुनावों के नतीजे निकले, इस जयपुर शहर पर काले बादल मंडराने शुरू हो गये और शुरूआत वहीं से हो गई जिस दिन यहां से जीते हुये सांसद का जुलूस निकला। चाहे सरकार कांग्रेस की ही मगर करने वाले सारे आपकी पार्टी के लोग थे और उन्होंने ऐसा दंगा किया... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** कांग्रेस हारी इसलिये दंगे करवाये।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय महावीरजी, बैठिये।

**श्री परसादीलाल मीणा :** अब सुन तो लीजिये आप। ज्योंही 23 अक्टूबर को

(श्री परसादीलाल मीणा)

लालकृष्ण अडवाणीजी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी हुई और इसकी खबर यहां आई, मुख्य मन्त्रीजी सीधे यहां पर आये और चौपड़ पर जोरदार भाषण दिया और इन्होंने सारे राज-काज को इसमें लगा दिया कि जयपुर बिल्कुल बन्द रहना चाहिये, जयपुर में कुछ भी नहीं होना चाहिये। अब ऐसी बात हुई, इनको आशा लश नहीं रही थी, मन्त्री और यहां के विधायक जुलूस लेकर गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सारे जौहरी बाजार में जुलूस निकल गया, अकेले चमेली वाले का शोरूम क्यों जलाया और वह भी दो-दो बार, आपने उसको तबाह कर दिया, भगवान आप को बख्शेगा नहीं। मेरी आपसे मांग है कि जिन लोगों का इन दंगों में हाथ है, जिन लोगों ने यह जुलूस निकाला है, जिन लोगों ने जुलूस की अगुवाई की है, उन लोगों के खिलाफ ...

**श्री अध्यक्ष** : अब आपका टाइम हो गया है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : ऋषि गालब नगर में कितने लोग मारे गये?

**श्री अध्यक्ष** : आखिरी बात पर आ जाइए।

**श्री परसादीलाल मीणा** : सरकार कहती है कि 50 लोग मारे गये....

**श्री अध्यक्ष** : अब आखिरी पर आ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री परसादीलाल मीणा** : चार मिनट कहां हुए साहब?

**श्री अध्यक्ष** नहीं, हो गए। देखिये।

**श्री परसादीलाल मीणा** : नहीं हुए साहब, मैं देख रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं घड़ी देख रहा हूं, चार मिनट से ज्यादा हो गये।

**श्री परसादीलाल मीणा** : मैं भी तो देख रहा हूं, मेरे सामने ही घड़ी है।

**श्री अध्यक्ष** : अच्छा, अब समाप्त कीजिए, आगे और भी बोलने वाले हैं, वह सारे रुठ जायेंगे।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आज सरकार कहती है कि 50 आदमी मारे गये हैं जबकि असलियत यह है कि वहां तक भारत सरकार के गृह मंत्री को नहीं पहुंचने दिया गया, राजीव गांधी को नहीं पहुंचने दिया गया और मुख्य मन्त्रीजी भी नहीं कह सकते कि वहां पचास आदमी ही मारे हों। आप न्यायिक जांच कराइये, उन लोगों को दण्डित कीजिए और कितने लोग मारे गये हैं इसका श्वेत-पत्र सरकार जारी करे....

**श्री अध्यक्ष** : श्री जुबेर खान।

**श्री परसादीलाल मीणा** : कि फलां-फलां व्यक्ति मारे गए, और कोई व्यक्ति ही नहीं मारा गया....

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिए।

**श्री परसादीलाल मीणा** : सरकार की तरफ से श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिए कि कितने लोग अमुक लोग मारे गए, उनकी एक जानकारी होनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : हां, विराजिए। श्री जुबेर खान

**श्री जुबेर खान** : अध्यक्ष महोदय, आज जो ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : जो होगा वह तो कहने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी मना कर रहे हैं कि मत कहो इनको, नहीं तो अभी से ही शोक मनाना शुरू कर दोगे।

**श्री अध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

**श्री जुबेर खान** : पिछले दो-तीन सालों में कुछ तत्वों द्वारा एक ऐसा लावा पैदा किया गया है कि जिसको कभी न कभी तो अध्यक्ष महोदय, फटना था। लावा फटा लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज अफसोस की बात यह है, दुःख की बात यह है कि जिन कारणों से.... एक मिनट, सुन तो लीजिए, सुनने का तो माद्दा रखिए। जिस तरह का लावा फटा उस वक्त और उसके बाद में जो आज राज में बैठे हैं उनका क्या संदिग्ध आचरण रहा उसको देख कर आज हमें दुःख होता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में ही इसी सत्र में दो-दो, तीन-तीन आदमी भी अगर कहीं मारे गये, चाहे वह पुलिस से मारे गये, चाहे किसी भी वजह से मारे गये, आदरणीय मुख्य मंत्री जी, ने कहीं सी.आई. डी. की इन्क्वायरी कांस्टीट्यूट कर दी, कहीं सी. बी. आई. के लिए केस रेफर कर दिया, कहीं विभागीय जांच नियुक्त कर दी और आज बड़े दुःख की बात है कि सैकड़ों लोग मारे गये और आज तक मांग करने के बाद भी न्यायिक जांच नहीं करवाई जा रही है, यह एक प्रश्न चिन्ह इस सरकार पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और हालत यह हो गयी है आज कि आज जिन लोगों का पीछे से कोई जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, अगर कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय में है वह कोई भी हो सकता है—कहीं मुसलमानों में कोई हरिजन हो सकता है, कहीं ब्राह्मण हो सकता है लेकिन हर जो कमजोर वर्ग है जो कम संख्या में है वह डर से आज अपनी जमीन और जायदाद सस्ते दामों में बेच-बेच कर जा रहे हैं। आज यह सवाल है सामने। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि जयपुर में अल्प संख्यक समुदाय के लोग डरे हुए हैं, बहुत सी ऐसी भी जगह हैं जहां हमारे हरिजन भाई डरे हुए हैं, ब्राह्मण भाई डरे हुए हैं और भी लोग डरे हुए हैं और अध्यक्ष महोदय स्थिति यह आ गयी है कि 9 तारीख को कई सालों से एक पुराना झगड़ा चला हुआ था। एक सिख भाई यहां रहता था रामगढ़ मोड़ के पास उसको डराया गया कि या तो यह प्लाट खाली कर दो वरना साम्प्रदायिक दंगा करा कर तुम्हारे भी बच्चों को जला दिया जायेगा। इस तरह का वातावरण आज इस प्रदेश में बनाया जा रहा है।-(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय महावीर जी, प्लीज। नो डिस्टर्बेन्स। बैठिये आप।

**एक माननीय सदस्य** : उनको बैठाइये।

**श्री अध्यक्ष** : बैठा दिया। मैं बैठा रहा हूं। आप बैठिये। मैं अपना काम कर रहा हूं आप अपना काम कीजिए।

**श्री हरिसिंह** : आप इनसे कहिए कितनी जोर से बोलते हैं।

**श्री जुबेर खान** :...और अध्यक्ष महोदय, मैं तो पीड़ित वर्ग से हूं। अगर माननीय भैरोंसिह जी की जगह मुख्य मंत्री माननीय भंवरलाल जी शर्मा होते या श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी जी होते तो कसम खुदा की हम यह कहने की भी हिम्मत नहीं करते कि हमें कोई उम्मीद है। लेकिन माननीय भैरोंसिह जी आपके प्रति हमें यह उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह गांवों में आज चर्चा होती है कि यह भैरोंसिह जी को क्या हो गया है जिन्होंने 77 से 80 के बीच में राज्य किया और आज का भैरोंसिह कहीं बदल तो नहीं गया है। आज यह बात नहीं है, मुख्य मंत्री जी यह छोटे मनों के लोग तो नहीं जानते किन्तु आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको गांवों में जाने के लिए या तो जनता दल (दिग्विजयसिंह) के लोगों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर जनता दल (एस) के लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांवों में नहीं घुसने देंगे और इसका गवाह है कि +++ आज इस देश में शांति ओम् शांति ओम् के नारे लगाते हैं और आपकी जमात में आकर लोग अशांति ओम् अशांति ओम् के नारे लगाने लग जाते हैं। आपके जो सांसद लोग हैं पहले रामचन्द्र जी का+++घूम रहे थे क्या होता जा रहा है क्योंकि डर है कि भगवान राम का नाम यह देशवासी चाहे किसी भी समुदाय के हों इस तरह के छोटे लोगों के हाथ नहीं बिकने देंगे। यह मेरा आपके सामने दावा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुआवजे की बात है कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक व्यक्ति की थड़ी भी जल गयी तो 15-15 हजार रूपये दिये गये है और चौड़े रास्ते में अगर फाइन आर्ट्स पैलेस 50 लाख का भी जल जाये तो उनको 5-5 हजार दिये जाते है, यह कहां का न्याय है ? और आज खुले आम लोग घूम रहे हैं जिन्होंने हत्यायें कीं। अध्यक्ष महोदय, रमेश थापा, मनोज थापा और दिनेश थापा, यह जो जौहरी बाजार से विधायक हैं इनके कार्यकर्ता हैं इन्होंने खुले आम 25 अक्टूबर को पहाड़गंज में इस्लाम नाम के व्यक्ति को मारा, वहीद नाम के व्यक्ति को मारा और एक व्यक्ति जो जख्मी था उसको तो जाने भी कैसे दिया अस्पताल में मुख्यमन्त्रीजी खुद गवाह हैं। समारे साथी माहिर आजाद साहब ने उनको फोन किया। डी. एस. पी. भेजकर उस अधमरे आदमी को अस्पताल पहुंचाया। यह स्थिति रही है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस तरह के आचरण पर रोक लगे। मेरा निवेदन है कि इस सदन के माध्यम से या मुख्य मन्त्री जी की आत्मा को जगाने के लिए कि इसकी न्यायिक जांच बैठायें और जो भी व्यक्ति दोषी हो चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे पुलिस के लोग हो—जो भी दोषी लोग हों अगर उनको सजा नहीं दी गयी और समाज के सामने उनको बेनकाब नहीं

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जुबेर खान)

किया गया तो इस प्रकार के दंगे आगे भी होंगे और यह गलतफहमी न रहे कि इन दंगों से कोई विशेष व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय का नुकसान होगा। जब यह आग लगेगी तो यह नहीं देखेगी कि पड़ोस में किस का घर है। यह जलाती चली जायेगी। पूरे प्रदेश को जला देगी, पूरे समाज को जला देगी और भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति को आप सम्पूर्ण बनाना चाहते हैं उस संस्कृति का अपमान होगा। भारतीय संस्कृति की आप जानकारी लीजिये, जानकारी क्या है। आज आप भारत की संस्कृति को इस देश में बांधकर रखना चाहते हैं, भारत की संस्कृति तो वह संस्कृति है जो कि मिली-जुली व सद्‌भावना की संस्कृति है और आप इसको चुनावी चिन्ह, कमल के फूल तक ले जाना चाहते हैं। मेरा यही निवेदन है कि इसकी जुडिशियल जांच कराई जाये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गुलाब सिंह जी।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने नाम बोल दिये थे।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : कब बोल दिये थे ?

**श्री अध्यक्ष** : मैंने पहले ही बोल दिये थे। जब मैंने व्यवस्था दी तब नाम बोल दिये थे।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आपका नाम नहीं था उसमें। मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें नहीं है। माननीय गुलाबसिंह जी, शुरू करिये।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने इस सम्बन्ध में आधा घण्टे का समय तय कर दिया था। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य... (व्यवधान)

**श्री नत्थीसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला है इस पर सारा राजस्थान चिंतित है और मुख्य मन्त्री जी स्वयं मौजूद हैं। जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों पर न्यायिक जांच की बात है, मुआवजा की बात है, तो न्यायिक जांच आप करवाइये, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है। न्यायिक जांच के तो आप पक्ष में रहते हैं तो यह करा दीजिये और लोगों को उचित आश्वासन दीजिये। यह सब की मांग है। दिक्कत क्या आ रही है ?

(12.45 म. प.)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक व्यवस्था की बात सुन लीजिये और मैं यह कह रहा हूं कि जो अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है उसमें परसों नाम पुकारा है हेतराम बेनीवाल का, जुडिशियल इंक्वायरी पर स्थगन-प्रस्ताव है। यह रिकार्ड में आया हुआ है उसके बावजूद आज मैं मानता हूं कि उन्होंने वहां से नहीं लिया। कागज चला गया। परसों उन की खुद की व्यवस्था थी उसमें जिक्र किया है। रिकार्ड है यहां पर कि हेतराम बेनीवाल का इसके बारे में स्थगन प्रस्ताव है और 8 कांग्रेसियों का है...

**श्री उपाध्यक्ष** : उस पर क्या व्यवस्था हुई थी ?

**श्री हेतराम बेनीवाल** : व्यवस्था इस बात की हुई थी कि जवाब आ जायेगा और आज यह व्यवस्था हुई है कि बोलने दिया जायेगा। तो एक को क्यों नहीं बोलने दिया और आठ को क्यों बोलने दिया गया। नवें को क्यों नहीं बोलने दिया ? आप देख लीजिये रिकार्ड में। रिकार्ड में नाम था।

**श्री उपाध्यक्ष** : समय जाया नहीं करें माननीय सदस्य....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय ने अनाउन्स किया है कि जयपुर के दंगों की जुडीशियल इन्क्वायरी करवाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव किन-किन लोगों के हैं। उसके बाद में उन्होंने जो परसों कहा वह यह कहा है कि हेतराम बेनीवाल का स्थगन प्रस्ताव है और उसको निश्चित तौर से लिया जायेगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य प्रोसीडिंग्स को दिखवा लीजिएगा....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : +++

**श्री उपाध्यक्ष** : वह रिकार्ड से दिखवा लीजियेगा....

**श्री हेतराम बेनीवाल** : श्रीमन्, अब हम रिकार्ड किस का दिखवायेंगे? पहले इस बात का फैसला कर दीजिये कि रिकार्ड में वह नाम है या नहीं। अगर रिकार्ड में नाम है तो बोलने दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : 12–13 तारीख में तो है नहीं।.... (व्यवधान) .... आप उसको दिखवा लीजिए। अच्छा अगर भूल से भी नहीं है तो आप इसको दिखवा लीजिये।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : आप इसकी जानकारी कीजिये कि इस बारे में व्यवस्था दी थी....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप इसकी अलग से जानकारी कर लीजिए। समय मिल जायेगा।....(व्यवधान)... कोई नतीजा नहीं निकल रहा है माननीय सदस्य।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : इस बात का फैसला उन्होंने खुद दिया है कि इनका स्थगन प्रस्ताव है और उसके बाद में आज जो वक्त आया....सवाल मिलने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर यह गलती है तो दुरुस्त कीजिये....

**श्री मदनलाल सैनी** : बातचीत करने के लिए बुलाया है आपको। जाकर मिलें।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका प्रस्ताव है तो समय मिल जायेगा आप चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : रिकार्ड में क्या है ? नाम नहीं है क्या ? रिकार्ड में नाम है। परसों का स्थगन प्रस्ताव नहीं है, यह पहले का है। इसमें रिकार्ड में है।

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री उपाध्यक्ष :** आप दिखवा लीजिए। आपका ही सचिवालय है।

**श्री नत्थी सिंह :** माननीय मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं? राज्य सरकार का जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में क्या रूख है, वह मुख्य मंत्री जी बता दें इसके बारे में। हम चाहते हैं आप भी बताओ कुछ।

**श्री उपाध्यक्ष :** दो मिनट बोलने का समय दिया है।

**एक माननीय सदस्य :** उपाध्यक्ष महोदय, एक बैठते हैं दूसरे खड़े होते हैं, दूसरे बैठते हैं, तीसरे खड़े होते हैं।....(व्यवधान)

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा :** उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चाकसू डकेती कांड का एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। तीन दिन हो गये इस घटना को, सरकार की ओर से जवाब नहीं आ रहा है जब कि यहां से पांच सौ मीटर की दूरी है, एस. पी. और डी. आई. जी. सारे अफसर वहां बैठे हैं। यह सरकार बार-बार यह कह रही है जवाब मंगा रहे हैं, जवाब मंगा रहे हैं।....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मालूम कर लीजिये।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का फैसला करा दीजिये।....(व्यवधान) अध्यक्ष जी ने यह फैसला नहीं किया।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा :** मैं गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वह इस बारे में जवाब देवें।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।....(व्यवधान)

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा :** चाकसू डकेती कांड का बहुत गम्भीर मसला है। एक आदमी मर गया,....(व्यवधान) आदमी अस्पताल में भर्ती है। मैंने कल स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बावजूद भी सरकार का....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप बहुत व्यवधान करते हैं सदन में।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा :** व्यवधान की कोई बात नहीं है, साहब, मेरा चाकसू डकेती कांड का स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।... (व्यवधान) मैंने कल ही दे दिया था, बहुत ही गम्भीर मसला है।

**श्री उपाध्यक्ष :** व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य, बिराजिये।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में यह कहना था, स्थगन प्रस्ताव के बारे में यह जो पढ़ा रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव परसों का नहीं है, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत पहले का है। उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप उसको दिखवा लीजिये, आपको फिर समय मिल जायगा। (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त समय मिल जायगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** फिर आपको उठाने के लिये कौन रोक रहा है?

**श्री हेतराम बेनीवाल** : सारी बहस अभी चल रही है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको बाद में कौन रोक रहा है, बाद में कौन रोक रहा है। आप बाद में उठाइये । माननीय श्री गुलाबसिंह राज पुरोहित । (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : अभी जब चल रही है इस बारे में बात हो रही है।.... (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में दो बात बोल लेती हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय, माननीय ।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : यह बात आ जानी चाहिये रिकार्ड पर, यह बात आ जानी चाहिये कि कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलायी, कांग्रेस के लोगों ने लोगों को जलाया । यह बात रिकार्ड पर आ जानी चाहिए । आप हमें बोलने दीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय डाक्टर साहब ।. (व्यवधान) दो मिनट बोल लीजिये आप । चलिये आप दो मिनट बोल लीजिये ।.... (व्यवधान)

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में हुए दंगों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। जैसा मैंने देखा, जानकारी ली, यह लोग तो गये नही जो बोल रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलायी, दंगे भड़काये, बुरी हालत शहर की कर दी , यह बात आ जानी चाहिये, जांच हो जानी चाहिये, मालूम तो पड़े इन लोगों ने क्या-क्या रंग दिखाये हैं, इन्होंने क्या-क्या कुकर्म किये हैं। यह जो घटना कोलीवाड़े में घटी... (व्यवधान) ऋषि गालव नगर से... (व्यवधान) यह गये ही नहीं उस स्थान पर और चाहे जो बोल रहे हैं, चाहे जो आरोप लगा रहे हैं । मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बात आ जानी चाहिये, जांच हो जानी चाहिये जिस से यह मालूम पड़ जाय कि कितने कुकर्मी हैं । (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जांच करायें, जांच करायें । हिम्मत है तो जांच करा कर देखें तो मालूम पड़ जायगा ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सचेतक महोदय, माननीय सचेतक महोदय ।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : दो मिनट में खतम करें ।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं आपको धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहूंगा...

**श्री उपाध्यक्ष** : इसलिये तो देर लगा रहा था ।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : इसलिए कि बहुत प्रयत्न के बाद दी है । शायद जो मेरे सामने बैठे हैं उनको इस बात की तकलीफ है कि कोई ऐसी बात क्यों की जाय । मैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मित्रों से यह कहना चाहता हूं, चतुर्वेदी जी राजस्थान में पिछले दो साल में जो कुछ हुआ है, आजादी के वक्त जब सारे हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुस्लिम दंगे हुए....

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, दो मिनट में, ज्यादा नहीं। (व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल :** मैं आपसे निवेदन करूं, मैं दो मिनट ही बोलूंगा। मेरे दो मिनट वैसे ही होंगे जैसे भैरोंसिहजी के दो मिनट होते थे।

**श्री उपाध्यक्ष :** यह पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे-धीरे ठंडी हुई, पहले जानवर आये, ऐसी भूमिका से कोई मतलब नहीं है।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** मेरी एक बात सुन लें... (व्यवधान) माननीय भैरोंसिह जी ने 12 तारीख को यहां भाषण दिया अड़वानीजी के आने पर, उस वक्त यह कहा था मुफ्ती मोहम्मद को चैलेन्ज करते हुए, जो हमारे गृह मन्त्री जी थे, उन्होंने कहा था अगर यह रथ यात्रा रोकी गई तो उसके नतीजे क्या होंगे। अगर रथ यात्रा रोकी गई तो हम देख लेंगे....(व्यवधान) मैं समझता हूं यह चेतावनी उन निर्दोष गरीब लोगों को थी जो उसके बाद 24 तारीख से लेकर सात दिन तक भुट्टे की तरफ जयपुर में फूलते रहे। मैं समझता हूं, अगर मुख्य मंत्रीजी उन शब्दों को याद करें वैसे ही शब्द थे जैसे राजीव गांधी ने 19 अक्टूबर, 1984 को दिया था दिल्ली के अन्दर और उसके बाद सिक्खों का सरेआम कत्ल हुआ था सारे हिन्दुस्तान के अन्दर। इस तरह की घटनाएं, इतना बड़ा नेता, राजस्थान का मुख्य मन्त्री और यह भाषण दे कि हम देख लेंगे। किसको देखना चाहते थे?.... (व्यवधान) जयपुर के अन्दर जो 15 प्रतिशत यहां पर रहते हैं गरीब मोहल्लों में हिन्दुओं के बीच में फंसे हुए, उन लोगों के साथ यह सलूक करने की बात थी। दूसरी बात मुझे यह कहनी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी.... (व्यवधान)

**श्री मदनलाल सैनी :** यह गृह मंत्री के लिये कहने की बात नहीं कह रहे थे।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** माननीय श्री मदनजी बैठिये, मिनिस्टरी का नम्बर नहीं है, बहुत हैं 37 हैं आगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** उत्तेजना में न आयें।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** मैं आपसे निवेदन करूं, दूसरी बात मुझे यह कहनी है, उस जगह मैं मोहल्ले में गया हूं, सबसे बड़ा जुल्म इन कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो छोटे-छोटे बी. जे. पी. के कार्यकर्ता नेकर पहने हुए थे हमारी आर. ए. सी. ने किया है... (व्यवधान) आर. ए. सी. के लोगों ने....

**श्री मदन दिलावर :** असत्य बोलते हो।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** इनको पता ही नहीं है। आप तो रूह हो कर घूमते हो। बिल्कुल असत्य बोलते हो।....(व्यवधान) एक भी घटना स्थल पर नहीं गये हैं यह, अपने भाषण में एक भी सत्य नहीं बोला है। एक भी सदस्य ने कोई बात सत्य नहीं बोली.... (व्यवधान).... कांग्रेस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के लोगों ने दंगे भड़काये, कांग्रेस के लोगों ने गोलियां चलवायीं....(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : बहुत हो गया, अखबारों में छप गया। इससे कोई बहुत ज्यादा छप जायगा ?....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : जब दंगे कांग्रेस ने करवाये हैं तो क्यों नहीं न्यायिक जांच करवा रहे हैं। फिर मुख्य मंत्रीजी क्यों डर रहे हैं ?....(व्यवधान)

**श्री हेतराम बेनीवाल** : नहीं तो क्या वास्ता है। दो लोगों के लिये एक आदमी मर जाय तो जुडिशियल इन्क्वायरी करवाते हैं। आपमें दम है तो जुडिशियल इन्क्वायरी करवायी जाय।.... (व्यवधान)

**श्रीमती तारा भण्डारी** : उसके लिये कम्युनिस्ट जिम्मेदार हैं कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित। श्री गुलाब राजपुरोहित।

**एक माननीय सदस्य** : यह देश को बांटना चाहते हैं। कम्युनिस्ट लोगों ने देश में दंगे भड़काये।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : चोर की दाढ़ी में तिनका.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**एक माननीय सदस्य** : इनको सुना क्यों नहीं जा रहा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैंने ऐसी बात नहीं कही पर माननीय जितना भारतीय जनता पार्टी का सो काल्ड जो आर. एस. एस. का ग्रुप है वह उछल रहा है अपनी कुर्सियों पर। इससे लगता है कि मुख्य मंत्रीजी पर आरोप है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप भी बहुत उत्तेजना में आ रहे हैं। आप भी बहुत उत्तेजना में आ रहे हैं।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : तो उसमें वही फंसेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : तो आप भी तो बहुत उत्तेजना में आ रहे हैं।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं उत्तेजना में नहीं आ रहा। मैं तो उस बात को कह रहा हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : बात आ गई।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : मैं कोई पुलिस मुकदमों की नहीं कह रहा हूं, जुडिशियल इन्क्वायरी का कह रहा हूं। इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय, साफ पता लग जायगा।... (व्यवधान) आप जैसे कई फंसेंगे इसलिये जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित।

श्री हेतराम बेनीवाल : राजीव गांधी ने करवा कर देख ली, उसके सारे कार्यकर्ता फंसे थे और यही वजह है कि आप नहीं करवा रहे है ।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित ।

## प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### सुमेरपुर की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में पैसों का दुरुपयोग

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम पंचायत चाणोद, हेमावास, धनापुरा और गुडा एन्दला के सरपंचों द्वारा मनमाने तरीकों से आतंकित कर पैसे वसूलने, विकास कार्यों के पैसे का दुरुपयोग करने भूमि तस्करी में लिप्त होने, लोगों को डरा धमकाकर और मारपीट करवा कर आतंकित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, करण सिंह सरपंच ग्राम पंचायत चाणोद का आतंक चाणोद और आस पास के अनोपपुरा, बिढडा, मांचूण्डा, पेणावा, पिचावा, बड़गा वड़ा, ढोला, तामोद, केलपुरा आदि गांवों में इतना फैला है कि लोग उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते । चाणोद निवासी फूलसिंह व विजयसिंह के विरुद्ध एक मामले में गिरफ्तारी को लेकर सरपंच ने उनकी माता को डरा धमकाकर 10,000 रुपये की मांग की और चार हजार रु. पुलिस को देने के नाम पर लिये । जिसके विरुद्ध सुमेरपुर मुंसिफ कोर्ट में इस्तगासा भी दिया गया है । तीन-चार माह पूर्व भी इसी तरह माचुन्दा निवासी बाबूलाल लुहार से रु. 13,000 रिश्वत के लिये थे जो सरपंच से बरामद किये गये थे और तखतगढ़ एस. एच. ओ. श्री के. के. शर्मा को इस प्रकरण में निलम्बित कर दिया गया था । ग्राम बिटूड़ा में जे. आर. वाई. के. तहत निर्मित सांण्डमाडा घर पर करणसिंह ने अपने संरक्षण से हीराराम पुत्र दौलत जी मेघवाल द्वारा जबरन कब्जा करवा दिया गया इसी तरह मगरालाल पुत्र धीराजी गहलोत निवासी चाणोद से भी करण सिंह ने दिनांक 14-3-89 को एक टी. वी. सैट पंचायत में उपभोग करने के नाम पर लिया गया जो कि घर पर लगा है । इस तरह सरपंच करणसिंह का इतना आतंक है कि मनचाहे तरीके से लोगों को डरा धमका कर पैसे वसूल करता है । और उसके विरुद्ध आवाज उठाने वालों को मार पीट या मुकदमे बाजी में फंसा कर उन्हें परेशान करता है । 9 मार्च की रात को करणसिंह ने अपने पाले हुए गुण्डों के जरिये बम्बई में नौकरी कर घर आये सुथार पुखराज, निवासी चाणोद, के पुत्र के साथ हाथापाई करवाई उसको मारने उसके घर तक पीछे दौड़े । दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया, इतना ही नहीं, स्वयं के कपड़ों पर केरोसीन डाल कर उस सुथार के विरुद्ध तखतगढ़ थाना में 307 आई. पी. सी. में मुकदमा दर्ज करवाया । पुलिस प्रशासन भी इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाता है । चाणोद पटवारी अर्जुनसिंह, अध्यापक फरीद खां, प्रमोद कुमार आदि की एक गेंग

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

बनी हुई है जो सरकारी ड्यूटी कम और सरपंच के साथ मिलकर लोगों को लूटने का धन्धा अधिक करते है। ग्राम बिठूड़ा ढोला, अनोपुरा एवं आसपास के गांवों में ये अपने आदमियों से चोरियां करवाते हैं तथा खेतों से अनाज, राइड़ा भेड़, बकरी और गाय तक उठा कर ले जाते हैं किन्तु सरपंच का संरक्षण इन चोरों को प्राप्त होने से कोई भी कुछ करने या रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पाता है।

इसी तरह हेमावास ग्राम के सरपंच मांगीलाल गुडा एन्दला सरपंच चम्पालाल जैन और बामनेरा सरपंच के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्यों में व्यापक अनियमितताएं बरतने, घटिया सामग्री लगाने व फर्जी मस्टर रोल भर कर धन का दुरुपयोग करने की शिकायतें आती रहती हैं। किन्तु हेमावास सरपंच, उप सरपंच तथा ग्रुप सचिव ने मिलकर मानपुरा भारवती स्थित दरगाह के सामने 6 बीघा जमीन के पट्टे सोजत, फलौदी पाली, जयपुर बालोतरा और पोकरण के लोगों को हेमावास निवासी बताकर 5 से 7 हजार तक की रिश्वत लेकर, उन्हें पट्टे दिये गये जबकि ग्राम के गरीबों को वंचित करवाया गया। गुडा एन्दला सरपंच ने रेबारियों से 6–6 हजार रुपये रिश्वत लेकर उन्हें पट्टे दिये। गोचर भूमि में गैर कानूनी बाड़े रिश्वत खाकर दे दिये। लोगों द्वारा शिकायत करने पर उलटा उन्हें पुलिस के मुकदमों में फंसाया जाता है जिससे लोगों में डर पैदा हो और उसके विरुद्ध जुबान न खोल सकें। गुड़ा एन्दला सरपंच चम्पालाल के विरुद्ध जांच में एक गरीब महिला से रिश्वत के 600 रुपये लेने के मामले में दोषी भी पाया गया है किन्तु आज तक इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे कांग्रेसी सरपंचो के आतंक पूर्ण भ्रष्टाचारी रवैये व निर्माण कार्यों के प्रति उदासीनता से जनता त्रस्त है। मेरा निवेदन है कि इनको अविलम्ब निलम्बित किया जावे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मोहनलाल चौहान।

**पंचायत समिति, मकराना में खारे पानी से दुष्प्रभाव**

**श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख में मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर के अन्तर्गत पंचायत समिति मकराना की ग्यारह ग्राम पंचायतों के ग्राम हैं। इन ग्रामों में खारा पानी होने से लोग बांके हो जाते हैं। इस पर राज्य सरकार द्वारा मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए काफी वर्षों पहले एक बांका पट्टी जलदाय योजना गच्छीपुरा लागू की गई थी तभी से ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है मगर इस बांका पट्टी योजना के अन्तर्गत तमाम ग्रामों की 250 से अधिक जनसंख्या वाली बड़ी बड़ी ढाणियों को पीने का पानी मुहैया नहीं कराया गया है जिससे ढाणियों की जनता व पशुधन को पीने के पानी का सकट उत्पन्न हो रहा है। दूर-दूर से ऊंट गाडों से पानी लाकर पीना

(श्री मोहनलाल चौहान)

पड़ता है। इन ढाणियों को पेयजल समस्या के निवारण हेतु मेरे द्वारा गत 5 वर्षों से बराबर मांग उठाई जाती रही है मगर खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि इस पेय जल समस्या का निवारण अब तक नहीं हो पाया है। ढाणियों की जनता पूर्ण रूप से दुःखी है। बांका पट्टी के अन्तर्गत आने वाली ढाणियां इस प्रकार है ग्राम जसवन्तपुरा से जुणांवा चुवालियों की ढाणी ग्राम डाबडी कलां में कुवाड़ों की ढाणी, लेगा की ढाणी व ढोलियों की ढाणी, ग्राम डोबड़ी सांवलदास में पायलों की ढाणी, बोबेरी की ढाणी, ग्राम भैसा कलां में नलका की ढाणी व शिविरा की ढाणी, ग्राम भैया खुर्द में मीठालो की ढाणी सारण व गोरों की ढाणी, ग्राम अलतवा में लोडियों की ढाणी व माना की ढाणी, ग्राम बाजोली में नेतड़ा की ढाणी, ग्राम सिरसला में कुबाड़ा हनुमानसागर टीबा व कोरियां की ढाणी, ग्राम दाबड़िया में टुजोड़ नाडी की ढाणी, दीतीजा बैरा की व भैयाबास की ढाणी, ग्राम बेसरोली में गूजरों की ढाणी, ग्राम हुडिया में कुडियो की ढाणी, ग्राम मोदी चारण में सीला की ढाणी, ग्राम दमोई कलां में सिपाहियों की ढाणी, ग्राम शिवरासी में शिविरा की ढाणी, ग्राम गीगालिया में गुदली नाडी, घड़बेरा खेजड़ा नाडी व कुमारिया बेरा की ढाणी, ग्राम ईरावा लाखा में गूजरों व ब्राह्मणों की ढाणी व ग्राम मोदीभीखा में खातियों की ढाणी, ग्राम खेडीलाल में बुगालियों की ढाणी, ग्राम कुचीपला में सारणों, मियां व भींचरा की ढाणी, ग्राम नान्दोवी मेड़तिया में सांखला की ढाणी व बनीवाला बेरा की ढाणी, ग्राम धांधोती में लेगा की ढाणी है।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी-बड़ी ढाणियां ग्राम हरनावा पट्टी में आचार्जों की ढाणी, ग्राम बडू में आमलिया की ढाणी, ग्राम जगदीशपुरा में लोमरोडो की ढाणी, ग्राम बिदीयाद में जोड की ढाणी, ग्राम खुदियास में सीमारों की ढाणी, ग्राम खानपुर में राताड़ी नाडी की ढाणी व ग्राम कुहेरी में घड़ीवाले बेरा की ढाणी।

यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय जन स्वा. अभि. मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सभी ढाणियों में मरू विकास योजना के अन्तर्गत जी. एल. आर. का निर्माण करवा कर पेय जल मुहैया कराया जावे।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री मनीराम सिहाग**

**बीकानेर जिले की पेयजल समस्या**

**श्री मनीराम सिहाग** (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बीकानेर जिले की पेय जल समस्या की तरफ जन स्वा. अभि. मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

मैं बीकानेर जिले और विशेष कर बीकानेर जिले की लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र की अपर्याप्त एवं दूषित जलपूर्ति की तरफ जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लूणकरनसर विधान सभा क्षेत्र के अनेकों गांवों में निर्मित पानी की टंकियों, डिग्गियों खेलियों तथा

(श्री मनीराम सिहाग)

फिल्टर सिस्टम्स पर सरकार का भारी अपव्यय हुआ है और ये अधिकतर उपयोग में ही नहीं लिये जा रहे हैं।

ग्राम जैतपुर, भीखनेरा, सुलेरा, मेघाना दुलचासर, बखुसर, भदवां, खियेरां, अजीतमाना, शोभीलाई, केलो, राजासर आदि अनेकों गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े होने के बावजूद भी पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है।

ग्राम लूणकरनसर, अर्जुनसर, शेरपुरा, महाजन, छतरगढ़, पूगल खाजूवाला, जामसर, आदि में बिना फिल्टर किये गन्दा पानी पीने के लिए सप्लाई किया जा रहा है और समस्त फिल्टर सिस्टम खराब पड़े हैं जिस पर सरकार के लाखों रुपये खर्च हुए हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि गर्मी का मौसम आ रहा हैं। इस स्थिति में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचेगी इसलिए समय रहते ध्यान नहीं दिया तो लोग प्यासे मरेंगे और गन्दा पानी पीने से भयंकर बीमारियां फैलेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मोहनलाल बारूपाल (अनुपस्थित), माननीय हीरासिंह चौहान।

**पहाड़ी व गैर मुमकिन भूमि पर लैण्ड रेवेन्यू।**

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 295 के अन्तर्गत पाली, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में जो पहाड़ी बेल्ट आया हुआ है उसमें जो पहाड़ी और गैर मुमकिन भूमि पर काश्तकारों ने बीड़े बनाये उन पर लगान लगाने की आज दिन तक राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं।

पाली, अजमेर, उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में काश्त योग्य भूमि कम है तथा पहाड़ी, पथरीली व चट्टानों से युक्त भूमि, उबड़-खाबड़ नदी नालों की भूमि 60 से 75% है जो कृषि योग्य नहीं हैं लेकिन किसी न किसी प्रकार से पड़ौसी अकृषि भूमि पर बीड़ों के रूप में कब्जा कर रखा है जिन पर धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत गरीब किसानों पर हजारों की संख्या में प्रति वर्ष मुकदमें बनते हैं जिनमें निर्णय के लिए अकारण कृषक वर्ग को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे समय व धन के व्यय के रूप में कृषक वर्ग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरी जानकारी में पाली जिले में रायपुर, खारची, देसूरी तथा कुछ भागों में सोजत तथा जैतारण, अजमेर जिले में ब्यावर, मसूदा, उदयपुर में भीम, देवगढ़, भीलवाड़ा में बदनौर उप तहसील क्षेत्र के किसानों ने पहाड़ी गैर मुमकिन, अकृषि योग्य भूमि पर जानवरों को चराने के लिए काटों, पत्थरों तथा मिट्टी के पाले लगा रखें हैं जिन पर धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत

(श्री हीरासिंह चौहान)

कृषि योग्य भूमि की भांति मुकदमें बनाकर कृषि भूमि की लगान दर से कई गुणा जुर्माना कर दण्डित करते हैं जबकि अकृषि योग्य भूमि पर कृषि भूमि की दर लगाना सर्वथा अवैधानिक है व नीति संगत नहीं है। इसका मूल कारण बीड़ों की अकृषि भूमि पर लगान की दर निर्धारित करने के कोई प्रावधान राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में उपलब्ध नहीं होना है। अतः गैर कानूनी व अवैधानिक रूप से, किसानों पर कई गुणा जुर्माना इस प्रकार की अकृषि बीड़ों की पहाड़ी भूमि पर लगाया है। इसे तत्काल निरस्त करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक है अन्यथा गलत निर्धारित लगान पर लगाये जुर्माने को काश्तकारों में देय योग्य नहीं माना है, अतः मेरे निम्नलिखित सुझावों पर सरकार तत्काल कार्यवाही की व्यवस्था करे :—

1. रायपुर, ब्यावर, भीम, तहसील क्षेत्र मसूदा, बदनौर उप तहसील क्षेत्र व अन्य तहसीलों के कुछ राजस्व गांव विशेष रूप से प्रभावित हैं। उनके इस प्रकार के गलत लगान वसूली पर तत्काल रोक लगाई जावे।

2. बीड़ों की भूमि पर धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के मुकदमें तत्काल निरस्त करवाये जावें।

3. राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में विशेष प्रावधान लाकर बीड़ों की अधिकतम एवं न्यूनतम भूमि सीमा निर्धारित कर न्यूनतम भूमि लगान राशि तय करने की तत्काल व्यवस्था करवाई जावे।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो अवैधानिक और गलत लगान काश्तकारों पर लगाये जाते हैं, इनके लिये राज्य सरकार को तत्काल कोई प्रावधान करना चाहिये क्योंकि हजारों लाखों रुपयों का जो जुर्माना चढ़ा रखा है, जो दावा राशि किसानों की नहीं बनती हैं। यही मेरा निवेदन है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हीरालाल आर्य।

**ग्राम पीपल्दा में अ. जा., ज. जा. को कृषि की पर्याप्त सुविधा देने हेतु।**

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत प्रस्ताव करता हूं। पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब व्यक्ति निवास करते हैं। यहां के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि है। कृषि जीवन का आधार है तथा कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है लेकिन क्षेत्र में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होने से यहां के किसानों को जीवन निर्वाह करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां की कृषि वर्षा पर निर्भर करती है तथा वर्षा के अभाव में इस क्षेत्र में अक्सर अकाल की स्थिति रहती है, फलस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। पीपल्दा तह-

(श्री हीरालाल आर्य)

सील कहने के नाम पर चम्बल के सिंचित क्षेत्र में आती है लेकिन इस तहसील के कुल क्षेत्रफल के केवल आधा क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र दर्ज है तथा सिंचित क्षेत्र के भी केवल 55 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। इस प्रकार कुल एक चौथाई क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वैसे पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र एक छोटा पंजाब है। आप चौंकिए नहीं, यहां तक आतंकवाद नहीं है परन्तु छोटा पंजाब इसलिए है कि यहां पर पांच से अधिक नदियां बहती है। चम्बल, पार्वती, काली सिंधु, सूकनी, च्याकन, बाण गंगा आदि। इन नदियों में पर्याप्त पानी 12 महीने बहता है जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार कोटा जिले में नदी-नालों का जल भण्डार 103 टी. एम. सी. थाउजेण्ड मिलियन क्यूबिक फीट या 2.36 मिलियन फीट है जिससे एक लाख 513 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। लेकिन यह पीपल्दा क्षेत्र की त्रासदी है कि इस क्षेत्र में कई नदियां होते हुए भी इनके पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा रहा है तथा हर वर्ष बरसात का पानी व्यर्थ वह जाता है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए बिजावता, नोनेरा, रघुनाथपुरा ककरावदा, भैरूपुरा, नया गांव, बोबरली फुसोद, मोरखूंदना आदि गांवों के पास सर्वे करवाकर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई जावे तथा असिंचित खेतों के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जावे। क्षेत्र की जनता के बार-बार निवेदन करने के बाद भी यहां की लिफ्ट सिंचाई योजनाएं नहीं बनाने से क्षेत्र की जनता में भारी रोष एवं असंतोष है क्योंकि प्रत्येक स्थानों पर पांच से दस हजार बीघा तक जमीन उपलब्ध है जिसका लाभ लिफ्ट सिंचाई योजना से हो सकता है और इतनी बड़ी योजना को, राज्य सरकार को ही लेना चाहिए। सहकारी समितियों के माध्यम से ये बडी-बड़ी योजनाएं सम्भव नहीं है। अतः मैं राज्य सरकार से आशा करता हूं कि उक्त स्थानों का अविलम्ब सर्वे करवाकर, एस्टीमेट बनाकर लिफ्ट योजनाएं स्वीकृत कर, कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाये। नहर मंत्री जी यहां बैठे हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ आश्वस्त करें।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का एक प्रश्न भी था जिसका जवाब भी दिया था उसके बावजूद ये 295 के अन्तर्गत इसको लाये हैं। सर्वे के लिए मैंने आदेश दे दिया है और सर्वे में जैसा बताया गया है एक-एक हजार एकड़, एक-एक हजार बीघा जमीन कहीं है, उसे लिफ्ट से सिंचित कर दिया जायेगा। बजट के अनुसार यथा सम्भव उस काम को प्राथमिकता देकर मंजूरी दी जावेगी। सर्वे के लिए मैंने आदेश दे दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद तो दे दो आप।

**श्री हीरालाल आर्य** : बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

### सोजत सिटी में महाविद्यालय खोलने बाबत

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सोजत सिटी में महाविद्यालय खोलने बाबत प्रस्ताव करता हूं।

मान्यवर, सोजत अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक गौरव रखता है। यह स्थान जहां शिक्षा एवं संस्कृति में अपना अग्रणी स्थान रखता है, वहीं इस स्थान के स्वतंत्रता सैनानियों ने आजादी के लिए अनेकानेक बार जेल की यातनाएं भी सही है। जिनमें मुख्यतः काका मीठालाल जी हरिभाई ठिकर आलेशान जी इत्यादि प्रमुख व्यक्ति हैं। आजादी के चार दशक पश्चात् भी सोजत में स्नातक महाविद्यालय का अभाव बना हुआ है। सोजत क्षेत्र में लगभग एक हजार विद्यार्थी प्रतिवर्ष सोजत रोड, सोजत सिटी

विद्यार्थी प्रतिवर्ष सोजत रोड, सोजत सिटी, बगडी नगर, बगरू, कठालिया, रायपुर, मारवाड़ जंक्शन से सीनियर हायर सैकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु पाली जिले के एक मात्र राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु भटकते हैं। जिला पाली नगर की जनसंख्या अधिक होने, मुख्यालय होने से विभिन्न कार्यालयों का दवाब व औद्योगिक दवाब के कारण छात्रों को आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी से अनुसूचित जाति व गरीब ग्रामीण विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं।

पाली जिले में पाली के पश्चात् सोजत लगभग 40,000 की आबादी का सबसे बड़ा कस्बा है। प्रतिदिन विद्यार्थियों को पाली एवं ब्यावर से आना जाना पड़ता है जिससे समय व धन का भारी बोझ अभिभावकों पर पड़ता है। लगभग 500 विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों से आना जाना पड़ता है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण साधारण परिवार के छात्र सीनियर हायर सैकेण्डरी के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जहां एक ओर सरकार का लक्ष्य महिला शिक्षा के विकास व प्रसार करने का है वहीं सोजत क्षेत्र की छात्राएं मात्र सीनियर हायर सैकेण्डरी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। प्रति वर्ष लगभग 200 छात्राओं को अपना मन शिक्षा व्यवस्था के अभाव में मारना पड़ता है क्योंकि सोजत से 40 किमी. दूर स्थित पाली कालेज से प्रतिदिन आना जाना छात्राओं के लिए सम्भव नहीं है। अतः प्राइवेट अध्ययन कर अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूर्ण करना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सोजत सिटी में दो समाज कल्याण छात्रावास चल रहे हैं। जिसमें लगभग 100 छात्र अध्ययन रत है। शेष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थी निजी कमरे लेकर सीनियर हायर सैकेण्डरी अध्ययन करते हैं। पाली कालेज से विधि के करीब 50 छात्रों को प्रतिदिन रात्रि में अप डाउन करना पड़ता है।

सोजत क्षेत्र के नागरिक अभिभावक विद्यार्थी लम्बे समय से सोजत में महाविद्यालय खोलने की मांग कर रहे है तथा सन् 1978 में जनता शासन में तो पूर्ण आश्वासन भी दिया था परन्तु बाद में, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

कारण, यह योजना खटाई में पड गई। सोजत नगरपालिका ने हाइवे रोड पर कालेज के लिए जमीन भी सुरक्षित कर रखी है। स्थानीय दानदाता भी इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। तथा महाविद्यालय हेतु भवन बनाने को तैयार हैं। सोजत सिटी के छात्र गत गई वर्षों से निरन्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विधि परीक्षाओं में प्रथम स्थान से लेकर 10 वें स्थान पर आते रहे हैं। आज उन्हीं छात्रों को मजबूर होकर जोधपुर, ब्यावर, अजमेर पाली व अन्य स्थानों में प्रवेश लेना पड़ रहा है तथा आर्थिक बोझ को वहन करना पड़ता है। इन्हीं छात्रों की सुविधा का एक मात्र आधार सोजत में राज्य सरकार द्वारा कालेज खोलना है।

सोजत सिटी मेहन्दी उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। यहां से प्रति वर्ष 14 करोड़ की मेहन्दी विदेशों को निर्यात होती है जिससे प्रति वर्ष करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा चूना, कली व लाइम व पाउडर के उद्योग में भी सोजत, पूरे देश में प्रसिद्ध है। करोड़ों रूपयों का चूना, कली व पाउडर आज देशों एवं विदेशों को जाता है। सोजत में अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत मण्डल, सहायक अभियन्ता सिंचाई, अतिरिक्त ज्युडिशियल कोर्ट मुन्सिफ कोर्ट तथा पर्यावरण कार्यालय, तहसील कार्यालय, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, ग्रामीण बैंक, सेन्ट्रल कापरेटिव बैंक, एल. आई. सी. आफिस एवम्–भू संरक्षण कार्यालय इत्यादि अनेक कार्यालय यहां स्थित है। इन आफिसों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार के बच्चों को भी यहां महाविद्यालय नहीं होने से भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। अतः माननीय मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन है सोजत कि शैक्षिक आवश्यकता एवम् जन संख्या व छात्र संख्या को देखते हुए स्नातक महाविद्यालय खोल कर सोजत क्षेत्र के छात्रों एवं जनता को लाभान्वित करेंगे।

जय भारत।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मदन दिलावर।

**तहसील अटरू में बिना विद्युतिकृत किये पैसे वसूलना।**

**श्री मदन दिलावर (अटरु)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछले तीन-चार वर्षों में जो इस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन-चार वर्षों में 20-25 गांव विद्युत विभाग ने विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये थे। उनका कागजों में तो स्वीकृत बता करके और काम भी पूर्ण कर दिया बताते हैं परन्तु एक भी गांव में दूर दूर तक कोई खम्भा दिखाई नहीं दे रहा है। सारे के सारे पैसे भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट मंत्री मिल कर के खा चुके हैं। उन गावों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिन गांवों को कागजों में विद्युतीकृत कर दिया गया और उनके पैसे उठा लिये गये। ग्राम, बिछालस, कराडिया, हाडा, खानपुरिया देवपुरिया इत्यादि गांवों में

(श्री मदन दिलावर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूर दूर तक एक भी खम्भा, बल्ब और तार दिखाई नहीं दे रहे हैं।.....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बोलिये जो लिखा हुआ है।

**श्री मदन दिलावर** : सारे तारों को उठा करके ले गये और मोटे पेट इन लोगों ने कर लिये हैं। श्रीमान्, दुःख की बात यह है कि जब हम अधिकारियों से मिलते तो वह कहते हैं कि यह ग्राम फाईलों में विद्युतीकृत हैं अतः हम इसको दुबारा विद्युतीकृत नहीं कर सकते क्योंकि इस के लिए पहले पैसा उठा लिया गया है, अब इनके लिए अलावा राशि कहां से लावे। इसी प्रकार श्रीमान्, पिछले वर्ष स्वीकृत गांवों को भी अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है। जैसे रहलाई, मनोहरपुरा, अरडाना। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जो स्वीकृत गांव हैं उन्हें तत्काल विद्युतीकृत करके ग्राम वासियों को राहत दिलायें। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि किन लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसके भ्रष्ट आचरण को उजागर करके उनको दण्डित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती तारा भण्डारी।

**सिरोही जिले की सड़कें।**

**श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नियम 295 के तहत सिरोही जिले की सड़कों के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहती हूं। सिरोही जिला ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आबू के देलवाड़ा मन्दिर, मीरपुर, सालेश्वर, अम्बेश्वर, गोपेश्वर, कामेश्वर आदि अनेकों कलात्मक एवं ऐतिहासिक मन्दिरों के कारण यह जिला विश्व में बेजोड़ है। यहां भ्रमण हेतु न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्वभर से लाखों पर्यटक प्रति वर्ष आते रहते हैं। परन्तु सड़कों के मामले में यह जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सिरोही से आबू जाने के लिए सिरोही से जो सड़क बन रही है, वह सड़क पिछले 20 वर्षों से निर्माणाधीन है तथा अभी तक वह सड़क अधूरी है। इस सड़क पर अब तक एक करोड़ रुपये से अधिक की धन राशि खर्च हो चुकी है परन्तु इस सड़क को बनाने की योजना पर समुचित धन राशि सुनियोजित तरीके से खर्च नहीं करने के

**(1.25 म. प.)**

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

कारण इतनी उपयोगी सड़क होते हुए भी अभी तक पूरी नहीं हो पायी है। सिरोही से आबू जाने के लिए जो सड़क, उपलब्ध है वह सिरोही से 85 किलोमीटर दूर है जबकि सिरोही आबू जाने के लिए वाया सिरोही सड़क जो भी अधूरी है, इस सड़क के द्वारा सिरोही से आबू की दूरी मात्र 36 किलोमीटर रह जाती है। इसी प्रकार जो भी पर्यटक दिल्ली, जयपुर तथा जोधपुर आदि स्थानों से आते हैं उन्हें आबू पहुंचने के लिए सिरोही से आबू

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सड़क द्वारा मात्र 36 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पड़ती है। शिवगंज का कामेश्वर तीर्थ भी अति प्राचीन तीर्थ है तथा केसरपुरा से कामेश्वर मार्ग जोड़ा जाना अति आवश्यक है। कैर तथा विहारा के मन्दिरों की प्राचीनता तथा महत्व भी जग जाहिर है। इसलिये शिवगंज से विहारा वाया कैर को भी सड़क से जोड़ा जाना चाहिये। मेरा विधान सभा क्षेत्र सिरोही तथा शिवगंज तहसील में ओड़ा, बाण, खाम्बल, नबोरा, मोकरोड़ा, राजपुरा जोगापुरा तथा रोवाड़ा आदि कितने ही पंचायत मुख्यालय हैं जिन्हें सड़क से जोड़ा नहीं गया है उन्हें डामर सड़क से जोडा जाय। शिवगंज तहसील के गांव बादला, गोडाना, कैराल, दोनों लखामावास, मोचाल, तलेटा, वाडका, सगालिया वारेबड़ा आदि अनेकों ऐसे गांव हैं जिसमें सड़कों की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इन गांवों में आम वाहन तो क्या फोर व्हील गाड़ी भी नहीं जा सकती है। संयोग से इन गांवों में यदि कोई व्यक्ति अथवा कोई गर्भवती महिला गम्भीर रूप से बीमार हो जाय तो आवागमन के साधनों के अभाव में रोगी को केवल भगवान भरोसे ही रहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानती हूं कि सारी सड़कें डामर से जोड़ना सम्भव नहीं होगा परन्तु उपरोक्त गावों की सड़कों को यदि ग्रेवल रोड़ से भी जोड़ दिया जाय तो गांव के ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा तो मिलेगी ही साथ ही गांव के काश्तकार को अपनी उपज मण्डी आदि में ले जाने की सुविधा मिलेगी। साथ ही गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष आयी बाढ़ के कारण भी इन गांवों के रास्ते पूर्णतया खराब हो चुके हैं। अतः इन गांवों की समस्या पर ध्यान देकर ग्रेवल सड़कों से जोड़ने की योजना बनायी जाय। ग्राम पंचायत ओड़ा गांव में जाने वाला रास्ता तथा पुलियां पिछली बाढ़ के कारण पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं परन्तु इस रास्ते को जोड़ने के लिए ग्रामवासियों द्वारा तथा स्वयं मेरे द्वारा सैकड़ों बार लिखित एवम् मौखिक रूप से अनुरोध करने पर भी इस रास्ते को ठीक करवाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हूं कि उपरोक्त समस्त ग्रामों की समस्यों की ओर ध्यान देकर इन सभी सड़कों को बनाने की व्यवस्था की जावे।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय गोपालसिंह (अनुपस्थित)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

### ग्राम नायला में चिकित्सा सुविधा का अभाव

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जमवारामगढ़ तहसील के सबसे बड़े कस्बे नायला में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव व उस अभाव को दूर करने की आवश्यकता की ओर मै आपके माध्यम

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

सन् 1977 से पूर्व नायला ग्राम में पब्लिक हैल्थ सेण्टर था। आपातकाल में उसे भानपुर कलाँ शिफ्ट कर दिया गया था और वह उस समय की राजनीति थी नायला में मात्र रूरल प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चिकित्सक छात्रों को ग्रामीण लाभव देने के लिए वहां प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। यह प्रशिक्षार्थी छात्र एक बजे के बाद शहर आ जाते हैं तब उसके बाद वहां मेडिकल ऐड की आवश्यकता हो तो वह नहीं बल्कि प्राथमिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। पिछले दिनों शहर तक आते-आते कई बीमारों ने दम तोड़ दिया है इसमें मेरे पूर्व सरपंच के भाई के लड़के तक शामिल हैं। यहां पर आसपास की लगभग पन्द्रह पंचायतों के लोग प्रतिदिन आते जाते हैं और यह नायला ही मुख्य आगरा रोड से जमवा रामगढ़ तक से पहले सबसे बड़ा कस्बा है। चालीस पचास गांवों को यहां से चिकित्सा सुविधा दी जा सकती है। ग्राम नायला में जहां यदि चिकित्सा सुविधा डिस्पेंसरी से दी जाय तो तीन चौक की हवेली व पचास कमरों व बड़े हाल वहां के स्टाफ के लिए, डाक्टर्स कम्पाउण्डर और हेल्पर उन सबको पर्याप्त सुविधा के पश्चात् भी सुविधा बची रहती है। इस अभाव की पूर्ति तत्काल की जानी चाहिए। ग्रामवासी बेहद परेशान हैं महिला चिकित्सक, दाई, सहायक व पुरुष चिकित्सक कुल मिलाकर पी. एच. सी. नहीं तो डिस्पेंसरी तो खोली जाये। अन्यथा उन्हें जयपुर के अस्पतालों में आकर धक्के खाने पड़ते हैं। अभी जो चिकित्सक प्रशिक्षण केन्द्र में लगा है वह कृपा करके एक बजे तक उन्हें देख लेते है दवाई आदि की पर्ची लिख देते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वह भी एडहॉक है और 10 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। इन परिस्थितियों में मेरे यहां की जनता में भयंकर असंतोष है। मुझे आशा है कि आप इन की सुविधा के लिए तात्कालिक रूप से निर्णय लेंगे और यहां पर यह भी मुझे बतायेंगे कि क्या चिकित्सा सुविधा आप वहां पर उपलब्ध करा पायेंगे ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : जमवा रामगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने इसी स्थान का जिक्र अपने बजट भाषण में भी किया था। मैंने उसी समय जानकारी ली थी आज भी 295 के प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव रखा है। मैं आपके माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पब्लिक हैल्थ सेण्टर तो नहीं था प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खोलने की बात थी। डिस्पेंसरी तो नहीं इस बजट में हम प्राइमरी हेल्थ सेण्टर वहां बना रहे हैं।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं अब की बात नहीं कर रही थी। पब्लिक हैल्थ सेण्टर वहां 77 से पहले चालू था। (व्यवधान) बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा करने के लिए सोचिए।

**श्री अध्यक्ष :** आप क्या बात कर रही हैं। आपकी डिस्पेंसरी खुल गयी ना। श्री मदनलाल सैनी।

**डार्क जोन के पीड़ित क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाने बाबत।**

**श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में डार्क जोन से पीड़ित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र गुढा (झुंझुनूं) से आता हूं मेरा विधान सभा क्षेत्र पंचायत समिति उदयपुरवाटी पिछले वर्षों से डार्क जोन की पीड़ा से पीड़ित है। क्षेत्र का तीसरा भाग पहाड़ी भू-भाग है भूमि का बहुत बड़ा भाग पथरीला भाग है। सारे वर्ष भर पानी नहीं होने के कारण सारी कृषि वर्षा के पानी पर निर्भर रहती है। कोई समय था जब उदयपुरवाटी झुंझुनूं जिले का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था भूमि भी बड़ी उपजाऊ थी किसानों की माली हालत ठीक थी। अच्छे कृषि उत्पादन के कारण व्यापार भी अपनी अच्छी स्थिति में था। इस क्षेत्र का व्यापारी कलकत्ता, बम्बई, आसाम तथा प्रदेश के बाहर जाने की इच्छा नहीं रखता था और अपने यहीं पर रहकर कार्य करता था। तहसील में लम्बे चौड़े भवन इस बात का परिचय देते हैं कि यह क्षेत्र धन धान्य से सम्पन्न होगा। वर्षा समय पर होती थी, मेहनती किसान व व्यापारी के कारण जनता को रोजगार की कठिनाइयां नहीं थी। धीरे धीरे वर्षा की कमी होने लगी। इस कमी के कारण न केवल किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है अपितु व्यापारियों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। व्यापारी गांव छोड़कर अध्यक्ष महोदय, कलकता, बम्बई, सूरत, मद्रास व प्रान्त के बाहर जाने को मजबूर हो गया है बेकारी के कारण हजारों नवयुवक त्रस्त हैं और काम की तलाश में इधर-उधर दौड़ लगा रहे हैं पर जब कहीं पर कार्य के आसार नहीं हो रहे हैं तो बाहर जाने को मजबूर हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कभी इस क्षेत्र के कृषि विकास पर ध्यान नहीं दिया। यदि सम्यक रूप से ध्यान दिया जाता तो न केवल किसानों की खाली हालत ठीक रहती अपितु व्यापार की अभिवृद्धि होती। व्यापार तथा खेती पर हजारों बेकार नवयुवकों को कार्य मिलता है। बेकारी समाप्त हो जाती पर दुर्भाग्य रहा, मेरे क्षेत्र की जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्रीजी एवं उद्योग मन्त्रीजी का 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में पहाड़ों से नदी नाले निकल कर मैदानी भू-भाग पर मिट्टी लाकर जमा कर देते हैं। भूमि पर कटाव करते हैं लाखों रुपयों की फसलों को प्रतिवर्ष, चौपट कर डालते हैं। छापोली पंचायत समिति के क्षेत्रान्तर्गत अड़डूसा नाले पर, नाहरवाड़ी के पास नाले पर स्यामीहाता गिराड़ी नाले पर, पकोड़ी

(श्री मदनलाल सैनी)

प्याऊ तथा गिरधारी लाल के कुए के पास घाटी हाली की ढाणी में कालामाटा की ढाणी के पास उदयपुरवाटी नदी के एनीकट को ऊपर करना, कोट उदयपुर के कंकड़ा पर हमीरपुर दक्षिण के नाले के ऊपर आदि उपरोक्त स्थानों पर एनीकटों का निर्माण तथा भण्डावेरा बांध जो छापरोली भांडावेरा की सीमा पर स्थित है तो वर्षों से अधूरा पड़ा है। पांच वर्ष से काफी पैसा लगा हुआ है केवल चौथा भाग अधूरा पड़ा है उसे पूरा किया जाय।

खेतुडिया नाला तथा डंडा नाला पर जो हजारों बीघा भूमि पर मिट्टी लाकर सिंचाई की भूमि पर डाल देते हैं उस पर बांध बनाया जाना बहुत जरूरी है। खो बांध मणकसास तथा बागोली का मोजेड़ा बांध जो अधूरा पड़ा है। यह बांध काफी बड़ा और अच्छी स्थिति में है और काफी काम वहां हो चुका है।

थोड़ा काम होना बाकी है। इसको आरम्भ किया जाय तथा नवरी, गुढा, काकरायण आदि पंचायतों में जांच कर बांध तथा एनीकटों का निर्माण करवाया जाय। इन नदी नालों पर एनीकट बांध बनाये जाने से न केवल जल स्तर ऊपर उठेगा अपितु गिरते जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। किसानों को पानी मिलेगा, फसल अच्छी होगी, व्यापार की अभिवृद्धि होने से किसानों को होने वाली लाखों रुपयों की हानि से बचाया जा सकेगा। मैं पिछले विधान सभा सत्र में 295 के अन्तर्गत बांधों एवं एनीकट का मामला उठा चुका हूं पर भू-संरक्षण विभाग एवं सिंचाई विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह बड़ा ही दुख का विषय है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप पढ़ क्या रहे हैं? यह आपका समाप्त हो गया है।

**श्री मदनलाल सैनी** : जी वही पढ़ रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : इसमें नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं।

**श्री मदनलाल सैनी** : दूसरा पेज है शायद एक पेज दायें-बायें हो गया होगा।

**श्री अध्यक्ष** : अच्छा पढ़िये।

**श्री मदनलाल सैनी** : मान्यवर, इस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। मैं 295 के तहत डार्क जोन तो तोड़ने की मांग करता हूं जब डार्क जोन की सुविधा कृषि कार्यों पर नहीं दी जाती है तो बांधों एवं एनीकट बनाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करावें तथा नदी नालों से हो रही हानि को रोकें।

मान्यवर, अन्त में मैं माननीय कृषि मन्त्रीजी महोदय से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर वे अपना जवाब दें कि वे बांधों तथा एनीकटों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवा रहे हैं। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

**छीपा बड़ौद में सिंचाई सुविधा**

**श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत छबड़ा बड़ौद, जो

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

क्षेत्र बारानी है और भगवान की बरसात पर ही निर्भर है, उस क्षेत्र की सिंचाई सुविधा के बाबत मैं निवेदन करूंगा। छबड़ा क्षेत्र में छः नदियां बहती हैं–पार्वती, अंधेरी, थंतली, रैतली, ल्हासी व परवन। इनका सारा पानी बेकार बह जाता है और वहां की धरती प्यासी रह जाती है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी जब 1977 में छबड़ा से चुनकर आये, तब उन नदियों के पानी का सर्वे हुआ और सिंचाई की योजनाएं बनीं। आज फिर अवसर आया है। सरकार भी पिछड़े को पहले के सिद्धांत पर काम कर रही है और अब जरूरी हो गया है कि उस क्षेत्र की धरती को पानी मिले। अभी बैंतली और ल्हासी दोनों योजनाओं, जो सरकार द्वारा 4-11-83 को केन्द्रीय जल आयोग को भेजी थी वह 17-12-85 को केन्द्र ने पास करके आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के निर्देश भी दिये हैं और सरकार उन दोनों योजनाओं को आठवीं योजना में शामिल कर रही है। मेरा निवेदन है कि उनको अगले वर्ष ही बजट देकर काम चालू किया जाय ताकि वहां के गरीब किसान उसका लाभ उठा सकें तथा अपनी पैदावार बढ़ाकर राजस्थान के विकास में भागीदार बन सकें।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसी वर्ष उतावली व फलिया, दोनोंलघु सिंचाई योजनाएं शुरू करवाई हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा कराया जावे तथा हिंगलौट योजना, जो केवल मध्य प्रदेश से वार्ता के लिये पड़ी है, केवल 70 बीघा जमीन मध्य प्रदेश की आती है, अतः उनसे वार्ता करके हिंगलोट की स्वीकृति दिलाई जाय।

अन्धेरी पार्वती को मिलाकर मूलजिया के पास जल संग्रह क्षेत्र की योजना का भी सर्वे कराया गया था। सन् 1978-79 में अन्य छोटी योजनाएं भी विचाराधीन थीं उनमें तीतरखेड़ी लिफ्ट, जो पार्वती पर है, 2000 बीघा जमीन पर सिंचाई हो सकती है तथा गुगोर व मूंडक्या तथा पुकदेदी से भी इतनी ही सिंचाई हो सकती है। अतः इन लिफ्टों को चालू कराया जावे। इनसे 8000 बीघा जमीन सिंचित हो सकती है।

इसके साथ लघु सिंचाई के तालाब, एनीकट खूजरिया, सेतकातू लूमड़ा जाता हान्याहेडी का भी सर्वे हुआ। उन्हें भी इसी वर्ष प्रारम्भ करना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि उक्त सिंचाई कार्यों की पूर्ति होने से छबड़ा छीपा बड़ौद की पूरी जमीन तथा अटरू की भी कुछ जमीन सिंचित होगी। गरीब किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी पैदावार बढ़ने का लाभ उठा सकेंगे। मेरा निवेदन है कि इन छः नदियों के पानी को बेकार न जाने दें, इन 5 बड़ी नदियों के पानी का उपभोग कर छबड़ा का नाम सार्थक करें।

**श्री अध्यक्ष :** श्री महावीर प्रसाद जैन।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विषय प्रस्तुत कर रहा हूं।

### नीम हकीमों द्वारा इलाज

महोदय, नीम हकीम भोले-भाले ग्रामीणों

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

के जीवन के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं बल्कि अब तो नीम हकीम को राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय के आयुर्वेद चिकित्सालय को बाकायदा सौंप कर के बुद्धिजीवियों की नब्जों को भी नीम हकीम को पकड़वा दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में गत कई वर्षों से जंगल राज की सी स्थिति पैदा हो गई है और प्रशासन की ऊटपटांग सोच के कारण गत तीन-चार वर्षों से शनैः-शनैः नीम हकीम की घुसपैठ करवा दी है। इससे जहां एक ओर विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवियों एवं उनके आश्रितों का आयुर्वेद जैसी पूर्ण राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति से मुंह मोड़ना पड़ा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एम. डी. आयुर्वेद की उच्च व स्नातकोत्तर डिग्री व स्वर्ण पदक प्राप्त युवा चिकित्सकों में भी नीम हकीम को प्रश्रय देने से भारी रोष उत्पन्न हो गया है और इस रोष की परिणति किसी भी समय विस्फोटक स्थिति में पहुंच सकती है। उच्च योग्यता व प्रतिभा सम्पन्न युवा चिकित्सकों के संगठन राजस्थान आयुर्वेद स्नातकोत्तर परिषद् ने आयुर्वेद राज्य मन्त्री, राजस्थान सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रमुख उप कुलपति से लेकर नीचे के अधिकारी तक नीम हकीम के हाथ में बुद्धिजीवियों की किसी भी वक्त, किसी के भी जीवन के साथ प्राणघाती घटना घटने की शोचनीय स्थिति के प्रति अपना असंतोष प्रकट कर देने पर भी कोई कार्यवाही न होने से जन-आन्दोलन की रूपरेखा पर गम्भीरता से विचार करने की जानकारी मिली है।

जब राज्य सेवा से प्रतिनियुक्त वैद्य 'अ' श्रेणी का कार्यकाल (प्रतिनियुक्ति का) समाप्त हो गया तो राज्य सरकार ने एक अन्य उच्च योग्यताधारी व अनुभवी वैद्य को प्रतिनियुक्ति पर भेजा। विश्वविद्यालय ने नीम हकीम के लिये नई प्रतिनियुक्ति का खतरा न मानकर पूर्व प्रतिनियुक्ति वैद्य को ही नीम हकीम को संरक्षण दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार की प्रतिनियुक्ति को अपने स्तर पर ही नकार दिया और कार्यकाल समाप्त होने के छह माह बाद पूर्व प्रतिनियुक्त वैद्य राजनारायण को ही लगातार रखने की सिफारिश कर दी। इस ही बीच विश्वविद्यालय में आयुर्वेद प्रतिभाओं को गुमराह करने की दृष्टि से वैद्य ग्रेड 'ए' के पद को भरने हेतु विज्ञापन निकाल दिया। सैकड़ों प्रार्थना-पत्र आये, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से स्क्रूटिनी करवाई गई। उन्होंने भी नीम हकीम की डिग्री को मान्यता न देकर चयन हेतु जिन आशार्थियों की सूची बनाई गई। उसमें नीम हकीम को नहीं रखा। विश्वविद्यालय ने आखिर एक साल धींगा-मस्ती में ही निकाल दिया और प्रार्थना-पत्रों को दूसरी बार फिर बस्ता-ए-खामोश में बांधकर रख दिया। इसी बीच प्रतिनियुक्त वैद्य का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। राज्य सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के बाद इससे ज्यादा प्रतिनियुक्त वैद्य को प्रतिनियुक्ति पर रखना उचित न मानकर तुरन्त प्रभाव से प्रतिनियुक्त वैद्य को कार्यमुक्त करने के आदेश भी भेज दिये लेकिन विश्वविद्यालय ने कार्यकाल समाप्त होने के तीन माह बाद तक भी बिना समयावधि बढ़ाये अवैध रूप से वैद्य को रोके रखा और वैद्य भी रुका रहा।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विश्वविद्यालय ने पुनः तीसरी बार दिनांक 5 नवम्बर, 1990 को वैद्य 'अ' श्रेणी के पद को भरने हेतु विज्ञापन निकाला जो प्रतिभाओं को गुमराह करने व नीम हकीम को अपरोक्ष रूप से संरक्षण देने की कुटिल चाल चल रही थी। वर्तमान कुलपति जो जंगलराज के पूर्ववत अधिष्ठाता हैं, ने नीम हकीम को आयुर्वेद चिकित्सालय का पूर्णकालिक प्रभारी बना दिया व चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के लिये खुली छूट दे दी। यह सब बाकायदा लिखित आदेश से किया गया है। बहाना यह लिया गया कि हम अपना ही चयन कर लेंगे। प्रतिनियुक्ति पर नहीं लेंगे और इस स्थिति में चयन पूर्ववत नहीं करवा कर नीम हकीम को ही काम करते रखने होंगे।

जहां राज्य सरकार एक ओर नीम हकीमों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, वहां विश्वविद्यालय बाकायदा खुले रूप से नीम हकीम को प्रश्रय देकर बुद्धिजीवियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एवं राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की अवहेलना हो रही है। यदि नीम हकीम के अनाड़ीपन से किसी के भी जीवन को खतरा पैदा हो गया तो यह सरकार के माथे पर खतरे की घण्टी की आवाज कानों में आती रहने के बावजूद भी सचेत न होने से डर है। विश्वविद्यालय के जिन अधिकारियों के कारण से यह स्थिति पैदा हुई है, उनके खिलाफ कारगर कार्यवाही करने की जरुरत है। अन्यथा, जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। यह समय रहते अपने आप में चेतावनी है। आयुर्वेद राज्य मंत्रीजी भी सारी स्थिति से अवगत हैं। अतः आयुर्वेद मंत्रीजी, इस पर कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोपाल सिंह जी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

**श्री जोगेश्वर गर्ग** (राज्यमंत्री, आयुर्वेद) : मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि वैद्य राज नारायण को 3 साल पहले राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के निवेदन पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा था दो साल के लिये। दो साल पूरे होने पर सरकार ने उनको लिखा कि वैद्य को मुक्त करो। तो विश्वविद्यालय ने लिखा है कि आप छह महीनें लिये एक्सटेंशन दे दो इनको। इस पीरियड में हम स्वतन्त्र रूप से नई नियुक्ति करके यह पद भर लेंगे। वह 6 महीने पूरे हो गये; फिर 6 महीने पूरे होने पर हमने वापस रिमाइण्डर दिया कि कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको कार्यमुक्त करें लेकिन उन्होंने फिर 6 महीने बढाने के लिए लिखा है, तब हमने सरकार ने उनको यह लिखा कि इस व्यक्ति को तीन साल हो गये हैं, आपके यहां पर इसलिए अब इनको यहां रखना हम उचित नहीं समझते, विभाग की तरफ से इसलिए इनको कार्य मुक्त करें और आपको और अधिक समय तक वैद्य चाहिये तो हम आप को दूसरा कोई नाम बता देते हैं. आप उनको रख लीजिए। दूसरे किसी नाम पर वह सहमत नहीं हुए तो हमने उनको दो नाम का पैनल बनाकर भेजा कि इन दोनों में से किसी को भी चूज कर लें जिसको आप सूटेबल समझें, लेकिन उससे जो पहले लगा हुआ था उसको तो उन्होंने उस आदेश

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

पर रिलीव कर दिया लेकिन अभी तक दूसरे किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की सहमति नहीं भेजी है। अब माननीय सदस्य ने यह बात ध्यान में लाई है कि उन्होंने उनमें से किसी को स्वीकार करने के बजाय किसी अपने साहब को ही जो शायद वहां पर क्लर्क है, यू.डी.सी. है, एल. डी. सी. है और शायद और.एम.पी. भी हो सकता है, तो उसको वह कार्य भार सौंप दिया है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** जो योग्य नहीं है।

**श्री जोगेश्वर गर्ग :** जो योग्य नहीं है, तो यह मामला बहुत गम्भीर है और चूंकि विश्वविद्यालय आटोनोमस बॉडी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करवायें तो ज्यादा बैटर होगा।

**श्री अध्यक्ष :** श्री गोपालसिंहजी।

**भूमि पर कर एवं सरचार्ज**

**श्री गोपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाने बाबत राजस्थान सरकार की मंशा भूमि पर कर लगाने के अलावा सरचार्ज लगाने की इसीलिए थी जिससे कि ज्यादा भूमि रखने की काश्तकारों की वृत्ति को रोका जा सके। यह कायदा इसीलिए लागू किया गया था जब कि राजस्थान लैण्ड सीलिंग का एक्ट लागू नहीं हुआ था और उसके पश्चात् लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू भी हो गया और राजस्थान में अब कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं रह गया जिसके पास कानूनन जमीन 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से ज्यादा रही हो। अभी हाल ही में हमारे पश्चिमी राजस्थान में रिसैटलमैंट हुआ है और खेतों का ज्यादातर लगभग 6 से 8 गुना बढ़ा दिया गया है। जब सरचार्ज किया गया था उस समय भूमि लगान बहुत कम था इसलिए सरचार्ज उन्हीं काश्तकारों से वसूल किया जाता था जिन का लगान 75 रुपये से ज्यादा पड़ता था।

चूंकि लैण्ड सीलिंग एक्ट लागू हो चुका है इसलिए राज्य सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि अब सरचार्ज की वसूली पूर्णतया बन्द कर दी जाय क्योंकि अब कोई भी काश्तकार 30 स्टैण्डर्ड एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता है अतः सरकार की मन्शा किसी एक काश्तकार के पास ज्यादा जमीन नहीं रख सकने की पूरी हो चुकी है इसलिए मेरी सरचार्ज पूरी तरह से हटा देने की मांग न्याय संगत ही है। अगर किसी वजह से सरकार सरचार्ज को नहीं हटाना चाहती है तो जिस अनुपात में जहां लगान रिसैटलमैंट के पश्चात् जितना बढ़ा है उसी अनुपात में वहां के सरचार्ज की दर भी बढ़ा दी जायें तब भी बहुत सारे छोटे काश्तकारों को काफी राहत मिल जावेगी। मेरा राज्य सरकार को सुझाव है कि अब 75 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 650 रुपये की सीमा तक बढ़ाया जाय तो उचित रहेगा। मेरी विशेष मांग है कि राज्य सरकार इसी सत्र में या तो सरचार्ज पूरी तरह से माफ करने की घोषणा करें और काश्तकारों को राहत पहुंचावे वरना कम से कम 75 की सीमा को बढ़ाकर कम से कम रुपये 650 तक कर दिया जावे।

(श्री गोपाल सिंह)

माननीय राजस्व मन्त्री महोदय स्वयं काश्तकार है और मेरे कथन को वे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं लिहाजा जल्द ही सत्रावसान से पहले ही यह घोषणा की जावे तो उत्तम रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री भंवरलाल शर्मा, श्रीमती रमा पायलट, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, कोटा नगर न्यास गुमानपुरा थाने के समीप स्थिति भूमि पर अवैध व्यवसायिक निर्माण करने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि इसमें मेरे पास 13 नाम आये हुए हैं, तो माननीय सदस्य केवल सवाल करेंगे, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बजट पर बहस में 9 नाम आये हैं, मेरे पास तो इसलिए 4 बजे जवाब होगा। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी को साढ़े दस घंटा दिया था, उसमें 6 घंटे लगे 24 मिनट लगे हैं, कांग्रेस को 6 घंटे दिये गये हैं, वह 6 घंटे पूरे हो गये, जनता दल को 3 घंटे 20 मिनट दिये गये थे, 3 घंटे 56 मिनट पूरे हो गये, जनता दल ग्रुप विधायक को 3 घंटे दिये थे, 36 मिनट हुए हैं सी. पी. एम. को 10 मिनट दिये थे, 20 मिनट हुए हैं, निर्दलीय को 1 घंटा दिया था, 38 मिनट हुए हैं। उसके बावजूद मेरे पास 9 नाम आये हैं और मैं समझता हूं कि....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : एक ही है।

**श्री अध्यक्ष** : आपका एक ही है, लेकिन मैं समझता हूं यदि आप एकोमिडेट करेंगे तो इन लोगों को बोलने का मौका मिल जायेगा और आप एकोमडेट नहीं करेंगे तो फिर यह नहीं बोल पायेंगे। इसलिए दो मिनट से अधिक समय नहीं लें और सीधे प्रश्न करें। माननीय जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जो फैक्ट नरेट होने से रह गये, कम से कम वह तो हम कह सकें, इतनी तो आप इजाजत दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : देखिये, आप सवाल के माध्यम से फैक्ट कह सकते हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नहीं, सवाल के माध्यम से फैक्ट कैसे नरेट हो पायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आपको सवाल पूछने का अधिकार है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सवाल के माध्यम से फैक्ट नरेट नहीं हो पायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप जानते हैं। खैर, आप शुरू कीजिए जनार्दनसिंह जी।

**ध्यानाकर्षण प्रस्ताव**

**कोटा नगर न्यास के गुमानपुरा क्षेत्र में अवैध व्यवसायिक निर्माण**

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन संबंधी नियम की धारा 131 के अन्तर्गत स्वायत्त

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा नगर–न्यास के समीप स्थित भूमि पर 6 व्यक्तियों को....

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष** : हां, दे रहे हैं, तो इस तरह से ध्यान ही आकर्षित कर रहे हैं।

**श्री हीरासिंह चौहान** : नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष** : यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं गुमानपुरा थाने के समीप स्थित जिन 6 व्यक्तियों को, जिसमें श्री सुभाष अग्रवाल, श्रीमती राजरानी अग्रवाल, श्रीमती चित्रा जैन, श्री ललित जैन, श्रीमती रजनी अग्रवाल श्री दिनेश अग्रवाल, आदि हैं की जमीनों का रेगुलराइजेशन किया गया 18 रुपये प्रति वर्ग गज जमीन का, यह जमीन 14 हजार 3 सौ वर्ग फुट है। अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : अब आप पहले मंत्रीजी को सुन लीजिए उसके बाद आप सवाल पूछना। माननीय मंत्रीजी।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : गोलमोल होगा। बिना फैक्ट नैरेट हुए। फैक्ट तो नैरेट होने दें।

**श्री अध्यक्ष** : यदि गोलमोल होगा तो मैं आपको मौका दूंगा।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : फैक्ट तो नैरेट होने दीजिए पहले।

**श्री अध्यक्ष** : हां, फैक्ट ही आ रहे हैं, सुनिये।

**डा. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय, मामला क्या है यह तो स्पष्ट हो जाए।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुन लीजिए, मामला क्या है, आ रहा है मामला, आपको कोई भी शंका रहे तो बोलना। आप एन्टीसिपेट क्यों करते हैं? यदि नहीं होता है, फिर यदि कमी रहे तो बताना आप। हां, बिराजिये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : इसकी जहां दर है, मान्यवर, 18 रुपये में बेचा गया वहां गोलमोल तो होगा ही।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सुमित्रा जी, अब आप मेरे से बहस ...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : जहां दर है....

**श्री अध्यक्ष** : सुमित्रा जी, प्लीज। मंत्री महोदय। हां, मंत्रीजी बोलिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में गुमानपुरा थाने के समीप स्थित भूखण्ड पर मुसम्मी नूरा, बेटी नूर मोहम्मद काबिज थी। इसके पश्चात् उसने इस भूखण्ड को 40 रुपये कलदार लेकर श्री बुक्की खां, वल्द सबरासी को बेचान कर दिया। श्री बुक्की खां ने अपनी सक्रिय 70 वर्ष की आयु में इस भूखण्ड को आज से लगभग 52 वर्ष पूर्व श्री नत्थी खां के पक्ष में वसीयत कर दी। उक्त वसीयत-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

नामा, पिटीशन पेपर नम्बर 3, 32, 260-05 कोटा स्टेट में दिनांक 2--11--38 को लिखा, जिसके निष्पादन पर किसी प्रकार का सन्देश नहीं हो सकता। श्री नत्थी खां की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त सम्पत्ति उसके 4 लड़के सर्व श्री बुन्दु खां, बाबू खां, मुश्ताक अली व जाकिर हुसैन के वारिसान स्वामी बने। श्री बुन्दू खां ने दिनांक.... (व्यवधान)

अक़लमन्द को इशारा ही काफी होता है। (व्यवधान)

(2 . 00 म. प.)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सुमित्रा जी, बहुत सारी बातें स्लिप ऑफ टंग में निकल जाती हैं, इस पर बहस का विषय नहीं बनता है। एक बहुत सामान्य बात है जिस पर बहस होती नहीं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : 31--1--1984 को नगर परिषद् से उस पर निर्माण की स्वीकृति चाही जो उसे नगर परिषद् ने दिनांक 19--1--1987 को प्रदान कर दी। इस प्रकार की स्वीकृति नगर परिषद् पूर्व संतुष्टि के पश्चात् ही जारी करती है। तत्पश्चात् इन चारों लड़कों ने उक्त भूखण्ड निम्न व्यक्तियों को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दिया, जो माननीय सदस्य ने कहा वह नाम है इसमें। श्रीमती चित्रा जैन, ललित जैन, श्रीमती रजनी, श्री दिनेश, श्री सुभाष और श्रीमती राजरानी। क्रेताओं ने अपनी योजनानुसार नगर परिषद् से भवन निर्माण की पुनः स्वीकृति मांगी। जिस पर नगर परिषद् ने जरिये उजरदारी नोटिस जारी कर 7 दिवस में आपत्तियां आमंत्रित कीं। किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार फीस आदि लेकर भवन निर्माण की स्वीकृति नगर परिषद् द्वारा जारी की गई एवं 4 क्रेताओं ने लगभग 15 लाख रुपए का निर्माण कार्य मौके पर करवा लिया। तत्पश्चात् नगर विकास न्यास, कोटा के तहसीलदार ने उक्त निर्माण पर आपत्ति उठाई एवं क्रेताओं का अनधिकृत कब्जा मानते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का नोटिस दिया। क्रेताओं ने इसके विरुद्ध सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया तो न्यास ने दिनांक 28-29 जून, 89 को क्रेताओं के मकान में जाने की मुख्य सड़क पर 40 × 4 फीट की एक दीवार खड़ी कर दी, 40 फीट लम्बी और 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी ताकि न तो कोई अन्दर जा सके और न कोई सामान निकाल सके और साथ ही पीछे की तरफ फेन्सिग कर दी, तारों से फेन्सिंग कर दी ताकि उस भवन में कोई जा सके और न कोई आ सके।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : स्टेटस को कायम रखते हुए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : छत दीवार नहीं थी न पीछे तार थे। आप खुद समझ लें। मैं तो तथ्य बता रहा हूं।

क्रेतागण ने इस कार्यवाही के विरुद्ध जिलाधीश, जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष भी थे, के समक्ष 'उक्त रास्ता खुलवाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और न्यास की ओर से एक समझौता करने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

की मांग की गई। जिसमें डेढ़ सौ रुपए प्रति फीट की दर से उक्त भू-खण्ड देना अंकित था। प्रार्थीगण को यह आभास कराया गया कि समझौता न करने पर, फौजदारी मामला बनाने, निर्माण को ध्वस्त करने एवं उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का भयभीत होना स्वाभाविक था और विवश होकर उक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस समझौते में यह भी एक शर्त थी कि यह समझौता अध्यक्ष महोदय और न्यास मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा और तत्पश्चात् ही यह मान्य होगा। न्यास मण्डल ने इस समझौते के प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रार्थीगण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने तत्कालीन राजस्व मंत्री जी को न्यास की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने तत्कालीन नगरीय विकास मंत्रीजी को इस टिप्पणी के साथ प्रेषित किया कि न्यास की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से सही नहीं है तथा उन्हें न्याय दिलवाया जाए। मंत्री महोदय श्री नरपतरामजी बरबड़ साहब थे। इस तरह से प्रतिवेदन की सुनवाई की गई....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** यह नाम आपने बताया यह जवाब में नाम लिखा हुआ है क्या ?

**श्री भंवरलाल शर्मा :** मैंने बता दिया आपको।

**श्री रामेश्वरदयाल यादव :** अच्छा है, जानकारी मिल गई।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आपने शुरू में ही कह दिया था ना।

इस प्रतिवेदन की सुनवाई की गई जिसमें सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा एवं अन्य पक्षकार उपस्थित हुए। समस्त मामले के अवलोकन से निम्नलिखित वस्तु स्थिति पाई गई। सन् 1938 में सम्पादित वसीयतनामे पर सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी मुलतजा भूखण्ड पर वर्ष 1938 से पूर्व वर्णित लोगों का कब्जा होना सिद्ध है अतः यह सम्पत्ति भी सम्पत्ति थी। वसीयत कोटा स्टेट की पिटिशन पेपर है जिस पर सन्देह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। (2) उपरोक्त आधार पर क्रेताओं द्वारा क्रय करने पर कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। (3) जो समझौता नगर विकास न्यास, कोटा और क्रेताओं के बीच में किया गया उसके सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विचारणीय हैं—नगर परिषद् से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त कर बनाये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का नोटिस दिया जाना, प्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने पर इस निर्माण का उपयोग नहीं हो सके इसके लिये 40 फीट लम्बी और 4 फीट ऊंची दीवार मकानों के सामने खड़ी कर और पीछे तारबन्दी करना; प्रार्थीगण को फौजदारी मामला बनाने और पुलिस कार्यवाही करने, निर्माण को ध्वस्त करने का भय निरन्तर बना रहना, इससे स्पष्ट है कि उक्त समझौता प्रार्थीगण ने स्वेच्छा से न कर दबाव में किया था। साथ ही यह भी पाया गया कि क्रेताओं के मकान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एवं दुकानों के आस-पास इस प्रकार की स्थिति पैदा की गई जिससे कि वे समझौता करने के लिये बाध्य हों।

उक्त प्रकरण में यह पाया गया कि क्रेतागण भू-खण्ड पर काबिज थे तथा उन्हें नगर परिषद् कोटा द्वारा निर्माण की औपचारिक स्वीकृति भी दे दी गई थी तो किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से प्रार्थीगण को बेदखल करना या उनके निर्माण को ध्वस्त करना न्यायोचित नहीं होता। फिर मामले पर गुणावगुण के आधार पर यह उचित पाया गया कि इस मामले को समाप्त किया जाये और नगर विकास न्यास, कोटा को कोई वित्तीय हानि भी नहीं हो एवं क्रेतागण की कोई त्रुटि नहीं होने से यह उचित पाया गया कि इसे नियमित किया जाए। मौके पर रिहायशी निर्माण के स्थान पर व्यावसायिक निर्माण पाये जाने के कारण उनसे व्यावसायिक सुरक्षित दर ली जाकर प्रार्थीगण को न्याय दिलाया जाए।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निर्माण को तोड़ने के लिये जब नोटिस दिया गया तो प्रार्थीगण कोर्ट से जाकर स्टे ले आये और जैसा आप फरमा रहे थे कि वह खुद न तो निर्माण कर सकते थे और न उसको तोड़ा जा सकता था, यथास्थिति बन गई। अब यू. आई. टी. ने उस स्थिति से बचने के लिये और दवाब डालने के लिये क्या किया कि 40 फीट लम्बी और 4 फीट ऊंची जो उनका निर्माण था, जैसे मैं खड़ा हूं उसके आगे 40 फीट लम्बी और 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी....एक मिनट। 4 फीट ऊंची दीवार और पीछे फैन्सिंग मतलब यह हुआ कि न तो वह अन्दर जा सकता था और न बाहर आ सकता था और न उस दीवार को तोड़ सकता था। उस दीवार को तुड़वाने का एक ही तरीका उनके पास था कि वे न्यायालय में जाते और न्यायालय में शायद 20-25 साल तक न्याय नहीं मिलता कि यह दीवार हटे या नहीं हटे। इस परिस्थिति में इतना दवाब उनके ऊपर था जिस कारण से यह समझौता उन्होंने किया और उसके बाद में शिकायत की तो उस समय के तत्कालीन मंत्री महोदय को लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो नहीं होना चाहिये था। यह न्याय मिला है उनको जो न्याय मिलना चाहिये था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : डा. चन्द्रभानजी। आप मंत्री रहे हैं, यू नो दी रूल्स। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 13 नाम हैं, नाम मैं पुकारूंगा फिर आप क्यों जल्दी कर रहे हैं?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है वह तथ्यों को इतना तोरड़-मरोड़ कर, इतने विवादास्पद मामले को जिस ढंग से साधारण तरीके से लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार का जवाब दिया है उस सन्दर्भ में कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 17-1-90 को राजस्थान सर-

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कार के नगरीय एवं आवासन विभाग के लिये मुख्य विधि सहायक ने एक पत्र लिखा सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा को जिसमें लिखा है कि श्रीमती चित्रा जैन एवं अन्य के प्रार्थना-पत्रों की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि आप अपनी टिप्पणी मय पत्रावली के विभाग को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्थिति सदन के सामने पेश करने के बाद अपने आप साफ हो जायेगी कि इसके अन्दर क्या मामला है और क्या घपला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 19-1-90 को सी. दयाल, सचिव, नगर विकास न्यास ने एक पत्र लिखा है मुख्य विधि सहायक को जिसमें लिखा है कि विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि न्यास की भूमि पर प्रार्थी 1 से 6 द्वारा भवन निर्माण के लिये न्यास के तहसीलदार एव अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस जारी कर जवाब तलब कराया गया कि उन्होंने उस भूमि को बुन्दु खां, बब्बू खां, मुस्ताक अली और जाकिर हुसैन के जरिए रजिस्ट्री विक्रय पत्र खरीद लिए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि भूमि इन व्यक्तियों को बुक्की खां से छावनी में दिनांक 2-11-38 को जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। आवेदकों द्वारा उपरोक्त भूमि पर निर्माण कार्य हेतु नगर परिषद, कोटा के निर्णय की स्वीकृति प्राप्त की गई है। तहसीलदार नगर न्यास द्वारा बेदखली के आदेश के विरुद्ध आवेदकों द्वारा न्यायालय में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटा में अपील कर दी गई। जो खारिज किए जाने के पश्चात् अपील अधिकारी के न्यायालय में की गई जहां पर मामला अभी पेण्डिंग है और वहां स्थिति बनाए रखने के आदेश हैं। आवेदकों द्वारा सिविल न्यायालय में यह वाद दायर किया गया। स्टे खारिज होने पर वर्तमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अपील पर कार्यवाही चल रही है जहां से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रसारित किए गए। न्यास द्वारा उपरोक्त कदम लिए जाने पर नगर परिषद, कोटा द्वारा निर्माण की स्वीकृति निरस्त कर दी गई। आवेदकों ने नगर विकास न्यास की उक्त भूमि पर बनाए गए मकानों, दुकानों के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र दिए। किन्तु न्यास के मण्डल की 110वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि आवेदकों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए व इस मामले को अनुभवी वकीलों के माध्यम से न्यास की ओर से अनुबंधित किया जाए तथा न्यास द्वारा प्राथियों को मूल विक्रेताओं के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, इस दौरान आवेदकों द्वारा एक चौथाई राशि धरोहर राशि के रूप में 150 रुपए के हिसाब से जमा कराई गई जिसकी कुल राशि बनती है 4 लाख 63 हजार 125 रुपए। उन्होंने 150 रुपए राशि के हिसाब से चौथाई हिस्सा नगर विकास न्यास को जमा करा दिया और आवेदकों ने कहा कि हम से 150 रुपए में राजीनामा कर लीजिए। उसके बाद, यह रिपोर्ट आने के बाद 4-6-90 को फिर एक पत्र लिख दिया गया उप शासन सचिव

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

को। अध्यक्ष महोदय, जो काफी गम्भीर है, जो इस सरकार की नैतिकता को चुनौती देने वाला पत्र है। इससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि आपके पत्र इतने के तहत जो 2-3-90 को लिखा था उसके अन्तर्गत उपरोक्त विषय में न्यास द्वारा पूर्व में आपके पत्र का जवाब भेजा जाना सम्भव नहीं हो सका चूंकि प्रकरण की मूल पत्रावली राज्य सरकार के विचारार्थ भेजी गई थी। इस समस्त प्रकरण पर न्यास में विचार किया गया एवं निम्न बिन्दु विचारार्थ लिए गए वह। बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। आवेदकों द्वारा खरीदी गई भूमि जिन व्यक्तियों से खरीदी गई है उनका उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। यह नगर विकास न्यास चिट्ठी लिख रहा है गवर्नमेंट को।

दूसरी बात लिख रहा है नगरपालिका को कि इस भूमि पर तामील की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था चूंकि यह भूमि न्यास की थी। मैं माननीय नगर विकास न्यास मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या परकोटे के बाहर जो एरिया नगर विकास न्यास या. जे. डी. ए. का है उसमें नगर परिषद के मन्त्री, आप दोनों के ही हैं लेकिन क्या परकोटे के बाहर जयपुर में आप परमिशन दे सकते हैं क्या? नगर पालिका या नगर परिषद की जो भी स्वीकृति मिली है वह बिल्कुल धोखाधड़ी वाली है क्योंकि उसका क्षेत्र ही नहीं है। नगर विकास न्यास का क्षेत्र था उनका कोई क्षेत्र नहीं था।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आवेदकों द्वारा किया गया निर्माण व्यावसायिक है। यदि न्यास अथवा राज्य सरकार कोई मानवीय दृष्टिकोण लेना भी चाहे तो वह आवासीय भवन प्लाट के लिए हो सकता है। व्यावसायिक भू-खण्डों पर अवैध बेचान कब्जों सम्बन्धी कई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं। अतः यह प्रकरण भी नियमित कर दिया जाता है तो अच्छी परिपाटी नहीं होगी।

चौथी बात, अध्यक्ष महोदय, लिखी है कि गुमानपुरा थाने के पीछे की भूमि पर न्यास द्वारा व्यावसायिक योजना तैयार की गई है जिसमें सड़कों व अन्य विकास कार्यों के निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं। यह व्यावसायिक भूमि बहुत ही मौके की है तथा वहां दुकानों हेतु भूखण्डों की नीलामी किए जाने पर 300 रूपए प्रति वर्ग गज राशि अधिकतम प्राप्त हुई है जिसकी सूची संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही एक बात और कह दूं कि यह पत्र जब आया था जब वहां की कीमत थी 300 रूपए, लेकिन इसका नियमन जिस तरीके से किया है उसके एक महीने बाद वहां पर फिर नीलामी है। मेरे पास तथ्य हैं वह 325 रूपए वर्ग गज पर नीलाम हुई है जो अभी जनवरी में हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बात बड़ी संदिग्ध है मेरी राय में कि सम्बन्धित 6 व्यक्तियों द्वारा सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए उक्त भूमि खरीदी गई है उनके साथ किसी प्रकार की रियायत न्यास या सरकार के हित में नहीं है। आरक्षित दर वसूल करने का

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

राज्य सरकार का विचार पूर्णतया असैद्धान्तिक है। विशेष तौर पर जब कि आरक्षित दर केवल 18 रूपए प्रति वर्ग गज की है जबकि आवेदकों द्वारा पूर्व में न्यास में 150 रूपए प्रति वर्ग गज की दर से राशि जमा कराने की सहमति दी गई है व कुल राशि की चौथाई राशि 4 लाख 63 हजार 125 रूपए न्यास में जमा भी करा दी गई है। अब 18 रूपए प्रति वर्ग गज की दर से, अगर 150 रूपए प्रति वर्ग गज से कम ली जाती है या मन्जूर की जाती है तो प्रशासन पर भ्रष्टाचार व अन्य आरोप लगाने का अवसर प्रदान करने की स्थिति पैदा की जाएगी। विभाग के सचिव ने यह लिखा है कि मेरी राय में वर्तमान दर 300 रूपए प्रति वर्ग गज से कम से उक्त अवैध निर्माण का नियमन नहीं किया जाए एवं नियमन की उक्त दर के अभाव में पचास प्रतिशत शास्ती के रूप में भी वसूल किया जाए ताकि भविष्य में न्यास के साथ धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

इस सम्बन्ध में न्यास की बैठक 8-8-89 में लिए गए निर्णय संख्या 10 का अवलोकन करें। यहां उसके साथ संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं निवेदन कर दूं कि न्यास ने अपनी बैठक नम्बर 110 के अन्दर बहुत साफ लिखा है कि इन 6 व्यक्तियों के लिए, इन व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध निर्माण की कार्यवाही करने के अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार समझौता प्रस्तावित 1-7-89 को इस आशय का किया गया है कि यदि न्यास मण्डल के समझौते को स्वीकार कर लेता है तो 150 रूपए प्रति वर्ग गज की दर से राशि ली जाकर नियमन कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी उठा था कि उस व्यक्ति का नाम न्यास को बताएं स्वयं की भूमि पर इस हेतु 1/4 राशि जन व्यक्तियों द्वारा जमा कराई गई है। पूरे प्रकरण पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अतिक्रमणियों ने अपने साधन सिद्ध करने के लिए सोसायटी की जमीन पर धोखे से सौदा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध न तो इसकी एफ. आई. आर. पुलिस में स्वयं दर्ज कराई है और न ही इसकी सूचना नगर विकास न्यास को दी है जिससे नगर विकास न्यास के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सके। इस मामले में अतिक्रमियों का स्वयं का व्यवहार संदेहजनक रहा है। अतः दोषी व्यक्तियों को समझौता करके न्यास कोई अवैध गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं दे सकता। न्यास के समक्ष प्रस्तुत समझौते का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि न्यास की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। इस मामले में योग्य व अनुभवी वकीलों को न्यास की ओर से अनुबंधित किया जाए। न्यायालय में यह आवेदन पत्र लगाया जाए। इस पर वह प्रति पक्षी पक्षकार पाबन्द करे। वह न्यास की भूमि पर निर्मित अवैध निर्माण का उपरोक्त फैसला नहीं करें तब तक जो राशि जमा कराई भी वह राशि लौटा दी जाए।

**श्री अध्यक्ष** : न्यास ने भी यह अस्वीकार कर दिया इसका मतलब यही है ना

(श्री अध्यक्ष)

कि न्यास ने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : न्यास ने उस समझौते को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इस जमीन को 300 रूपए वर्ग गज की जमीन माना है इसलिए उसको अस्वीकार कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अब सामने आते हैं कि 15-11-90 को राजस्थान सरकार के उप शासन सचिव का पत्र भेजते हैं जो कि बड़े संजीदा, बड़े अनुभवी व्यक्ति का भेजा हुआ है। इसमें बड़े साफ शब्दों में उन्होंने पत्र संख्या 3/90 में 15-11-90 को यह लिखा है कोटा स्थित गुमानपुरा थाने के पास के 6 मकानों को नियमित करने हेतु। उपरोक्त विषय में लेख है कि इस प्रकरण में, निर्देशानुसार अब किसके निर्देश से यह हमको मालूम नहीं है। प्रकरण प्रार्थियों का भवन निर्माण में कोई दोष नहीं है। इस सारे जवाब के बाद में यह कह रहे हैं कि कोई दोष नहीं है। इन प्रार्थियों ने केवल आवासीय भूखण्ड के बजाए व्यावसायिक भू-खण्ड का निर्माण किया है जो अनुचित है। अतः राज्य सरकार ने निर्णय दिया है कि उपरोक्त अनियमितताओं के लिए प्रार्थीगण से उस विषय की व्यावसायिक आरक्षित दर वसूल की जाकर इस प्रकरण में नियमित कर दिया जाए। मैं कहता हूं आज चाहे किसी भी तरफ बैठने वाला व्यक्ति हो ऐसा निर्णय शायद राजस्थान के अन्दर कोई भी मन्त्री, अध्यक्ष महोदय, आप भी उस कुर्सी पर बैठे होते तो आपकी भी कलम शायद नहीं चल पाती क्योंकि यह इतना बड़ा मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : मैं वकील हूं इसलिए वकील की दृष्टि से देखता। (व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जवाब इनका गया। अब मैं सदन को बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पत्र में न तो पैसे लिखे गये, आरक्षित वर्ड लिख दिया और 18 रूपये वर्ग गज के अन्दर जमीन 14 हजार 3 सौ वर्ग फुट है उसके हिसाब से 18 रूपये में कर दी। अध्यक्ष महोदय, 150 रूपये रूपये गज की राशि, जो जमीन लेने वाले ने समझौता किया था उसके हिसाब से भी लिया जाता तो 18 लाख 52 हजार कीमत है....

**श्री अध्यक्ष** : जनार्दनसिंह जी, जो वक्तव्य है, आप जनरल डिमाण्ड्स पर बाद में कहना। स्टेम्प्ड् हैं वह नम्बर्ड हैं। सन 1938का है यानि आज के 52 साल पहले का है। उसके बाद उत्तरोत्तर ट्रांसफर हुये हैं तो केवल रूपयों का ही महत्वपूर्ण है या किसी व्यक्ति का राइट भी है, उस जमीन का मालिक भी है ? उस पर पूछिये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आपको मौका नहीं दिया। (व्यवधान)

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले एक बात कहना चाहूंगा।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

150 रुपये वर्ग गज के जो लोग अपने आप स्वेच्छा से पैसे जमा करावें, न्यास में आये अगर उसके आधार पर भी पैसे लेते तो 18 लाख 52 हजार की जमीन होती। और न्यास ने जो फैसला किया तीन सौ रुपये गज, उसके हिसाब से, 74 लाख 10 हजार रुपये राजस्थान सरकार को मिलता। अब आपने कहा कि यह सब तो, राजस्थान सरकार का विभाग गलत है। इसका मतलब यह समझे कि नगर विकास न्यास के सारे लोग गलत थे उन्होंने गलत फैक्ट्स दिये, कलेक्टर जिसका अध्यक्ष हो। यह भी बात सही है कि इसी बात की नाराजगी को देख कर हटाया गया। उनके मन-माफिक उन्होंने लिखा नहीं इसके अन्दर इसलिए पी. दयाल का ट्रांसफर भी इसी बात पर हुआ। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, विभाग के इन्जीनियर्स का किया, इन्जीनियर्स को करने पर वह तो स्टे ले कर बैठ गया तो, अध्यक्ष महोदय, जिन बातों का आपने जिक्र किया है उनके बारे में नूरा व्यक्ति नूर मोहम्मद, यह बात आप कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसके ऊपर वसीयत की, किस बात पर वसीयत लिखी गयी है। इसके ऊपर आप जरा, कोटा स्टेट की वसीयतनामे में, कोटा स्टेट के पिटिशन पेपर पर लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पुरानी स्टेट के जमाने के पिटिशन पेपर आज भी न मालूम कितने लोगों के पास हैं जयपुर शहर के अन्दर। माननीय लोकल बाडीज मंत्रीजी के खुद के विधान सभा क्षेत्र में, ब्रह्मपुरी, गोविन्द देवजी के मन्दिर के पीछे कई लोगों ने इसी प्रकार पुराने दस्तावेज पेश करके रजिस्ट्रियां करवा ली हैं। आप, अध्यक्ष महोदय, स्वयं भी जानते हैं। यह इस प्रकार का पिटिशन पेपर खाली किसी के यहां से उपलब्ध करा कर और पुरानी डेट में लिख लिया गया। जिसको नगर विकास न्यास ने बाद में फर्जी कर दिया। जमीन का मालिक नहीं माना और नगर विकास न्यास इसको मालिक नहीं मान रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो नगर परिषद् का एरिया नहीं था तो उसको नगर परिषद् को इजाजत देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसको रिजेक्ट किया है। इसलिए असत्य वसीयतनामा बना कर नगरपरिषद् से फर्जी, यह सारा केस सरकार ने, सही मायने में चित्रा जैन वगैरह 6 लोगों को देना था। मैं जानता हूं ये 6 लोग बड़े राजनैतिक प्रभावशाली लोग थे। इस सरकार में बैठे बड़े मन्त्रियों के काफी नजदीक हैं इसलिए मैं सोचता हूं बहुत प्रभावशाली लोग थे। मैं सोचता हूं कि यह काम उनको करना पड़ा।

ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद् ने अपनी दी हुई इजाजत को फैक्ट्स के सामने खुद ने खारिज कर दी। गवर्नमेंट ने आर्डर निकाले कि वह नगर परिषद् के प्रशासक को बुला कर...

**श्री अध्यक्ष** : यह बताइये कि आपने जो न्यास का पढ़ा, क्या न्यास ने इस बात की जांच की कि वह वसीयत फर्जी है या उसमें कहीं आया है क्या यह?

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : उसमें केस चल रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : Please don't interprete.

(श्री अध्यक्ष)

आपने अभी न्यास मण्डल की कार्यवाही पढ़ कर सुनाई है....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ...

**श्री अध्यक्ष** : आप उनको बिठा दीजिए। आप शुरू कर दीजिए। Let him speak. मण्डल की कार्यवाही अभी पढ़ कर सुनाई है उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि वसीयत की जांच की गयी और फर्जी पाया गया। मैं, आपने जो पढ़ कर सुनाया, उसी के आधार पर कह रहा हूं। उसमें यह आया नहीं। क्या आपके रिकार्ड में कहीं आया है कि उसकी जांच हुई और फर्जी पायी गयी ?

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास ने सारे तथ्यों को गम्भीरता से चैक किया है। नगर विकास न्यास ने सारा वसीयतनामा, सब कुछ देखा है। उसके बाद मैम्बर्स की अलग-अलग राय आयी है। उसके बाद राज्य सरकार को भेजा जाता है वह तो जो उनका निर्णय है उसी को भेजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, किसने क्या बात की, किन तथ्यों पर क्या हुआ उन सारे तथ्यों के लिए न्यायालय में केस चल रहा है। यथास्थिति बतायें....

**श्री अध्यक्ष** : अब न्यायालय में केस चल रहा है मैं समझता हूं इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा कि वसीयत फर्जी है या नहीं।.. (व्यवधान) कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। जो सवाल आया है, आप उठा रहे हैं उस समय उठाने का अवसर सही मिलेगा जब न्यायालय उसको फर्जी मान लेगा।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, न्यायालय यह कह रहा है यथा स्थिति बनाये रखें।

**श्री अध्यक्ष** : यथा स्थिति किसकी, यथास्थिति बिल्डिंग की।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं बोलूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोल रहे हैं, आप बोलिये।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, सही बात यह है कि सब जुडिस भी नहीं है।.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : महावीरजी, आपके मंत्री जवाब देने में सक्षम है। आप शान्त रहिये आप क्यों बोल रहे हैं।....(व्यवधान) यह सम्पत्ति नहीं है। मेरी इजाजत के बिना आप खड़े नहीं होंगे। **Please take your seat.**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण को आपको दो दृष्टि से देखना पड़ेगा। आपने कहा कि 1938 में वसीयत तैयार हुई...

**श्री अध्यक्ष** : मैंने नहीं कहा, मंत्रीजी ने कहा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मंत्री जी ने कहा है। आपने कुछ पर्टीनेन्ट क्वेरीज कीं। पहले मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दे देता

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं, सन्तुष्ट हो जायेंगे। पिटिशन पेपर ग्रार्डनरी पिटिशन पेपर था। स्टाम्प पेपर भी नहीं था। पिटिशन पेपर के ऊपर एक फर्जी वसीयत तैयार की। यह विक्रय हुई। वसीयत विक्रय हुई, आपके इन लोगों के पास यह आ गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक चीज और नोट की होगी। जिन-जिन अदालतों से स्टे ग्रार्डर प्राप्त हुआ सब जगह से स्टे ग्रार्डर वैकेट हो गया। आखिर अदालतें जब स्टे ग्रार्डर देती हैं तो प्राथमिक तौर पर सन्तुष्ट होने के बाद स्टे ग्रार्डर दिया जाता है। दूसरे पक्ष ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया यू. आई. टी. के द्वारा। उसके उपरान्त वह स्टे ग्रार्डर वैकेट हो गया। यह बात माननीय मंत्री महोदय के समक्ष, सरकार के समक्ष कही गयी under duresse coercion. हमारे मकान के आगे दीवार खड़ी कर दी। दीवार खड़ी करने का मतलब यह था कि फर्दर कन्स्ट्रक्शन को यह रोक दे जिससे सामान अन्दर नहीं जा सके। रिहायशी मकान नहीं था, कामर्शियल काम्पलेक्स था। यह तो था नहीं उसमें रह रहे थे तो टट्टी, पेशाब उनका बन्द हो गया। कभी-कभी आपके नोलेज में भी आता है कि स्टे ग्रार्डर के बाद में भी लोग तामील नहीं करते हैं तो यह बात कहना कि उनके डर की वजह से यह डेढ़ सौ रुपये गज की दर से रुपये जमा करा कर दिये थे। आप केस वाली बात कह रहे हैं, केस किन के खिलाफ जिन चार लड़कों ने 84 में बनाया इनके नाम किया। इन चार व्यक्तियों ने, फौजदारी केस उनके खिलाफ चलने की बात थी क्योंकि फर्जी डाकूमेंट्स तो उन्होंने तैयार किये थे। ना प्रजेन्ट क्रेताओं ने डाकूमेंट्स तैयार किये थे। यह तो बोर्ड ने दिया है कि केलकूलेटेड बिजनेस रिस्क लिया था। तीन सौ रुपये, चार सौ रुपये गज की जमीन है इसको खरीद लो। अध्यक्ष महोदय, आपने एक बात कही कि बोर्ड के निर्णय में यह आया। बोर्ड का अध्यक्ष कलक्टर, आई. ए. एस., सब लोगों ने after deliberation go in through all the relevant papers.

उसके बाद यू. आई. टी. ने माना। जो म्यूनिसिपैलिटीज का हाल है, जो एरिया 1967 से म्यूनिसिपैलिटी से बाहर हो गया था कोटा का एरिया जो है 67 से म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड की लिमिट से बाहर था। अध्यक्ष महोदय, उनको देने का ...

**श्री हरिकुमार औदिच्य :** यह जानकारी गलत है आपकी। उसके बाहर का 3/4 इलाका उस समय और आज भी अधिकांश इलाका म्यूनिसिपैलिटी के अण्डर में है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** यह इलाका नहीं है अध्यक्ष महोदय। यह इलाका होता तो सब्सिक्वेन्टली म्यूनिसिपल बोर्ड ने जो कन्स्ट्रक्शन की तामील की इजाजत दी थी उसको केन्सिल नहीं करता। म्यूनिसिपैलिटी ने उसको केन्सिल किया। अदालतों ने पाया नहीं। मैं यह भी मान लूं कि एडीशनल कलक्टर को कलक्टर प्रभावित कर दे, आर.ए.एस. को कलक्टर प्रभावित कर दे लेकिन सिविल कोर्ट से स्टे खारिज नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है कि 3-3 अदालतें, 2 अदालतों की तो मैं मानता हूं, एक आर. ए. एस. दूसरा ए. डी. एम. बैठा हुआ है। वह यह कर सकता है कि कलक्टर साहब नाराज हो जायेंगे यह कर दो।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर अध्यक्ष महोदय सिविल कोर्ट से भी नहीं हुआ। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं आपने 18 रुपए गज की। रेजीडेंशल एरिया में 9 रुपए गज थी आपने कमर्शियल बनाकर 18 रुपए कर दी। अगर तमाम डाकूमेंटस चैक करें तो उसमें 2 और 4 की रेट थी। यह तो उस पर पर्दा डालने के लिए था। उस समय प्रेवेलेंट रेट 2 रुपए या 4 रुपए थी 9 और 18 की रेट तो अब थी। हमने तो उससे भी ज्यादा रेट ली। मेरा कहने का मतलब है कि किन्हीं कारणों से, आपके कारण कुछ भी रहे हों। यह मैंने प्रश्न किया है आपने क्वेरी की आपकी बड़ी पर्टीनेंट क्वेरी थीं तो मैंने उसका उत्तर दिया। मेरा तो सिर्फ सरकार के ऊपर यह आपने कराया बहुत गलत किया। इससे सरकार को 50 लाख रुपए की हानि हुई है और इसमें इम्प्रेस ड्रा करने वाली बात है इसमें बहुत बड़ा स्केण्डल और घोटाला हुआ है। जो नैतिकता की दुहाई यह सरकार देती है वह बिलकुल गलत है और, अध्यक्ष महोदय, यह काम आपने कब किया जब बी. जे. पी. का अधिवेशन यहां होने वाला था उससे पूर्व ही आपने उसको रेगूलाइज किया। आपको +++ आवश्यकता थी और इसमें लाखों रुपये का गोलमाल हुआ है।

**श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : यहां फैक्ट्स तो कहने पड़ेंगे। फैक्ट्स के अन्दर बात करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 पाइन्ट हैं एक वसीयत जो कानूनी रूप से नहीं मानी जाती है जो रजिस्टर्ड नहीं होती है जिसको करने का राइट होता है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय हीरासिंह जी।

**This is not debate please sit down.**

**श्री हीरासिंह चौहान** : सब–जुडिस है, इसलिए मैटर ही रेज नहीं होता है।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुनिए। हां बैठिए। आप नियम 121 पढ़िए। आप बिराजिए।

**श्री हीरासिंह चौहान** : सब-जुडिस है। यह मैटर सब–जुडिस है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और। 150 रुपए में समझौता करने को तैयार हो गए और 150 रुपए की दर से जो राशि थी उसका वन फोर्थ उन्होंने जमा करा दिया। अब कहते हैं प्ली यह लेते हैं कि हमको तो डराया, धमकाया पुलिस केस बना दिया, पुलिस केस बनाने की धमकी दी गई इसलिए हमने उस रेट का पैसा जमा करा दिया।

**श्री अध्यक्ष** : सुनिए, यह बात उन्होंने कही है। पहले जो सरकार थी, क्या यह एप्लीकेशन उन्हीं की है? नई तो नहीं है? इस सरकार की तो नहीं है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : +++।

---

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। माननीय महावीर जी ने माननीय सदस्य पर चार्ज लगाया है कि+++

**श्री अध्यक्ष** : चार्ज लगाया है। (व्यवधान)

प्लीज महावीर जी। यह चार्ज अंकित नहीं होगा। अंकित है तो आप हटा दीजिए। (व्यवधान) माननीय महावीर जी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है। कम से कम मैंने कोई आरोप मंत्री जी के ऊपर नहीं लगाए और न मैं लगाना चाहता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी पर कभी जिन्दगी में आरोप नहीं लगाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप जल्दी समाप्त करिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप प्रश्न करिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जब पार्टी ने 150 रुपए वर्ग फीट की दर से पैसा जमा करा दिया वो तो 300 में, 150 में भी उसे फायदा हो रहा था। आपने यहां एक बात पूछी कि यह आपके वक्त में आया। हां, हमारी सरकार के मंत्री के वक्त में आया लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। **He just forwarded.**

अगर आप यह पूछेंगे कि आपके पूर्व मंत्री ने जो लिखा तो आप कितनी बात पूर्व मंत्रियों की मानते हैं। आप तो हमें यहां रोज टोकते हैं उसका कोई निर्णय नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने आज यह कहा है कि उस व्यक्ति ने जब एप्लीकेशन दी उसमें यह लिखा कि उसको दबाकर किया गया है। वो एप्लीकेशन ही उस समय पेश नहीं हुई। मंत्री जी ने भी यही बताया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें। कोई कुछ भी लिख दे प्राइमाफेसी। क्या जितनी दरख्वास्तें आती है प्राइमा फेसी आप उन पर एक्ट करते हैं? फिर प्रश्न यह आता है कि ऐसी दरख्वास्तें 50 होती हैं क्या आप हर दरख्वास्त पर एक्ट करेंगे? मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि उन्होंने निर्णय लेने के लिए लिखा है लेकिन निर्णय तो आपने लिया। उस वक्त तो कोई निर्णय नहीं हुआ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरी आपसे मांग है कि अब सरकार में बड़ा तो कोई है नहीं। मैं तो कहता हूं इस मामले को लोकायुक्त को सौंप दें। मुख्य मंत्री जी ने बड़ा भारी इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो यहां कायम किया है जो राजस्थान के ऐसे तमाम मामलों की जांच करेगा। मेरी आपसे मांग है मैं 2 बात से तीसरी

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात नहीं कहता हूं, आप कोटा बोर्ड की यू. आई. टी. की प्रोसीडिंग्स मंगा लें। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के ऊपर मेरा पूर्ण भरोसा है। ये इस मामले की जांच कर लें। लेकिन इनके उपर दबाव है ये कुछ नहीं करेंगे। इनके ऊपर राजनीतिक दबाव है और जो कुछ कहा वह आपके सामने है। सीधे-सीधे 50 लाख रुपए की चपत यू. आई. टी. कोटा की लगाई है और इसमें हर किस्म की बू आती है। यही मेरा इसमें आरोप है।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सुमित्रा जी। (व्यवधान) आपका नाम नहीं है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं 3 पर्टीनेंट क्वेश्चंस पूछना चाहती हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप प्रश्न ही करिए क्योंकि दोनों तरफ से तथ्य आ गए हैं। इसलिए केवल सवाल ही पूछिए।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : पहले तो आप मुझे यह बतायें कि कब्जा साबित करने के लिए नूरा पुत्री नूरबक्श सन् 38 का जो आप बता रहे हैं वो काबिज थी। काबिज होने की कोई झोंपड़ी या कुछ और सबूत है तो आप बतायें। क्या कोई सबूत था? क्योंकि बिना सबूत के तो माना नहीं जा सकता।

दूसरा आप बतायें कोटा के कोर्टस के अंदर जितने पिटिशन पेपर के आधार पर मुकदमें चल रहे हैं तो आप इस पिटिशन पेपर को वैलिड मान लें तो वे सब प्रभावित होंगे और उन सब कैसेज को नियमित किया जायेगा। इसलिए आप मुझे यह बतायें कि उस पिटिशन पेपर को ही आप वैलिड मान लेंगे?

तीसरा, आप सारे कोर्ट्स को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? आप यह बतायें कि तमाम कोर्ट्स बाकायदा हियरिंग के बाद में यह लेण्ड रेवेन्यू की धारा 91 के अंदर तहसीलदार ने और वहां के जो नगर न्यास के अधिकारी हैं उन्होंने अतिक्रमण निरोधक अधिकारी जब इन दोनों ने देख करके इस सारे मामले को मान लिया था कि यह जमीन न्यास की है और जब उन्होंने अतिक्रमियों के लिए नोटिस दिए उसके बाद ये कम से कम 4 कोर्टस में गए हैं उन चारों कोर्टस ने सब तथ्यों के आधार पर सब कुछ सुन करके दोनों पक्षों को सुन करके और किसी ने भी इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया और मेरे इन चारों में आप इस बात का जवाब देंगे कि जब आपके नोटिस में यह बात थी कि सेशन जज के यहां पर यह मामला चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट ने उसमें इन्टरफियर क्यों किया? आपने फैसला क्यों किया और जब दो पत्र लगातार आपके नगर विकास न्यास कोटा के पी. दयाल के मिल गए थे जिनमें उन्होंने कहा था कि यहां पर जो जमीन बेची गई है उसकी रेट है 325 और 300 रुपए वर्ग। फरवरी में 325 में बेची है लेकिन 300 रुपए इसलिए आरक्षित रेट पर जमीन को नियमित करना बिलकुल ही न्यायसंगत नहीं है। उसके बाद आपने किस

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

आधार पर उनके साथ अन्याय मान लिया। इनका जवाब दीजिए।

**श्री अध्यक्ष :** श्री चन्द्रभान। सवाल करिए सीधे, भाषण नहीं।

**डा. चन्द्रभान :** हां, अध्यक्ष महोदय, मैं तीन सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल तो यह कि यह जमीन नगर विकास न्यास की जमीन थी और 150 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जो क्रेता लोग थे उन्होंने धन भी जमा करा दिया था और नगर विकास न्यास के सचिव ने भी इस सरकार को लिखा था कि यदि इससे कम दर पर या आरक्षित रेट पर जमीन को इनको दिया जायेगा तो फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। इन सब परिस्थितियों की जानकारी सरकार को थी फिर 18 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से काम्पलेक्स या जो भी जमीन थी, इसको नियमित करना सरकार ने क्यों उचित समझा? दूसरा मेरा सवाल यह है कि छह लोग हैं- चित्रा जैन और दूसरे लोग, यह क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या उसके कार्यकर्ता रहे हैं?

**श्री चतुर्भुज वर्मा :** कांग्रेस के सदस्य हैं।

**डा. चन्द्रभान :** तीसरा मेरा सवाल यह है कि....

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे :** जनार्दन सिंह जी के कुछ नजदीक हैं।

**डा. चन्द्रभान :** कोटा से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी, इसको नियमित करने के लिए और क्रेताओं को राहत के लिए उन्होंने, जो कलक्टर थे मिस्टर थानवी, उन पर कोई दबाव डाला था, क्या उनके स्थानान्तरण की यह भी एक वजह थी?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** इस पर कुछ सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** आपको कुछ नहीं पूछना है, आप बिराजिए मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** मैं पूर्व व्यवस्था आपको निवेदन करना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष :** आप क्या व्यवस्था कहना चाहते हैं?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** कि 131 के अन्तर्गत मेरा नोटिस नहीं है इसलिए आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते....

**श्री अध्यक्ष :** हां।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** मैं भी खड़ा हो गया हूं....

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** पहले आसन से यह व्यवस्था दी गई है कि 131 के अन्तर्गत दूसरे माननीय सदस्यों को भी और इसमें अधिकृत....

**श्री अध्यक्ष :** मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं कि मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्रीजी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्यों ने जिन तथ्यों की ओर वहां ध्यान दिलाया है मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। माननीय सुमित्राजी ने पूछा कि जब वसीयत की तो कब्जे का कोई सबूत था या नहीं ? उसके लिए मैं यह वसीयत ही पढ़ देना उचित समझता हूं। उर्दू का हिन्दी में जो इसका अनुवाद है, मैं पढ़ता हूं...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह वसीयत आपको नूरा पुत्री नूरबख्श की पढ़नी पड़ेगी क्योंकि उसी को आपने, ओरिजिनल काबिज माना है। उसकी सुनाओ, और किसी की नहीं सुनेंगे हम।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपने क्या समझा, मैं क्या सुन रहा हूं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैं यह कह रही हूं कि नूरा बेटी नूरबख्श की...

**श्री भंवरलाल शर्मा** : वही सुना रहा हूं मैं, मगर वसीयत एक ही है इसमें। वसीयत एक ही है, देखिए। अगर राजनीतिक दृष्टि से आप बात उठायेंगी तब तो कोई उत्तर है नहीं मेरे पास, न मैं आवश्यक समझता हूं। अगर आप ईमानदारी से न्याय करना चाहती हैं और बात समझना चाहती हैं तब तो फिर ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी भूल है तो बता दीजिए, ऐसी कौन सी दिक्कत की बात है, कागज मेरे पास हैं, आप खुद देख लीजिए।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : आप जो वसीयत पढ़ रहे हैं वह आपके दल के कई माननीय सदस्यों के पास भी मौजूद है....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : क्या हो गया ?

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : यह तो पक्षपात है, हमको भी दीजिए इसकी कॉपी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आपने मांगी ही नहीं होगी।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : हम भी देखते उसको। यह एक ही पार्टी विशेष के मैम्बर्स को आपने दी है, आप जो पढ़ रहे हैं, आपका उत्तर पहले ही सदस्यों के पास मौजूद है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है। मुझको बड़ा दुःख है कि... (व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : इसका मतलब आप लोग इसके ऊपर पर्दा डालना चाहते हो कि जो किया है वह सामने नहीं आये....(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप उत्तर चाहते हैं, क्या चाहते हैं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : वसीयत पढ़ें उससे पहले मुझे एक बात बता दें कि क्या यह वसीयत नगर विकास न्यास को दे दी गई थी ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अगर आप अपने सत्ता पक्ष की न्यूमेरिकल स्ट्रेन्थ के आधार पर इस मामले को तय करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कहना।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : श्री हीरा सिंहजी....

**श्री हीरासिंह चौहान** : यह कपोल-कल्पित बात है कि हमारे मैम्बर्स के पास वसीयत है, कोई वसीयत नहीं है, किस के पास है ? हम में से किसी के पास नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हीरासिंहजी, बैठिये। ठहरिए। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** : जैसी इन्होंने जानकारी दी उसके आधार पर कहते हैं कि वसीयत में स्पष्ट लिखा हुआ है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने पढ़ कर बताया है कि वहां मकान बना हुआ था, कब्जा चालू हुआ....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : ठहरिये आप बैठिए।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : यह वसीयत जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, यह जाली है, इसको सुन कर हम करेंगे क्या ? हमने तो खुद ही कह दिया है। इसको आप लीपा-पोती करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। हमने तथ्य आपके सामने रखे, आपने जो जाली वसीयत को पढ़ कर.... (व्यवधान)

**श्री हीरासिंह चौहान** : आप तो केवल अपनी बात को कहेंगे, उनको नहीं सुनना चाहेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज, आप बैठिये। आर्डर प्लीज। श्रीमान् दवेजी, आप बिराजिए। हां, पढिए आप।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह वसीयत किसी भी अदालत में आज तक पेश हुई नहीं है। आप बतायें, कहां पेश की है, कौन सी अदालत में पेश हुई है ?

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं क्लोज करता हूं। Will you please take your seat ?

**डा. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन घोटाले का बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जान-बूझ कर++ + + रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : तो आप बैठिए फिर। बैठिए। आप जवाब सुनिए। क्या मैं क्लोज कर दूं ?

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : नहीं, यह पूछने का तो हक है न कि यह वसीयत कौन सी अदालत में पेश की, कब पेश की थी ?

**श्री अध्यक्ष** : यह सारी पढ़ रहे हैं, सब बता देंगे।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कहा पेश की गई ?

**श्री अध्यक्ष** : हां, हो गया, बता देंगे।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : कौन सी कोर्ट में पेश की गई ?

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** : माननीय सदस्यों के पास अगर कोई दूसरी वसीयत है तो पेश करें।

---

++ + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री अध्यक्ष** : हां, बैठिए आप। माननीय मंत्री जी।

**श्री भवंरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय इस मामले को मैं काफी गम्भीर मानता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। केवल आप अपनी बात कह कर यह इम्प्रेशन पैदा करना चाहें कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, यह तो उचित है नहीं, पहले मेरी बात भी सुन लीजिए।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : सुनेंगे, पहले सुना है आपको।

**श्री भवंरलाल शर्मा** : आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूं इसलिए....

**श्री अध्यक्ष** : शंकाओं का ही जवाब दे रहे हैं।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : कौनसी अदालत में पेश हुई, यह तो बतायें।

**श्री भवंरलाल शर्मा** : हां, बता रहे हैं न।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : कहीं नहीं हुई है पेश.... (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : जवाब तो सुनिए आप।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : आपके पास पेश हुई है, कहीं पेश नहीं हुई। (व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : मंत्री महोदय, हम आपको सुनना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय को सुनना चाहते हैं लेकिन एक बात का जरूर जवाब आ जाना चाहिए.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, यह क्या कर रहे हैं आप लोग ?

**एक माननीय सदस्य** : माननीय अध्यक्ष जी, यह जवाब नहीं चाहते हैं तो....

**श्री अध्यक्ष** : आप क्या रहे हो ? क्या भाषण दे रहे हो, बिराजिए आप। बैठिए आप। हां, बोलिए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जब मैं उत्तर दूंगा उसके बाद कोई बोलने का प्रश्न नहीं रहेगा। परन्तु मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते, यह चलने वाली बात नहीं है। Please hear me.

**डा. चन्द्रभान** : नहीं, नहीं, बोलिए। आप बोलिए तो सही।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप जब इतनी बातें कर रहे हैं तो सुनिये मेरी बात।

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : आप सरकार हैं, आप बोलिए।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां, सुनिए अब आप।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : कौन सी अदालत में यह वसीयत पेश हुई, पहले यह बतायें। बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपको।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : बैठेंगी तो सुनेंगी न, आप में धैर्य कहां है ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : फिर से खड़े हो गये....

**श्री शांतीलाल चपलोत** : मंत्री, होने का मतलब यह तो नहीं है कि....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय, कृपया विराजिए।

**श्री शांतीलाल चपलोत** : यह बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं, साहब ?

**श्री अध्यक्ष** : Learn the rules. You are a law Minister.

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : इसलिए कि जनता ने हमें चुन कर भेजा है इसलिए खड़े होते हैं...

**श्री अध्यक्ष** : You must go through the rules. Please take your seat. You must. Afterall you are a Minister. Keep your dignity with you.

**श्री हरिसिंह** : मंत्री को भी कानून पढ़ाना पड़ता है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : देखिए, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आज जब इस बात को आपने उठाया है तो सुनिये इसको और फिर उसमें निर्णय निकालिए, आप राजनीतिक लाभ मत उठाइये इसमें। यह बुक्की खां लिख रहा है - "मैंने एक जमीन का टुकड़ा जिसकी लम्बाई मेरे हाथ से 90 हाथ लम्बी है और 17 हाथ चौड़ाई है जिसमें दो कच्चे कोठे चुने हुये हैं, इसमें कच्चा कोल्हूपोश मकान है, यह वाकया खोजग्रामनी तहसील लाडपुरा में मौजूद है। यह जमीन मैंने मुसम्मात नूरा बेटी नूर मोहम्मद से चालीस कलदार रुपये में खरीदी है" यानि जब इसने इससे खरीदी है तब उस प्रापर्टी का क्या वर्णन है, जो यह साबित करता है कि इसका कब्जा था। अब मुझे पूरा करने दीजिए। यह अन्ताक्षरी नहीं होगी बहनजी। अगर आपको शक है तो आप कह दें, जरूरी थोड़े ही है कि आप संतुष्ट हों, अगर आप संतुष्ट होती ही नहीं हैं तो I can't satisfy you.

**एक माननीय सदस्य** : आपको नहीं होना है तो ठीक है, फिर क्या मतलब है ?

**श्री भंवरलाल शर्मा** : "इससे यह जमीन मैंने मुसम्मात नूरा बेटी नूर मोहम्मद से चालीस कलदार रुपयों में खरीदी है जिसमें वह अपनी मवेशी गायें, भैंसे रहने के लिए है और जिस पर मैं अब काबिज हूं, जो मेरी मालिकाना हैसियत है उसको मैं अपने मुतबन्ना लड़के नवाब खां, नत्थे खां को वारिस बनाता हूं और मेरी उम्र बहुत अधिक हो जाने की वजह से अब मुझसे कोई काम-काज नहीं होता है और मैं अक्सर बीमार रहता हूं, अब जब तक मैं जिंदा हूं मेरी खिदमत करते रहने का वायदा किया है लिहाज इस शर्त को मानते हुए अपनी जायदाद मजकूरा को मय मवेशी के 25 भैंसे, 14 गायें, पाडा-पाडी, केड़ा-केड़ी कुल मिलाकर, छोटे-बड़े मिला कर 50 मवेशी हैं"....

**श्री हरिसिंह** : एक पाड़ा तो महावीरजी के लिए है....

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां, वह ले आये, वह उधर बैठ गए। लाये तो यह थे, बैठ उधर गये।

**श्री अध्यक्ष :** No. No.

**श्री भंवरलाल शर्मा :** तो यह तो आप फरमा रही थी कि कब्जा कहां है तो यह इस वसीयत में लिखा हुआ है.... (व्यवधान)

अब आप बार-बार बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है बहनजी, है क्या तकलीफ आपको, अगर कोई माननीय सदस्य बोलेंगे तो उत्तर दे सकता हूं। आप बार-बार बोलती हैं, मेरी भी मजबूरी है, मैं आपको उत्तर नहीं दे सकता जो आप चाहती हैं। आप सुनती क्यों नहीं हैं ? आपके दिक्कत क्या है ? अब जब मैंने आपकी बात को साबित कर दिया तो आप फिर खड़ी हो गई। तो Just hear me. Keep your patience. है क्या दिक्कत इसमें ? तो जहां तक कब्जे का सवाल है यह कब्जा माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कानून के ज्ञाता हैं, सामान्यतः यहां जितने भी बिराजमान हैं वह सब इस बात को जानते हैं कि यदि सरकारी जमीन पर भी है और किसी का एडवर्स पजेशन तीस साल से ज्यादा का हो जाय, चाहे वह किसी की जमीन हो, प्राइवेट के लिए 12 साल और सरकारी जमीन पर तीस साल से अगर एडवर्स पजेशन भी हो तो वह उस जमीन का मालिक बन जाता है। यह मैंने जब निर्णय....

**श्री रामनारायण वर्मा :** यह कोर्ट डिसाइड करती है। आप वकील हैं, आप खुद सोच कर देख लीजिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए। हम आप पर विश्वास करते हैं लेकिन सारी बातें आप देखिये।

**श्री हीरासिंह चौहान :** 'न्याय भी प्राकृतिक न्याय हुआ करता है। न्याय के कई उसूल हैं....

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** आप सही कर रहे हैं। आपके मंत्री महोदय ने प्राकृतिक न्याय किया है। हम मानते हैं, हम मान गये आपकी बात।

**श्री हीरा सिंह चौहान :** जब उस चेयर पर बैठते हैं, क्या करने बैठते हो, क्या करना चाहते हो ? क्या किसी की सुनवाई नहीं करेंगे ? क्या सब को फेंक देंगे क्या बात करते हो आप ?

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** सरकर को पूरा अधिकार है, यह किसने मना किया ? अधिकार पूरा है आपको उसके लिए किसने मना किया ? आपको कौड़ियों के भाव बेचने का अधिकार है। बेच दी आपने।

**श्री अध्यक्ष :** ऐसा लगता है माननीय सदस्य जवाब सुनना नहीं चाहते I Cannot wait.

**डा. चन्द्रभान :** अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान सदस्य जानबूझकर डाल रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप चुप रहें। इनका व्यवधान है तो इनको मैं अपने आप बैठा दूंगा। मेरा काम आप जब करने लग जाते हो तो मैं चुप हो जाता हूं। मैं सक्षम हूं बैठा दूंगा मगर आप मेरा काम शुरू कर दो तो फिर मैं चुप बैठ जाता हूं क्योंकि आप ही उठाते हो और आप ही बैठाते हो।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहता हूं कि जब यह बात सामने आई तो मुझे इसका पूरा स्पष्टीकरण करने दीजिए और आपको सन्तुष्ट करूंगा इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है बशर्ते कि आप एक न्यायाधीश के नाते इसको सुनना चाहेंगे तो। यह आदमी 70 साल का है जिसने जमीन बेची है। सन् 38 में याने इसने इससे भी पहले खरीदी है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि जब 30 साल का एडवर्स पजेशन का नियम है और यह व्यक्ति मालिक बन जाता है फिर दूसरे जो डाकूमेन्ट हैं अगर वह डाकूमेन्ट भी 30 साल पुराना है तो उस डाकूमेन्ट को सामान्यतया सही माना जाता है। यह दोनों नियम हैं-30 साल का कब्जा और 30 साल पुराना डाकूमेन्ट, उसकी सत्यता पर जब तक कोई विपरीत सबूत नहीं करे तब तक उसको बेनवीन माना जाता है, यह कानून की बात है। प्रद्युम्नसिंह जी, यह आप भी जानते हैं, आप भी वकालात पढ़े हैं। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जब मेरे सामने यह मामला आया, यह आपके सामने भी आता तो जो व्यक्ति जिस जमीन का मालिक बन चुका और एडवर्स पजेशन के कारण से मालिक बन चुका, उस वसीयत के आधार पर बन चुका तो कीमत किस बात की लेना चाहते हैं आप उससे? अब, क्योंकि उस जमीन की कीमत बढ़ गयी तो क्या नगरपालिका या सरकारी संस्था कीमत बढ़ने से इस प्रकार का आचरण करेगी कि साहब कीमत बढ़ गयी इसलिए, हम तो बेचेंगे। आप बेचने वाले कौन हैं इस जमीन को? वह तो 58 साल पहले जिस आदमी ने कब्जा किया, वह 30 साल में उसका मालिक बन गया, डाकूमेन्ट्स उसके पास हैं, क्या करेंगे आप? क्यों खरीदेगा? जरूरत क्या थी उसको खरीदने की? किस बात की कीमत लेना चाहते हैं आप उससे? जो खुद मालिक है उससे कीमत ले रहे हैं आप? आपने कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ रही थी। यह तो न्यायालय तय करता। श्रीमान्, नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार एक न्यायालय के व्यक्ति के नाते काम करती है। डिविजन आता है, अपील आती है, उसके पहले आज तक भी हुए हैं, हम भी करते हैं तो न्याय नहीं करेंगे हम? किसी भी व्यक्ति को वह पैसे वाला हो या गरीब हो किस आधार पर न्याय होगा? न्याय तो जो सामान्य सिद्धान्त हैं, जो उसके हक हैं उसके आधार पर होगा। इसलिए यह व्यक्ति जब आया सामने तो यह मालिक के रूप में आया था और इतना ही नहीं इससे पहले पूर्व जो उसका अधिकारी है जमीन का उन्होंने इस जमीन पर नगरपालिका से परमिशन मांगी और परमिशन ली उन्होंने। जब इस व्यक्ति ने वसीयत देख ली, नगरपालिका की परमीशन देख ली तो इसने खरीद ली। रजिस्ट्री से खरीदी है इसने। बाकायदा फीस देकर खरीदी है और फिर आपके ही राज्य में हुआ है यह सारा काम। फिर नगरपालिका ने परमिशन आपके राज्य में दी है। अब यू.आई.टी. का एक तहसीलदार, मैं बात कहना नहीं चाहता हूं, एक व्यक्ति एक अधिकारी इस बात से अगर नाराज हो गया कि इनको किस तरह से बेजार करना है और वह अगर मेरे सामने आता है तो क्या मैं उस व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करता रहूंगा? फिर आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वह लोग 150 रुपया देने

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को तैयार हो गये। यही मुद्दा है ना और तो कुछ नहीं है ? अगर वह 150 रुपये पर खरीदने को तैयार नहीं होते तो आप इसको नहीं उठाते। यही मुद्दा है ना ? अब यह 150 रुपये को मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो आप 150 रुपया किस बात का लेना चाहते थे उससे ? आप किस बात का लेते उससे ? जैसा मैंने निवेदन किया वह मालिक बन चुका था....

**श्री प्रद्युम्न सिंह:** वह खुद देना चाहता है।

**श्री भंवरलाल शर्मा**: जस्ट वेट प्रद्युम्नसिंह जी, आई एम कमिंग टू इट। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि अब वह खुद क्यों तैयार हुआ ? उसको क्या पागलपन था ? क्या जरूरत पड़ी थी उसको ? जो जमीन का मालिक है, जमीन उसके पास कब्जे में है वह 150 रुपया किसके लिए दे ? उसके लिए बताता हूं मैं आपको। अब आप देखिये क्या हुआ। उसने स्टे प्राप्त कर लिया कि इसका मकान तोड़ा न जाये। स्टेट्स-को मेनटेन हो गया। अब यू. आई. टी. के पास कोई रास्ता बचा नहीं। जो व्यक्ति उनसे नाराज था, तोड़ तो सकते नहीं थे। अब आपका केस फ्यूज हो गया तो सुन तो लो। तो मेरा निवेदन यह है कि जब न्यायालय से स्टे हो गया तो यू. आई. टी. उसको किसी प्रकार से तंग नहीं कर सकती थी। पहले, प्रद्युम्नसिंह जी, आप भी नगर परिषद के मंत्री रहे हैं। आपके पूरे कार्यकाल में कोई एक भी उदाहरण ऐसा बता दो। कोई भी उदाहरण ऐसा बता दो कि यू.आई.टी. या नगरपालिका और किसी व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो मकान को लेकर तोड़ने के बारे में और कोर्ट का स्टे आ जाये तो जो प्रक्रिया यू. आई. टी. ने अपनाई कि उसकी दुकान के सामने भी आप 40 फीट की दीवार खड़ी कर दो और 4 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दो, पीछे तार लगा दो।

( : 2.58 म. प.)

(श्री यदुनाथसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

Can you quote even a single instance in the whole of the Country ? आप सारे देश में कोई भी उदाहरण बता सकते हैं ? उनका मकान तो तोड़ नहीं सकते, उसको हैरान करने के लिए आप इस तरह से दीवार खड़ी कर दो, कभी सुना है आपने ? आपने देखा है कभी, कभी हुआ है यह ? 'कैन यू अलाउ हिम ? आप अलाउ करेंगे क्या उसको ? तो यह सबसे बड़ा प्रेशर था। यह टूट भी नहीं सकता था। अगर तोड़ें तो यू. आई. टी. खड़ी है, तोड़े कैसे ? तो उसे तोड़ने के लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा और न्यायालय में जाकर तुड़वाने में कितने वर्ष लगने वाले हैं उसको। एक तो यह मजबूरी खड़ी कर दी। अब सामने तो दीवार खड़ी है, उसको उधर बैठा रखा है आपने। क्या करेगा वह ? तो उसने एक दरख्वास्त दी है वह मैं पढ़ना चाहता हूं। उस दरख्वास्त में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उसके उनके सामने दरख्वास्त दी है और अपना दुखड़ा रोया है उसने। वह भी पढ़ना चाहता हूं :

'श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास, कोटा। रास्ता खुलवाने के लिए

(श्री भंवरलाल शर्मा)

निवेदन। मान्यवर, नगर विकास न्यास द्वारा गुमानपुरा थाने के सामने एक दीवार 40 फुट लम्बी तथा 4 फीट ऊंची खड़ी कर दी गई है। उक्त दीवार बन जाने से प्रार्थीगण के 6 गोदाम जो वहां पर बने हुए हैं का निकास पूर्णतया बन्द हो गया है। दीवार बन जाने से न तो कोई व्यक्ति, सामान अथवा गाड़ी इन गोदामों में पहुंच सकती है और पीछे भी तारों के द्वारा इस को घेर लिया गया है। गोदाम से भरा माल निकालने और बेचना भी मुश्किल हो गया है। प्रार्थीगण की प्रार्थना है कि उनको उनके गोदामों में पहुंचने के लिए कम से कम 10 फीट का चौड़ा रास्ता तो बना दीजिए। वैसे वहां पर रास्ते की चौड़ाई 40 फीट है।'

इस पर चेयरमैन साहब लिखते हैं "Secretary, U. I. T., Kota, may look into the matter." That is all. यह दरख्वास्त है 1-7-89 की और यह जो आप जिक्र कर रहे हैं फैसले की 50 रुपये की बात करते हैं यह भी एक साल का ही है। इधर तो गरीब गुहार कर रहा है कि मुझे आप रास्ता दीजिए....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : बड़े उदार हो गए आप...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : उदार नहीं हुए, न्याय करना पड़ता है...

**श्री हरिसिंह** : ......(व्यवधान)........आप जितना चाहें करें...आप आसन की कोई इज्जत नहीं करते हैं....बिल्कुल तैयार हैं....

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : हम भी तैयार हैं। आप लोग कहां जाते हो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यह जो समझौते के प्रस्ताव 1 जुलाई को जब उसको रास्ता नहीं मिला और उसको यह दबाव डाला गया कि समझौता करो तो समझौता होने के लिए मजबूर किया। अब उसको पढ़ना चाहता हूं मैं।

'भूमि पर अनधिकृत कब्जा एवं अनधिकृत निर्माण का नोटिस' दिनांक 3-5-88 को देने पर सम्बन्धित पक्षकार इस आधार पर सिविल न्यायालय से स्टे ले आये कि उन्होंने इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री खरीदा है और नगर परिषद से स्वीकृति प्राप्त कर भवन निर्माण किया है।'

यह जो आप समझौते की चर्चा कर रहे हैं उसकी दो लाइन पढ़ी हैं मैंने आपको, नगर विकास न्यास ने यह बताया कि भूमि नगर विकास न्यास की है, साथ ही दाण्डिक सिविल, पुलिस की कार्यवाही करने की तैयारी कर ली है। आप तो यह बता दें कि इस चीज में आप होते तो आप क्या करते?

**श्री हरिसिंह** : जो आपने किया है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : यही करते, फिर क्या बात हो गयी?

**श्री हरिसिंह** : जी हां, न्यायपालिका की ऐसी अवमानना करते। उस पक्षकार को, माननीय मंत्री जी, न्यायपालिका में विश्वास नहीं था, न्यायपालिका से

(श्री हरिसिंह)

उसको न्याय की उम्मीद नहीं थी। (व्यवधान) राज्य सरकार से उसको सस्ता और सुलभ न्याय मिल गया था, न्यायपालिका में उसको विश्वास नहीं था। पहले न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाये। न्यायपालिका में उस पक्षकार को विश्वास नहीं, न्याय पालिका में राज्य सरकार को विश्वास नहीं, न्यायपालिका के बजाय राज्य सरकार से उसको सस्ता न्याय मिल गया, जो आपने दे दिया। राज्य सरकार ने दे दिया फिर न्यायपालिका और अदालतों के दरवाजे बंद करदो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मैं निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि न्यायालय में दरखवास्त देने के बाद भी जो परिस्थितियां आपने पैदा कर दीं, वह जो दीवार आपने खड़ी कर दी उसका क्या करने वाला था वह? इसीलिये मजबूर होकर उसकी इस बात को स्वीकार किया। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : मजबूर होकर 150 रुपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से उससे ले लिये गये, यह उसके साथ ज्यादती की गयी।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : अच्छा फिर क्या हुआ? (व्यवधान) भाई, सुनिये। फैसला करते समय समझौते में यह लिख दिया कि यह फैसला अभी मान्य नहीं है, मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। और शर्त यह है कि उसका 1/4 तो अभी जमा कराओ और बाद में अगर चाहो तो किश्तें करा दो। उसने कहा, यह भी करो मेरा पीछा तो छोड़ो। अब उसके बाद गया न्यास में। न्यास में गया तो वह जो व्यक्ति नाराज थे, वहां बिराजमान थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्या हो गया? जब 150 रुपये दे रहा था तो आप भी नहीं मान रहे हो उसको। तो कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे और इस बात को नामंजूर करके कह दिया, यह निर्णय लिया गया कि न्यास की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जावे और उसके खर्चे से इस मामले में योग्य अनुभवी वकीलों को न्यास की ओर से गठित किया जाय। न्यायालय में यह भी आवेदन लगाया जाय कि अतिक्रमी पक्षकार को पाबन्द करे कि वह न्यास की भूमि पर निर्मित अवैध भवन को कोई उपयोग में न ले। यानि उसको उपयोग में न ले। आपने तो बंद कर दिया। यह कोई किसी संस्था का निर्णय हो सकता है किसी आदमी के खिलाफ?

**डा. चन्द्रभान** : आप उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जो न्यास के सचिव हैं उनके खिलाफ? (व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा** : हां, यह बात ठीक है आपकी। यह आपने ठीक कहा। यह डाक्टर चन्द्रभानजी ने ठीक कहा। (व्यवधान) आप बिराजो, मैं बताता हूं।

**डा. चन्द्रभान** : क्या कार्यवाही की अभी तक?

**श्री भंवरलाल शर्मा :** आप बिराजो, बैठो तो सही। वह बताता हूं मैं आपको। अगर, माननीय सदस्य, यह बात सही है कि यह जो समझौता है यह स्वेच्छा से नहीं हैं तब तो मेरी बात ठीक है और स्वेच्छा से है तो आपकी बात सही हो सकती है। तो जिन परिस्थितियों में समझौता हुआ, जिसका मैंने वर्णन किया, इधर तो तोड़ने की धौंस दे रहे हो आप कि तोड़ दिया जायगा। उसने कहा, मैं कोर्ट से स्टे लाता हूं। अच्छा, स्टे लाता है हम दीवार खड़ी कर देते है। मैं पीछे से निकल जाऊंगा। उसमें भी ताला लगा देते हैं, जायगा कहां, और पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तीन महिलाएं हैं उनके खिलाफ पुलिस में कार्यवाही करते हो और फिर आप फैसला करते हो, फिर कहते हो, निष्पक्ष है वह। निष्पक्ष है वह फिर ? तो मान लीजिये, विवेक से कोई आदमी यह समझता है कि यह समझौता जवाबदेह है, न्यायपूर्ण नहीं है, उसके पास डाकूमेंट्स हैं, उसके पास पजेशन है तो क्या करना चाहिये था ? उसको फांसी देनी चाहिये थी ? इसमें आप परेशान होने लगे। क्या हो गया इसमें भाई ? अगर फिर भी आप यह समझते हैं कि नहीं, जांच की आवश्यकता है, करा लो, भाई जांच मैं तैयार हूं। प्रद्युम्न सिंहजी, आप ही कर दो। करो, हां भरो, मैं आपको ही देता हूं, आप करलो जांच इसकी। तो यह क्या फिर आपने चार्ज लगा दिया ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** देखिये, भंवरलाल जी, अभी आपने मुझसे कुछ कहा है, आप सुनलें।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** हां, मैं यह कहता हूं, आपमें विश्वास है मुझे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** नहीं-नहीं, आपने कुछ कहा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** I have faith in you. अच्छा, सुरेन्द्रजी को दे दो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** मैं एक बात कहता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। आपने अपनी बात जब कही.... अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें तो मैं कहूं। मैंने शुरू में कहा जब बात चली, मैंने आपके ऊपर कहीं से लाभ लेने का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया।

**श्री भंवरलाल शर्मा :** धन्यवाद आपका।.... (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** देखिये, महावीरजी, इस सीरियसनेस को खतम नहीं करना चाहिये, हर मामले में बीच-बीच में बोल कर आप कृपया इस चीज को खतम न करें। महावीरजी, यह कानून की बात हैं, आप कृपया इस सीरियसनेस को खतम न करें। आपने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आपने एक बात कही, आपने मुझे कहा, जांच की आवश्यकता है। अब आप मेरे ऊपर सौंप रहे हैं जांच की आवश्यकता। यह परम्परा कभी इस सदन के अन्दर रही नहीं। मैं जो विश्वास आपने मुझमें व्यक्त किया उसके लिये आभार प्रकट करता हूं। आपने जो अपना बड़प्पन दिखाया, आपने जो कहा, यह हाउस की परम्परा नहीं है। चूंकि यह तो राजनीति

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से प्रेरित बात कही कि आप जांच करें। यह इस हाउस की परम्परा नहीं रही है। जांच करनी है, आपके पास एजेन्सी है। मुख्य मंत्री जी ने यहां आर. बी. आई. का गठन किया है। बोर्ड का चेयरमैन है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती यह है कि मंत्री के निर्णय के ऊपर कौनसी एजेन्सी जांच करे। जब मंत्री ने निर्णय ले लिया यह, तो कौनसी एजेन्सी जांच करे। मैं आपसे निश्चित कहता हूं, हाउस की कमेटी करे। इसके अन्दर मेरा यह मानना है, मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आपके सामने यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि हमको यह हरेसमेंट करने की कोशिश की गयी। हरेसमेंट की वजह से हमने एग्रीमेंट किया, 150 रुपये देने की बात कही उसके अन्दर। इस तरह से तार लगा दिया। इसी जड़ में चलिये। यू. आई. टी. ने इसको एक्जामिन किया **Only Secretary was not there even the Collector was there.**

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न करो। प्रश्न करो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : नहीं-नहीं, अभी पुलिस में केस गया ही नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूं। आप पिन पाइंट क्वेश्चन कर लीजिये। चार बजे जवाब आना है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मेरे को जो बात कही, भंवरलाल जी ने जो बात कही....

**श्री उपाध्यक्ष** : वह तो आप पहले कह गये ना।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मैं उसको दुबारा लौटा लाया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने एक बात कही थी उसका उत्तर है। अब आपके निर्णय की जांच मैं करूं, आपने जो दिया ? आप सदन की कमेटी से करा लें इस मामले की जांच। आप पूरा रिकार्ड मंगा लीजिए म्यूनिसिपैलिटी का और यू. आई. टी. का, सारे तथ्य सामने आ जायेंगे, पूरी प्रोसिडिंग्स सामने आयेगी कि किन कारणों से यू. आई. टी. ने इन डाकूमेंट्स का विश्वास नहीं किया, नम्बर एक। और प्राइमाफेसी अदालतों ने स्टे आर्डर इसी आधार पर वैकेट किया इनका और अदालतों ने माना है कि इन डाकूमेंट्स के अंदर कोई दम नहीं है। आप इस तथ्य को नजरंदाज कर गये और आपने एक निर्णय ले डाला।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय स्वयं ने कुछ बात कही ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, एक जवाब चाहते हैं, जांच होगी या नहीं होगी? जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? (व्यवधान) जांच होगी या नहीं होगी ?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : जिन तथ्यों के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि यह फर्जी डाकूमेंट थे जिनका आप हवाला दे रहे हैं। चूंकि मंत्री महोदय खुद अभी जांच कराने के लिए तैयार हैं, माननीय मुख्य

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

मंत्री जी यहां मौजूद हैं, प्रद्युम्न सिंह जी ने हाउस की कमेटी की बात कह दी कि कमेटी बना लें, अगर इससे भी सहमत नहीं हों तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य इतनी ही ईमानदारी की बात करते हैं तो आप लोकायुक्त को दे दीजिए इस जांच को। हो जायगा वहां दूध का दूध, पानी का पानी। आप अगर इतनी ही बात कह रहे हैं, हम सब गलत कह रहे हैं....

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : अगर इसमें तथ्य नहीं हैं तो लोकायुक्त को दे दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री परसराम मदेरणा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

**डा. चन्द्रभान** : यह जमीन घोटाले का मामला है, इसकी जांच होगी या नहीं होगी?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**डा. चन्द्रभान** : उपाध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है, बहस चल रही है.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

**एक माननीय सदस्य** : उपाध्यक्ष महोदय, इनको चन्दे के पैसे नहीं मिले थे.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**डा. चन्द्रभान** : मंत्री महोदय ने जांच की आवश्यकता बताई है.... (व्यवधान) मंत्री महोदय खुद यह चाहते हैं, जांच होनी चाहिये। जांच क्यों नहीं हो? जांच करवायें आप। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत पर्टीनेन्ट क्वेश्चन पूछे थे लेकिन उनके जवाब नहीं दिये माननीय मंत्री महोदय ने। मेरा अब भी उनसे एक प्रश्न है उसका जवाब दे दें। मैंने उन से कहा था....

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : क्यों? जवाब ही नहीं दे रहे हैं वह? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इसलिए हुई कि मेरे पास समय की पाबन्दी है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : वह जांच के लिए तैयार हैं, आप कमेटी बैठा दीजिए हाउस की, क्या दिक्कत है?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : जब मंत्रीजी खुद तैयार हैं.... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : जब मंत्री महोदय तैयार हैं कि जांच होनी चाहिए तो या तो हाउस की कमेटी बना दें या लोकायुक्त को सौंप दें।

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच होनी चाहिए, क्या इसका मतलब नहीं समझते हो? (व्यवधान) जब

(श्री उपाध्यक्ष)

मंत्री महोदय ने कह दिया इसकी जांच होनी चाहिये, इसका क्या अर्थ है ? चर्चा समाप्त हुई । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** 50 लाख रुपये का इससे अरबन विकास न्यास को नुकसान हो रहा है....(व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ है.... (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान :** यह जमीन घोटाले का, भ्रष्टाचार का मामला है । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय खुद ने जांच की बात की है तो जांच की जानी चाहिये ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** या तो जांच कमेटी बैठा दीजिए या लोकायुक्त को दे दीजिए ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सारे मामले को सुना है । मुझे कहीं भी घोटाला नजर आया नहीं और आप ऐसा समझते हैं कि इसमें घोटाला है तो सरकार लोकायुक्त के पास जाय या न जाय, उस कानून में आपको भी जाने का अधिकार है । कोई दिक्कत नहीं होगी । यदि आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप चले जाइये लोकायुक्त के पास । सरकार कोई आवश्यकता नहीं समझती लोकायुक्त के पास जाने की ।

**श्री उपाध्यक्ष :** चर्चा समाप्त हुई । समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन.... (व्यवधान)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** उपाध्यक्ष महोदय, नेता महोदय ने कह दिया कि हम जांच नहीं कराना चाहते । इतना बड़ा घपला है, ठीक है, हम लोकायुक्त के पास लेकर जायेंगे.... (व्यवधान)

**डा चन्द्रभान :** लोकायुक्त के पास यदि हमको जाना है तो हम तो चले ही जायेंगे... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** चले जाइये । समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री परसराम मदेरणा । शांत रहें । (व्यवधान)

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** सदन के नेता से ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं थी ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले माननीय सदस्य ने मेरे पास जांच करवाने की बात कही । मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुख्य मंत्री जांच कर लें । मैं जानता हूं जांच करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । बिना जांच किये ही मैं इस बात का प्रमाण-पत्र दे सकता हूं । आज मुझे कोई कहे कि भंवरलाल जी शर्मा कोई बेईमानी कर सकते हैं या यह राज्य सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं समझता हूं, आप में भी कोई आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा । आपने विवेक से निर्णय लिया है । विवेक से निर्णय में आपकी दृष्टि से कोई गलती हो सकती है लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती । लोकायुक्त में जांच होगी बेईमानी की, लोकायुक्त में जांच होगी किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने की, किसी को अनुचित हानि पहुंचाने की । मैंने अच्छी तरह से देख लिया, न अनुचित

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लाभ पहुंचाने का प्रश्न है, न अनुचित हानि पहुंचाने का प्रश्न है, न कोई बेईमानी का प्रश्न है। कई वर्षों से उलझा हुआ मामला है जिसमें जो लोग निर्दोष हैं उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इस दृष्टि से यदि भंवरलाल जी शर्मा ने फैसला कर लिया तो इसमें आपत्ति क्या है? फिर भी मैंने कहा, यदि आप ऐसा समझते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है तो लोकायुक्त के द्वार तो सबके लिए खुले हैं। आप जाइये, करिये और वहां से प्रमाणित हो जायगा तो उसके जो रिएक्शन होने वाले होंगे, आप उसकी चिन्ता क्यों कर रहे हैं। जाइये सीधे लोकायुक्त के पास। वहां अर्जी देने का भी प्रावधान है, एक्ट भी बना हुआ है, मंत्री के खिलाफ जांच भी हो सकती है। आप इस मामले को यहां तूल देकर इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहें, मैं आपको निश्चित तौर पर पुनः कहना चाहता हूं, एक बार मैंने पहले भी कहा है कि जिस प्रकार का व्यक्तित्व भंवरलाल जी का है, उन पर आप किसी प्रकार के यहां आरोप लगायें कि उन्होंने जान-बूझकर लाभ उठाया या लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया है, कोई मानने वाला आज के दिन हिन्दुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ जो इस बात को मान ले। केवल राजनैतिक आधार पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है।

**समिति का प्रतिवेदन**

**श्री उपाध्यक्ष :** जनलेखा समिति के 90–91 के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे... (व्यवधान) माननीय सदस्या, अब लोकायुक्त की बात कह दी, लोकायुक्त में कर लें।

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन, श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (सदस्य, जन-लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य, जन लेखा समिति वर्ष 90-91 के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(1) वर्ष 1976–77 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट अंकेक्षण अनुच्छेद सं. 1.2 (ग), 1.3 (ख), 1.5, 1.7, 1.0 और 1.9 वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर बारहवां,

(2) वर्ष 1980-81 व 1982–83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट भू-जल विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद 7.2, 7.3 एवं 4.1 (5) से सम्बन्धित तेरहवां,

(3) वर्ष 1979–80 व 1980–81 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद क्रमशः 2.7, 3.5, 6.7 एवं 2.7 से सम्बन्धित चौदहवां,

(4) वर्ष 1980–81 के पैरा 3.1, 3.2, 3.3, 5.6 व 5.7 एवं वर्ष 1982–83 के पैरा 3.2 व 6.4 के लिए भारत के नियंत्रक महा-

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित पन्द्रहवां, एवं

(5) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित वर्ष 1979-80 के अंकेक्षण अनुच्छेद 3.8, 4.7 व वर्ष 1981-82 के अंकेक्षण अनुच्छेद संख्या 3.9 से संबंधित सोलहवां प्रतिवेदन।

**याचिका का उपस्थापन**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामनारायण वर्मा, याचिका का उपस्थापन करेंगे।

**श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी की पंचायत समिति, नैनवा के पंचायत मुख्यालय ग्राम माणी को प्राथमिक पाठशाला को जन हित में उच्च प्राथमिक पाठशाला में क्रमोन्नत करने विषयक पांच विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं धन्यवाद।

**आय-व्यक पर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री उपाध्यक्ष** : बजट पर सामान्य वाद विवाद पर सरकार की ओर से उत्तर श्री जगमालसिंह यादव।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी के रूप में 91-92 का जो बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह केबिनेट से मंजूरी लेकर किया है और केबिनेट के सदस्य अपनी राय व्यक्त करें, यह विधान सभा के नियमों और परम्परा के विपरीत है।

**श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री)** : आपने मेरे खयाल से नियम पूरे पढ़े नहीं हैं।

**एक माननीय सदस्य** : पूरे हिन्दुस्तान की विधान सभाओं में बोलते हैं मंत्री।

**श्री जगमालसिंह यादव** (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने 91-92 का जो बजट राजस्थान की विधान सभा में पेश किया उसके समर्थन में मैं कहने को खड़ा हुआ हूं।

प्रथमतः, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट को अच्छा और बुरा साबित करने के लिए खास कर एक पैमाना इस राजस्थान की जनता अख्तियार करती है। जिस बजट की मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गरीबों को, गांवों में बसने वाले खेतों से जुड़े हुए लोगों को, मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ और राहत मिले उसको अच्छा बजट कह सकते हैं और जिससे नाममात्र के, पूंजीपति व्यवस्था के लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिले और बजट आम जनता के खिलाफ हो उसको हम अच्छे बजट की परिभाषा नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर राजस्थान और भारत वर्ष में 80% लोग खेतों से जुड़े हुए हैं और गांवों में बसने वाले लोग हैं। इस बजट को अच्छा होने के लिए

(श्री जगमाल सिंह यादव)

प्रथमतः मुख्य रूप से यह देखा जायगा कि इस राजस्थान, जो कृषि प्रधान सूबा है, गांवों में बसने वाले और खेतों से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बजट के द्वारा क्या राहत प्रदान की गयी है। इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रथमतः यह निवेदन करूं, 91–92 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में रखा है इसमें वार्षिक योजना को 1166 करोड़ किया है जिसमें नेट 22% वृद्धि है कोई भी नया कर लगाये बगैर भारत सरकार से 1166 करोड़ की वार्षिक योजना की स्वीकृति दिलायी यह इस बात का सबूत है कि यह माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जैसे सक्षम मुख्य मंत्री का काम हो सकता है, दूसरे किसी मुख्य मन्त्री का काम नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी निवेदन कर रहे थे कि इस बजट में जो प्रवधान किया गया है उससे किनको क्या लाभ मिला। एक नजर सदन इस पर डाल कर देखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत की बात हम लें। विद्युत पर जो खर्चा होगा लास्ट ईयर के 238.41 के मुकाबले में इस बार, 317.51 करोड़ का खर्चा किया जायगा जो कुल योजना का 24.94 फीसदी है। विशेषकर डीजल महंगा हो जाने के बाद, डीजल की उपलब्धि नहीं होने के बाद राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में खेती का ज्यादातर जो प्रतिशत है वह विद्युत पर आधारित हो गया है। न केवल खेती बल्कि दूसरे धन्धे, लघु उद्योग धन्धे हैं, वे सब भी बिजली पर निर्भर करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार खेती के लिए या उद्योग धन्धों के लिए बिजली के लिए अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इसका साफ अर्थ है कि राजस्थान की सरकार खेती के लिए जितना कुछ कर सकती है, कर रही है। अकेले 24.94 प्रतिशत बिजली पर खर्च करके यह सिद्ध किया है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वित्त मन्त्री के रूप में कि वे राजस्थान की खेती को दिनों-दिन आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। इसी के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के मामले में, विद्युत के बारे में यह कहना चाहूंगा कि इस बार 1991–92 में 700 ग्रामों को विद्युतीकृत और 25 हजार कुओं को कृषि कनेक्शन देने की, विद्युतीकृत करने की योजना और लक्ष्य निर्धारित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संख्या के हिसाब से यह बात सही हो सकती है कि राजस्थान में आने वाले वित्त वर्ष में 700 गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा लेकिन कांग्रेस की नीति के अनुसार केवल चुनाव के समय को देखते हुए, आपको भी ध्यान होगा, तब इधर बैठते थे .. (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, चुनाव को ध्यान में रखते हुए पांच साढ़े पांच हजार प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले गये और शिक्षा केन्द्र खोल करके एक उपलब्धि प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि कांग्रेस की सरकार ने जाते-जाते इस राजस्थान का शिक्षा के माध्यम से कल्याण कर दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री जगमालसिंह यादव)

बार-बार यह सवाल माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी से पूछा गया है। पंचायती राज मंत्रीजी ने भी यह सवाल उठाया। इस बजट के बारे में अक्सर यह कहा गया है कि यह चुनावी बजट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज आपकी मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि जिस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगे, जिस बजट में घाटा कम हो जाय, जिस बजट में विकास के काम हों, जिस बजट का ज्यादातर हिस्सा खेती पर खर्च हो जाय, जिस बजट का ज्यादातर हिस्सा गरीबों के काम आ जाय, ग्रामीण एरिया के काम आ जाय, क्या उसको हम चुनावी बजट की परिभाषा दे सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनावी बजट की परिभाषा उसको दे सकते हैं जैसे कांग्रेस ने जाते-जाते 5000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले। आज हम 1000 प्राथमिक शालाएं खोल रहे हैं उनको ये अपर्याप्त बता रहे हैं। 5500 प्राथमिक शालाएं खोलने का अर्थ कोई समझे या नहीं समझे लेकिन प्रेक्टिकल तरीके से मैंने गांवों में जाकर के देखा है, 5500 प्राथमिक शिक्षा केन्द खोले और उस गांव की दुर्दशा कर दी। आज गांवों में चाहे 8वीं पास 10वीं पास लड़का हो, जिसने पढ़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जिसको पढ़ाने की को तहजीब न हो, गांवों के लोगों को, गांव के छात्रों को पढ़ाने की व्यवस्था उन लोगों से कराई गयी। शहर के लोगों को पढ़ाने के लिए कितने प्राथमिक शिक्षा केन्द्र हैं, मैं पूछना चाहता हूं? शहरों में पढ़ाने की व्यवस्था इंग्लिश स्कूल्स और माण्टेसरी पद्धति से कराना चाहते हैं और गांवों में पढ़ाने की बात करते हैं 8वीं जमात पास लड़के। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके सामने चाहे कुछ भी मजबूरी हो, एक हजार, पांच हजार, सात हजार जितने भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं, जिस तरह से शिक्षा केन्द्र खोलने की बजट में घोषणा आपने नहीं की, संख्या के मामले में चाहे आप इसे अनुपयुक्त समझें लेकिन मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने गावों और शहरों में पढ़ने वाले लोगों के लिए एक ही तरह के अध्यापकों का चयन करने की बात की है, पढ़ाई का स्तर एक ही रखने की बात की है, संख्या के हिसाब से 1000 शालाएं कम हो सकती हैं लेकिन स्तर के हिसाब से गांव और शहर के बीच में आपने भेद पैदा नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अगर हम बजट को अच्छा बजट कह सकते हैं तो हमको बिन्दुवार देखना पड़ेगा। सिचाई पर आप आ जाइये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1990–91 में 182.73 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, उसके मुकाबले में 1991–92 में, वर्तमान बजट के मामले में बोल रहा हूं, 232-45 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि सिचाई केवल खेती से जुड़ा हुआ मामला है, इस खेती से जुड़े हुए मामले को, सिचाई के मामले पर माननीन मुख्य मन्त्री जी ने पिछले बजट के प्रावधानों के मुकाबले में काफी संख्या में राशि बढ़ाकर सिचाई पर लगाई है तो किस मुंह से कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग केवल बजट की क्रिटिसाइज करने के

(श्री जगमालसिंह यादव)

लिए, खड़े होते हैं, या केवल बुराई करने के लिए खड़े होते हैं तो क्या तर्क और क्या औचित्य सिद्ध हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने विद्युत पर ज्यादा खर्च किया हो, जिस मुख्य मन्त्री ने सिंचाई पर ज्यादा खर्च किया हो, जिस मुख्य मन्त्री ने कृषि की सेवाओं पर ज्यादा खर्च किया हो, जिस मुख्य मन्त्री ने बजट का 62 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सेवाओं और ग्रामीण एरिया के लिए खर्च किया हो, उसे चुनावी बजट कह सकते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इसी तरह से, कई सालों से लंबित पड़े हुए मामले जैसा गंगानगर से आने वाले और खासकर बीकानेर डिविजन से आने वाले लोग बार-बार यह मामला उठाया करते थे, उसको किस बहादुरी के साथ, चाहे बजट में कितनी ही कठिनाइयां उठानी पड़ी हों, सामना किया है।

उसी के साथ, कमाण्ड सिंचित क्षेत्र में, किसानों की खालों की कीमत को वसूल नहीं करने का निर्णय लिया है। यह एक किसान मुख्यमन्त्री की ही सोच हो सकती है। यह किसी कांग्रेसी मुख्यमंत्री या तथा कथित फर्जी किसान नेता की सोच नहीं हो सकती। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि माननीय भैरोंसिंह जी को चाहे आप को किसी भी रूप में देखें लेकिन उनके दिल में वित्त मंत्री के रूप में जब वे राजस्थान के खर्चे का बंटवारा कर रहे थे, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में गरीब बैठा था, किसान बैठा था, राजस्थान के ग्रामों में बसने वाली ग्राम जनता के लोग बैठे थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कृषि की बात आई। 3200 फव्वारा सैट लगाये। इसकी व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की और 3.11 लाख मीटर पक्की नालियां बनाने की व्यवस्था की। इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि खेती के मामलों में, चाहे छोटा मसला हो, चाहे बजट का मसला हो, खेती के मामलों में वे वित्त मन्त्री के रूप में नहीं सोचते हैं बल्कि खेती के मामलों में मुख्य मन्त्री जी की पकड़ ऐसी है जैसी एक किसान की है और व्यवस्थित रूप से जैसे आज किसान खेत में खड़ा होकर किसान की बात सोचता है, इसी तरह की सोच माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनाई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एस. टी. और एस. सी. की दुहाई देने वाले, कांग्रेस के लोग अपने आप में हमदर्द बनते हैं। बजट में पहली बार प्रावधान देखा होगा कि 75 प्रतिशत अनुदान देकर साम्-दायिक तरीके से, सामूहिक तरीके से जो एस. टी. और एस. सी. के लोग खेती के लिए सिंचाई करने की बात सोचते हैं, उन्हें ट्यूब वैल्स के लिए ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहली बार बजट के प्रावधान में रखी गई है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह तो हो सकता है, जहां तक एस. सी., एस टी. के लोगों की वकालत करने की बात आप लोगों ने कही है, आपने केवल भ्रमित करने की बात की है। यह तो सरकारी आंकड़ों ने सिद्ध किया है कि रिजर्वेशन के आधार पर आप लोगों को, एस. टी. एस. सी. के लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है। (व्यवधान) जहां तक सहकारिता का अर्थ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 170 करोड़ रुपये की एवज में इस

(श्री जगमालसिंह यादव)

बार 241 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सहकारिता मंत्री और हमारे वर्तमान भैरोंसिंह जी की सरकार बहादुरी के साथ कह सकते हैं कि इस साल चुनाव कराने का वादा था, सहकारिता के चुनाव, जी. एस. एस. के चुनाव राजस्थान स्तर पर, ज्यादातर तो पूरे करा दिये गये हैं जहां कोर्ट का स्थगन नहीं है उसको छोड़ करके। यह भी एक बहादुरी की बात है कि वायदे के मुताबिक सहकारिता के सारे चुनाव कराकर सहकारिता मूवमेंट को जिन्दा रखने का काम इस सरकार ने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है, कि चाहे संख्या के अनुसार 1000 हो लेकिन इस बात की तरजीह दी गई माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा कि शहरों और ग्रामों की शिक्षा के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय, समान दृष्टिकोण अपनाया जावे।

इसी के साथ, जहां तक मुझे याद है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी बीकानेर आये पार्लियामेन्ट के चुनाव के पहले, आपने भी देखा होगा और पढ़ा होगा कि पंचायत बिल जो पार्लियामेन्ट में पेश किया गया कि पंचायतों को ज्यादा अधिकार देंगे, पंचायतों को ज्यादा सक्षम बनायेंगे। इसी बिल के आधार पर उनका चुनावी मेनीफेस्टो था लेकिन पंचायतों को अधिकार यह कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में क्या दे पायी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि आपने चुनी हुई, संस्थाओं का विश्वास करने का पहली बार काम किया है। आपने कच्चे काम जो 10,000 तक की सीमा के होंगे, इस बजट में प्रावधान रखा है. माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि ग्राम पंचायत बगैर किसी बड़े अधिकारी की सिफारिश के ग्राम पचायतों, में ग्राम पंचायतों की आवश्यकता के अनुरूप ग्राम पंचायत ही बैठकर स्वीकृत कर सकती है। इसी तरह से 50,000 तक के पक्के काम हैं, उनकी स्वीकृति का अधिकार भी आपने ग्राम पंचायतों को देकर सही मायने में यह सिद्ध किया है कि जो राजीव गांधी और कांग्रेस (आई) पंचायतों को सक्षम बनाने की बात किया करती थी उनके थोथे नारे थे, हकीकत में कलम से अगर किसी ने पावर दी है तो माननीय मुख्य मंत्री जी भैरोंसिह जी की सरकार ने पहली बार फैसला किया कि ग्राम पंचायतों को यह अधिकार दे दिया जाय कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो काम करना चाहे, गांवों की आवश्यकता के अनुसार 50,000 तक पक्के काम और 10,000 तक कच्चे काम दोनों की स्वीकृति आपने देकर सही मायने में पंचायती राज में, प्रजातन्त्र में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपना गांव अपना काम योजना की खिल्ली, बड़ी मजाकें उड़ाया करते थे इधर से बैठने वाले मेरे साथी। लेकिन इसके परिणाम आये उसको आप भी भरतपुर में महसूस कर रहे हैं और मैं भी अलवर में महसूस कर रहा हूं और इसी के साथ कि प्रजातंत्र कैसे जिन्दा रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री जगमालसिंह यादव)

महोदय, दिल चौड़ा और मन बड़ा है माननीय भैरोंसिंह जी का और भैरोंसिहजी की सरकार का। आपके जो भी विकास के काम पिछले पांच सालों में हुए, मेरा राजनैतिक जीवन बहुत लम्बा नहीं है लेकिन मैं यह दावे से कह सकता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच सालों में मैंने अपने क्षेत्र के और जिले के विकास के कार्य के लिए जब भी कांग्रेस सरकार के पास गया तो इन्होंने काम करने का तरीका केवल राजनैतिक आधार रखा, हमारे कहने से न एक स्कूल खोला गया, न हमारे कहने से एक स्कूल का भवन बनाया गया, न हमारे कहने से सड़क बनायी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं, एक कलम से माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिहजी ने यह फैसला किया कि अपना गांव अपना काम योजना में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 लाख रुपये लागत के निर्माण कार्य और विकास के काम होंगे।....

**श्री उपाध्यक्ष** : बढ़वाओ इसको।

**श्री जगमालसिंह यादव** : आपने देखा होगा कि सभी को पत्र भेज कर मुख्यमंत्री जी ने यह आगाह किया और इत्तला भी....

**श्री उपाध्यक्ष** : 10 लाख से ज्यादा करवाओ। (व्यवधान)

मैं एक करोड़ की बुकिंग करा सकता हूं अभी।

**श्री जगमालसिंह यादव** : शुक्रिया मेरी बात को ताईद किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बढ़वाओ इसको।

**श्री सम्पत सिंह** : आप आदेश कर दो, उपाध्यक्ष महोदय, हम तो मानने को तैयार हैं।

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि राशि कितनी है लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा चुना हुआ सही मायने में वैधानिक तरीके से चुनकर आया हुआ राजस्थान की विधान सभा में बैठा हुआ एक-एक विधायक का सम्मान माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस योजना के मार्फत किया है। राजस्थान का सन्तुलित विकास तो किया ही है। मेरी इसमें इसके पीछे जो दूसरी भावना माननीय मुख्यमंत्रीजी की और भैरोंसिहजी की सरकार की है, इसमें समान तरीके से यह था कि अपने विधान सभा क्षेत्र में एक विधायक जिम्मेदारी ले कि 10 लाख के कौन से विकास के काम वह करवाना चाहता है। उनमें कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और कांग्रेस और जनता दल (दिग्विजय सिंह) का कहीं भेदभाव नहीं बरता। जो माननीय सदस्य प्राथमिकता के आधार पर करवायें, करना चाहे, यह दूसरी बात है कि किसी माननीय सदस्य की इतनी पहुंच नहीं है कि वह अपने इलाके में 10 लाख रुपये के काम ही नहीं करवा सकता तो इसमें भैरोंसिहजी आपको कुछ नहीं दे सकते। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दूसरा फायदा, माननीय भैरोंसिह जी ने सोचा कि सब से बड़ा फायदा यह था कि आपने पिछले 10 सालों

(श्री जगमालसिंह यादव)

से देखा है, मैंने पिछले पांच सालों से देखा है कि जहां भी पंचायत के मार्फत जो विकास कार्य हाथ में लिये गये थे, मेरे ख्याल से राजस्थान की विधानसभा जब जब चली उसमें गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, सरपंच को निलम्बित करने की मांग हुई लेकिन पहली बार यह अच्छा प्रयास किया जो सतत् प्रयास होगा, जो गांव की साझेदारी का प्रयास होगा कि 20वीं सदी की राशि जहां गांव का आदमी अपना गांव अपना काम योजना में जमा करवा देगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप गांव के रहने वाले हैं; आप सोच पायेंगे कि सरपंच को या उस एजेन्सी को जो विकास का काम करवायेंगे उसका तीसरी सदी की लागत वह लगायेंगे, उस ग्राम पंचायत में एजेन्सी को गबन करने देंगे या खा जाने देंगे। वहां गांव की कमेटी बैठ कर यह फैसला करे कि आज अगर 500 रुपये खर्च हुए हैं तो 490 का हिसाब नहीं लेने देंगे पूरा 500 का हिसाब चाहिये। यह एक राजस्थान को विकास की ओर सोचने वाले मुख्य मंत्रीजी की सोच हो सकता है। इनकी तरह का सोच नहीं हो सकता कि दिल्ली से जवाहर योजना आ गई हैं, बना रहे, दिल्ली से कल कोई दूसरी योजना बदल दी। इनका अपना किसी का बजट बनानें में, कांग्रेस जब इस सत्ता में रही इनका हुक्म और इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया, दिल्ली से जो हुक्म मिला उस हुक्म के जिम्मेदार हैं उस हुक्म को निभाया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी जिनकी सरकार आज वर्तमान में है उनके साथ ऐसा फैसला नहीं है ।....

**श्री उपाध्यक्ष :** सम अप करें।

**श्री जगमालसिंह यादव :** अभी तो मैंने चालू ही किया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** समय सीमा है।

**श्री जगमालसिंह यादव :** मेरी पार्टी का समय सब से कम है, अभी 36 मिनट हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** आज चार बजे उत्तर आना है।

**एक माननीय सदस्य :** अच्छा बोल रहे हैं, बोलने दीजिये।

**श्री जगमाल सिंह यादव :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां जिस मामले में माननीय भैरोंसिहजी ने या भैरोंसिहजी की सरकार ने यह महसूस किया कि हमारी योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है या कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत है। बजट भाषण में आपने देखा होगा कि राजकीय उपक्रम के बाबत बेदाग बेलाग सदन से यह इजाजत मांगी कि जितने राजकीय उपक्रम हैं उनमें से 21 घाटे में चल रहे हैं लगातार उसमें घाटा बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिलेरी से इस बात को स्वीकार किया कि राजकीय उपक्रम जो चल रहे हैं घाटे में चल रहे हैं यदि सदन की इजाजत हो तो सदन इस पर बहस कर लें गुण-दोष पर और अगर सदन यह फैसला करें कि उनको बन्द किया जाना जरूरी है तो मुख्य मंत्रीजी बन्द करने को तैयार हैं और सदन समझे कि यह राजकीय उपक्रम ठीक चल रहे हैं तो राजकीय उपक्रम चलाने के लिए तैयार हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि प्रत्येक चीज को गुण-दोष के

(श्री जगमालसिंह यादव)

आधार पर इतनी हिम्मत तो है माननीय मुख्य मंत्रीजी में कि सदन जो कहे उसको स्वीकार करने को तैयार हैं, आपके विचार भी सुनने को तैयार हैं, फैसला आपकी राय से करने को तैयार हैं,—आपको प्रत्येक अच्छे फैसले में आपकी राय को निमन्त्रण दे रहे हैं और स्वीकार करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से तीन जिलों की घोषणा की है। विपक्ष चाहे यह बात महसूस करे कि यह राजनैतिक घोषणा हो सकती है। लेकिन यह इसलिए राजनैतिक घोषणा नहीं हो सकती, प्रथमतः तो कांग्रेस के जमाने से यह मामला लम्बित पड़ा था कि नये ज़िले बनाये जाने विकास की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं जिनका प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चलता वह जरूरी है। खास कर दौसा, राजसमन्द और बारां तीन नये जिले कायम करके निश्चित तरीके से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां के लोगों की जो....

**एक माननीय सदस्य** : हनुमानगढ़ और करौली का क्या हुआ ?

**श्री जगमालसिंह यादव** : उसको भी देखेंगे अगर हमको और चार साल मिले तो आवश्यकता के अनुसार और जिले यह सरकार बनायेगी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, सदन में शांति बनाये रखें।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं। मैंने बात बजट के बाबत की है। कांग्रेस की ओर से खास कर हमारे पूर्व नेता बोल रहे थे कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, राजस्थान की सरकार पर केवल भ्रष्टाचार के अलावा उनको कोई दूसरी बात ही नज़र नहीं आती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नैतिकता की दुहाई देते हैं, पिछड़ों की दुहाई देते हैं, मण्डल आयोग के आधार पर चुनाव के मैदान में जाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं और खास कर जिम्मेदारी बनती है जो मेरे पूर्व नेता रहे हैं जो आज जिस मुद्दे को लेकर पालियामेण्ट का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी राजस्थान विधान सभा में मण्डल आयोग को उठाने वाला मैं, भाई सम्पतसिंह और दूसरे माननीय सदस्यों के साथ पिछले पांच सालों में काफी उठाया है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी गवाह बैठे हैं और पूर्व नेता मेरे चले गये उठ करके।....

**एक माननीय सदस्य** : घोषणा तो करवा दो मण्डल आयोग की।

**श्री जगमालसिंह यादव** : समय आयेगा तो वह भी होगी। चिन्ता मत कीजिये आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पूर्व नेता ने मंत्रीमण्डल में कितनी बार इस मसले को उठाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मण्डल आयोग पर जब मैं डिबेट यहां करना चाहता तो नत्थी सिंहजी यहां से उठ करके मुख्य मन्त्रीजी

(श्री जगमाल सिंह यादव)

को उकसाने का काम करते थे। नत्थी सिंह यहां से उठ कर उनको बैठाने का काम करते कि मण्डल आयोग की बात इस सभा में मत करो, कहीं सरकार न टूट जाय, कहीं कुर्सी न चली जाय। आज यह मण्डल आयोग की बात करने लगे। दुर्भाग्य की बात है मण्डल आयोग के हिमायती हम हैं जो भैरोंसिंहजी की सरकार में बैठे हैं। मण्डल आयोग के मामले में भारतीय जनता पार्टी की नीति चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी केवल खोखे नारों के आधार बैकवर्ड से वोट लें, उनके हमदर्दी बनें। पता लग जायेगा दो महीने बाद चुनाव आ रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो हमको दलबदलू कह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। उनको इतना ध्यान नहीं होगा कि उन्होंने अपने जीवन में दल कितने बदले हैं यह गिन कर भी, नहीं बता सकते। हमने कोई दल नहीं बदला। राजस्थान की जनता ने हमको जहां भेजा था हम आज भी वहीं बैठे हैं। जब हम चुन कर आये, जब राजस्थान विधान सभा का गठन हुआ, आपको भी ध्यान है कि हमारा स्थान इधर था और आज भी हमारा स्थान उधर ही है। जो उधर उठा कर चले गये। बदली सीट उन्होंने या हमने सीट बदली है! हमको तो राजस्थान के लोगों ने जो सीट अलाट की है आज भी आपके सामने हम उसी सीट पर बैठे हैं। माननीय उपायध्क्ष महोदय, सीट छोड़ कर चले गये, अपना दल छोड़ कर चले गये, साथी छोड़ कर चले गये। दलबदलू तो आपको उनको कहना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा आरोप मंत्री होकर नहीं लगाना चाहता अगर आज होते मेरे पूर्व नेता, मैं बताता कि वह चुनाव की प्रक्रिया में कितना विश्वास करते हैं।

**श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)** : अब तो कोई नहीं है अब तो (व्यवधान)

मण्डल आयोग को लागू करवाने की घोषणा करवा दो आप अब तो नत्थी सिंह जी तो हैं नहीं, और भैरोंसिहजी को कोई उकसायेगा नहीं, इसलिए माननीय सदस्य अब सहारा लगा कर घोषणा करवादो।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। सम अप करें।

**श्री जगमालसिंह यादव** : कैसे समाप्त करूं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त नहीं सम अप करें।

**अनेक माननीय सदस्य** : आ गये।

**श्री टीकमचन्द कांत** : समय जायेगा इनके आने से।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आ गये हैं। मुझे वह बात कहनी जरूरी है। बारबार हम को दलबदलू कहा गया।

**श्री नत्थी सिंह** : पाइंट आफ पर्सनल क्लेरी फिकेशन। यह करते हैं कि हम रोकते मण्डल आयोग को। मुख्य मन्त्रीजी से पूछ लो मैंने कहा था। मेरा ही बयान है कि लागू करेंगे। यह फिसल गये। इनको क्या हो गया? इनका सत निकल गया और राम

(श्री नत्थी सिंह)

निकल गया। मण्डल आयोग की बात करते हो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सम्भव हो सकता है कि राजस्थान मंत्रिमण्डल में इन्होंने उठाया हो। इस बात की शहादत तो देंगे माननीय मुख्य मन्त्री, भैरोंसिहजी....

**अनेक माननीय सदस्य** : मण्डल आयोग लागू करो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का तो मैं चश्मदीद गवाह हूं कि यह मण्डल की राजस्थान के मन्त्री मण्डल में उठाने की बात करते हैं तो विधायक दल के सदस्य तो आप भी रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय पूर्व नेता से विधायक दल में मण्डल आयोग लागू करने के फैसले को कितनी बार विचाराधीन रखा....

**श्री नत्थी सिंह** : इतना होश नहीं आपको। हमारी तो आल इंडिया पालिसी है। मण्डल बैठा है कमण्डल कैसे चले गये। मण्डल के होते हुए कमण्डल में कैसे चले गये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : यह तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मण्डल और कमण्डल का भेद तो जब लगता है जब कुर्सी निकल जाती है। जब यह इधर बैठते थे तो कमण्डल केसमर्थक थे और हम मण्डल के समर्थक थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आज भी मण्डल के भी समर्थक हैं और कमण्डल के समर्थक भी हैं लेकिन अब यह कमण्डल के समर्थक नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम को चेलेंज करते थे कि आपको पता लग जायेगा। कुदरत ने और हिन्दुस्तान की राजनीति ने आपको और हम को मौका दे दिया और यह सिद्ध कर दिया। अकेले सम्पतसिहजी ने जो आपके राजस्थान के कृषि मंत्री भी हैं भरतपुर में आपके विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए जगह पर जहां आप लोग अपना गढ़ समझते थे जनता दल का, नत्थी सिहजी यह चेलेंज किया करते थे वहां लोगों की सभा करके, जुलूस निकालकर सम्पतसिहजी ने अपना नेतृत्व प्रकट कर दिया और आज आपको सलाह देता हूं भूतपूर्व माननीय नेता महोदय हम पर जो चार्ज लगाने वाले हैं, हमारे पूर्व नेता हैं, आदर के साथ आपको सलाह देता हूं भरतपुर की चुनाव रण नीति में मत उतर जाना अगर जमानत बचाके आ सके तो बता देना यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप राजस्व मन्त्री भी नहीं हैं।

**श्री नत्थी सिंह** : वह मौका आ रहा है। अलवर से तो आप जमानत बचा लें।

**श्री सम्पत सिंह** : चुनाव केवल जीतने को नहीं लडे हैं हमारे यहां चन्दा उगाने के लिए भी लड़े जाते हैं।

**श्री नत्थी सिंह** : यह अपना अनुभव बता रहे हैं।

**श्री सम्पत सिंह** : बहुत कड़ुवा अनुभव है।

**श्री जगमालसिंह यादव** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर का विवरण मेरे से चाहते हैं। अलवर के किसान सम्मेलन की मैं अपने मुंह से कोई बात कहूं इस बात की ताइद तो राजस्थान में और दिल्ली से दूरदर्शन पर जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, प्रेस ने लिखा, वह ताईद करेगा। मेरे से अलवर के जलसे की बात करेंगे। किसी दिन आपके बड़े नेता चैलेंज देकर कहेंगे उसी दिन भैरोंसिहजी का वह जलसा मैं कराने में सक्षम हूं जो राजस्थान और हिन्दुस्तान के बड़े बड़े लोगों का नहीं हुआ होगा और यह भी तय हो जायेगा कि किसानों का नेता कौन है और एक बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूर्व नेता से कहना चाहता हूं कि इतना जरूर ध्यान रखना। इस बार आपने जो काम किया। आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष प्रजातन्त्र में विश्वास करता हूं आज बता रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार मुंह खोल रहा हूं मेरा बाई इलेक्शन हुआ। चुनाव चिन्ह का फैसला मेरे हक में हुआ। यह ताईद और जांच का विषय है जब बैलट पेपर छपने के लिए दिये गये तो चुनाव अधिकारी जो किशनगढ़ के ए. सी. एम. थे उन को टेलीफोन किया जाता है माननीय तत्कालीन राजस्व मंत्री जी का बैलट पेपर छापने को मत दे देना। नौकरी तो मेरे अधीन करनी है।

**श्री नत्थी सिंह** : 16 आने असत्य है। बिल्कुल असत्य, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं कहना चाहता हूं कि अपने दिल पर हाथ रखो। मैं नहीं होता तो इस विधान सभा में तिजारा से चुनकर नहीं आते। मैंने ही सब को राजी किया था, इनको चुनवा कर लाया।

**श्री सम्पत सिंह** : जगमालसिंह, आप इतना बुरा क्यों मानते हैं ? यह तो सब के साथ ऐसा ही करते हैं।

**श्री नत्थी सिंह** : तब ही तो आपकी जमानत बचाकर लाया हूं।

**श्री सम्पत सिंह** : खूब कोशिश कर ली और अबके कर लीजो।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : इस बात का फैसला मैं स्वीकार कर सकता हूं। गम्भीरता से आप से कहा हूं आप मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए विधान सभा, पार्लियामेण्ट के चुनाव साथ आ रहे हैं। कुम्हेर से आप अपना इस्तीफा दे दीजिए मुख्य मंत्रीजी, मैं स्वेच्छा से आपका मंत्रि-मण्डल छोड़ता हूं और इस बार आप मुझे हराने की कोशिश कर लेना मैं आपके विधान सभा क्षेत्र में नहीं जाऊंगा अगर मुझे राजस्थान विधान सभा में आने से रोक लेंगे तो जिन्दगी भर की राजनीति छोड़ दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर शर्त हो तो मैं पांच मिनट बैठता हूं आप विचार कर लीजिए। दोनों इस्तीफा सौंपते हैं, लिखिए आप। आप दूसरे जिन को जनता दल का नेता मान रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी पर साम्प्रदायिक होने का दाग लगाने की बात करते हैं। मैंने कभी विधान सभा से बाहर की चर्चा इस विधान सभा में नहीं की। आपको ध्यान होगा 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भैरोंसिंह शेखावत साहब जिस समय वोट आफ

(श्री जगमाल सिंह यादव)

कान्फीडेंस सीक कर रहे थे आपके मुंह से निकल गया हम को तो जगमाल सिंह ने मरवा दिया। क्यों मरे मेरे कहने से यह सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में बोम्मोई साहब के यहां दरबार लगा। हिन्दुस्तान के बहुत बड़े मंत्री को इस बात के लिए तैयार करके लाया गया कि किसी भी तरीके से यह फैसला करा दो कि माननीय भैरोंसिंहजी के मंत्री मण्डल से हमको समर्थन वापस नहीं लेना पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञान है या नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरी नीयत ही यह थी कि जिनको इधर बैठना चाहिए था वह इधर बैठे और जिनको इधर बैठना चाहिए था वह इधर बैठे। हम नाकारा लोग थे, यह सक्षम लोग थे। मैं इनको इस्तीफा दिलाकर लाया यह सही है और आपको ध्यान होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन कर रहा हूं राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय सम्पतरामजी प्रेस कान्फ्रेंस करके कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और मैं राजस्थान का गृह मंत्री होता तो आडवानीजी को जयपुर में गिरफ्तार करता, राजस्थान में करता, आपने भी पढ़ा होगा, प्रेस के लोगों ने छापा और फ्रण्ट पेज पर छापा। इन की बहादुरी देखिए कि 8 तारीख को पांच बजे तक इस बात का प्रयास कर रहे थे गाडी निकल गयी किसी भी तरीके से मुख्य मंत्रीजी से अगर समझौता हो जाये तो मैं इस सरकार में फिर आ जाऊं। फिर बयान देते। जब मैंने सवाल किया कि आप तो यह कहते थे तो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया। यह कुर्सी और सत्ता का मोह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

एक बात बोम्मोई साहब के सामने हुई, आपको ध्यान में होगा, मैंने कहा था, आप कह रहे थे सरकार में शामिल होना चाहिए वरना गुजरात की सरकार गिर जायेगी। इन को राजस्थान तक की चिन्ता नहीं थी चिमन भाई की सरकार भी बचानें की बात कर रहे थे यह लोग।

**श्री नत्थी सिंह :** आपका क्या रूप है, क्या ईमान बेचा है दुनिया जानती है और राजस्थान जानता है। काहे को अपने गुण बखान कर रहे हो। अपना ईमान बेच गये, दल तक बेच गये, सब कुछ बेच गये फिर भी बोल रहे हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव :** पहले मुझे भी ऐसा ही अनुभव होता था जैसा आपको हो रहा है।

(3.48 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, प्रासंगिक है इसलिए दो मिनट में अर्ज करूंगा फिर बैठ रहा हूं। प्रसंग आया तो यह कहने लगे कि भैरोंसिंहजी की सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजस्थान में सरकार ऐसे ही चलायेंगे जैसी अब चल रही है। मैंने निश्चित कहा था अध्यक्ष महोदय, बोम्बोई साहब से कि बोम्बोई साहब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ शामिल रहना है या नहीं रहना है यह माननीय नत्थीसिंहजी या सम्पतरामजी पर मत छोड़िए। यह फैसला करना दिल्ली का काम है कि हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के जनता दल से कैसे सम्बन्ध होंगे। यह बात मैंने कही थी आपको ध्यान होगा।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हमारे गृहमंत्री कहते हैं मैं इस बात का हामी हूं कि कट्टर हिन्दूवाद भी नहीं चलेगा और इस देश में कट्टर मुस्लिम वाद भी नहीं चलेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म आती है, आज वे हैं नहीं उनकी अवल का नमूना देखिए माननीय बोम्बोई साहब को यह बयान दे रहे थे यह लोग कि जिस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए गृह मन्त्री वक्तव्य दे रहे थे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मैंने इस मस्जिद के आस-पास हजारों पुलिस का इन्तजाम कर दिया था और यह आदेश फर्मा दिया था कि मस्जिद को हाथ भी लग जाय तो जयपुर और राजस्थान के हजारों आदमी भी मर जाये आप गोली चला देना, मस्जिद को हाथ नहीं लगे। मैं कहना चाहता हूं मैंने तत्काल सवाल किया बोम्बोई साहब के सामने इस राजस्थान में शरद यादव मण्डल आयोग की रैली को सम्बोधित करने आये थे। मैंने कहा गृहमंत्रीजी पुलिस आपका इतना ही कहना मानती थी तो उस राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री की रामनिवास में सभा कैसे नहीं होने दी। मैं पूछता हूं कि आपका अगर पुलिस इतना ही कहना मानती थीं तो आपने सभा क्यों नहीं करवा दी। मैंने कहा माननीय बोम्बोई साहब को अपने गृह मंत्री को देखिए 24 तारीख को हत्याएं हो, साम्प्रदायिक दंगे हो गये, भारतीय जनता पार्टी को साम्प्रदायिक बता रहे हैं और सारी हत्यायें अपने सर ले रहे हैं। इसका मतलब साफ हुआ जयपुर के दंगों में जितने लोग मरवाये गृहमंत्रीजी, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने स्वीकार कर चुके हैं कि गोली मैंने चलवायी। जितने जयपुर के लोग मरे वह मैंने मरवाये केवल मस्जिद को बचाने के लिए।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : मेरी पार्टी का समय है।

**श्री अध्यक्ष** : आपकी पार्टी के बोलने वाले हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके मामले में बोल रहा हूं। मैं सलाह दे सकता हूं।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : बजट पर बोलने के लिये तो है नहीं आपके पास। इसलिये दूसरी बातों पर बोल रहे हैं।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं। यह तथ्य का मामला है। इस बार भैरोंसिंह जी की सरकार बनने के बाद और कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगों की लपट फैली, जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगों में लोग मरे, मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान का एक दो सूबा ही ऐसा होगा, चाहे वह यू. पी. हो, चाहे आन्ध्रा चाहे, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडू हो और चाहे बिहार हो चाहे राजस्थान हो, इन दंगों में मरने वालों की संख्या राजस्थान सरकार के एक दो सूबों से ज्यादा हो तो मैं कह नहीं सकता वरना कांग्रेस के जहां शासन है, दंगा भड़काने का काम आपने ही किया। जहां मौत हुई दंगों में वह भी आपके राज्यों में ज्यादा है। वरना आप

(श्री जगमाल सिंह यादव)

आंकड़े निकालकर देख लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात से जरूर सचेत करता हूं माननीय मुख्यमंत्रीजी को कि चुनाव का साल है, दंगे ये भड़कायेंगे, नाम लेंगे और एस एस का, नाम बी. जे. पी. का लगायेंगे। प्रशासनिक कुशलता इतनी होनी चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तरीके से, एक बार जिस तरीके से राजीव गांधी कर चुके। आप लोग भी मण्डल आयोग के कितने समर्थक हैं, मैं अभी अर्ज कर देता हूं। वाराणसी में जाते हैं, जहां-जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ज्यादा हैं। राजीव गांधी से सवाल पूछा जाता है, मण्डल आयोग के मामले में आपकी क्या राय है। कहने लगे बिलकुल गलत फैसला है, मेरी इसमें कोई सही राय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पांच दिन बाद आप बिहार में पटना जाते हैं बैकवर्ड की आबादी है, जहां मुसलमान और माइनोरिटी की आबादी है। राजीव गांधी से सवाल पूछा जाता है, मण्डल आयोग में आपकी क्या राय है। कहते हैं, फैसला जल्दबाजी का है, कदम अच्छा है। मैं कहता हूं, न आप मण्डल के रहे, न कमण्डल के रहे। (व्यवधान)

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : राजस्थान सरकार की राय बता दीजिये। आपकी सरकार की क्या राय है ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनका तो वजूद ही नहीं है राजस्थान में। दिल्ली में जनता दल और हिन्दुस्तान में जनता दल का क्या वजूद होगा, क्या भविष्य होगा, मैं आज कुछ नहीं कह सकता। मेरी पार्टी रही है, मुझे हमदर्दी है लेकिन आपका यहां कोई भविष्य नहीं आपकी तो मैं बात ही नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के लोगों आपको भी इस बात का पता लग जावेगा। मण्डल आयोग की बाबत मैंने आपसे बताया। अब बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि की बात करते हैं। दंगे भड़कने के बाद, मुझे गर्व है इस बात का कि पहली बार हमारे राजस्थान से ऐसा कोई पैदा हुआ कि हिन्दुस्तान लेवल के इश्यू को, न केवल हिन्दुस्तान लेवल का इश्यू बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय इश्यू, जिससे मुसलमान सम्प्रदाय की भावना है, अरब जगत से और विश्व के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ी हुई है, उस मामले की पंचायत और उस मामले में पंच का काम मेरे राजस्थान का मुख्यमंत्री कर रहा है। यह राजस्थान की जनता का सौभाग्य ही हो सकता है। आप जो राजस्थान का नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको आपके प्रधान मंत्री मिलते तक का समय नहीं देते और आज न प्रधान मंत्री उस समय जब वी. पी. सिंहजी थे और न प्रधानमंत्री आज जब चन्द्रशेखरजी थे, बी. जे. पी. के नहीं थे लेकिन उन्होंने यह देखा कि किस आदमी में क्षमता है। हिन्दुस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे को, जो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा था, उसका पंच फैसला करने का काम उनका विश्वास करके माननीय मुख्यमन्त्री भैरोंसिहजी को सौंपा। आप कहते ही हैं काबिलियत की बात। पहली बार राजस्थान में हिन्दुस्तान में इस बात को महसूस किया गया कि इस साम्प्रदायिक सौहार्द्र

(श्री जगमाल सिंह यादव)

को बनाने के लिये देश में साम्प्रदायिक दंगों के खिलाफ अगर कहीं का मुख्यमंत्री है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत है। यह प्रमाणित किया इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के लोगों को एक साथ बैठाने के लिये (व्यवधान) किया है। आप बताओं, नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की बात है, न यह बाबरी मस्जिद भूमि पर थे, न यह रामजन्म भूमि पर थे। सीधा सा खेल दो बटा, बी. जे. पी. ने लगाया जय सियाराम का नारा, वी. पी. सिंह ने लगाया अल्लाह-हो-अकबर का नारा ये बीच में लटके रहे। अध्यक्ष महोदय, बी. जे. पी. ने लगाया, जैसे यह कहते है, इनकी भाषा में, कमंडल का नारा, वी. पी. सिंह ने लगाया मण्डल का नारा। आप कहां हो। न आपके साथ थे सवर्ण, न (व्यवधान)

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : पिछले बजट सत्र में मण्डल आयोग को लागू करने की बात कही थी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : यही मैं कह रहा हूं।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अब आप सरकार में बैठे हो। मेरा निवेदन सुन लो। पिछले बजट सत्र की जो आपकी स्पीच थी, उसमें आपने मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की पुरजोर मांग की थी।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आज भी करता हूं।

**श्री हरीसिंह** (महुआ) : हम आपके अहसानमन्द होंगे।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : अब तो आप सरकार में हो, अब तो आप मनवा लो। मांग क्या करते हो आप? अब खुद रख दो। सरकार आपकी है, आप सरकार में हो, आप खुद ही रख दो उसको।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : आपकी नीति के बाबत मैं एक मिनट में अर्ज करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठना चाहता हूं। मेरी बात शायद ठीक नहीं लग रही हैं।

**श्री प्रेमसिंह दहिया** : यह घोषणा करके ही बैठो मण्डल आयोग के लिये।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस बात का प्रतीक है कि पिछले 10 दिनों में हिन्दुस्तान का जो राजनीतिक घटनाचक्र घूमा है, आपने भी देखा होगा, हिन्दुस्तान के प्रत्येक वोटर, हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक ने, आप सब ने हमने पढ़ा होगा। पहले राजीव गांधी चन्द्रशेखर से बारगेनिंग करना चाहते थे–बिहार की सरकार भंग करो तो प्रधानमंत्री रहोगे, राजस्थान की सरकार भंग करो तो प्रधानमंत्री रहोगे, हरियाणा की सरकार भंग करो तो प्रधानमंत्री रहोगे। लेकिन इस सदन की मार्फत, चन्द्रशेखरजी मेरे नेता नहीं है, उस चन्द्रशेखरजी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस की बारगेनिंग करने की नीति को जिस तरह नंगा किया है, जिस तरह से बेनकाब किया है

(श्री जगमाल सिंह यादव)

चन्द्रशेखरजी मेरी तरफ से कम से कम बधाई के पात्र है।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय तिजारा से आने वाले सदस्य, तमिलनाडू का क्या हुआ?

**श्री जगमाल सिंह यादव** : बताऊंगा वह भी। हम और आप में भी बहुत भजन लाल हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी का परिणाम था, आपने देखा होगा उस रोज सदन से वाक-आउट कर गये। देश के प्रधानमंत्री ने तुरन्त प्रजातान्त्रिक मूल्यों की कद्र करते हुए राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और जब इस्तीफा सौंप दिया तो 3 दिन 4 दिन तक बिल्कुल कोशिश करते रहे कांग्रेस की तरफ से, राजीव गांधी की तरफ से कि हमने समर्थन वापस नहीं लिया, आप प्रधानमंत्री बने रहे। इसलिये आपसे कहता हूं जिस आने वाले चुनाव की इच्छा में आप बैठे हो, आपके नेता को पता है वरना कहीं कोई रास्तें में कंकड नहीं था। जब चन्द्रशेखर ने इस्तीफा दिया तो चुनाव का बिगुल बज जाना चाहिये था। आप तो चन्द्रशेखरजी के सामने एक सप्ताह तक गिड़गिड़ाते रहे कि देवता, प्रधानमंत्री तुम और समर्थन हमारा। और अक्ल के नमूने देखिये। जिस पार्टी की लगाम ऐसे अक्लमंद और स्यासतमंद के पास हो, भगवान ही बेड़ा पार करेगा, आने वाले चुनावों में क्या होगा। हिन्दुस्तान की सल्तनत....

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : आप रहे ना तो भैरोंसिहजी का अपने आप कल्याण हो जायेगा।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : हिन्दुस्तान की सरकार को गिराने का बहाना क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहाना था कि हरियाणा पुलिस के दो कान्टेबल माननीय राजीव गांधी के 10, जनपथ के सामने खड़े होकर एक टी स्टाल पर चाय पी रहे थे। यह बयान दिया कि मेरी कोठी के सामने दो हरियाणा के कांस्टेबल खड़े थे। इसलिये हिन्दुस्तान की सरकार से समर्थन वापस लेता हूं। इसलिये जिस अक्लमंद आदमी के पीछे आप चल रहे हैं, इस नाव में छेद है। बीच में जाकर डूबेगी। इससे भाग लो, मैं आपसे कह रहा हूं।

**श्री डूंगरराम पंवार** : निगरानी का क्या डर था? बोफोर्स सौदे में कमीशन मिल गया। नोट गिन रहे थे।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : नहीं, आप के अन्दर बैठने से भैरोंसिहजी की नाव में जो छेद हो रहा है, यह भुगतेंगे। भैरोंसिह जी को मालूम पड़ेगा बाद में।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो विकास के काम हैं, इस बजट में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति जो माननीय मुख्यमंत्रीजी ने रखी है, विकास के काम....

**श्री परसादी लाल मीणा** : केसर बाई का मुकदमा वापस लिया कि नहीं भैरोंसिहजी ने? ले लो नहीं फिर रह जाओगे।

**श्री जर्नादन सिंह गहलोत** : जो रेप केस है, उसकी रिपोर्ट तो पेश कर दो। इन्होंने भैरोंसिंहजी बोलते थे कि मंत्री के खिलाफ है। जगमालसिंह के खिलाफ भैरोंसिंहजी ने यहां बोला था। उसमें कमेटी बनाई थी, वह तो कम से कम पेश कर दो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपको जानकारी नहीं है। आप सदन में नहीं थे। मैं नहीं बोला हूं।

**श्री जर्नादन सिंह गहलोत** : वह मुझे मालूम है। बन्द है कहां पर, यह भी मालूम है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माथुर साहब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इनको बरी कर दिया था।

**श्री जगमाल सिंह यादव** : राजस्थान का सन्तुलित जो बजट है, उसका पुनः समर्थन करते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्रीजी को वित्त मंत्री के रूप में मैं बधाई देता हूं कि यह दिनोंदिन राजस्थान की जनता, यह राजस्थान की सत्ता आपके हाथ में आने वाले दिनों में लगातार रहे तो इस राजस्थान का कायाकल्प होगा वरना इनके हाथ में डूबेगा।

**श्री अध्यक्ष** : एक मिनट, माननीय सदस्य। बैठिये।

4 बजे जवाब शुरू होना था। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि और लोग बोलें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

**श्री नत्थी सिंह** : यह जब सरकार को चार बजे देना था....

**श्री अध्यक्ष** : बैठें आप। आप बोल रहे हैं ?

**श्री नत्थी सिंह** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पहले जब यातायात मंत्री खड़े हुए थे तब हमने कहा था कि हमारी तरफ से नाम दिये हुए हैं। हमने कहा, 4 बजे आप जवाब देंगे, मंत्रीजी, को बोलने दिया तो केदारजी को भी बोलने दो।

**श्री अध्यक्ष** : 10 मिनट बोल लें। माननीय केदारजी। ज्यादा टाइम नहीं लें।

(4.00 म. प.)

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्षजी, 4 मार्च, 1990 से लगातार 26 अक्टूबर, 1990 तक हम इसी सरकार में थे और हमारा भी काफी सहयोग रहा है। इन्डीविजुली और कलेक्टिवली मगर 26 अक्टूबर तक जितनी भी सरकार की फेलिग्स रही हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी साझी हैं, मगर 26 अक्टूबर के बाद न तो यहां कोई आन्दोलन हुआ, न यहां पर कोई व्यापक लॉ-एण्ड आर्डर की प्रोब्लम पैदा हुई और न ही किसी पार्टी ने स्ट्रगल और आन्दोलन किया। आपको पूरा टाइम मिला अपनी सरकार की नीतियों के बारे में, अपने डिपार्टमैण्ट को संभालने में, ब्यूरोक्रेसी को कण्ट्रोल करने में और लोगों की भलाई के लिए मेजर स्टेप्स उठाने में। अध्यक्षजी, हम इस बात को मानते रहे कि जो बजट आपने पेश किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, हम एप्रिसियेट करते हैं। आज, जब, अध्यक्षजी, मैं बोल रहा हूं वह मेरे दिमाग में यह

(श्री केदारनाथ शर्मा)

चीज है कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद और लोकसभा भंग होने के बाद, केयर टेकर गवर्नमैण्ट बनने के बाद मैं अपने आपको काफी इर्रिलेवेंट महसूस कर रहा हूं। सारी पोलिटिकल सिनयरो इस देश की चेंज हो गई, हम ऐसी लिक्विडिटी स्टेज पर बैठे हैं कि मालूम नहीं आने वाले इवेण्टस क्या शेप लेंगे, यह कोई कह नहीं सकता। मगर एक बार आम जनता के दिमाग में यह चीज आ गई कि देश की लीडरशिप ने देश के साथ बहुत बड़ा विद्रोह किया, बहुत बड़ा धोखा किया। 15 माह के अन्दर दो हुकूमतें बदलना, यह कोई मामूली घटना नहीं, मौजूदा सिस्टम के प्रति उन लोगों का विश्वास समाप्त हो, कैसे यह डेमोक्रेसी बच पायेगी, यह तो भविष्य ही कह सकता है। उसके बारे में, माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक निवेदन है कि जब तक संविधान में 356 आर्टिकल रहेगा, कोई भी स्टेट गवर्नमैण्ट अपने आपको स्टेब्लाइज महसूस नहीं कर सकती। जब भी मर्जी चाहे राष्ट्रपति मामली अपनी रिपोर्ट पर सेण्ट्रल गवर्नमैंट के कहने से सरकार को बदल सकता है, चाहे उसकी 2/3 मैजोरिटी हो, कितना अच्छा फिस्कल मैनेजमैण्ट हो, कितनी अच्छी वहां पर पोजीशन हो, इण्टरनल सिक्योरिटी के नाम से कितने अच्छे मेजर्स उठाये गये हों, मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि मालूम नहीं कि दो माह में क्या होगा इस देश का। संविधान में 356 जो आर्टिकल है, उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिये। अगर हम चाहते हैं, डेमोक्रेसी के अन्दर इनरोडस हुए हैं यहां पर इस देश में जो एनक्रोचमेण्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ा फेटल ब्लो हुआ है, डेमोक्रेसी सिस्टम पर उसको बचाने का एक ही तरीका है अध्यक्षजी, जब मैं यहां बोल रहा हूं तो हमारे जो नेता हैं, श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंहजी ने, बहन श्रीमती सुमित्राजी ने यह बात कही कि आपने बारानी भूमि पर जो लगान माफ कर दिया, यह अच्छा किया, क्योंकि उसकी वसूली में काफी खर्चा था। टोटल लैण्ड रेवेन्यू 8 करोड़ का है, उसकी वसूली का खर्चा सात-साढ़े सात करोड़ का है, यह आपने अच्छा किया। हम यह भी चाहते थे कि जितनी भी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, इस राजस्थान में। अनइकोनोमिक होल्डिंग्स चाहे वह कुएं की खेती का हो, चाहे वह पेरेनियल और नान पेरेनियल इर्रिगेशन सिस्टम में आये, तो उसका भी लगान माफ हो जाना चाहिये, क्योंकि वसूली में ज्यादा खर्चा होता है और पैसा आपको कम मिलता है।

खैर, दूसरी बात, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आम तौर पर मौजूदा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई तीन साल पहले बड़ा भाषण दिया था, आदिवासियों के बारे में कि पिछले 15-20 सालों से वहां ट्राइबल सब प्लान चल रहा है, सैण्ट्रल का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और आदिवासियों की हालत नहीं सुधरी। यह ठीक है कि आपने उनके रिजर्वेशन का कोटा 50 प्रतिशत कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, मगर एक बात का, जो आप उस समय दावा किया करते थे कि जो वहां फारेस्ट्री प्रोड्यूस है, उस हिस्से पर उनकी ओनरशिप भी होनी चाहिये, ताकि उनके अन्दर आत्म विश्वास

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हों कि जिस फोरेस्ट में वह काम कर रहे हैं, जिस फारेस्ट्री को उन्होंने पैदा किया, उसकी प्रोड्यूस में उनकी मिल्कियत का कुछ हिस्सा हो, यह बात आप भूल गये।

इसमें कोई शक नहीं कि आपने सैल्स टैक्स में राहत दी है, यह आपने अच्छा किया। मैं तो यह सोचता था जब आपने नेशनल डवलमैंट कोन्सिल में, चीफ मिनिस्टर्स कौन्सिल, कमेटी बनी है आल इण्डिया लेबल पर अतः यह कहा था कि उनकी स्टेटस में जो सैल्स टैक्स हैं, उनकी एक ही यूनिफार्म रेट हो ताकि स्टेट पर उसका बुरा असर न पड़े, बुरा इफैक्ट न पड़े, रेट पर न पड़े और न उसकी मोबिलिटी पर फर्क पड़े। मैं यहां आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्षजी, कि यहां पर बजट में दो-चार बातें, जैसे-गोपाल योजना भागीरथ योजना, अन्त्योदय, अपना गांव अपना काम और बड़ी अच्छी योजनाएं है, मगर, अध्यक्षजी, अब से आपने करप्शन के ऊपर टाइरेट खींचा, आई. ए. एस. आफिसर्स में से दो-चार को आपने सस-पैण्ड किया, एफ. आई. आर. लाज कर दी। अध्यक्षजी, इस राजस्थान के इलाके में सारी ब्यूरोक्रेसी में एक इनएक्शन पैदा हो गया, स्लाप इनर्सिया पैदा हो गया, माननीय मुख्य मंत्रीजी उसकी और आपने कोई कदम नहीं उठाये। आपकी बात तो मान लेते हैं, एक आध और मंत्री की बात भी मान लेते हैं, आम तौर पर जो ठोआयलिग मिलियन्स है इस राजस्थान का, सब एम. एल. एज. हैं, एम. पीज. हैं, प्रधान है प्रमुख हैं, उनकी बात कोई सुनता है कि नहीं सुनता है। आपने जो तीन चार महीने में जो रिपोर्ट मांगी है, क्या सैल्फ मोटिवेशन सारी ब्यूरोक्रेसी में समाप्त हो गया। आपका कण्ट्रोल भी है, मगर आप ब्यूरोक्रेसी की साइज और एम्बीशन को कन्ट्रोल नहीं कर पाये। साइज और एम्बीशन के साथ यदि उनमें इनेक्शन और इनर्सिया आ गया, उसको आप बंद नहीं कर पायेंगे। अध्यक्षजी, यहां पर जब पथ परिवहन मंत्रीजी बोल रहे थे, मैं नहीं कहना चाहता कि श्रीबोम्बाई साहब से हमारी क्या बात-चीत हुई, मैं नहीं चाहता हूं कि फ्रॉड अकाउन्टस फेश करूं, मैं इनडिवीजल किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो अपने आप ही पेश कर दे, उसके बारे में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिये। हमारा प्रश्न, हम अब भी उस स्टेण्ड के थे कि हम लोग सपोर्ट वापस नहीं लें, मिनिस्टरी से स्तीफा दे दें, आपने देरी कर दी, 23 अक्टूबर की शाम को दे देना चाहिये था, जिस दिन श्री अडवाणीजी गिरफ्तार हुए और सैण्ट्रल हाई कमान के कहने से इन्होने सपोर्ट वापस ले लिया। वह राइट, प्रोपर टाइम था। हमें अपने आप ही स्तीफा दे देना चाहिये था, मगर नहीं दिया लेट हो गये और मेरे खुद का यह था, हमारे हाई कमान के सामने के बी. जे. पी. 6 माह से शिला पूजन कर रही है, राम का नाम ले रही है, अब आपको इस चीज का स्वप्न आया है, अब आपको एक्शन लेने की बात ध्यान में आयी है, यह आपका मिस केलक्यूलेटेड स्टेप होगा और खतरे से बाहर नहीं होंगे। माननीय मंत्रीजी जो बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि सपोर्ट भी वापस लीजिए, इस्तीफा भी दीजिए, क्योंकि

(श्री केदारनाथ शर्मा)

यह एक कम्युनल पार्टी है इन्होंने कह दिया कि हमें यह ख्याल नहीं था कि हमें बाहर कर देंगे और आप अन्दर आ जायेंगे, आप चले गये, मगर अध्यक्षजी, हम लोगों ने सोचकर इस्तीफा दिया। यह दुनिया में मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया इस बात पर, श्री राजीव ने दो कांस्टेबल के नाम से वहां पर रोना शुरू कर दिया, मगर श्री वी. पी. सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया ? कमी हो सकती है, श्री वी. पी. सिंहजी में, मगर इस्तीफा किस बात के लिए दिया ? जब यह मालूम पड़ गया बी. जे. पी. को, जब यह मालूम पड़ गया कांग्रेस रैंक एण्ड फाइल को, अगर यह दो साल रह गये तो जो स्टेप उठा रहे हैं, जो बिल्स मूव किये हैं, जो केबीनेट के फैसले हैं, वह देश में इमपल्स करेगा, सत्ता इसके हाथ में आयेगी और किसी के हाथ में आ नहीं सकती। क्या थे वे। रेडियो और टेलीविजन को हमने आटोनोमी दे दी, यह बड़ी बात हुई है। अपना-अपना विश्लेषण है। हमने लैण्ड रिफोर्म्स को नाइन्थ शिड्यूल में डाल दिया, हमने शिड्यूल्ड कास्ट की जो वेकेन्सीज नहीं भरी गई थीं, 3-4 सालों में, इनको लीगलटीज देने की कोशिश की कि अदालत के मार्फत अधिकार होगा कि उनको उनकी नौकरी मिल जायेगी। यही नहीं, जो उनका कमीशन था, उनको स्टेटयुटरी पावर्स थे, कांस्टीटयूशनल स्तर दे दिया उसको और इसके साथ-साथ डाक्टर अम्बेड़कर को भारत रत्न की उपाधि दी। चित्र भी हमने लगा दिया। उसके साथ साथ यह भी कह दिया कि यह सारी शताब्दी मनाई जायेगी। यह मामूली बात नहीं थी। उसके साथ साथ यह भी था कि मिलियन लेंडर्स हैं इस देश के, उनके हर परिवार में से दो आदमियों को काम दिया जायेगा और यदि काम नहीं दे पाये तो उनको स्टाइपेंड मिल जाय, कोई अलाउंस मिल जाय ताकि वह जिन्दा रह सकें, इस तरह का उनमें आत्म विश्वास पैदा हो जाय इस देश में वह भी सोचें कि हमारा भी हिस्सा है।

इसके साथ साथ जो लेबर है, इस देश में बहुत बड़ी पोटेन्शियल फोर्स है उसको मैनेजमेन्ट में पार्टिसिपेशन देने का एलान किया और जिस दिन मुसलमानों के पीर-पैगम्बर के जन्म दिन की छुट्टी ऐलान की तो बी. जे. पी. नेता, हाई कमान खुश नहीं थे, यह मैं कह रहा हूं।

अध्यक्षजी, आप तो बड़े विद्वान हैं, राम का नाम आ गया, हिन्दु कल्चर आ गई। मैंने भी कुछ पढ़ा है जेल के अन्दर माननीय श्री भैरोसिंह के साथ ही पढ़ते थे, महाभारत, गीता और रामायण पढ़ते थे, तब पढ़ते थे और कभी सो भी जाता था लेकिन राम नेशनल आनर का मान्युमेंट है, राम को पालिटिकल फिगर के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्षजी, हिन्दु कल्चर नाम की कोई चीज ही हमारे यहां नहीं है। हिस्टोरियन्स क्या कहते हैं, हमारा खुद का इतिहास क्या कहता है कि यह कम्पोजिट कल्चर है इस देश की कोई कोई हिन्दु और मुस्लिम कल्चर नहीं है। कल्चर का नाम लो आप, शुरू से देख लीजिये कि कौनसी कौमें और सभ्यतायें आई हैं उनके इंटर एक्शन से कम्पोजिटर

(श्री केदारनाथ शर्मा)

कल्चर बनी है जिसको हम हिन्दुस्तान की कल्चर कहते हैं। राम एनसियेट वैल्यूज हैं हमारी और जो टर्मिनल वैल्यूज हैं राम उनका भी मान्युमेंट हैं, उस राम को आपने भारत में बैठा दिया और रथ में बैठा दिया और अयोध्या में ले चले आप कि वहां पर उसके नाम से मन्दिर बनायेंगे।

अध्यक्षजी, मैं तो नहीं कहता हमारा, भाई जो बोल रहे थे मगर एक बात मैं आपसे कह दूं कि राम जी के नाम से जो हवा बनी थी। अध्यक्षजी, हवा खूब बनी थी, अवेयरनेश भी आई, बेनीफिट भी आपको कुछ मिल गया, कुछ पैसा भी आपने इकट्ठा कर लिया। यूफोरिया जो था, जो कुछ बुलबुले उठे थे हवा के वह आहिस्ता आहिस्ता सब समाप्त हो गये, सब साइड हो गये। मैं नहीं सोचता कि हिन्दुस्तान के दिल्ली के तख्त पर कभी बी. जे. पी. राज कर पायेगी। अर्थ-मैटिक है आपके सामने। शिड्यूल्ड कास्ट्स वोट नहीं दें माइनोरिटीज नहीं दें, आपको वोट नहीं दे, बैकवर्ड कम्युनिष्ट ट्रेडिशनल वोट जो व्यापारियों का है, ब्रह्माण वोट नहीं दें, न हमें दें वह राजीवजी ने ले रखा है। हमने वहां माननीय श्री यदुनाथसिंहजी, वी. पी. सिंह ने कुछ उसूलों को छोड़ा, पब्लिक के दो हिस्से कर दिये। कौन चाहता है कि दलित वर्ग आज सत्ता पर हावि हो ? यह पहला नारा है। बैकवर्ड कम्युनिटीज क्या झगड़ा है कि मेरी ही कौम के लोग इस देश के इलाके में ढाई पर्सेन्ट हैं, अध्यक्षजी, आप भी उसी कौम से हैं, ढाई पर्सेन्ट हैं, ढाई पर्सेन्ट और तीन पर्सेन्ट, पर आज उनकी नौकरियों में कितने हैं 47 और 50 पर्सेन्ट। क्या धोबी के बच्चे में कभी ईर्ष्या पैदा नहीं होगी कि मेरा बच्चा एक चपड़ासी भी नहीं बन सकता, वर्क चार्ज में नहीं रह सकता, कोई स्कूल में पढ़ नहीं सकता, डाक्टर और इंजीनियर बन नहीं सकता। क्या जरूरत थी हमको सन् 1931 की सेंसर में उसकी कास्ट भी जोड़ दी। इन डाइसेसज हैं 11, उनमें कई कौमें और आती हैं। नहीं ली गई, कौमों को निकालना भी था, पर वक्त नहीं दिया आपने। वक्त नहीं दिया आपने। बच्चे उठे स्कूल से उन्होंने नारा लगा दिया। 80 करोड़ में से। पर्सेन्ट को केवल नौकरी, उसके लिये नारा लगा दिया। और किन लोगों ने साथ दिया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए देश को ब्लाक कर दिया और किन लोगों के साथ दिया, अध्यक्षजी, आपकी पार्टी ने साथ दिया, आपकी पार्टी के लोग भी उस आन्दोलन में शरीक थे, इर्द-गिर्द थे और देश का पूंजीपति इकट्ठा हो गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिये इस्तीफा इस बात का था कि जिसके रहने से लोगों में, जिनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ड है इस देश में, और जिन्होंने सोशल स्टेटस में आपने आपकी मोनोपोली समझ रखी है जो समझते हैं कि पालिटिकल लीडर शिप हमारे हाथ में हमेशा रहे, जो यह समझते हैं कि यह सत्ता हमारे हाथ में रहे। बोफोर्स में, अध्यक्ष जी, दो खाते आइडेन्टिफाई हो गये, 4 खाते और रह गये तो कांग्रेस में सर दर्दी पैदा हो गई।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

वह यही चाहते थे कि जनता दल टूट जाये, हम टूट गये। बोफोर्स स्कटल हो, स्कटल हो गया। दो खाते मिलने के बाद, एफ. आई. आर. लाज की, उस एफ. आई. आर. का न मालूम क्या हुआ? यही अटार्नी जनरल है, अध्यक्ष जी, किसका वकील था यह ? हिन्दुजा का। वही आज देश का अटार्नी जनरल है। मुझे एक बात आज कांग्रेस के लोगों से कहनी है, मुझे बताइये श्री चन्द्रशेखर जी हमारे थे, आपने ले लिये....

**श्री अध्यक्ष :** हम सभी आपके हैं।

**श्री केदारनाथ शर्मा :** मगर 110-115 दिन रहे उसमें आपने क्या-क्या काम नहीं करवाये उनसे ? अटार्नी जनरल आपका, डी. जी. आपका, इलेक्शन कमिश्नर आपका, कितने होम, फाइनेन्स होम, फारेन अफेयर्स, में मैन पोस्टें हैं वह आपकी और तमिलनाडू जो हमारी हमदर्द सरकार थी उसको तोड़ दी आपने, राज्यपाल की रिपोर्ट भी नहीं और आसाम तोड़ दी, राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया, बजट पेश नहीं करने दिया....

**श्री अध्यक्ष शर्मा :** यह कम्पोजिट कल्चर है।

**श्री केदारनाथ शर्मा :** इन्टर नेशनल मानीटरी फण्ड है उसकी दूसरी किश्त नहीं मिलेगी यह आर्ग्यूमेन्ट है, तमिलनाडू में हमारी रेंक एण्ड फाइल जायेगी लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। माननीय श्री माथुर साहब बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौनसी ऐसी चीज है जो नहीं करवाई आपने उनसे। आखिरी श्री राजीवजी ने अपने आपको सुधारा है, अध्यक्षजी, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर्स खिलाफ थे, अनकम्फर्टेबल थे, उनको आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते से दूर कर दिया। मि. पंवार थोड़े से अलग स्टीन लेकर चले थे पर काट दिये हैं, मारा तो नहीं पर जख्मी जरूर कर दिया है। वह कभी कभार श्री भैरोंसिहजी से बात कर लिया करते थे उनको जख्मी कर दिया। कौनसी बात आपके पास नहीं आई ? जब दो कांस्टेबिल आ गये। मुझे मालूम है 35 आदमी रहते हैं वहां वाच-एण्ड-वार्ड के, डी. आई. जी. लेवल का वहां पर इन्चार्ज है। वह किसका आफिसर है? सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट का। वह आप देखते हैं कि कौन आता है, कौन जाता है श्री राजीव जी किसके साथ बैठते हैं, उठते हैं ? दो सी. आई. डी. के लोग आ गये उससे सारे देश की राजनीति आपने बदल दी, सारी स्ट्रेटेजी बदल दी। माननीय श्री माथुर साहब श्रीमती इन्दिराजी भी अगर इस प्लेस पर होती, श्रीमती इन्दिराजी सोबराइटी भी होती और श्रीमती इन्दिराजी की हैड लांग प्लान लेने या खतरे में लेने की ताकत होती तो श्री राजीव कभी भी यह कदम नहीं उठाते। मैं इस बात को मानकर चलता हूं लेकिन हवा हमने आपको दे दी, लड़ लिये हम आपस में, हवा आपको दे दी, 15 मास में दुबारा हमने मौका राज करने का आपको दे दिया, दुबारा अपना राज कर लीजिये, आ सकते हैं आप, मैदान में कूदने के लेजिटीमेट आपको अधिकार है।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इससे होगा क्या ? हम तो आज कमजोर हैं इसके कोई शक नहीं है मगर राजस्थान का जो बैकवर्ड है भले ही आज वह जागरुक नहीं हो, मगर उसके अन्दर अवेयरनेस तो हमने पैदा कर दी और अवेयरनेस इस बात की पैदा कर दी कि हमारे आदमी भी हैं इस देश में जिन्होंने हमारी आवाज और ईमान के लिए अपना राज भी छोड़ दिया। आप राज करें कोई बात नहीं, मंत्री रहें, 2 साल रहें, 4 साल रहें आपके पास आने वाले नहीं, मांग करने वाले नहीं। लेकिन कुछ सिद्धान्त होते हैं जिन्दगी में, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय श्री भैरोंसिंहजी, इसमें कहीं नहीं आया कि राजाओं की जो सरप्लस जमीन है उसका क्या होगा ? एक्स रूलर की 30 लाख एकड़ मीटर की जो शहर के अन्दर जमीन है अगर वह जमीन आप बांट दें तो पैसा भी मिल जाये आपको, कुछ लोगों को छत भी मिल जायेगी, हजारों लोग बस जायेंगे।... को-आपरेटिव सोसायटीज का है कब तक घपले में रखेंगे आप....

**श्री अध्यक्ष :** अभी श्री घासीरामजी और बोलेंगे 10 मिनट मैं उनको देना चाहता हूं।

**श्री केदारनाथ शर्मा :** कब तक रखेंगे आप, इसका फैसला कर दें आप।

अध्यक्षजी, जैसी राजस्थान की स्थिति है, जियाग्राफिकली बड़े डिस एडवांटेजियस पोजिशन में हैं, हमारा एरिया 60 पर्सेन्ट डेजर्ट में है, हमारे जो इन्टरनल रिसोर्सेज है वॉटर के वह इन एडिक्वेट है हमारी, पर केपिटा नेशनल इनकम है वह कम है और ड्राउट बहुत आते हैं। इसके लिहाज से आप प्राब्लम रेज करते रहे हैं माननीय श्री भैरोंसिहजी क्या यह बजट उनको हल कर देगा, यह बजट उनका हल है क्या ? मैं मानता हूं यहां पर कि आपने एक मोडिफाइड गाडगिल फार्मूले को बदलने की कोशिश की एक कंसेंशस क्रियेट की कि पापूलेशन का 60 पर्सेन्ट है, 5 पर्सेन्ट कम दिया जाय, पर कैपिटा 20 पर्सेन्ट है तो 25 पर्सेन्ट मिल जाय और टैक्स एफर्ट्स के नाम से फिस्कल मेजरमेंट हो जाय 10 की बजाय 5 हो जाय। और स्पेशल प्राबलम के लिए 10 की जगह 15 हो जाय। यहां पर माननीय चन्दन मल बैद फाइनेन्स में माहिर। टैक्स अफर्ट्स को कम करने के बाद राजस्थान को घाटा रहा। अध्यक्ष जी, हमारी स्टेग्नेशन स्टेज है इससे ज्यादा हमारा इण्डस्ट्रियल बेस नहीं है कि हम टैक्स और लगा सकते हैं अपने राज्य में। फिस्कल मैनेजमेंट को इसलिए हमने आप्ट किया कि टोटल कमिटमेंट जो करते हैं हम प्लान से पहले और अगर आखिर में उसे पूरा कर देते हैं तो हमें कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा। स्कोप इसका ज्यादा है, टैक्स के अन्दर स्कोप नहीं है इसलिए हमने फिस्कल मैनेजमेंट लिया। मगर जो सैण्ट्रल की स्पेशलाइज्ड स्कीम्स हैं, सैण्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम्स हैं। अध्यक्ष जी, यह बात कहता हुआ न तो डिजाइन हम करें, न पैरामीटर्स हम तय करें, ना उसकी इम्पलीमेन्टेशन को फोर्स ही कर सकें। होना कुछ नहीं है 150 करोड़ आप ले आए इसलिए आ आपकी यह मांग होनी चाहिए कि यह सारा ट्रांसफर हमें कर दो आप, क्योंकि हर स्टेट

(श्री केदारनाथ शर्मा)

की एग्रो क्लाइमेटिक, सोशियो इकानोमिक कंडीशन्स अलग हैं और कल्चरल वेरिएशन अलग है। हम अपने ढंग से अपने पैरामीटर्स तय करें उनके इस्तेमाल करें ताकि ज्यादा असेट्स हों, ज्यादा पैदावार हो। यह भी मांग इसमें नहीं है। आपने 18 पाइंट्स के तीन-तीन मिनिस्टर्स के नाम से मैमोरेण्डम तैयार किया, मैंने खूब पढ़ा है इसे। अखबारों में खूब आया है इसलिए, कि आपने कुछ क्वश्चन्स, कुछ प्राब्लम्स पोज की है। सैन्ट्रल यह हमें दे, यह हमारा अधिकार है। मगर इसके साथ-साथ जो सरकारिया कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, अगर वह लागू हो जाए तो, इसमें चैप्टर है फाइनेन्स पर मेरे ख्याल से काफी बातें आपकी कम हो जाती है।

अन्त में, हमारे नेता ने यहां यह भी कहा कि कुछ खातों की किश्तें इन्होंने वसूल करना बन्द कर दिया है। आज से तीन साल पहले जब श्रीमती कमला जी थीं, हम लोग यहां बैठे थे, माननीय श्री भैरोंसिंह जी वहां बैठे थे, इस बात पर काफी हाटली डिस्कशन हुआ है तब कमला जी ने यही एलान किया था हम वसूल नहीं करेंगे। अब वसूल आप नहीं कर रहे हैं कमिटमैंट तो हमारा, अध्यक्ष जी, यह है कि किश्तें माफ हों। अब बैंच जो है वह नोटिस देगी। जब जमीन आप और हम खरीदकर, बेचकर के पैसा ले लेते हैं तो फायदा कुछ हुआ नहीं उससे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बारे में आप ऐलान कीजिए कि यह माफ होंगे। (व्यवधान)।

ऐसे शब्द जो माननीय श्री नत्थीसिंह जी के बारे में कहे गए हैं, ऐसे शब्द बजट डिबेट में नहीं होने चाहिए थे। श्री जगमालसिंह जी हमने कई बार यह प्रेस किया था कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। देश की हालत ठीक नहीं थी, सारा देश राख हो गया था। बच्चे आत्मदाह कर रहे थे, लॉ एण्ड ऑर्डर सारा कोलेप्स हो गया था इसलिए उसे लागू करना तो ठीक नहीं मगर यह तय हुआ था कर्पूरी फार्मूला जो हमारे पास है दूसरी स्टेट का फार्मूला ऐसा है और आपने भी यह दिमाग अपना बना लिया था कि हम लागू करेंगे। अतः आज आप एलान कर दो तो आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। हम लोग समाजवादी हैं, जो कांग्रेस कल्चर की बात आती है, और जब श्री भैरोंसिंह जी का सवाल आता है 19 महिने जेल में एक साथ रहे थे....

**श्री अध्यक्ष** : अब कल्चर तो सारी कम्पोजिट हो गई, क्या रहा इसमें ?

**श्री केदारनाथ शर्मा** : 19 महीने जेल में रहे थे, उनके साथ, और जिनको मैं काम्पीटेंट मानता रहा हूं आज उन्हें ऐसे ही इनकाम्पीटेंट कह दूं, यह तो मेरी गिरावट है। जिनको मैं काम्पीटेंट कहता रहा और आज ओवरनाइट इनकाम्पीटेंट कह दूं तो यह मेरी गिरावट रहेगी। जेल में आप जानते हो खाना-पीना-सोना एक ही छत के नीचे हुआ करता था। मैं इनके करेक्टर को जानता हूं मैं इनकी नीयत को, गुडविल को जानता हूं। तमाम बातें ये मेरी जानते हैं, मैं उनकी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

जानता हूं। इसलिए जिसे मैं अच्छा कहता रहा वह ओवर नाइट खराब नहीं कह सकता मगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूं बिसीज्ड, दी चीफमिनिस्टर आपमें काम्पीटेंस है, कुछ इनीशिएटिव भी ले रहे हो आप और कुछ काम करने की मंशा भी है बिल पावर भी है मगर जो वातावरण है और आपके जो ख्यालात हैं, पार्टी के अध्यक्ष जी, आपको ऐसा घेर रखा है कि न तो सरप्लस जमीन को अलाट करो आप, न को-आपरेटिव सोसायटी का फैसला करो, न दूसरे बेसिक चेन्जेज जो आपको लागू करने हैं उनको लागू करने की आप हिम्मत कर रहे हो, हिम्मत नहीं है आपकी। आपका वातावरण ऐसा है, आपके कल्चर की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप श्री घासीराम जी को बोलने दीजिए। साढ़े चार बजे मैं शुरू करना चाहता हूं।

**श्री केदारनाथ शर्मा** : कांग्रेस ने काम किया मगर जब भी कांग्रेस कल्चर का सवाल आता है, अध्यक्ष जी, कितना भी मैं इनके खिलाफ होऊं लेकिन उस कांग्रेस कल्चर के खिलाफ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि इनवाइट किया उस कल्चर को, जिसमें फोरबीयरेंस था, देश की आजादी दी, ठीक है कि वह कल्चर कुछ, बदल गई डिस्टोर्शन हो गया उसमें मगर बेसिकली मैं कल्चर के खिलाफ नहीं बोल सकता इसलिए यह शब्द कहता हुआ, सिद्धांत के नाम से देश के अन्दर, राम और रहीम की लड़ाई शुरू हो गयी और हम सोचते हैं, पिछड़ी कौम, माइनोरटीज इस देश पर राज करेगी उनके लिए हमें छोड़ना है। यह बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री घासीराम यादव।

**श्री घासीराम यादव** (मुण्डावर) : मैं तो कुछ अलवर जिले की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार का और खास कर मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता था। लेकिन अभी-अभी हमारे जिले के यातायात मंत्रीजी ने और प्रोफेसर केदार साहब ने हमारी पार्टी के नेता के बारे में कुछ टिप्पणी की मैं यह कहना चाहूंगा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह असेम्बली का फोरम हैं, यह दिल्ली के नेताओं के बारे में गलत टिप्पणी करने का नहीं है। मैं भी उनके नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी करूं तो बुरी बात है। हमारे नेता राजीव गांधी हैं उनको कोई यह कहे कि ऐसे नेता बन गये। हम कहते हैं बहुत सर्वश्रेष्ठ नेता है। अभी इंडिया टूडे में एक दो महीने पहले सर्वे कराया गया था। इण्डिपेण्डेट लोगों ने सर्वे कराया उसमें 47 प्रतिशत स्वतंत्र लोगों ने कहा राजीव गांधी सबसे अच्छे नेता हैं और आपकी भारतीय जनता पार्टी का बहुत कम नम्बर था। और जनता दल का बहुत कम नम्बर था हम ने तो कराया नहीं और इंडिया टूडे ने 80 में भी सर्वे किया था स्वतंत्र निकला था, सही निकला, 85 में भी किया था तो यह कहना की राजीव गांधी ऐसे हैं। हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और जनता मानती है और इसका नतीजा चुनाव में आ जायेगा चुनाव अब आ रहे हैं। इसलिए यह कहना नहीं चाहिए हम आपके नेताओं के बारे में, यातायात

(श्री घासीराम यादव)

मंत्रीजी के नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे आदमी हैं। जनता दल के नेताओं के बारे में भी हम कुछ नहीं कहते बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर केदार कह रहे थे कि इंदिरा जी होती तो वह उनको बीच में नहीं हटाती, चन्द्रशेखरजी को। मैं कहता हूं इंदिराजी ने तो यरणसिंह को एक दिन में ही हटा दिया। यह क्या बात हुई? कुलदीप नैयर का आर्टिकल आया है। अभी दस पांच दिन पहले ही उनको सही हटाया है। उनको उपयुक्त समय लगा तो हटा दिया। अब आप सबकी चन्द्रशेखर जी से हिमायत हो गयी, सारी बी. जे. पी. अटल बिहारी और अडवानी साहब उसको कठपुतली बतायें। कोई कुछ बताये, जनता दल कठपुतली बताये, सब कहें बहुत खराब, 56 आदमी कैसे शासन करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे और आज जाकर सब कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। वह भी तो पार्टी छोड़कर आये हैं। असल पार्टी छोड़कर आये हैं। उसमें ज्यादा लोग उधर हैं, कम लोग इधर हैं अपने शासन के लिए उसने मान लिया, हमेशा कांग्रेस की तारीफ की, अपने दल के बलिया अधिवेशन में उसने कांग्रेस की बहुत तारीफ की। यह कहा कि हम कांग्रेस के शुक्रगुजार हैं। मुलायमसिंह ने तो शाबासी दी और उसने अपने साढ़े तीन महीने का शासन करने के लिए अगर वह लोग सोचते हैं कि इस कांग्रेस के कहने से ऐसा, वैसा कर दिया तो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत बात है प्राइममिनिस्टरों के लिए गलत काम किये तो गलत बात है पब्लिक के निगाह में झुकेंगे कल ही राजीव गांधी ने यह बात कही, मैं ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करूंगा दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने तमिलनाडु के लिए कहा नहीं और यह कैसे, मानोगे आप कि हमारे कहने से तमिलनाडु गवर्नमेंण्ट गिराई है। बिना गवर्नर की रिपोर्ट के उन्होंने गिराया है और राजीव गांधी ने अखबार में कल भी यह कहा है कि मैं नहीं चाहता.. (व्यवधान) मैं ज्यादा इस बात को नहीं करूंगा, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इस तरीके की बातें असेम्बली में हों, अध्यक्षजी आपको कण्ट्रोल करना चाहिए। यह कह सकते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो आ गये और जनता यह भी चाहती है....

**श्री अध्यक्ष** : आप अपनी बात कहिए मुख्यमंत्रीजी को जो अपने क्षेत्र की कह रहे थे।

**श्री घासीराम यादव** : मैंने बुराई नहीं की किसी की। अब मैं दो बात अपनी कह देता हूं। मैं बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं मुख्य मंत्रीजी के सामने मैं अपने अलवर जिले की दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि इन्होंने जो बजट पेश किया है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिन हमारे अलवर जिले में ट्यूब वैल से खेती होती है, हर जगह नहीं होती ट्यूब वेल में हम खेतों के किसान, आपस में अदलते-बदलते हैं। सन् 1984 में या 1983 में हमारे मुख्य मंत्री शिवचरणजी थे इन्होंने कानून बनाया था, ऐसे आदेश पास किये थे कि किसान अगर आपस में जमीन बदलें अपने ट्यूबवैल के पास की जमीन

(श्री घासीराम यादव)

ले लें। हर गांव में यह समस्या है। करोड़ों रुपए की उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती थी उसको माफ कर दिया, क्योंकि बदलते नहीं हैं, वह असल में खरीदते नहीं है, बदलते हैं। खरीदने की कीमत उन पर लगती थी और अब उसको माफ कर दिया था उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऐसे होते रहे, स्टाम्प ड्यूटी के बगैर रजिस्ट्रेशन होते गये लेकिन अभी-अभी एक दो महीने से आपके कोई इन्स्पेक्टर होते हैं रजिस्ट्रेशन के स्टाम्प्स के, उन्होंने कहा, हमने टार्गेट कायम किया उसी तरह से लो, उन लोगों की रजिस्ट्री अब बन्द कर दी। आपस में जो बिना स्टाम्प ड्यूटी के तबादले होते थे उसको सरकार को देखना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है और जिन्होंने करवा ली उनको नोटिस भेज दिये। बीस हजार रु. पच्चीस हजार रुपए वापस दो। यह कोई मामूली बात नहीं है। सैकड़ों आदमियों को नोटिस भेज दिए और आइन्दा यह बन्द कर दिया। पंजाब में, हरियाणा में और आपके दिल्ली प्रदेश में और अलवर राज में ऐसा ही हो रहा था। बिना स्टाम्प के, बिना स्टाम्प ड्यूटी के आपस में इसको बदलते थे। यह हमारी समस्या है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो आपके बड़े आफिसर है यह टार्गेट बनाते हैं बिल्कुल गलत बात है। हर साल इसकी स्टाम्प ड्यूटी और बढ़ाते हैं। आप इसका ड्योढ़ा कर दो, इसका दुगुना कर दो इसका कोई रेशो होना चाहिए कोई कमेटी होनी चाहिए। कोई पंचायत से प्रधान से सरपंच से आफिसर्स से पूछ कर कोई रिकमण्डेशन भी होना चाहिए टार्गेट बनाना बिल्कुल गलत बात हैं। इससे वे अनाप-शनाप कीमतें लगाते हैं। हमारे जो आर्डर्स हुए पड़े हैं सरकार के उनको आपको देखना चाहिए और उनको ठीक करना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा यह बहुत बड़ी समस्या एक तरीके से है हमारी।

दूसरा मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने अपना गांव अपना काम की बात कही है मैं इसको ठीक मानता हूं। इसमें भ्रष्टाचार कम होगा, खूब लोगों का पैसा लगेगा, सरपंचों को गड़बड़ नहीं करने देंगे और वह सीधा ही पैसा ले जाते हैं तो गांव वाले समझते हैं कि सरकारी पैसा आ रहा है वह अपने घर वालों को लगा रहा है, कभी किसी को दे रहा है। मस्टर-रोल भी फर्जी लगा रहा है तो गांव वाले परवाह नहीं करते हैं। अब सही बात है कि जिनको दरअसल जरूरत थी उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन आपके जो आफिसर लोग बैठे हैं, मैं इस योजना को सही मानता हूं, आपके आफिसर लोगों ने क्या किया ? आपने भी हमको चिट्ठियां लिखीं, अभी जगमाल सिंहजी कह रहे थे चिट्ठी लिखी। तो विधायक क्षेत्र को आपने यूनिट माना। विधायक क्षेत्र यूनिट है, पंचायत समिति नहीं है। एम० एल. एज. कहेंगे मेरे क्षेत्र में यह नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र में यह नहीं हुआ यह बिल्कुल सही है। इसको मानकर आपने लिखी, हमने भी सिफारिश की। वहां का प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो आफिसर था उसने कहा कि एम. एल. ए. की सिफारिश लाओ मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं। हमने सिफारिशें कीं जो उन्होंने

(श्री घासीराम यादव)

नहीं मानी। उन्होंने अपने ढंग से किया। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि इसमें हमारा कोई अपमान हुआ है लेकिन कोई बात नहीं। आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसमें लिखा था कि क्या आप गांवों में पक्की नालियां चाहते हैं, क्या आप गांवों में स्कूल निर्माण करवाना चाहते हैं, क्या आप आयुर्वेद औषधालय बनवाना चाहते हैं, क्या आप पंचायत भवन बनवाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने जो आपके आफिसर बैठे हैं, जयपुर में उन्होंने शायद गांव देखे नहीं हैं या क्या है। इन्होंने कहा है गांव में पक्की नालियां बनवाने की जरूरत नहीं है। डाबर रोड्स के लिए तो पैसा मन्जूर हो सकता है गांव में, गांव में डामर रोड तो बन सकती है लेकिन गांव में पक्की नालियां नहीं बनेगी। ये समझ कर पता नहीं किस दृष्टि से जो रुपया मन्जूर हो गया, कलक्टर के यहां मन्जूर हो गया। जिसकी चिट्ठियां पहुंच गयी पक्की नालियों की उसको बन्द करवा दिया। ये कह रहे हैं कि और कोई योजना बनाओ, डामर की सड़क बनाओ गांव की गलियों में। छोटी-छोटी गलियां हैं, पानी भरे रहते हैं। जो लोग पैसा देते हैं तो दरअसल उनको तकलीफ होती है, इसलिए वहां पैसा देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको ठीक करना चाहिए। गांव की नालियों के लिए जिन्होंने पैसे जमा करा दिये वह कैन्सिल नहीं होना चाहिए। यह जो महकमा है आपका विशेष संगठन का उसने कलक्टर को चिट्ठियां भेजी है। वह आपके नोटिस में लाना चाहता है। इसी के साथ में मैं आपको निवेदन करूंगा, समाप्त करूंगा ज्यादा नहीं कहूंगा। आपने जो एम. एल. ए. के क्षेत्र को जो यूनिट माना है, इसको आगे बढ़ायें मुख्यमंत्रीजी। ये जो आप स्कूल खोल रहे हो ये अच्छे हाई स्कूल खोल रहे हो। यह कैसे खोलोगे आप। आप 200 तो खोलो। चार सौ मिडिल स्कूल खोलो, पच्चीस मिडिल स्कूल खोल रहे हो आप। आपने पिछली साल खोले ही नहीं। और हम ये सोचते थे कि जो मास्टर्स की कमी है इसको पूरी करोगे आप। मैं बड़े दुख के साथ यह बात कहना चाहता हूं, कोई आरोप नहीं लगाता मैं कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तीन सौ लड़के हैं और दो मास्टर हैं, ढाई सौ लड़के हैं और दो मास्टर हैं और बजट पास नहीं किया नहीं किया मिडिल स्कूलों का। किसने नहीं किया पता नहीं। डायरेक्टर ने नहीं किया या किसी ने नहीं किया, कोई बजट पास नहीं हुआ। तीन सौ लड़कों में दो मास्टर हैं। हर स्कूल में कमी है। उसको पूरा नहीं किया, आप स्कूल खोल नहीं रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांवों में विकास आप अगर चाहते हैं तो यूनिट के हिसाब से दो सौ क्षेत्र हैं तो दो सौ हाई स्कूल खोलो, चार सौ मिडिल स्कूल खोलो, दो सौ पशु औषधालय खोलो, दो सौ औषधालय खोलो, आप औषधालय 25 खोल रहे हैं। कांग्रेस के शासन में 1985 में बारह सौ मिडिल स्कूल खुले। और करीब दो सौ या चार सौ हाई स्कूल खुले। ऐसे जब आप खोलते हैं तो उसी हिसाब से खोलना चाहिए। इसमें आपको बड़ी दिक्कत आयेगी और आप मुंह देख कर टीके करोगे। आपके ही एम. एल. एज. में काफी परेशानी आयेगी।

(श्री घासीराम यादव)

एक छोटी सी बात कह कर समाप्त करता हूं। मेरे यहां अलवर जिले में, न तो हमारे यहां कोई पानी आने वाला है। गंगा का जमना का जैसे रामकिशनजी कह रहे थे भरतपुर में आयेगा हमारे। हम लोगों को यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां मांखरा का पानी आयेगा। झुन्झुनूं में कोई स्कीम होगी। हमारे यहां नही है। जयपुर डिवीजन में नहीं है। हम भी टैक्स देते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि हमारे यहां स्कूलों का सबसे ज्यादा है। 10-10 लाख के स्कूल लोगों ने बना रखे हैं। आप देखो 10-10 लाख के अपने खर्चे से। तो वह जो अपना गांव अपना काम की योजना थोड़ी सी इसमें भी चलाओ किसी को हाई स्कूल करो और फिर कहो कि आधा खर्चा गांव वाले दें, एक साल के खर्चे का आधा वह दें तो स्कूलें खोलिये आप। हाई स्कूल भी खोलिये। तो लोगों को सन्तुष्टि होगी। स्कीम चलेगी, वह रुपया तो देंगे। मैं तारीफ कर चुका हूं उसकी। जो गांव का जन सहयोग का खर्चा आयेगा उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी।

मैं आपसे यह निवेदन करता हुआ एक बात और कहकर अपनी बात खतम करता हूं। हमारे यहां मुख्यमंत्रीजी एक बात मैं कहना चाहता हूं। आखिर हमारे अलवर जिले में अपने लोगों को हम कब तक समझाते रहेंगे कि वहां पानी आ रहा है, वहां नहर आ रही है। आप हमारी एक बात कर सकते हो स्कूलों के अलावा सड़क की भी बहुत मांग है पर उनकी सड़क तो शायद आप नहीं करा पाओगे। हमारे यहां पानी काफी है लेकिन कई जगह, खारा है, और नीचे खूब पानी मिलता है तो आप एक ट्यूब वेल की सघन स्कीम हमारे यहां मन्जूर करिये। अगर ट्यूब वेल मन्जूर सही हो जाये, सक्सेसफुल हो जाय तो गांव वाले खरीद लेंगे। अगर नहीं हो तो आप दूसरी जगह एक्सपेरीमेंट कर लेना। ऐसा करने से हमारे अलवर जिले की बहुत बड़ी समस्या हल होगी।

एक बात लास्ट में कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं खतम करता हूं। लोग आपसे यह चाहते थे कि कांग्रेस का 10 साल तक शासन रहा, अब आपका शासन आया तो वह समस्यायें जो कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई, सुधार नहीं कर पायी उनको ठीक करिये और यह सही बात है कि आप भारतीय जनतापार्टी के अनपेरेल लीडर हैं। पहले भी आप मुख्यमंत्री बने, बिना किसी चुनाव के छोटा-मोटा हुआ था अब भी आप मुख्यमंत्री बन गये बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छी क्षमता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे उम्मीद करते थे कि भैरोंसिहजी का राज आयेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बोलते भी थे विरोध पक्ष में बहुत सी बातों के बारे में जो आप हल कर पायेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ढाई साल, यह नहीं कि आप चाहते नहीं हैं लेकिन आप कर नहीं पाये हैं उसका कोई अपरेटर्स नहीं बना पाये हैं, कैसे किया जाय। ढाई साल पहले भी आप ये कहते थे। 77 में जब मुख्यमंत्री थे कि मैं भ्रष्टाचार की आवाज निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने बेरी

(श्री घासीराम यादव)

कमेटी बनाई लेकिन गांवों में भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ। कम भी नहीं हुआ। यहां आप किसी आफिसर को पकड़ लें, किसी चार-पांच आफिसरों को, कोई कमेटी बना कर और हटा दें उसमें गांवों में भ्रष्टाचार का असर पड़ता ही नहीं। कतई नहीं पड़ता। आप तहसीलों में जाकर सरपंचों से पूछिये कि यहां क्या हाल है ? पानी का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है ? इसी तरीके से और जिनका काम पड़ता है, ट्रांसपोर्ट वालों का काम पड़ता है उनसे पूछिये तो आपको मालूम पड़ेगा। दो समस्यायें और थी उनके बारे में आपसे उम्मीद की जाती है। एक तो मंहगाई को रोक पायें वह आप नहीं रोक पायेंगे शायद आपके बस की बात नहीं है। बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि आपके सामने जहां आर. ए. सी. की भर्ती हुई थी। पांच-छः हजार आदमियों की जरूरत थी और बीस-तीस हजार लड़के आ गये उसमें भी कुछ करो और भ्रष्टाचार के बारे में आप कर सकते हैं। आप दिमाग लगा करके, अन्वेषण ब्यूरो से कुछ नहीं होगा। जयपुर में बैठे हुए लोगों से वहां असर नहीं पड़ता। कोई जिले में कमेटी बनाइये जिसमें कलक्टर हो, एस. पी. हो, प्रतिनिधि हों और उनके पास शिकायतें आयें और उन शिकायतों की सही जांच हो। जांच करने का राइट मिल जाये लोगों को कि हम जांच करवा सकते हैं तो नीचे के लेवल पर करप्शन कम हो जायेगा। हटेगा तो नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं धन्यवाद देता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद। माननीय मुख्य मन्त्री जी।

**सदन की कार्यवाही**

**विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि**

**श्री ओमप्रकाश गुप्ता** (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि जब तक सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी अपना भाषण पूरा कर लें तब तक सदन की कार्यवाही चालू रखें।

**श्री अध्यक्ष** : सदन की इच्छा है तो समय बढ़ा दिया जाय। (स्वीकृत) समय बढ़ाया गया।

**आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस बजट की चर्चा में भाग लेकर कई सुझाव भी दिए, मार्गदर्शन भी किया और आलोचना भी की। लेकिन यह कहते हुए मुझे थोड़ा दुःख होता है कि बजट भाषण के पश्चात् राज्य के आर्थिक पहलुओं पर, राजस्थान के आर्थिक विकास पर यदि एक श्री रामकिशन जी का भाषण निकाल दिया जाय तो किसी भी माननीय सदस्य ने इस विषय में चर्चा नहीं की।

अभी जो चर्चा हुई और पिछले 3 दिनों से जो चर्चा हुई है उस चर्चा का मुख्य आधार चुनाव रहा। चुनाव में मतदाताओं को कैसे प्रभावित किया जाय और उस सम्बन्ध में भाषण की किस प्रकार की रचना की जाय केवल मात्र यही चिन्ता रही।

यहां अभी प्रोफेसर केदार बोले। मैं इनसे आशा करता था कि कुछ बजट के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आर्थिक पहलुओं पर वे अपने ज्ञान से, अनुभव से इस सदन को और सरकार को लाभान्वित करते। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी की फिलोसाफी इस सदन में रखकर चाहे जिस बात की चिन्ता की है कि मत कैसे प्राप्त किया जाय, मतदाताओं को किस प्रकार से प्रभावित किया जाय। मैं उनसे कम से कम यह तो आशा करता था कि इस बजट में गांव, गरीब और किसानों के लिए जो व्यवस्थायें की गई हैं, जो राहत दी गई हैं उस सम्बन्ध में तो कम से कम मेरा समर्थन करते। लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने तो इस बात के लिए भी धन्यवाद नहीं दिया कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए भी धन्यवाद नहीं दिया कि हमने बारानी जमीन का लगान माफ किया है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दिया कि सी. ए. डी. के चार्जेज वसूल नहीं किए जाय इस प्रकार का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : पहले भी किया था।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह आपने कहा था ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैं यह कह रहा हूं कि पहले भी माफ किया हुआ था। कोई नई बात नहीं है कि जिसके लिए आप धन्यवाद की अपेक्षा करें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : माफ नहीं किया।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : माफ करने की बात नहीं कर रहा हूं। आपने भी माफ नहीं किया। आपने भी वसूली बन्द की है और कांग्रेस ने भी वसूली बन्द की थी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इसको भी स्पष्ट कर देता हूं। आपने लगान माफ नहीं किया बल्कि लगान पंचायतें वसूल करें इस प्रकार की व्यवस्था की।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : नहीं, सी. ए. डी. की बात है। आपने खालों के बारे में कहा था। उस पर मैंने कहा था तो आपने कहा था कि वसूली नहीं की जायेगी। तो पहले भी सरकार का फैसला था कि खालों की वसूली नहीं की जायेगी और वही आपने भी की।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : अदालतों से रोज नोटिस निकल रहे हैं। यदि आपने रोक लगा दी थी तो किसानों को नोटिस कैसे निकल रहे थे।

**श्री शिवचरण माथुर** : ये आज भी निकल रहे हैं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : अब बन्द कर दिए। मुख्य मंत्री जी ने टेलीफोन करके सारी कार्यवाही बन्द करवा दी।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आज भी नोटिस निकल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि क्या किसने किया और कब किया। मैं केवल यही आशा करता था कि किसानों और मजदूरों के सम्बन्ध में या गांव और गरीब के सम्बन्ध में जो योजनायें बनी हैं उन योजनाओं का आप समर्थन करते।

मुझे इस बात की खुशी हुई कि अभी श्री घासीराम जी ने यह कहा कि "अपना गांव और अपना काम" इस योजना के कई प्रकार के लाभ होंगे। कम से कम माथुर साहब आप यह बात तो कह सकते थे जो घासीराम जी ने कही है या कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्य भी इसका उल्लेख कर सकते थे। लेकिन यहां पर केवल और बातों की चर्चा की गई। यहां राम जन्म भूमि का विवाद खड़ा किया गया, यहां मण्डल आयोग की चर्चा की गई, यहां पर इसी तरह की अन्य प्रकार की चर्चायें की गई लेकिन यदि राजस्थान के बजट को आप देखें तो चाहे राम की भक्ति करने वाले हैं, चाहे मण्डल आयोग के समर्थक हैं, चाहे राम की भक्ति करने वाले नहीं हैं, चाहे मण्डल आयोग के समर्थक नहीं हैं, इस बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि राजस्थान की पूरी जनता को राहत मिले। इसमें कहीं यह प्रावधान नहीं है कि जो मण्डल आयोग का समर्थन करेगा उसको ये सुविधायें नहीं मिलेंगी या मण्डल आयोग का जो विरोध करेगा उसको ये सुविधायें नहीं मिलेंगी। भगवान राम का जो नाम लेगा उसको ये सुविधायें नहीं मिलेंगी या और अन्य बात कहेगा उसको इस तरह की सुविधायें नहीं मिलेंगी।

**श्री शिवचरण माथुर :** आप चुनाव की बात कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं चुनाव की बात नहीं कह रहा हूं। अब आप सुनते जाइये। हमने भी बहुत ध्यान से सुना है लेकिन आपने और आपके प्रमुख नेता श्री जोशी जी ने अपने एक घण्टे के भाषण में 45 मिनट तो रामजी का ही जिक्र किया है। और मैं यह मानता हूं कि सदन में जितनी बार राम का नाम अबकी बार आया है आज तक इस सदन में इसका नाम नहीं आया।

**कुछ माननीय सदस्य :** आपने ही लिया है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** नाम मैंने नहीं लिया है। नाम की शुरूआत आपने ही की और जैसा प्रद्युम्न सिंह जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है राम का नाम बार-बार आये। इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य यदि राम का नाम बार-बार लेंगे तो आपके साथ पीछे बैठे हुए जैसे कह रहे हैं, कि सद्बुद्धि आयेगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको निश्चित रूप से सद्बुद्धि दे। आपने बड़ी मेहनत की है और राम का नाम कई बार जपा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोफेसर केदार ने कुछ बातें कहीं। और कोई माननीय सदस्य कहते तो मुझे ज्यादा चिन्ता नहीं होती लेकिन प्रो. केदार ने यह कहा कि राजा-महाराजाओं की जमीन का क्या हुआ और इसी तरह की उन्होंने अन्य बातें भी कहीं। प्रो. साहब, आपने खुद ने कहा कि 24 अक्टूबर तक आप इस मन्त्रिमण्डल में शामिल थे।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अब आप कभी विचार कर लें कि मैंने कभी आपके प्रस्ताव को, इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आया हो तो उसको ठुकराया हो। मुझे तो याद नहीं है। (व्यवधान)

मुझे याद आई या नहीं और मैं क्या कर रहा हूं इसकी तो समय पर जानकारी मिल जायेगी लेकिन आज इस बात को आलोचना का विषय बनाया जाय कि राजा महाराजाओं की जमीन के सम्बन्ध में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उचित होता यह मामला यदि इतना ही गम्भीर था तो कभी मन्त्रिमण्डल में रखते और मंत्रिमण्डल में रखकर इस बात का अनुमान लगाते कि राजा-महाराजाओं की जमीन उनके पास रहे इसके मैं पक्ष में हूं या विपक्ष में।

**श्री केदारनाथ शर्मा** : हमने यह सोचा कि 5 साल रहेंगे इसलिए फिर कभी कर लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात की चर्चा की गई, कांग्रेस के ओपनिंग बैट्समैन ने कहा कि गाडगिल फार्मूले के सम्बन्ध में मुझे मांग नहीं करनी चाहिए थी। यहां पर यह भी कहा गया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के तीन मुख्य मंत्रियों ने मिलकर जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन से केन्द्र सरकार कमजोर होगी और केन्द्र सरकार कमजोर होगी तो उसके कारण राष्ट्र के सामने एक संकट खड़ा होगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया जाय इस बात की मांग केवल मैं ही नहीं कर रहा हूं, माथुर साहब को भी जानकारी है, देवपुरा साहब को भी जानकारी है, सब लोगों को जानकारी है कि गाडगिल फार्मूले से राजस्थान को जो प्लॉन असिस्टेन्स मिलती है वह कम है और पिछली सरकारों ने भी हर बार इस बात का प्रयत्न किया है कि गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन होना चाहिए। गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन हुआ, मोडिफाइड गाडगिल फार्मूले के नाम से वह चला, इससे भी हमें प्लान असिस्टेन्स कम हुई और इस आधार पर मैंने मांग की कि इस मोडिफाइड गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन किया जाय और मुझे इस बात की खुशी है कि एन. डी. सी. की मीटिंग में, मैं अधिकांश राज्यों को अपने साथ ले पाया और उसके कारण से रिवाइज्ड मोडिफाइड गाडगिल फार्मूला बना। अब आज मैंने कोई राजस्थान का नुकसान करने की दृष्टि से इस फार्मूले में रिवीजन करने की मांग नहीं की थी और मैं समझता हूं–माथुर साहब इस बात को जानते हैं कि जब तक इसी प्रकार का गाडगिल फार्मूला रहेगा, राजस्थान को प्लान असिस्टेन्स में कमी आयेगी और राजस्थान के विकास में बाधा होगी। दूसरा प्रश्न यह रखा गया कि तीन मुख्यमंत्रियों ने जो ज्ञापन दिया है, यह ज्ञापन केन्द्र सरकार को कमजोर करने के लिए दिया गया है पर मेरी मान्यता है कि जितनी राज्य सरकारें मजबूत होंगी उतना ही केन्द्र मजबूत होगा। केवल केन्द्र मजबूत हो गया और राज्य सरकारें कमजोर हो गई तो मैं ऐसा समझता हूं कि न लोकतंत्र बचेगा, राज्य सरकारें केन्द्र की दया पर चलेंगी और उस स्थिति में न केन्द्र का विकास होगा और न राज्यों का विकास होगा। हम तीन मुख्यमंत्री यहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मिले थे, हमने आपस में विचार किया कि कौन-कौन से बिन्दु ऐसे हैं जिन पर तीनों राज्य सहमत हो सकते हैं, उन सारे बिन्दुओं को छांटा गया और प्रधानमंत्रीजी को ज्ञापन प्रेषित किया। लेकिन मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस ज्ञापन में कोई ऐसा बिन्दु नहीं है जो राजस्थान सरकार के हित में नहीं हो और यदि अहित में कोई बिन्दु होता तो मेरा विश्वास है कि उस ज्ञापन को जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ा हैं वह निश्चित रूप से इस सदन में उसका उल्लेख करते। मैंने अपने बजट भाषण में विशेष तौर से इसका उल्लेख किया है कि हमने इस प्रकार का एक संयुक्त ज्ञापन दिया है और मैं इस सदन का समर्थन लेना चाहूंगा। मुझे इस बात का खेद है कि राज्य हित के प्रश्न के ऊपर भी विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया बल्कि उसका विरोध किया और इस विरोध का परिणाम यह हो सकता है कि जो कुछ सहायता हम केन्द्र सरकार से लें, राज्य के विकास के लिए लें, जो राज्य हितों पर केन्द्र का एनक्रोचमेंट हुआ है, फाइनेन्सियल एनक्रोचमेंट हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एनक्रोचमेंट हुआ है और जिस सरकारिया कमीशन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन बातों को सरकारिया कमीशन ने भी स्वीकार किया है उन्हीं बातों का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के बन्धुओं से कि आपने इसका विरोध किस आधार पर किया, क्यों विरोध किया? क्या आप के मन में है कि राज्य को ज्यादा पैसा नहीं मिले, क्या आपके मन में है कि राजस्थान का विकास नहीं हो, क्या आपके मन में है कि राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में जो पीछे रह गया है वह उसी प्रकार से पीछे रहे? यह आपके मन में हो सकता है लेकिन इस सरकार की मंशा है कि इस राजस्थान का पिछड़ापन मिटे, राजस्थान में जितने साधन जुटाये जा सकते हैं, जुटायें जायें और केन्द्र सरकार ने जो साधनों पर एनक्रोचमेंट कर रखा है उस एनक्रोचमेंट को हटा कर राजस्थान को और साधन मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। इसी दृष्टि से मैंने बातचीत की थी। मैं समझता था कि विपक्ष पूरे का पूरा इस बात का समर्थन करेगा लेकिन मुझे खेद है। अब मैं यह तो नहीं कह सकता कि आपने उसका विरोध किया है लेकिन जिस ताकत के साथ आप समर्थन करते तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि इसी ताकत के आधार पर, इसी सदन के एक समर्थन को लेकर मैं भारत सरकार के सामने भी कहता कि राजस्थान के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं चलेगा। मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर कि ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर वह मौन रहें, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इससे इनकी राजनीति का पता चलता है कि वह राजनीति राज्य के विकास की नहीं है, राजस्थान के विकास की न होकर केवल आलोचना करने के लिए है। मैं इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि यहां पर कई बातों का जिक्र किया गया, कई बातें कही गई कि राजस्थान में विकास का काम नहीं हो रहा है। मुझे खेद है कि माथुर साहब बोले नहीं, यह बोलते तो मैं समझता हूं कि कुछ अध्ययन करके बोले हैं, न देवपुराजी बोलें, यह

(184)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी बोलते हैं तो अध्ययन करके बोलते हैं, और जो माननीय सदस्य बोले हैं, कोई तो करौली जिले की मांग कर रहा है, कोई और मांग कर रहा है जिनका बजट से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन बोल गये और इसलिए मैं कहता हूं....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आपने बजट में तीन जिले बना दिये और कह रहे हैं कि इसका बजट से सम्बन्ध ही नहीं है। करौली जिले की मांग....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह बिल्कुल सही है।

**श्री सम्पत सिंह** : चरागाह पर बोले।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं जनार्दन सिंहजी....

**श्री शिवचरण माथुर** : आपको रिलीफ मिलती है, कोई इन्ट्रप्शन नहीं है।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : मैं समझ गया था साहब....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह ठीक है, आपने अच्छा किया। आप समय-समय पर ऐसे ही समझते रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि हमने अन्याय क्या किया, क्या अन्याय किया जिसके कारण से आप आलोचना कर रहे हैं।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : आज ठीक कर लो....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने अध्ययन नहीं किया लेकिन मैं इस बजट की खूबियां आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको अन्दाजा हो जाय कि राजस्थान का विकास किस प्रकार से करने की योजना है। आपने बिजली के मामले में कहा–90-91 में 238 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान था, 91-92 में 317 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। पिछले दस सालों में यह दस प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। आज तक राजस्थान में इस प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। क्या आप यह समझते हैं कि बिजली में जिस प्रकार का प्रावधान रखा है....

**श्री शिवचरण माथुर** : आप इसके साथ में अगर फिजीकल टर्म के अचीवमेंट भी जोड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। जो बढ़ा हुआ रुपया है उसमें फिजीकली क्या अचीव करेंगे, यह बता दें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह मैं सब बता दूंगा। आपसे मेरे सब आंकड़े अच्छे हैं। आपके शासन से किसी विषय में तुलना कर लीजिए सिवाय भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार के मामले में तो पीछे हूं बाकी सब में आगे हूं। कोई मामला आप ले लीजिए।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपका तो राम राज्य कायम हो चुका है, आपने तो राज्य में रामराज्य कायम कर दिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, ठीक है। पेयजल के मामले में 88-89 में 61 करोड़ का प्रावधान था....

**श्री शिवचरण माथुर** : यह सब जानते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : जानते हो तो आप मुझे बोलने दो। आप जानते होंगे लेकिन आप बोले नहीं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। अगर आप वह बोल जाते तो मैं नहीं बोलता। 88-89 में 61 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 89-90 में घटकर 58 करोड़ रुपये का हो गया, अब उसको बढ़ाकर 91-92 में 54 करोड़ रुपये का रखा है। अब आप अन्दाजा लगा लें, ऐसी वृद्धि कम से कम पेयजल योजनाओं के नाम पर नहीं हुई। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता, चाहे शिक्षा हो, सड़कें हो, सिंचाई हो, इन सबके अन्दर दो वर्षों में लगभग पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे कम से कम एक अन्दाज आप लगा सकते हैं कि राजस्थान में जिन मदों के अन्दर अधिक खर्चा करना चाहिए था वह अधिक खर्चा हमने करने का प्रावधान रखा है। योजनाओं के आकार के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने यहां कहा कि योजना का आकार तो सब जगह बढ़ा है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपके राज आन्ध्र प्रदेश का हवाला दे देता हूं। आन्ध्र प्रदेश में 91-92 में वृद्धि केवल 6.258 प्रतिशत की हुई, केवल ही। गुजरात में 20.61 प्रतिशत की हुई, मध्य प्रदेश में 21.30 प्रतिशत की हुई, महाराष्ट्र में 2.4 प्रतिशत की हुई और उड़ीसा में 12 प्रतिशत की हुई है जबकि राजस्थान में 31.97 प्रतिशत की हुई है। आपने इसकी भी प्रशंसा नहीं की, इसकी भी आलोचना की। यह अपने आप ही बढ़ गया ?

**डा. चन्द्रभान** : उत्तर प्रदेश ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह बता रहा हूं। अब केवल एक अन्दाज लगा लें कि ऐसी स्थिति में योजना का आकार बढ़ा तो आपको नाराजगी, अलग-अलग मदों में धनराशि बढ़ायी तो उसमें आपको नाराजगी और नाराजगी का परिणाम यह कि उस नाराजगी को आप हम पर व्यक्त करना चाहते हैं उसका तो साहस नहीं होता और हमने जो अच्छे काम किये हैं उसकी तारीफ करने का साहस आपमें नहीं होता और उस समस्या का समाधान केवल राजनीतिक भाषण देकर ही हो सकता है, और किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि योजना में 1966 के बाद जनता शासन के दो वर्षों में पर केपिटा इनवेस्टमेंट जो योजना का था वह जो नेशनल एवरेज था उसके बराबर था या ज्यादा था। उसके बाद लगातार पर केपिटा इनवेस्टमेंट नेशनल इनवेस्टमेंट के एवरेज से कम होता गया और मुझे इस बात की खुशी है कि इस वर्ष हम उस पर केपिटा इनवेस्टमेंट के लगभग पहुंच गये हैं जो कि औसतन बनता है। ऐसी स्थिति में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम एक नया कीर्तिमान इस रूप में कर रहे हैं कि योजना का विस्तार और योजना के लिए राशि का आवंटन पिछली योजनाओं की तुलना में बहुत अधिक है और यह कहूंगा कि सर्वाधिक है तो आपको इससे कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके कारण से आपको खुश होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह सकता हूं कि दो वर्ष में जिस वृद्धि की दर को हम मेन्टेन कर पाये हैं इसी दो वर्ष के आधार के ऊपर 8वें फाइव ईयर प्लान का निर्माण हो सकता है। 8वें फाईव ईयर प्लान की योजना इसी आधार के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ऊपर बनेगी। आपको मालूम है कि 7वां फाईव ईयर प्लान हमारा 3 हजार करोड़ रुपये का था और यदि यह वृद्धि की दर किसी भी प्रकार से कम रह जाती तो निश्चित रूप से 8वें फाईव ईयर प्लान के आकार में उसका असर होता....

**श्री रामकिशन शर्मा** : एक जानकारी चाहूंगा। यह आपने बिलकुल ठीक कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति जो हमारा इनवेस्टमेन्ट था वह 85 कम था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम 285 के आसपास आ गये तो क्या आपका कहना यह है कि आप इस वार्षिक योजना में हम नेशनल लेवल के बराबर आ रहे हैं ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : क्या ?

**श्री रामकिशन शर्मा** : आप समझो मेरी बात को। छठी पंचवर्षीय योजना में नेशनल लेवल से हम 57 रुपये प्रति व्यक्ति पीछे थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर वह 257 या 267 के करीब हो गया। अभी आपने जिक्र किया कि हम नेशनल लेवल के बराबर आ रहे है तो क्या वार्षिक योजना में आ रहे हैं या पूरे 5 वर्ष में ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : 5 वर्ष में। इसी प्रकार की वृद्धि होती रही तो 8वीं फाईव ईयर प्लान में हम नेशनल एवरेज के बराबर आ जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह था। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि यह वृद्धि की दर कम होती तो केवल इस योजना में ही उसका कुप्रभाव नहीं होता पूरे 8वें फाईव ईयर प्लान में जो कुछ हम व्यवस्था कर रहे हैं और ज्यादा आकार बढ़ाना चाहते हैं उसके ऊपर इसका निश्चित रूप से असर होता। मैं इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय....

**श्री केदारनाथ** : If other conditions are favourable.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कौन सी ?

**श्री केदारनाथ** : 'अदर कन्डीशन्स' जो सारी है क्लाइमेटिक है, वर्षा का है, सेन्टर का पैसा है ...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं यह नहीं कहता। मैं यही चाहता हूं कि नेशनल एवरेज से हमारा पर केपिटा इनवेस्टमेन्ट कम नहीं रहे इसलिए गये साल में और इस वर्ष में जो योजना का आकार बढ़ाया है उस योजना के आकार बढ़ने का असर पूरे 8वीं फाईव ईयर प्लान के योजना के आकार पर पड़ेगा और इसी गति से यदि 8वीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि का प्रावधान किया गया तो हम निश्चित रूप से नेशनल एवरेज के बराबर होंगे। मेरा मानना भी है और मैं समझता हूं, कोशिश भी हम इसी प्रकार की कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी बैठे-बैठे माथुर साहब ही शायद कह रहे थे कि यहां बरसात अच्छी हो गयी। इसके कारण से मैं समझता हूं कि आपको शायद इस बात का दुख होगा....

**श्री शिवचरण माथुर** : आप रिलीफ चाहते हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : नहीं, मैं रिलीफ भी नहीं चाहता और फेमिन भी नहीं चाहता।

**श्री रामकिशन शर्मा** : इस मामले में आप दोनों ही गड़बड़ हो। यह आते हैं तो सूखा पड़ता है और आप आते हैं तो बरसात होती है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप यह अन्दाजा लगा लीजिए कि बाढ़ के कारण से लाभ होता है या सूखे के कारण से होता है। बाढ़ के कारण से लाभ होता है तो सूखे को दूर रखो। अगर माथुर साहब सूखे के प्रतीक हैं तो इनको तो नमस्कार करो।

**श्री शिवचरण माथुर** : 1981 में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अब मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि जैसा माथुर साहब ने कहा कि बरसात अच्छी हो गयी-मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के किसानों को, गरीबों को सब को लाभ मिला है। लेकिन आपने यह देखा होगा कि इस बार बुवाई का कीर्तिमान, राजस्थान में इससे पहले इतने हैक्टेयर में बुवाई का कभी नहीं हुआ। एक यह भी मानेंगे कि इतना उत्पादन भी कभी नहीं हुआ। अब यदि भाग्य से ही उत्पादन होता है और यदि मेरा और राजस्थान की जनता का भाग्य अच्छा है जिसके कारण से हमने किसी प्रकार का कीतिमान कायम किया है, किसानों और गरीबों में खुशहाली आई है तो मैं आपसे एक ही मांग करना चाहूंगा कि आप इन गरीबों की खुशहाली के प्रतीक के रूप में जो बरसात हुई है, पैदावार बढ़ी है वह बढ़ने दो। उस पर कुदृष्टि मत डालो। जैसा पंडित जी ने कहा कि आप आये और अकाल पड़ गया, तो राजस्थान की जनता की क्या स्थिति होगी इसका आप अन्दाजा लगायें। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इधर आने की चिंता मत करो। कहीं चिंता से भी गड़बड़ी हो सकती है। चितामुक्त आप रहोगे तो राजस्थान का भला होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : यह कैसे कह सकते हैं ? आप दोनों के बिना भी चल सकता है। न अकाल आये, न बाढ़ आये। हो सकता है सामान्य रहे।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : हां, यह भी हो सकता है कि अकाल भी नहीं पड़े और बाढ़ भी नहीं आये और डाकूग्रस्त एरिया हो जाये। उससे भी बचने की आवश्यकता है।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : आप तो बराबर के हिस्सेदार हो।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

राजस्थान में फव्वारा खेती से हमने वाटर के कन्जर्वेशन के संबंध में किस प्रकार की व्यवस्था की है। उसका जिक्र बजट में आया है। उसी प्रकार से कम्युनिटी ट्यूबवैल के संबंध में हम किस प्रकार से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राहत दे रहे हैं, सबसीडी दे रहे हैं उसका भी मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। बीज के मामले में भी मैं ऐसा समझता हूं कि आज माननीय सदस्य सब बैठे हैं, विधान सभा में पहले अधिवेशन होते थे तो केवल इस बात की शिकायत होती थी कि बीज अच्छा नहीं मिला, बीज समय पर नहीं मिला, खाद समय पर नहीं मिला लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि विधान सभा के इस पूरे सत्र में किसी माननीय सदस्य ने यह शिकायत नहीं की कि बीज समय पर नहीं मिला....

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : मैंने शिकायत की थी। उस समय आपके पास कहीं भी बीज नहीं था। न नेशनल सीड कारपोरेशन के पास था और न राजस्थान सीड कारपोरेशन के पास बीज था। गये साल के बजट भाषण में भी मैंने कही है यह बात।

**डा. हरिसिंह** : माननीय मुख्यमंत्री जी, बिजली वाले मामले में किसानों की मैंने आप को कितनी बातें कहीं आपने बिलकुल परवाह नहीं की और बीज वाले मामले में शिकायत उससे की जाती है जिससे कोई आशा होती है। इस सरकार से कोई आशा नहीं है इसलिए हम लोगों ने ज्यादा शिकायत नहीं की। डूब रहे हो तो डुबोते जाओ। कितने दिन डुबोओगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपका तो दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं। आपको तो किसी भी सरकार से आशा नहीं है। न मेरी सरकार से आशा है, न शिवचरण जी की सरकार से आशा थी और न जोशी जी की सरकार में है।

**डा. हरिसिंह** : आप तो ++ +बात मत करो। इससे तो पार पड़ने वाली नहीं है। मेरी आस्था क्या है यह आपको पता लग जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : कम्पोजिटर आस्था है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रसंग में इस प्रकार की चर्चा करना....

**डा. हरिसिंह** : आपने हां भर ली। मैं आपसे तो आशा नहीं कर सकता, आपने कहा एक दिन मेरे से कि किसी से भी आशा कर सकता हूं मगर आपसे ऐसी आशा नहीं कर सकता हूं। आप तो निराश हो इस मामले में।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिलकुल कही है। डाक्टर साहब आपने बिलकुल सही कहा। आशा उसी आदमी से की जा सकती है कि जो आदमी आशा करने वालों में आशा रखता है।

**डा. हरिसिंह** : यही मैं कह रहा हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपसे तो कोई आशा नहीं कर सकता और इसका अनुभव कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बहुत है और मुझे भी थोड़ा बहुत है।

**श्री केदारनाथ** : फिर भी रिश्ता गहरा है।

---

++ +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां, रिश्ता गहरा है। यह गहरा रिश्ता नहीं रखें तो लोग धोखे में नहीं आये। उसी के कारण से लोग आ जाते हैं इनके।

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज किसानों के सम्बन्ध में चाहे वाटर कन्जर्वेशन का प्रश्न हो, चाहे सोइल कन्जर्वेशन का प्रश्न हो, चाहे बीज वितरण का प्रश्न हो, चाहे खाद वितरण का प्रश्न हो, चाहे बुवाई का प्रश्न हो और चाहे आगे पैदावार होने का प्रश्न हो, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में किसानों के लिए सौभाग्यशाली वर्ष इस प्रकार का कोई वर्ष नहीं निकला और इससे राजस्थान की पैदावार बढ़ेगी और उस पैदावार के कई लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर बार-बार इस बात का जिक्र किया गया कि राजस्थान में टैक्स क्यों नहीं लगाये। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं टैक्स लगाता हूं तो संकट और टैक्स नहीं लगाता हूं तो संकट...

**डा. चन्द्रभान** : जो सम्पन्न लोग हैं उनके लिए हमने और पंडित जी ने कहा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिल्कुल सही है। डाक्टर साहब आपने कहा कि सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगना चाहिए और सम्पन्न लोगों से आपका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए....

**डा. चन्द्रभान** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण और शहरी का सवाल नहीं है। सम्पन्न गांवों में भी हो सकते हैं, शहरों में भी हो सकते हैं। दोनों के लिये कहा है।

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : गांवों में सम्पन्न हो ही नहीं सकते। जहां सीलिंग सीमा बांध दी वहां सम्पन्न होंगे कहां ?

**श्री अध्यक्ष** : कई लोग गांवों से आये हुए हैं यहां, सम्पन्न नजर आ रहे हैं मुझे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं ऐसा समझता हूं, माननीय सदस्य जो मण्डावा से आये हैं उनके सुझाव मैं अवश्य ध्यान में रखूंगा और सम्पन्न किसानों पर टैक्स लगे, आपकी इस बात का जरूर ध्यान रखूंगा।

**डा. हरिसिंह** : मुख्यमंत्री जी, आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान का किसान सम्पन्न है ?

**डा. चन्द्रभान** : आप सम्पन्न किसानों पर टैक्स लगाने का ध्यान रखेंगे लेकिन व्यापारियों पर जिनकी सूची आपके कार्यालय में भी है और आपके पास भी है....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह है।

**डा. चन्द्रभान** : और जिनके पास करोड़ों की जमीन है, जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में ?

**डा. हरिसिंह** : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा, क्या राजस्थान का किसान सम्पन्न है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह आप डा. चन्द्रभान जी से पूछिये।

**डा. हरिसिंह** : हां और ना में, राजस्थान का किसान सम्पन्न है या गरीब है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह आप डाक्टर साहब से पूछिये ।

**डा. हरिसिंह** : मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान का किसान गरीब है जिसको आप सम्पन्न कहते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आगे चलने दीजिए । आप अपने स्वयं पर ही देख लीजिए, फिर आगे चलने दीजिये ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी स्थिति है अब किस प्रकार का टैक्स लगे और किस प्रकार का टैक्स नहीं लगे लेकिन इतनी तो आपको जानकारी होगी कि पिछली बार मैंने 59.88 करोड़ रुपये के घाटे का बजट रखा था, इस बार वह घाटा कम होकर 9.69 करोड़ का हो गया ।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : काम आपने कुछ किया ही नहीं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वही बता रहा हूं । इस बार का बजट 39.70 करोड़ रुपये के घाटे का प्रस्तुत किया है । मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जितने करोड़ रुपये का घाटे का बजट रखा है उसके लिये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है । मेरी मान्यता है और स्वयं पंडित जी की भी मान्यता होगी कि हम जब विपक्ष में बैठते थे तो एक बात निश्चित रूप से कहते थे कि राजस्थान में टैक्सेशन का स्तर सेचुरेशन पाइंट के ऊपर पहुंच गया है । मेरी इस शासन में आने के बाद और मान्यता बनी है कि जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना ही इवेजन होगा । टैक्स का जितना सरलीकरण होगा और टैक्स देने की लिमिट में होगा उतनी ही टैक्स से ज्यादा आय होगी । आज मैंने जो टैक्सेज कम किये हैं और पिछले सत्र में भी कम किये थे वह किसी को मुनाफा देने के लिये नहीं लेकिन एक दृष्टिकोण था कि राजस्थान का व्यापार और उद्योग, यह टैक्स के कारण से राजस्थान से बाहर नहीं चला जाय, पिछले वर्षों में गया है, वापस आने की प्रवृत्ति बनी है । यदि टैक्स ज्यादा होंगे तो आप यह मान कर चलें कि राजस्थान में कोई उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं होगा और यह टैक्स से न हमारी आय बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा और जो उद्योग या व्यापार कर रहे हैं वह उद्योग, व्यापार राजस्थान के बाहर जायगा । इस दृष्टि से मैंने किया है ।

आपकी नजर काजल पर चली गई । आपकी नजर कोई और चीजों पर चली गई । मैं यह नहीं समझता कि इतनी सी बात आप अगर कह देते, मैं जानता हूं पंडित जी, मैंने इस सैल्स टैक्स का पूरा अध्ययन नहीं किया, मैं इसका कोई पारंगत हूं इस बात को मैं नहीं मानता । इसका वकील भी मैं नहीं हूं लेकिन मैं शनैः-शनैः सैल्स टैक्स की परव्यू में आने वाली चीजों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन चीजों पर टैक्स लगाया क्यों गया । मैंने टैक्स हटाया इसकी तो आपने मजाक कर दी और जिन लोगों ने काजल पर टैक्स लगाया उनकी आपने आलोचना नहीं की । इतनी छोटी-छोटी चीजों पर टैक्स लगाने की

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

आवश्यकता क्या थी ? कितनी सी इनकम उससे होती है ।

**श्री रामकिशन शर्मा** : यानि आप क्या कह रहे हैं ? आप संभल कर बोल रहे हैं ? आप संभल कर बोलिये । मैंने जब इन्होंने लगाया था पहले विधान सभा में, हालांकि उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, मैं बता चुका था कि हिन्दुस्तान के श्रृंगार के साधनों में काजल सबसे बढ़िया चीज है । इसी साल में रिकार्ड पर है । इसलिए यह मत कहिये कि इनका किया उनका किया, असल बात पर आइये, काजल का झगड़ा नहीं है, झगड़ा दूसरा है जिसे आप समझ रहे हैं और जो मैंने जिस आधार पर कहा था ।

**डा. चन्द्रभान** : काजल नहीं काले धन से मतलब है इनका । कालेधन का झगड़ा काजल का नहीं है ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : आप डाक्टर साहब, नहीं समझेंगे । पंडित जी के पास बैठ गये कई दिनों तक तो पंडित जी आप को समझा देंगे । इस मामले की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे बढ़िया प्रशिक्षक और दूसरा मिल नहीं सकता । काजल की भी मिल जायगी, टीकी भी मिल जायगी, बिन्दिया की भी मिल जायगी, क्लिप लगाते हैं उसकी भी मिल जायगी, सारी ट्रेनिंग पंडित जी दे देंगे । यह पंडित जी का भी प्रशिक्षण घर में ही हो रहा है, कोई ट्रेनिंग स्कूल में नहीं जा रहे हैं ।

इसलिए मैं कह रहा था कि आज टैक्स लगाने की स्थिति राजस्थान में नहीं है ।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : सरकार में यह तो बात गलत हो रही है । डाक्टर साहब से कह रहे हैं जिनको यह चीजें कभी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं इसलिए कह रहा था कि राजस्थान में टैक्सेज की स्थिति ऐसी नहीं है । अब आपने आरोप लगाया कि स्टेट रेवेन्यू तो कम करली गई और बाहर से जो सहायता मिलती है वह ज्यादा मिल गई । लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं कि बाहर से सहायता लाये तो हैं ना ?

**श्री रामकिशन शर्मा** : मैंने कहा था, जनता दल की सरकार थी तब लाये हैं । कहा है मैंने, प्रति व्यक्ति बताया था ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यदि आप देखें कि टैक्सेज लगाने से जो आय होती उसकी तुलना में मैं आपको केवल एक ही जानकारी दे सकता हूं कि चाहे एक्साइज के मद हो, चाहे स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन के मद हो, चाहे लाटरीज के मद हो, चाहे सेल्स टैक्स के मद हो, इन सब के अन्दर वृद्धि हुई है और वृद्धि होने के कारणों में एक तो लूप होल्स को प्लग करने की कोशिश की गई, कानून का सरलीकरण किया गया, अच्छे-अच्छे अफसर चयन करके जो निष्ठा से काम कर सकें उनकी इन पदों पर नियुक्ति की गई और उसका परिणाम है कि पुराना घाटा भी निकला और इस साल जो बजट बढ़ाया गया, राशि बढ़ायी गई, अलग-अलग मदों में धनराशि का निर्धारण किया गया, वह सब मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने रात-दिन मेहनत करके ईमानदारी से राजस्थान सरकार की आय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बढ़ाने में सहायता की है। इसलिये टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पढ़ेगी तो मैं समझता हूं इस विधान सभा के सामने आना पड़ेगा और इसमें किसी प्रकार का संकोच करना भी नहीं चाहिये।

**श्री रामकिशन शर्मा** : मैंने जो कहा था वह आपने देख लिया था कि रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन में हम पहले 12 नम्बर पर थे, अबकी बार चले गये 14 पर और सेन्ट्रल असिस्टेंस में पिछली बार इनके टाइम में जो राजस्थान नवें नम्बर पर था उस पर चले गये पांच पर। आप इन चीजों को मिलाओ मत। यह दो अलग-अलग चीजें हैं। या यह दड़ी वैसी चीजें हैं जो मैं थोड़ा समझता हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : पंडितजी, आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में, माथर साहब, मुझे करेक्ट करेंगे, एक हजार करोड़ रुपये का ए. आर. एम. का हमने वायदा किया....

**श्री केदारनाथ** : साढ़े सात सौ करोड़।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : एक हजार करोड़। और एक हजार के अगेंस्ट में हमने लगभग बारह सौ करोड़ रुपये इकट्ठे किये। बाहर सौ करोड़ रुपये हमने ए. आर. एम. के रूप में इकट्ठे किये। अपने सरकारी विभागों से आय बढ़ा कर नहीं, टैक्स, लगाकर हमने किया। अब आप यदि मुझे कहें कि मैं टैक्स लगाकर ए. आर. एम. बढ़ाऊं या जिन विभागों से आय होती है उस आय को ज्यादा बढ़ाऊं, मैंने टैक्स लगाकर आय बढ़ाने के स्थान पर जिन विभागों से आय के साधन होते हैं उन विभागों में व्यवस्था करके आमदनी कैसे बढ़े इसकी व्यवस्था की है। मैं समझता हूं इसका आप समर्थन करेंगे।

**श्री शिवचरण माथुर** : यह तो 1988 से नो टैक्स बजट पेश हो रहे हैं इस विधान सभा में और यही प्रक्रिया है कि घाटे को कम कैसे करने की कोशिश की जाय। खर्चे में कमी की जाय। 1989 का जो बजट हमने पेश किया था उस समय करीब 202 करोड़ रुपये का घाटा था। आपने जो पिछली साल बजट पेश किया उस समय केवल 25 दिन आपको इस सरकार में आये हुए थे। पिछली बार का जो घाटा कम हुआ वह सारा कांग्रेस सरकार की देन है क्योंकि हमने जो कुछ भी कमी की उसका फल आया। आज उसी का असर है कि आप नो टैक्स बजट पेश कर सके और घाटे को भी कम कर सके।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह सही है।

**श्री शिवचरण माथुर** : चार साल से लगातार इस विधान सभा में नो टैक्स बजट हम पेश कर रहे हैं। एक सेचुरेशन की स्टेज आयी है और जो आप बाहर की इनकम की बात कहते हैं, यह नाइन्थ फाइनेन्स कमीशन को धन्यवाद दीजिये जो कांग्रेस की देन है। उससे आपको पैसा मिला है और उससे आपकी बाहर की बढ़ी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं ऐसा नहीं समझता, माननीय माथुर साहब, पांच वर्ष तक आपने नो टैक्स बजट पेश किये।

**श्री शिवचरण माथुर :** 1988 से।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं पूछ रहा हूं आपको। आपने बिजली की रेट सबसे ज्यादा बढ़ायी। साढ़े पांच सौ करोड़ के बिजली के टैक्स आपने लगाये।

**श्री शिवचरण माथुर :** वह डाक्टर चन्द्रभान कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** नहीं-नहीं, डा. चन्द्रभान क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना डा. चन्द्रभान नहीं, मेरे से बात करो ना। आपने 1200 करोड़ के टैक्स लगाये, मैंने एक टैक्स नहीं लगाया। एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया, रियायतें दीं। मुझे अफसोस है कांग्रेस पार्टी इस बात की चिन्ता कर रही है कि मैं जनता पर टैक्स लगाऊं। मैं इस बात की चिन्ता कर रहा हूं कि बिना टैक्स के राज्य की आय बढ़ाऊं। दोनों में बड़ा अन्तर है। आपके सामने कोई व्यवस्था नहीं, टैक्स लगाओ, लोगों से रुपया वसूल करो। मेरे सामने यह व्यवस्था है कि टैक्स की चोरी रोको, टैक्स के कानून का सरलीकरण करो, ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करो और उसके कारण जो आय बढ़ती है उस आय को राजस्व के खाते में शामिल करो। यह आपके और मेरे दोनों के अप्रोच में बेसिक डिफरेंस है और मैं समझता हूं यह रहेगा।

अब, अध्यक्ष महोदय, यहां पर "अपना काम, अपना गांव" और "जवाहर योजना" आप इसके बारे में कह सकते हैं कि यह योजना हमारे शासन काल में शुरू हुई। मुझे इसको स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है लेकिन जवाहर रोजगार योजना या गांवों में खर्चे की दृष्टि से हम किस लेवल पर थे, कहां हमारा नम्बर था और आज जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। आज आप राजस्थान के किसी गांव में चले जाइये, पंचायत में चले जाइये तो आपको ऐसा लगेगा कि राजस्थान में विकास की गंगा बह रही है। माथुर साहब, आपको तो नाराजगी इसलिए है कि (व्यवधान) मैं कह रहा हूं न, मैंने मंजूर किया है।

**श्री ईश्वरलाल सैनी :** यह तो केन्द्र सरकार का पैसा है। आपका कितना पैसा है। आप तीस प्रतिशत गांव वालों से ले रहे थे ना? वह उस वक्त राज्य सरकार देती। श्रीमन्, यह केन्द्र का पैसा है और हमारा इसमें हिस्सा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं आज कह सकता हूं कि जवाहर रोजगार योजना में राजस्थान हिन्दुस्तान के प्रथम दो स्टेट में आ गया। आज भारत सरकार भी कहने लगी है कि हम रुपया कम देंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सैनी साहब कह रहे थे कि यह तो योजना हमारी है, 1-4-90 को जवाहर रोजगार योजना, डी. डी. पी. और डी. ए. पी. (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 70 करोड़ के टार्गेट पूरे नहीं हुए। 70 करोड़ रुपये बचत में थे, आज मैं कह सकता हूं कि एक नई कौड़ी बचत में नहीं आयेगी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं घासीराम जी को जिन्होंने एक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बात को स्वीकार किया कि पूरे राजस्थान में जहां-जहां भी हमने 30 और 70 का फार्मूला अडाप्ट किया है उस फार्मूले के आधार पर जनता के लोग खूब पैसा देने के लिए आ रहे हैं।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : लेकिन आपने सीमा बान्ध दी। इसकी सीमा को हटा दें। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह मैं मानता हूं। अब यह 10 लाख की सीमा बढ़ाने की मांग आप ही के लोग कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि सीमा 10 लाख से ज्यादा बढ़ाओ और मैं कहना चाहता हूं कि जो विधायक अपनी कांस्टीयूएंसी में पापूलर हैं, जनता में जिनका विश्वास है और जनता जिनका विश्वास करती है उनको तो पैसे खूब मिल रहे हैं और, माथुर साहब, आपको तो कौड़ी भी नहीं मिल रही है, यह मेरा दोष नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर** : एक बात बता दीजिए, मुख्य मंत्री जी, ट्राइबल एरिया में आपको कितना रेस्पान्स मिला है ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपको बता देता हूं। मुझे तो आप बता दीजिए कि माण्डलगढ़ में आपने क्या आफटर्स किये। पहले आप माण्डलगढ़ का बता दीजिए।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : धौलपुर का आप बता दीजिए ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : धौलपुर में पैसा पूरा आया है। राजाखेड़ा की मैं कह नहीं सकता।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप तो, मुख्य मंत्री जी, धौलपुर जिले उसमें आपने क्या आफटर्स किये, बता दीजिए। माथुर साहब तो पिछली साल माण्डलगढ़ को बिजली का ले आये, आप धौलपुर का बिजली का ले आये क्या ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप फिर ट्रैप में आ रहे हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, टार्गेट केवल तीन जिलों में पूरे नहीं हुए गंगानगर, सवाईमाधोपुर और शायद कोटा।

**श्री केदारनाथ शर्मा** : हमारे गंगानगर में मजदूरी ज्यादा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपके ज्यादा गरीबी है इस कारण पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं इसलिए कहता हूं, पंडितजी, जैसा घासीराम जी ने कहा कि अगर जिनका पैसा लगेगा वह इस बात की चिन्ता करेंगे कि हमारे पैसे का शत प्रतिशत सही उपयोग हो, आटोमेटिकली करप्शन उससे एलिमिनेट हो। आज सिस्टम में बीमारियां हैं, उस सिस्टम की बीमारियों को खतम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई दिन ऐसा नहीं आता जिनमें लोग पंचायतों की शिकायतें लेकर नहीं आते हों। पिछले वर्ष में जवाहर रोजगार योजना में यह गड़बड़ हुई, विशिष्ट योजनाओं में यह शिकायत लेकर आये, पैसों के दुरुपयोग की दुनिया भर कि शिकायतें आयी। इन शिकायतों में पब्लिक कंट्रीब्यूशन यदि होगा तो शिकायत कम होगी और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शिकायतें कम होने का अहसास होने के बाद, माननीय माथुर साहब, आपने कभी पंचायतों और सरपंचों को 50 हजार रुपये तक के पक्के काम कराने की अनुमति नहीं दी, मैं 77 और 80 में जब मुख्य मंत्री था तो मैंने सात हजार तक के काम कराने की, छूट दी उस सात को बढ़ा कर मैंने 50 हजार तक के काम सरपंच अपनी मर्जी से करवालें, इसकी छूट दी है। (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूं आज जो पंचायती राज की बातें कर रहे हैं एक तरफ शिकायतें भी आ रही हैं और दूसरी तरफ उनका विश्वास भी किया है और विश्वास करने का आधार बनाया है और आधार बनाने के साथ मेरी मान्यता है कि गांवों से करप्शन दूर करने के लिए जैसे कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि करप्शन खतम हो लेकिन करप्शन गांवों में न हो। मैं उनको एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारे सिस्टम के कारण से जो करप्शन फैला है, उस सिस्टम के कारण बुराइयां पैदा हुई हैं, उस सिस्टम में परिवर्तन नहीं आयेगा तो कानून के बल पर पूरा करप्शन खतम कर सकें यह सम्भव नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को चेंज करने की व्यवस्था है कि गांवों में जितना भी पैसा हो उसकी निगरानी पटवारी और अन्य किसी से नहीं होगी लेकिन गांव का आदमी यदि लट्ठ लेकर खड़ा हो गया तो एक पैसा कोई नहीं खा सकेगा। अब इसमें आप यह कहें कि या तो खतम नहीं होना चाहिए या आप कहो कि ऐसे सरपंच भी होशियार हैं कि गांव की भी, निगरानी से, बच गये तो मैं समझता हूं जैसे सरपंचों की शिकायत आती है, अब तो समय भी नहीं, जल्दी ही उनकी अवधि समाप्त हो रही है लोगों की मांग हो रही है, विकास के कामों से उनका पीछा छुड़ाया जाय, मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे। जून में चुनाव हो रहे है। लोगों की मांग है कि पंचायतों के क्षेत्र की सीमा का पुनर्निर्धारण भी किया जाय, और भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भा. ज. पा. पर बहुत हमला किया, इस सरकार पर भी हमला किया गया लेकिन, माथुर साहब, आपको ध्यान है कि राजस्थान की लगभग 142 नगरपालिकाओं में, आंकड़ों में थोड़ी हेर-फेर हो सकती है, 146 नगरपालिकाओं के चुनाव हुए और 146 के चुनावों में नगरपालिकाओं में कांग्रेस का सफाया हो गया। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता तो जनता के वोट भा.ज.पा. को क्यों मिलते। काम किया है, इसी आधार पर तो वोट मिले हैं और आज फिर मैं यह कह देता हूं....

**डा. हरिसिंह** : को-आपरेटिव के चुनावों में क्या हुआ ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह भी आ रहा हूं। डा. साहब, आप तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में इंट्रेस्टेड नहीं हैं आप तो को-आपरेटिव में इंट्रेस्टेड हैं।

**डा. हरिसिंह** : मैं तो पंचायतों में भी इंट्रेस्टेड हूं, को-आपरेटिव में भी हूं और राजस्थान की जनता के भले में इंट्रेस्टेड हूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** अब असली फैसले का वक्त आ गया है, मुख्य मंत्री जी, अब छोटी-मोटी ढालों से क्या होगा। अब असली फैसले का वक्त आ गया है, लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं, फैसला हो जायेगा। काहे को पंचायतों और नगर-पालिका की बात करते हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं आपको इतना ही बता दूं सुना तो सही, असली फैसला तो जनता करेगी आप और हम नहीं करेंगे लेकिन जनता में कोई किसी तरह का सस्पेन्शन नहीं है वह तो फैसला कर देगी। यह ऐसा फैसला नहीं है कि जो ईराक को करना पड़ा हो और यह फैसला ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को करना पड़ा हो। अध्यक्ष महोदय, एक दिन मैं दिल्ली एयर पोर्ट पर देख रहा था वहां नारे लग रहे थे "इस संसार में दो ही नाम-राजीव गांधी और सद्दाम"। तो ऐसे नारे लग रहे थे तो मुझे भी लगा....

**डा. हरिसिंह :** वे भी कोई भा. ज. पा. के आदमी होंगे। ऐसे हेराफेरी के शगूफे छोड़ना भा.ज. पा. का मैन धन्धा है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आप तो यह बतादो कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे पोस्टर बनाये तो गलत काम किया है?

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** अगर आप ऐसे प्रश्न पूछोगे तो ऐसे उत्तर निश्चित रूप से देंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं भगवान की कृपा से राजीव गांधी और सद्दाम दोनों के सामने एक ही समस्या है। सद्दाम के सामने यह समस्या थी कि कुवैत से विदड्रा कैसे किया जाय और राजीव गांधी के सामने यह समस्या थी कि चन्द्रशेखर जी से विदड्रा कैसे किया जाय।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** वह आपने जल्दी कराने में काफी मदद कर दी इसलिए आपको धन्यवाद।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** दोनों विदड्रा-वल की समस्या में फंस गये। कैसे विदड्रा किया जाय। और दोनों ने विदड्रा करके नुकसान उठाया। एक ने विदड्रा करके ईराक को तबाह कर दिया और इन्होंने विदड्रा करके हिन्दुस्तान की जनता पर एक हजार करोड़ का चुनाव का बोझ लाद दिया।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** वो तो छुरा भोंका विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। आपने तो हमें चाकू मारा।

**डा. चन्द्रभान :** अध्यक्ष महोदय, चुनावों के लिए कांग्रेस और बी. जे. पी. दोनों जिम्मेदार है।

**श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :** शिवचरण जी माथुर ने भी +++

**एक माननीय सदस्य :** कांग्रेस का तो कोई दोष नहीं है इसमें। भारतीय

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(एक माननीय सदस्य) -

जनता पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस का कहां दोष है उसमें ? (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज विदड्रा करने का प्रश्न जो आया है, कोई इश्यू होता, अगर कोई फ्यूल पालिसी का इश्यू होता और विदड्रा करते तो समझ में आता, अगर कोई किसानों का फैसला होता और उस पर विदड्रा करते तो समझ में आता....

**श्री नत्थीसिंह** : 23 अक्टूबर को विदड्रा करने की आदत आपने ही डाल दी थी। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : गरीब जनता का कोई प्रश्न आता, बेरोजगारों की समस्या का कोई प्रश्न आता और कोई जनहित का क्वेश्चन आता और उस पर आपके अध्यक्ष महोदय विदड्रा करते तो कोई प्रश्न पैदा होता लेकिन दो कांस्टेबल (व्यवधान)

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो कांस्टेबल ने इंदिरा जी की हत्या की थी। हो सकता है वे दोनों कांस्टेबल राजीव गांधी के पीछे इसलिये ही लगाये गये हो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिल्कुल सही। अध्यक्ष महोदय, अब आप हिन्दुस्तान के नेताओं को अंदाजा लगा लीजिये कि दो कांस्टेबल के प्रश्न को लेकर हिन्दुस्तान को गारत में झोंका जा रहा है। (व्यवधान)

**डा. हरिसिंह** : आपका तो कहना है चुनाव गलत है लेकिन अडवानी जी कह रहे है चुनाव करवाने चाहिये और आप कह रहे हैं हिन्दुस्तान की जनता को चुनावों में धकेल दिया है, धकेलना नहीं चाहिये था। आपकी पार्टी तो 6 महीने से कह रही है चुनाव करवाने चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : ठीक है, आपने हमारी पार्टी का समर्थन तो किया।

**डा. हरिसिंह** : आप चुनाव के पक्ष में है या खिलाफ में है ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप चुनाव के पक्ष में है या खिलाफ में है ? यह बताओ आप इस तरह कोई सवाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि चन्द्रशेखर जी की दोस्ती के लिए आप पार्टी पालिसी को भी ताक में रख रहे हो। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिल्कुल सही है।

**श्री सम्पत सिंह** : ये ऐसे डाक्टर हैं, जो अबार्शन और डिलीवरी में फर्क ही नहीं समझते। (व्यवधान)

**डा. हरिसिंह** : **I understand you were aborted and others were delivered.**

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि कई प्रश्न ऐसे हैं। राजस्थान के सामने प्रश्न था। अभी माथुर साहब स्वीकार करेंगे कि 1982 में राजस्व मण्डल ने सिफारिश की थी नये जिले बनाने की। 1982 से लेकर आज तक आप बैठे रहे। राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में तीन नए जिले नहीं बना सके और अब जिले बना दिये तो इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते। (व्यवधान)

तीन तो बनाये हैं न।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** आप करौली की भी घोषणा कर देते।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** जनार्दन सिंह जी, जब से आप विधायक चुने हुए हैं, उस समय से लेकर अब तक करौली की मांग करते तो शायद मैं विचार करता लेकिन आज तक तो बोले ही नहीं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** आप तो वायदा करके आये थे करौली में। आप तो मीटिंग में वायदा करके आये थे श्रीमान्। प्रतापगढ़ में वायदा करके आये थे। वहां आज अखबारों में लगा हुआ है, आपके कारण तो प्रतापगढ़ बंद हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आप करौली की बात पर प्रतापगढ़ पहुंच गये। प्रतापगढ़ देखा है न? मैं तो करौली की बात कह रहा था लेकिन आप, कम से कम इतना तो अहसान मानो, मेरी पिछली सरकार थी जिसने धौलपुर को जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया था। ये तो कम से कम मान लो।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** ये हरिदेव जी जोशी ने निर्णय लिया था चलते समय कि ये-ये जिले बनाये जायें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** प्रस्ताव नहीं, लागू किया था।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** वैसे चलते वक्त आप निर्णय कर लेते।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** वो तो आप यह मानकर चलिये, मैं गया और सारी व्यवस्था करके गया था तुरन्त जिला बन गया, तो कम से कम हमने चार जिले तो बनाये।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** तो ये कहो कि आपकी वजह से तीन जिले पहले बनते-बनते रुक गये। वो तो सही मायने में चुनाव कमीशन में आपकी चिट्ठियां और तार हैं जिसमें यह कहा गया है कि हरिदेव जी जोशी नये जिले बनाकर मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। इसलिए उनको रोका जाये। पहले जिले नहीं बने, इसके लिए भी आप ही दोषी हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** इसका क्रेडिट तो हमको दो। चुनाव के दिनों में आपने घोषणा की थी, चुनावों के पहले तो आपके कागज नहीं चले और चुनावों में वोट लिया जाये, इसके लिए आपने किया होगा। मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि मैंने इस सम्बन्ध में कोई तार दिया हो। (व्यवधान)

नहीं नहीं, आपके पास तार की कापी होगी लेकिन मेरी जानकारी में मैंने इस प्रकार का तार नहीं दिया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिले बना दिये जिसमें आपको संकट खड़ा हो गया। नई तहसीलों के लिए समितियों का गठन कर दिया कि कौन-कौनसी तहसीलें पुनर्गठन के आधार पर तहसीलें, उप तहसीलें बनाई जा सकती हैं। मैं समझता हूं इस आधार पर कम से कम आपको एक फैसला तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करना चाहिए था कि राज्य सरकार ने यह निर्णय ठीक प्रकार का लिया है लेकिन उस पर भी आप नहीं बोले और मुझे इस बात का दुःख है कि कल जोशी जी भाषण दे गये। जोशी जी में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि यहां मण्डल की चर्चा कर रहे थे, और चर्चाएं हुई लेकिन जोशी जी में आज तक इस बात की हिम्मत नहीं हुई कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में आदिवासी क्षेत्रों में, जिन लोगों को, आदिवासियों को कांस्टेबल की नौकरी नहीं मिलती थी, जिनको फारेस्ट गार्ड की नौकरी नहीं मिलती, जिनको एल. डी. सी. की नौकरी नहीं मिलती, जिनको क्लास फोर्थ की नौकरी नहीं मिलती, जिनको ड्राइवर की नौकरी नहीं मिलती, अगर जोशी जी में हिम्मत होती तो निश्चित रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत का रिजर्वेशन करके जाते लेकिन हमने हिम्मत करके कर दिया तो क्या मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया? उन आदिवासियों के लिए किया। वरना आपको बता दूं, डाक्टर साहब, मण्डल हो चाहे और हो, इस राजस्थान में गरीब और पिछड़ा वर्ग कोई भी हो, जिस गरीब और पिछड़े वर्ग को इस बजट के अन्दर, आप देखकर चलें, जितना इस बजट के अन्दर गरीब और पिछड़े वर्ग को लाभ होगा उतना और किसी को नहीं होगा।

**डा. चन्द्रभान** : आपने एस. टी., एस. सी. के लोगों के लिए आरक्षण किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। हमने पहले कर दिया। हम अब निवेदन करें मण्डल को भी लागू कर दो, और अच्छा हो जायेगा।

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद** : माननीय मुख्य मन्त्री जी, इस बजट में किसी अल्पसंख्यक का नाम भी नहीं लिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने कोई अल्पसंख्यक का नाम नहीं लिया।

**डा. हरिसिंह** : रामगंज में नाम ले लिया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मेरी सुनिये, मैंने ले लिया। आप बैठ जाइये। मैंने न अल्पसंख्यक का नाम लिया, न हिन्दु का नाम लिया, न मुसलमान का नाम लिया, न मैं क्रिश्चियन का नाम ले रहा हूं और न और किसी सम्प्रदाय और धर्म का नाम ले रहा हूं। मैं राजस्थान की जनता का नाम ले रहा हूं। जिसमें हिन्दू भी है, मुसलमान भी है, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, गरीब भी है। आप इस सारे वर्ग को हिन्दू और मुसलमान में बांटने की चिन्ता क्यों करते हो।

**डा. हरिसिंह** : आप ही कर रहे हैं। आपकी पार्टी कर रही है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : डाक्टर साहब, सुनते जाइये। पेशेंस रखिये। जब जोशी जी बोले तो मैंने कभी इंट्रप्ट नहीं किया, न हमारे माननीय सदस्य ने इंट्रप्ट किया।

**डा. हरिसिंह** : ऐसी बात कहोगे तो इंट्रप्ट करना जरूरी है। जब आप ऐसी

(डा. हरिसिंह)

बात कहोगे, मुख्य मन्त्री जी, कि हिन्दू और मुसलमान में नहीं बांटा, फलाना में नहीं बांटा, बांट तो आपने दिया तो यह कहना पड़ेगा। आप कोई बात असत्य कर रहे हो, सदन को गुमराह कर दो और कोई बोले नहीं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : डाक्टर साहब, मैं इस विषय की चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन आपने कह दिया तो मैं अवश्य ही....

**श्री अध्यक्ष** : जो कुछ भगवान ने किया है, उस पर आप आपस में क्यों कर रहे हो ? (व्यवधान)

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : सुविधाओं में आपने 25 प्रतिशत कटौती करदी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अब आपको तो जानकारी है नहीं तो मैं क्या करूं।

**श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** : नहीं, मैं सही कह रहा हूं। विशिष्ट योजना संगठन ने जिला विकास अभिकरणों ने, अभी जो नई योजना बनाई है, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में 25 प्रतिशत कटौती कर दी। आपने आदेश निकाले हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कोई कटौती नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं इस देश में....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मुख्य मन्त्रीजी, यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछली बार से सोशल सर्विसेज के एक्सपेंडिचर में आपको पर्सेन्टेज घट गया है बजट देखिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अमाउन्ट बताइये।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : अमाउन्ट बढ़े, इससे मतलब नहीं है। पर्सेन्टेज घट गया है। जब 1166 करोड़ होगा तो अमाउन्ट तो बढ़ेगी ही।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अमाउन्ट तो बढ़ा है न। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, वोट की राजनीति इस देश को तबाह कर रही है। वो चाहे हिन्दू का लेना हो, चाहे मुसलमान का लेना हो, चाहे क्रिश्चियन का लेना हो, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट का लेना हो चाहे ट्राइब्स का लेना हो, यह जो इस प्रकार की राजनैतिक परम्परा बन गयी, वह इस देश को गारत में ले जा रही है और समय-समय पर आज यहां पर मेरे ऊपर यह आरोप लगाया जाय कि मैंने दंगे करवाये या मेरे राज्य में दंगे हुए, मैं आंकड़ों के आधार पर केवल इतना ही कह सकता हूं कि माथुर साहब बैठे हैं। राजस्थान में दंगे कब से शुरू हुए, दंगों में कितने आदमी मरे, राजस्थान के सही आंकड़े मैं दे सकता हूं। 1985 से लेकर 1990 तक सतावन आदमी साम्प्रदायिक दंगों में मरे। अब आपकी मरने वालों के प्रति सहानुभुति है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : सबको है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : सबको होनी चाहिए लेकिन आपकी सहानुभूति का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नमूना क्या है ? मरने वाले पांच हजार मरने वाले को दस हजार, इससे ज्यादा नहीं बड़े और जयपुर में दंगे हुए, तो आपके मुकर....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कई दफा 50 हजार भी दिये हैं।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : माथुर साहब ने तो हत्या करवा कर पुलिस वालों को बहाल करके नौकरी पर भी लगा दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं माथुर साहब, कि जयपुर में दंगे हुए, यहां पर आरोप लगाया गया कि जयपुर में किसी को सहायता नहीं दी गई या सहायता में भेदभाव किया गया। (व्यवधान)

कई और बोले थे। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान भर में किसी भी राज्य में एक लाख रुपये मृतक के परिवार को नहीं दिये गये, वह राजस्थान में दिये गये। और इस कारण से 97 लाख रुपये जयपुर में खर्च हुए, 11 लाख रुपये चौमूं में खर्च हुए, 8 लाख रुपये जोधपुर में खर्च हुए और साढ़े तीन लाख रुपये ब्यावर में खर्च हुए। अगर आप कोई कीर्तिमान बता दें कि....

एक माननीय सदस्य : हिण्डौन में 15 हजार रुपये दिये गये।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ठहरो, बैठ जावो। प्रेमसिंह जी, बैठ जाओ।

डा. हरिसिंह : (फुलेरा) : आपने फ्लड में मरने वालों को 5-5 हजार रुपये दिये और बूटासिंह वहां 10-10 हजार रुपये देकर आये प्रति परिवार को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने मृतकों के परिवारों को सहायता दी, घायलों को सहायता दी और साथ-साथ यह भी फैसला कर लिया कि मृतक का कोई परिवार का आदमी सर्विस करने वाले हों तो उसको राजकीय सेवा में भी लिया जाय। अब यह सब कुछ करने के बाद....

श्री रामनारायण वर्मा : नैनवा के बारे में क्या कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको नैनवा की बात भी बता दूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा : नैनवा के साथ पक्षपात क्यों किया गया ? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं कि वहां पर दो मुसलमान मरे हिन्दू नहीं मरा था इसलिए (व्यवधान)

आप बोलने दीजिये। जो बात सही है, जो बात सही है आपको उसके बारे में क्या कहना है।....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आप ही मरने वाले हो, आप ही इलाज करने वाले। आप ही भारत बन्द करवाने वाले, आप ही....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इण्ट्रप्शन की कोई सीमा होनी चाहिये।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर विपक्ष के आदमी बोल ही नहीं पायेंगे ।....

**श्री अध्यक्ष** : आप अपनी सीमा में रहिये । अब आप यही शुरू कर देंगे तो भाषण नहीं होगा फिर प्रश्न ही चलते रहेंगे । आप अपनी-अपनी सीमा में.... (व्यवधान)

माफ करिये । मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, इण्ट्रप्शन की कोई सीमा होती है, आप सीमा में रहिये ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं यहां पर बड़े जोर शोर से कहा गया कि जयपुर में अभी शायद जनार्दन सिंह बोले या कौन बोले मैं कह नहीं सकता । ...

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : मैं ही बोला था ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां, आप ही बोले है कि यहां तो 100--150 आदमी मर गये । आप विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, आप पिछले छह महीने से यहां हैं, मैं भी छह महीने से यहां हूं । आप अगर एक भी चिट्ठी मुझे लिख देते कि सरकारी आंकड़ों में इस आदमी का नाम शामिल किया जाय, जो मर गया हो और आपकी लिस्ट में नहीं हो । आपका क्या बिगड़ता, उसके परिवार को सहायता मिल जाती । एक लाख रुपये मिल जाते । लेकिन आप यहां भाषण दे रहे हैं । 100-150 आदमी मर गये । मैं आज भी आपको चुनौती से कहता हूं, चुनौती देता हूं इस बात की कि जो सरकारी आंकड़े हैं आप उस को गलत साबित कर दें । इस तरह की बात करने से लाभ नहीं होगा और यहां आप यह कहे जोर शोर से कि जयपुर में, एक तो यहां बोल गये कि हिन्दुस्तान भर में इस प्रकार की हत्याएं नहीं हुई, आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में इतनी हत्याएं नहीं हुई । ...

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक हत्याएं नहीं हुई । हिन्दुस्तान का किसी ने नहीं कहा, राजस्थान का कहा था किसी ने ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, यह दोनों, तीनों नेता बैठे हैं, अगर इस प्रकार का क्रम रहा तो उनमें से कोई बोल पायेगा इसका अन्दाज लगा लें ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हमें चुनौती स्वीकार है आपकी ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां, चुनौती स्वीकार है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, खड़े हो जाइये ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : काहे के लिए खड़ा हो जाऊं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बोलो आप ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जवाब आप दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं ।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : यह कोई तमाशा है ।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जवाब आप दे रहे हो कि हम दे रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं समझता हूं यह आप इण्टरप्शन कर रहे हैं बार-बार।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हिन्दुस्तान की बात कही किसने थी ?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कही है यहां हाउस में, हाउस में कही है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप प्रोसिडिंग्स निकलवा लीजिये। आप प्रोसिडिंग्स निकलवालें, फिर कहें।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हाउस में कही है।

**श्री अध्यक्ष** : प्रद्युम्न सिंह जी, बिराजें। सारे सदन का....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : देखिये प्रद्युम्न सिंहजी, इतना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है।.... (व्यवधान)

मुझे कोई गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। बार-बार इण्टरप्ट कर रहे हैं।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप सदन के नेता हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : जहां सदन के नेता की मेरी जिम्मेदारी है सदन चलाने की इसलिए इण्टरप्शन सहन कर रहा हूं। यदि विपक्ष में होता और इस तरह से कोई इण्टरप्ट करने की हिम्मत ही नहीं करता। सदन के नेता का उत्तरदायित्व है इस कारण से मैं इण्टरप्शन को सहन कर रहा हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं उसके बावजूद भी उछल रहे हैं। सही बात मैं कह नहीं सकता इसलिए मैं रुकने वाला नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आन्ध्र में इन दंगों में 162 आदमी मारे गये। आंध्र में भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है। वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 162 आदमियों की हत्याएं हुई। आपने कभी मांग की कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में इन की सरकार, वहां 69 आदमियों की हत्याएं हुई वहां पर आपने किसी प्रकार की मांग नहीं की कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय। अध्यक्ष महोदय, गुजरात में 108 आदमी मारे गये और 108 आदमी जिस सरकार में मारे गये उस सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं और समर्थन किया है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : उसमें आपकी साझेदारी थी।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : हां, वह ठीक है। वह आप कहते रहें। अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में 309 आदमी, यह सरकारी आंकड़े हैं, अखबारों में तो बहुत है, 309 आदमी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरे हैं और मरने के बाद में आपने उस सरकार का समर्थन किया है और यहां आप बार-बार आवाज उठा रहे हैं कि यह कर दिया, वह कर दिया। उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने इस बात की मांग की है कि आंध्र प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाय? क्या कभी कर्नाटक सरकार की बर्खास्तगी की आपने मांग की है?

**श्री बंशीलाल पटवा** : दोनों मुख्य मंत्रियों को बदला है।...

**श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़)** : मैं एक मिनट, कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का राज था, कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि वहां मुख्य मंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं और यह सब गड़बड़ हुई है तो दोनों ही जगह मुख्य मंत्री बदले हैं। कांग्रेस पार्टी क्यों मांग करती सत्ता खत्म करने की। कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है।.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब आप भी उन मुख्य मंत्रियों की बखिया और उधड़वायेंगे। आप उन मुख्य मंत्रियों का नाम ले करके उनकी बखिया और उधड़वायेंगे।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, यही तो कह रहा हूं कि हमारे यहां नैतिकता थी और यहां इतने मरवा दिये।..

**श्री अध्यक्ष** : सब को पता है चेन्ना रेड्डी और राजीव गांधी के सम्बन्ध, आप काहे को यह नई--नई बातें खड़ी कर रहे हो। (व्यवधान)

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि चेन्ना रेड्डी क्यों हटे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि चेन्ना रेड्डी क्यों हटे? राजीव गांधी से उनकी बनती नहीं, वीरेन्द्र पाटिल उनका कहना मानते नहीं थे। वरना अभी हटाने की बात दंगों के कारण से होती तो शरद पंवार को हटाने की बात क्यों आयी? वह इसलिए आयी कि राजीव गांधी के नेतृत्व में वह विश्वास नहीं करते थे। तो जो राजीव गांधी के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते उनको किसी न किसी बहाने से हटाने की योजना बनायी और उस योजना में कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री आ गये। शरद पंवार बराबर का निकला कि हटाओ तो मैं भी हटाने की तैयारी करता हूं।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : समय पर चेत गया। आपकी दोस्ती से थोड़ा पीछे हट गया नहीं तो वह भी मारा जाता।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अच्छा, मेरी दोस्ती से।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत** : आपकी पुरानी दोस्ती की वजह से थोड़ा चेत गया नहीं तो अभी तो चक्कर पड़ जाता उनके साथ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मुझे कम से कम इस बात की तो खुशी है कि मेरी दोस्ती के कारण से आपने शरद पंवार को छोड़ दिया।

**एक माननीय सदस्य** : अडवानी जी तो आपको भी नहीं चाहते।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** वह इसलिए बच गये कम से कम कि आपसे थोड़ा पिंड छुड़वा लिया था। क्योंकि जैसे वी. पी. सिंह गये आपकी दोस्ती की वजह से वैसे ही चन्द्रशेखर आपकी दोस्ती की वजह से गये।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की चर्चा करने का कोई सार नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां बार-बार चर्चा की गई कि कितने आदमी को मुकदमों में पकड़ा गया, कितने आदमियों का चालान किया गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सोजत में दंगों के मामले किसने विदड़ा किये, पाली के मामले किसने विदड़ा किये, महसाणा के मामले किसने विदड़ा किये? हमारी सरकार ने नहीं, आपकी सरकार ने विदड़ा किये और विदड़ा करने में, आपने विदड़ा किया हैं उसमें एक भी आदमी को सजा नहीं हुई। मैंने तो केवल ढाई वर्ष पहले राज किया और एक वर्ष अब आया हूं। मैं, माथुर साहब, आपको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि एक मामले को छोड़ कर जो जनता शासन में रोल में हुआ था उस मामले को छोड़ कर राजस्थान में 1947 से लेकर आज तक साम्प्रदायिक दंगों और तनाव के कारण किसी आदमी को सजा नहीं हुई। आप बार-बार कहते हैं कि सजा हुई, गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके राज में कितने लोगों को सजा मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को आपने जेल में बन्द करवाया, उनको सजा मिली हो, फांसी मिली हो।

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** अदालत देती है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** हां, अदालत देती है, अब अदालत देती ही नहीं। आपने मामले सही नहीं बनाये, मामले असत्य बनाये। आपने राजनैतिक आधार पर मामले बनाये और यह बात मैं नहीं कहता, यह जनार्दन सिंहजी और प्रद्युम्न सिंहजी दोनों ने कही है। कहा है ना?

**श्री जनार्दन सिंह गहलोत :** सही मायने में जो मुल्जिम पुलिस ने पकड़े हैं उनका केस बनने से पहले उठा लाये। पुलिस वाले जिनको थानों पर लेकर गये हैं उसके पहले तो आपके विधायक जा–जा कर ले आये, केस बनने ही नहीं दिया आपकी सरकार ने।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** मैं, जनार्दन सिंहजी, इसलिए कह रहा हूं कि आज के तीन दिन या चार दिन पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में रखा गया था। जिसमें आपके भी दस्तखत थे, प्रद्युम्न सिंहजी के भी हस्ताक्षर और शायद एक माननीय सदस्य, किसके थे मुझे याद नहीं, तीन के दस्तखत थे और उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि सन् 1980 से लेकर 1990 तक राजनैतिक आधार और वैमनस्यता के कारण जो मुकदमे बने और कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है, वह वापस लिये जाय। "झूठे" शब्द का प्रयोग भी किया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया। ऐसी स्थिति में, माथुर साहब, आपको प्रमाण मेरे से लेने की आवश्यकता नहीं। आपके माननीय सचेतक महोदय आपको प्रमाण दे रहे हैं और आपकी पार्टी के महामंत्री आपको प्रमाण दे रहे हैं कि आपने अपने शासनकाल में लोगों के ऊपर राजनैतिक विद्वेष के कारण इस प्रकार के मुकदमे बनाये।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी चर्चा की गयी कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए कह दूं शायद 12-13 फरवरी को इस सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया था कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय। 16 फरवरी को हाई कोर्ट को लिखा और 16 फरवरी को ही भारत सरकार को लिख दिया गया कि किसी भी हाई कोर्ट जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के अलावा दूसरे काम पर उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक भारत सरकार से इसकी अनुमति प्राप्त न कर ली जाती है। वह अनुमति दो तीन दिन पहले ही आयी है और आज आपको कह सकता हूं कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी होगी और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। लेकिन आज माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको यह मालूम हैं कि सरकार ने फैसला ले लिया है....

**श्री मोहम्मद माहिर आजाद :** आपसे आशा थी कि आप जरूर करायेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आपको तो आशा थी और उनको जानकारी थी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** हम तो विपक्ष के मामूली सदस्य हैं हम को क्या जानकारी थी? हम तो आपसे मांग कर रहे थे बराबर। पिछले सत्र में मांग की।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आज आपने जो सारा जोश दिखाया था, मन में आप जानते थे कि आज यह घोषणा करने वाला है, वरना जोश होने के बाद, जितने जोर-शोर से बोले और आप शांति से बैठ गये, आपको मालूम था अपने रिप्लाई के अन्दर इसकी घोषणा करेगा इसलिए चुप होकर बैठ गये।

**श्री जर्नादन सिंह गहलोत :** हम तो मांग कर रहे थे।

**श्री नत्थी सिंह :** हम मांग कर रहे थे तब आप सिर हिला रहे थे। इससे लगा शायद करेंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** अब, अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह आरोप लगाया गया कि भ्रष्टाचार रोक नहीं रहे हैं। यह आरोप लगाया गया कि बढ़ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, कभी दावा नहीं करता और मेरी धीरे-धीरे यह धारणा बनती जा रही है कि सिस्टम में जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक अन्य व्यवस्थाओं से नहीं होगा। दोनों की कोशिश कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए जो व्यवस्था की है उसको भी प्रभावी बनाऊं, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग हो और सिस्टम में जो बुराइयां पैदा हो गयीं हैं उस सिस्टम को भी बाहर निकालने की कोशिश करूं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कल मुझे बड़ी वेदना हुई कि कांग्रेस पार्टी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के एक वयोवृद्ध मंत्री रहे हुए सदस्य ने ईमानदार अधिकारियों पर भी आरोप लगाने से नहीं हिचके । मैं और किसी पर नहीं छोड़ना चाहता । देवपुरा साहब और माथुर साहब उस अधिकारी को आप अच्छी तरह जानते हैं–एम. एल. मेहता को । मैं आज आपको कहता हूं दोनों आप खड़े होकर कह दीजिए कि वह एक नया पैसा भी खा सकते हैं । तो वह अधिकारी है और मैं मुख्य मंत्री हूं, उस अधिकारी से अभी त्याग-पत्र लाकर मैं सदन के सामने दे सकता हूं । आप कम से कम ईमानदार और भ्रष्ट, इसमें भेद नहीं करेंगे और ईमानदार को भ्रष्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे तो ईमानदार के मन में भी टेन्शन पैदा होगा कि ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता नहीं है ।

(5.55 सायं)

(श्री यदुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यहां पर आरोप लगाये गये । आरोप भी कई प्रकार के जैसे, एक हाउसिंग सोसायटी में 11 प्लाट एम. एल. मेहता के नाम से और उनके रिश्तेदारों के नाम से हैं । मैंने उस सोसायटी का खाता आज नहीं, पहले भी देखा, जब पहले अखबारों में चर्चा आयी थी मैंने सोसायटी का पूरा रिकार्ड मंगाकर देखा एक उनके नाम से और एक उनके लड़के के नाम पर है बाकी जो मेहता और हैं जिन मेहताओं से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । आज कोई शेखावत अपराध कर ले और आप यह कहें कि भैरोंसिंह शेखावत का रिश्तेदार है, कई शेखावत हैं जो अपराध करते हैं, कई शेखावत हैं जो जेल में बैठे हैं, कई शेखावत सर्विस में बैठे हैं कई शेखावत बाहर बैठे हैं । तो आज इनके मेहता के नाम से 9 प्लाट ले लिये और प्लाट भी कब लिये, शायद 1984 में या 1985 में । उस प्लाट का अभी तक कन्वर्शन नहीं हुआ । उस प्लाट का अभी तक जे. डी. ए. से साइट प्लान नहीं एप्रूव हुआ । उस अधिकारी पर आरोप लगाया । मैं समझता हूं, मैंने उस सोसायटी की पूरी लिस्ट देखी है बहुत अधिकारी हैं, उस अधिकारी को इसलिए पिक अप किया गया कि वह अधिकारी जब मैं मुख्य मंत्री था पहले, तो मेरा सैक्रेटरी था । जब मैं मुख्य मंत्रीजी पद से हटा तो रद्दी से रद्दी पोस्ट रजिस्ट्रार, रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर उसको लगाया । आप जानते हैं अच्छी तरह से उस आदमी की क्षमता को....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : मुख्य मंत्रीजी, यहां लाये थे, हम ने कभी उनकी काम्पीटेंस पर शक नहीं किया । माननीय माथुर साहब लाये थे....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : शिवचरणजी जानते हैं और मैं जानता हूं, दोनों जानते हैं । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि करप्ट और ईमानदार के बीच में भेद नहीं करेंगे, आज यह दुर्भाग्य है कि सरकारी अधिकारी यहां बोल नहीं सकता है, सरकारी अधिकारी पर आरोप लगाने के लिए, बोलने के लिए नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं, सरकारी अधिकारी नियमानुसार समाचार पत्रों का सम्मेलन बुलाकर अपना स्पष्टीकरण नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर सकते हैं, : इस प्रकार के व्यक्ति को यहां टार्गेट बनाया जाय और कल्ला साहब स्वयं टार्गेट बनायें जो मंत्री रहे हुए है, यह मैं कह रहा हूं कि 1984-85 में उन्होंने प्लाट लिया था तो 1990 तक कल्ला साहब क्या कर रहे थे ? इस अधिकारी के खिलाफ उस समय भी एक्शन लिया जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा आरोप लगाया राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति को लाभ देने के लिए महापुरा शाहपुरा कुकर खेड़ा में 10 बीघा जमीन को कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बचा लिया। मैं समझता हूं कि इसमें एक प्रतिशत भी सत्यता हो, जिस आदमी का इससे कोई लेना-देना नहीं। सारी जमीन एक्वायर थी और जो बची है वह एम. एल. मेहता के कारण नहीं, कोर्ट के स्टे के कारण बची है। कम से कम इतनी सी बात का उल्लेख कर देते, कोर्ट के स्टे के कारण यह जमीन बची है। लेकिन उन पर इस प्रकार का आरोप लगाकर कोई यह सोचना चाहे कि मैंने बहुत बहादुरी कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा आरोप लगाया जोधपुर में दो तीन करोड़ की जमीन आवासन मण्डल के लिए अधिक दाम देकर ले ली। कम से कम एक जानकारी कर लेते कि जिस समय यह निर्णय लिया गया उस समय **एम एल. मेहता** आवासन मण्डल में थे या नहीं। यदि इतनी सी जानकारी होती तो शायद वह आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के और आरोप लगाये कि राजस्थान आवासन मण्डल में आर. जी. कम्प्यूटर्स को, लेखे कम्प्यूटराइज करने के लिए उन्होंने लाखों रुपये के लेखे दे दिये। मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। मैं वैसे तो पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी में था, मुझे जानकारी है, लेकिन लाखों मामले इस हाउसिंग बोर्ड में पड़े थे जिन्होंने पैसे जमा करा दिये उनको पता नहीं हमारे पैसे जमा हुए या नहीं हुए, हाउसिंग, बोर्ड को पता नहीं कि हमारे पास कितनी राशि जमा हुई, आवंटियों में कितनी बकाया है, किसमें नहीं हैं। उस समय राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि किसी प्रकार से इस सारे सिस्टम को कम्प्यूटराइज्ड किया जाय जिसके आधार पर यह मालूम हो सके कि किसने कितना रुपया जमा कराया, हाउसिंग बोर्ड की कितनी देनदारी है और हाउसिंग बोर्ड पर कितनी देनदारी है, इसके कम्प्यूटराइजेशन का काम जो उन्होंने नहीं दिया पहले साल से चल रहा था। आप अंदाज लगा लें यदि एक ही काम पहले से चला आ रहा है उसको रोककर दूसरे को दिया जाय तो चैन तो टूटेगी और उसके कारण से अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। माननीय कल्ला साहब से उम्मीद नहीं करता था कि वो इस प्रकार के आरोप लगायेंगे....

**श्री जर्नादन सिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, कोई भी आरोप लगाये हमें मालूम है मीठालाल जी मेहता के बारे में यही रिप्लाई आयेगा।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं हर ईमानदार आदमी के लिए बोलूंगा और आज

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

मैं इस सदन में नेता के रूप में कहता हूं कि राजस्थान में कोई भी ईमानदार आदमी जिसके विरुद्ध आरोप लगाये जायेंगे उसको डिफेण्ड करने के लिए मैं खड़ा हूं। मुझे इस बात का गर्व है। कि आज राजस्थान में कई अधिकारी ऐसे हैं जिनकी निष्ठा और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं कर सकता है, जिनकी कार्य क्षमता पर कोई संदेह नहीं कर सकता है और ऐसे निष्ठावान और ईमानदार आदमियों पर यदि सदन में आरोप लगाये गये या सदन के बाहर आरोप लगाये गये तो उसे उनको डिफेण्ड करने में मुझे तनिक मात्र भी संकोच नहीं होगा। अगर सर्विसेज में ईमानदारी को मैंने हमले का कारण बना दिया तो भ्रष्टाचार अपने आप फैलेगा आज ईमानदार और भ्रष्टाचारी दोनों में भेद करने की आवश्यकता है। पंडितजी यह कहेंगे कि मैंने राजेन्द्र जैन के बारे में आरोप लगाये थे....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** क्षमा चाहूंगी बीच में बोल रही हूं। आप कम से कम ब्यूरोक्रेसी को डिफेण्ड करने की बात तो नहीं करें, यह आपका काम नहीं है लेकिन सही तथ्यों से इस सदन को अवगत कराने का जिम्मा आपका है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** मैं जिसके ऊपर आरोप गलत आरोप लगायेंगे उसके सही तथ्य रखूंगा और यह अपने आप में डिफेन्स हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां यह कहने में भी कोई संकोच नहीं होगा कि यहां यह आरोप लगाया गया कि एक आई. ए. एस. मीणा को गिरफ्तार कर लिया। और वह मीणा था गिरफ्तार कर लिया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार में न मीणा है, न राजपूत है, न महाजन है, न ब्राह्मण है जो भी भ्रष्ट होगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी पकड़ होगी।

**श्री हेतराम बेनीवाल :** राजेन्द्र जैन ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** वही बता रहा हूं। इसकी चिन्ता मत करिये। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में जितने लोग पकड़े गये हैं उनमें आप स्वयं अंदाज लगा लेंगे कि केवल एक मीणा है बाकी के ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं और जाट भी हैं बाकी और जातियों के भी हैं।

मैं तो केवल सदन से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या मुझे जाति के आधार पर भ्रष्टाचार पर निर्णय लेना है ? मैं समझता हूं यदि जाति के आधार पर निर्णय नहीं लेना है, तो इस प्रकार का आरोप भी उचित नहीं है। कि वह मीणा था, इसलिये गिरफ्तार किया गया। क्या आप समझते हैं कि आपके साथ ही मीणा बैठते हैं, मेरे साथ मीणा नहीं हैं ? मेरे साथ ज्यादा मीणे हैं, मीणों पर प्रभाव मेरा ज्यादा है, मीणों में पैठ हमारे मीणा विधायकों की ज्यादा है। तो मैं कहना चाहता हूं....

**श्री परसादी लाल मीणा :** यह मत कहिये आप। आपके पास भी मीणे हैं, इधर भी मीणे हैं। मीणों में भेदभाव मत करिये आप। (व्यवधान) क्या तरीका है

(श्री परसादीलाल मीणा)

यह ? नहीं, आप नहीं कह सकते मुझे बैठने के लिए दुबारा नहीं कहना कोई (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, यहां पर कल्ला साहब इस समय नहीं हैं, मुझे इस बात का तो खेद है। "ब्लैक बोर्ड योजना" का खूब प्रचार हुआ इस सदन में, मैं विपक्ष में बैठता था ब्लैक बोर्ड योजना" और "सीखो कमाओ योजना" पर मै इतना ही कह सकता हूं कि इस लैक्क बोर्ड योजना पर लगभग 7.98 करोड़ रुपये तो भारत सरकार से मिले थे और इसमें 14, 14, 172.00 रुपये का माल आया ही नहीं। माल की एन्ट्री कर ली और रसीदें दे दीं। कल्ला साहब ही उस समय शिक्षा मंत्री थे। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, जो माल स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से आना चाहिये, बिल्कुल स्पेसीफिकेशन्स के अगेन्स्ट, 25 लाख रुपये का माल आया। कई अन्य भी अनियमितताएं हैं, मैं उन सारों का उल्लेख करके सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। "सीखो कमाओं योजना" चली, 43 लाख रुपयों का घोटाला। सारा फर्नीचर बनकर सारे स्कूलों को सप्लाई कर दिया। न तो कोई फर्नीचर बना और न ही मास्टरजी कभी कुर्सी पर बैठा और 43 लाख रुपये डकार गये। शिक्षा मंत्रीजी, कम से कम इतना काम तो करते। आज पांच बरसों के बाद उनको एम. एल. मेहता का भ्रष्टाचार दिख रहा है, पांच वर्ष बाद जब से वह मंत्री बने 1980 से लेकर 1990 तक के सारे मामले उठाये लेकिन उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार फैला वह उनको दिखाई नहीं दिया। करोड़ों रुपये लोग डकार गये।

इसलिये मैं कहना चहता हूं कि भ्रष्ट आदमी चाहे कहीं कैसा ही बैठा हो, उसके बारे में आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजेन्द्र जैन के बारे में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब जैन के मामले पर कहा। जब मैं विपक्ष में था, उस समय सब से पहले यह मामला मानकचन्द जी सुराना ने उठाया, था, और जैसे ही मामला उठा, सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसमें रत्ती भर भी बेईमानी नहीं है। जब मैं सत्ता में आया, तो पंडित राम किशन जी ने इस मामले को उठाया। बेरी समिति से इस मामले के अन्दर जांच करवाई, जांच नहीं, हमारे पास जितनी भी पत्रावलियां थीं, वह बेरी समिति को दे दीं कि उन पत्रावलियों के आधार पर अपनी ओपीनियन बनाकर सरकार को वापस दे दें। यह कोई जांच कमीशन नहीं है, कोई जांच कमेटी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अन्दर सारी फाइलें उनको दे दीं और फाइलें देखने के बाद उन्होंने अपनी रिकमन्डेशन दी। लेकिन उस बेरी कमीशन ने खुद ने ही अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि जिस अधिकारी के खिलाफ हम रिपोर्ट दे रहे हैं, पहले उसका एक्सप्लेनेशन लिया जाय उस एक्सप्लेनेशन लेने की व्यवस्था है कि वह अधिकारी अपना पूरा रिकार्ड देखना चाहेगा। रिकार्ड में यदि कुछ कमी रख दी,

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

समय नहीं दिया तो हाई कोर्ट और कोई कोर्ट हमें काम करने से स्टे कर देगी।

**श्री हेतराम बेनीवाल** : उसकी रिकमंडेशंस क्या हैं ? उसकी रिकमंडेशंस बता दीजिये पूरी। अखबारों में छपा है, उसमें एफ. आई. आर.....

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं हेतराम, जी, इतना बता दूं कि आप इसकी चिन्ता छोड़ो। अगर गड़बड़ी हुई है तो निश्चित रूप से वह की कार्यवाही होगी जो मीणा के खिलाफ हुई है। आप इसकी चिन्ता छोड़ो। मेरा किसी भ्रष्टाचारी से नाता हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि मैंने 2–3 मुकदमे बनाये, उसके बाद मुझे अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार की कानूनी हरकतें या कानूनी टैक्निक्स हैं, उन टैक्निक्स को यदि बाई-पास किया गया तो किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं एक्शन नहीं ले सकता। इसलिये सारे मामले में मैं इसी आधार पर मूव कर रहा हूं। मैं इसी सदन में विश्वास दिलाता हूं कि राजेन्द्र जैन दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से जो भी सजा मिल सकती है, वह निश्चित रूप से सजा मिलेगी। इसमें आपको चिन्ता करने की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली की भी चर्चा की गई। वैसे तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बिजली के विषय में अलग से चर्चा होगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है राजस्थान में बिजली की कमी है। इसमें कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर** : अलग से बहस करा लें।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : अलग से आपको सन्तोष हो तो मैं नहीं बोलूं। (व्यवधान)

**डा. चन्द्रभान** : अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी थी कि अलग से डिबेट होगी।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अगर आपका इरादा जल्दी समाप्त करने का नहीं है विधान सभा को तो आप आगे करा दीजियेगा और भागने का इरादा हो तो अभी बोल दीजिये आप।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सुबह आया था और ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सम्बन्ध में जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इस पर चर्चा होगी तो आपके सदस्यों से कहा कि चर्चा तो आज ही होगी। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : हम कुछ कहते हैं तो कहते तो इण्टरप्ट कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि आप तथ्यों को तोड़-मरोड़कर मत रखा करो। हम बोलते हैं तो वह इण्टरप्शन की तारीफ में आ जाता है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं मोटे रूप से दो-तीन बातें बता दूं। मैं अलग से रखूंगा डिटेल्स में लेकिन मोटे रूप से दो-तीन बातें रख देता हूं। माथुर साहब बैठे हैं, क्या मालूम चुनाव में उस समय

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

राजीव गांधी आ जायं, चले जायं, इसलिये उनके सामने कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ बरसिंहसर, इन सब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सन् 1984-85 में बनी थी और 1985 से लेकर 1991 तक न तो सूरतगढ़ का क्लीयरेंस हुआ, न बरसिंहसर का क्लीयरेंस हुआ, बरसिंहसर के मामले में हमारी पूर्व ऊर्जा मंत्री सुमित्राजी ने कहा कि वह पी. आई. बी. से केबिनेट में नहीं है । यह बात सही है....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : मैंने यह कहा था कि पी. आई. बी. ने उस पर क्लीयरेंस दी है लेकिन इस कण्डीशन के साथ कि इसको केन्द्रीय मंत्री मण्डल एप्रूव करेगा ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह सही हैं ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : यह सही हैं न बात ? तो फिर मैंने क्या गलत कहा ?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यहीं तो कह रहा हूं । मैं जवाब दे रहा हूं । आप ऊर्जा मंत्री होकर कैसे गलत बात कह सकती हैं ! यदि ऊर्जा मंत्रीजी ने गलत बात कही तो आपकी भी शान जाती है, मेरी भी शान जाती है । इसलिये आप कैसे कह सकती हैं !

यह सही है लेकिन आप यह तो मानें कि सूरतगढ़ का क्लीयरेंस हो गया, नम्बर एक, और बरसिंहसर का मामला पी. आई. बी. से क्लीयर हो गया । केबिनेट की सब--कमेटी में जाना है । और आजकल केबिनेट की सब-कमेटी कब बैठे, इसका तो आप अन्दाज लगा लें। लेकिन मेरा विश्वास है कि केबिनेट में मीमो भेज दिया गया है और बहुत जल्दी ही मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा कि बरसिंहसर का भी क्लीयरेंस हो गया । वहां कोई दिक्कत नहीं है ।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आप प्रधान मंत्री से अपनी दोस्ती के नाते कुछ करा लो तो मैं समझती हूं कि राजस्थान का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा ।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि दोस्ती हो या नहीं हो, बरसिंहसर की योजना निश्चित रूप से मैं क्लीयर करवा लूंगा । इसमें सन्देह करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

राजस्थान में बिजली का संकट है, यह सही है । इस बिजली के संकट के लिये मैं दोषी हूं, ऐसी स्थिति नहीं है । बिजली की कमी है । हम अपनी खुद पावर जो जनरेट करते हैं, वह बहुत कम है । हम बाहर से पावर लेते हैं, और उसी से हमारा काम चलता है । सेण्ट्रल प्रोजेक्ट्स से हमें जो पावर मिलती है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है । उसके हिसाब से हमको पावर मिल रही है । माथुर साहब में, एक, बात पूछना चाहता हूं, 1985 में आपने एक समझौता किया और समझौता क्या, यह नहीं, मैं उसको नहीं कहना चाहता, आपने समझौता यह किया कि सेण्ट्रल प्रोजेक्ट से राजस्थान को बिजली मिलने का क्या फार्मूला होगा ? आपने फार्मूला मंजूर कर लिया कि प्लान असिस्टेन्स उस राज्य को कितनी मिलती है और पर केपिटा

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

कन्जम्पशन कितना है ? प्लान असिस्टेन्स में हम सबसे नीचे हैं और पर केपिटा पावर में भी हम सबसे नीचे हैं, अब उसका रिजल्ट यह हुआ कि हमें सेण्ट्रल प्रोजेक्ट से जितनी पावर मिलनी चाहिए थी, उतनी पावर हम नहीं ले पाये। आज नुकसान तो हुआ 1985 के इस फार्मूले के कारण....

**श्री शिवचरण माथुर** : इस फार्मूले को हमने कोई एग्री नहीं किया।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : बिना एग्रीमेण्ट के ही लागू कर दिया, इससे ज्यादा कमजोरी क्या...

**श्री शिवचरण माथुर** : हमने तो यह कहा था, 10 मई 1985 का जो समझौता था, उसमें कहा था कि हमारे हिस्से की जो बिजली नहीं मिल रही है, वह सेण्ट्रल प्रोजेक्ट से दी जाये। फार्मूला बाद में बना होगा।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : नहीं, नहीं 1985 में बना है। 1985 में नहीं बना। मैं वही फार्मूला की बात कह रहा हूं। अच्छा यह फार्मूला बदला हो तो, अपन अदला-बदली कर लें। मैं यह समझता हूं कि आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि 1985 में यह फार्मूला बना। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपकी बिना जानकारी के ही फार्मूला बन गया और लागू हो गया। यह तो और भी सीरियस बात है। इतना ही नहीं आपने एक फैसला और कर लिया 1986 में कि कोटा को जो सिंगरोली से कोयला मिलता था, वह भी सेल से आपने देना तय कर लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि जहां 800 किलोमीटर की दूरी से कोयला मिलता था, हमको 1700 किलोमीटर की दूरी से कोयला लेना पड़ रहा है। उस कोयले में पत्थर आते हैं, कोयला समय पर नहीं पहुंचता, कोयला-पावर हाउस के जिस प्रकार के कामों में उपयोग में आना चाहिए, उतना काम में नहीं आता और उसके कारण से लोड फैक्टर में कमी आ गई और जब लोड फैक्टर की कमी आ गई तो मैंने इस सम्बन्ध में बिजली मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी तो उसमें कहा था कि कोयला हमें सिंगरोली से दिया जाये और कोयला अगर सिंगरोली से नहीं दिया जाये, तो सीमेण्ट का और इनका फ्रेट इक्वलाइजेशन का सिस्टम है, वह सिस्टम भी यहां पर लागू किया जाये। आज आप कह सकते हैं कि सिस्टम लागू नहीं है, लेकिन एक बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि पहली बार यह एफर्ट किया गया कि हमें फ्रेट इक्वलाइजेशन किया जाये और चाहे फिर आप कहीं से कोयला दें, हम लेने को तैयार हैं। लेकिन आज तक इस सरकार की तरफ से डिमाण्ड नहीं की गई और सेल से हम कोयला ले रहे हैं, उसके कारण से हमारा लोड फैक्टर कम होता जा रहा है, हमारे सामने समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा होती है बिजली बोर्ड में गये साल के मार्च तक, अब मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, मेरे हिसाब से लगभग 600 करोड़ का संक्षिप्त घाटा था। इस घाटे के सम्बन्ध में माननीय

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

शिवचरणजी आपको मालूम होगा कि जिस समय साठे साहब ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने ऊर्जा मंत्रियों की कांफ्रेंस ली और उसमें पहली बात उन्होंने कही थी कि इस बोर्ड को घाटे से उभारने के लिए राज्य सरकार और बोर्ड के बीच में इक्विटी पार्टिसिपेशन होना चाहिये।

**श्री शिवचरण माथुर :** यह तो ठीक है। अच्छा किया।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** यह अच्छा किया, लेकिन इसकी तारीफ तो कर देते। इसको तो आपने 10 करोड़ का किया था।

**श्री शिवचरण माथुर :** हमने भी एग्रीमेन्ट करके उसको बदला था। आपने उसको अच्छा किया, बढ़ाया।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** मैं यही तो कह रहा हूं। अब आप अंदाज लगाइये कि उस बोर्ड की हालत सुधारने के लिए 600 करोड़ रुपये का इक्विटी पार्टिसिपेशन किया और मैं कहता हूं आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। अब हालत तो यह है कि बोर्ड की किसी न किसी प्रकार से स्थिति ठीक हो। मैं इसलिए कह रहा था कि आज, अध्यक्ष महोदय, बोर्ड की जिस प्रकार की स्थिति हैं, यहां जिक्र तो आ गया कि प्लान असिस्टेंस में से 41 करोड़ रुपये की कटौती हो गई और कटौती इसलिए हो गई कि एन. टी. पी. सी. को, हमने जो बिजली ड्रा. की उसका पेमेण्ट नहीं कर पाये। राज्य सरकार ने अपने रिसोंसेज से 40 करोड़ का पुनर्भरण किया। इधर यहां खर्चा किया, उधर 40 करोड़ रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दिया और आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इस एक वर्ष में 112 करोड़ रुपये की विद्युत खरीदी है और मुझे वह दिन और रात कभी-कभी यदि आते हैं, सुमित्राजी को भी ध्यान होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन कहता था कि पंजाब में शाम तक रुपये जमा होने चाहिये, नहीं तो कल बिजली की कटौती हो जायेगी। राजस्थान बिजली के मामले में जिस प्रकार से संकट में फंसा हुआ है, उसी को लेकर मैंने पावर मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में जो बात रखी है, मैं चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य उसको अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद इस प्रकार की बातें कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं यहां....

**श्रीमती सुमित्रा सिंह :** आप सूरतगढ़ को जिसकी सब तरफ से क्लीयरेन्स मिल चुकी है, कोल लिंकेज के लिए भी आपको आश्वासन मिल गया है, एट्थ फाइव ईयर प्लान के लिए, आप उसे विभागीय तौर पर क्यों नहीं शुरू कर देते, क्यों इन्तजार कर रहे हैं, किसी निजी प्राइवेट कम्पनी को देने के लिए।

**श्री भैरोंसिह शेखावत :** सुमित्राजी, आप थीं, तब भी अपन विचार कर रहे थे। सवाल है, पूंजी का। अगर पूंजी मेरे पास

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

होती तो मैं प्राइवेट सैक्टर में देने को कभी तैयार नहीं होता।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : बजट भाषण में विदेशी सहायता की बात की है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैंने मांग की है।

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : आपने कहा है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं और बता देता हूं, आपको ...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : फिर क्या दिक्कत है?

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : कि विदेशी सहायता मिल जाये और हमारे साधन जुट जायें तो मैं प्राइवेट सैक्टर में देऊंगा क्यों? लेकिन हमारे साधन जुटे नहीं और एक प्रोजेक्ट...

**श्रीमती सुमित्रा सिंह** : प्राइवेट सैक्टर का तो चित्तौड़ में देख लिया ना हाल। ढाई साल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बताकर तैयार करके नहीं भेजी है फिर आप क्यों इन्तजार कर रहे हैं।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं, यह साधनों का सवाल है....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अखबार में मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं, अखबार का नाम मुझे याद नहीं है कि प्राइवेट सैक्टर के अन्दर कोई पार्टी, जो कीमत स्टेट गवर्नमेण्ट वहां पर आफर कर रही है, उन पर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, यह सबसे बड़ी बाधा आपके सामने आ गई है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : यह बाधा नहीं है। बाधा असली यह है कि भारत सरकार ने घोषणा तो कर दी कि पावर में प्राइवेट सैक्टर भी आ सकता है, लेकिन इस घोषणा के अनुकूल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में जो अमेण्डमेण्ट होना चाहिये था, वह अमेण्डमेण्ट नहीं हुए और उस अमेण्डमेण्ट के लिए अभी मांग की है। भारत सरकार ने इस कान्फ्रेन्स के बाद में दो बातें स्वीकार की हैं। एक तो यह स्वीकार किया कि 40 करोड़ की जो इस साल कटौती की है भविष्य में इस प्रकार की कटौती नहीं होगी। दूसरी यह बात उन्होंने मंजूर की है कि भारत सरकार से जो मैंने मांग की थी कि पावर का शेयरिंग सेण्ट्रल प्रोजेक्ट्स में इस आधार पर किया जाय कि जो डेफिसिट स्टेट्स हैं उनको ज्यादा पावर मिले। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। इसलिए जो कारण रहा है वह कारण यह नहीं कि प्राइवेट सैक्टर आ नहीं रहा है। कारण यह रहा है कि अभी तक इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं हो पायी। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल कुल मिलाकर 340 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गयी, जो गत वर्ष के मुकाबले 112 करोड़ रुपए अधिक है। अब आप मुझे बताओ कि जब ओवर ड्रा करता हूं, अपने शेयर से ज्यादा पावर लेता हूं तो उस पर ग्लोबल रेट लगती है, हाइएस्ट रेट्स जिस पावर प्रोजेक्ट की होगी वह रेट हमसे वसूल की जायेगी। इस प्रकार 102-105 पैसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रति यूनिट बिजली का हमसे वसूल किया जा रहा है।

**श्री केदार नाथ** : माननीय कालवी जी बैठे हैं हमारे वहां।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : प्रोफेसर साहब यह कालवी जी का, आपका और मेरा मामला नहीं है। क्वेश्चन है कि पावर खरीदी, पावर खरीदी तो उसका पेमेण्ट भी करना पड़ेगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए बाकी के विषय अभी छोड़ता हूं। जिस समय इस पर चर्चा होगी तो उस समय आपके सामने यह सब बातें रखने की बात करूंगा। (व्यवधान)

आप उस दिन जितना चाहें बोल लेना, मैं सारा मामला आपके सामने रख दूंगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में फसल बीमा योजना की बात अभी कई माननीय सदस्यों ने कही। माथुर साहब, आपको याद होगा कि पिछली बार 1986 के अन्दर इसको बन्द किया गया था। माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि इसका दो तिहाई हिस्सा भारत सरकार को देना पड़ता है और एक तिहाई हिस्सा राजस्थान सरकार को देना पड़ता है। पिछली सरकार ने भी लिखा हैं। इस समय भारत सरकार, जो कृषि नीति बना रही है, मेरी जानकारी के अनुसार उसमें इस बात का समावेश किया गया है कि इस प्रकार की फसलों का बीमा किस प्रकार से किया जा सकता हैं क्योंकि दो तिहाई हिस्सा भारत सरकार का है, हमारा नहीं, इसलिए भारत सरकार जब तक हां नहीं भरती तब तक राजस्थान सरकार अकेली यह काम कर सके, इस तरह की सम्भावना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी दृष्टि से यहां पर यह भी जिक्र किया गया, आरोप लगाया गया इस बात का कि आर. एस. आर. टी. सी. की जो हड़ताल हुई वह हड़ताल लम्बी इसलिए चलायी गयी कि प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट आनर्स को लाभ हो। आरोप यह लगाया गया कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ओनर्स भाजपा के थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी न मेरी है और न जगमाल सिंह जी की है, इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी कांग्रेस शासन की हैं। कांग्रेस शासन ने 24 फरवरी, 1990 को जाते-जाते एक समझौता किया और कहा कि इस समझौते को कार्पोरेशन में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इस समझौते को सरकार के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मजदूरों को धोखा देने की दृष्टि से एक समझौता किया, धोखा दिया। धोखा देकर खुद रवाना हो गये मजदूर यह समझने लगे कि धोखा नहीं दिया और उन्होंने आपको वोट दे दिये और वोट देने के बाद जब असलियत सामने आई, 24-2-1990 का समझौता मैंने अच्छी तरह से देखा है कि कोई एम. डी. इस तरह का समझौता नहीं कर सकता बिना चेयरमैन के, चेयरमैन समझौते को लागू नहीं कर सकता बिना कार्पोरेशन की अनुमति के और कार्पोरेशन ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकता बिना सरकार की अनुमति के, 24 तारीख को फैसला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर दिया, लिख कर दे दिया और लिखकर देने के बाद मजदूर हैं वह क्या समझते हैं, उन्होंने इसको लेकर धोखे में आकर वोट दे दिये और देने के बाद जब इसको लागू करने का प्रश्न आया तो इसको लागू करने की नीयत न आपकी थी और न आज कार्पोरेशन की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें इसको लागू किया जा सकता है लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस हड़ताल के बाद जो समझौता हुआ, उन सब से बैठकर समझौता हुआ, प्रोफेसर केदार समझौते में शामिल थे, और भी कई लोग उस समझौते में शामिल थे, सबकी सहमति से समझौता किया, कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति के आधार पर समझौता किया। उस समझौते में आप चाहें कि किनको गाड़ियां दीं, अब गाड़ियां प्राइवेट ग्रानर्स नहीं लगाते तो आप कहते कि लोगों के लिये यातायात की कोई सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा दे दी तो प्राइवेट ग्रानर्स आ गये। एक आदमी को हम शकल से नहीं जानते कि कौनसा प्राइवेट ग्रानर्स इस गाड़ी को लेकर जा रहा है। लेकिन मन में एक बात थी कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिये और इसी आधार पर यह सारी व्यवस्था की गई।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ मसलों में माननीय सदस्यों ने कई बातों की यहां पर चर्चा की है और खास तौर से इस बात की चर्चा की कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के मामलों में यहां खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगे और जानकारी भी दी। यह बात सही है कि विधान सभा में जब मैं विपक्ष में था तो मैंने यह आरोप लगाया था कि यदि 1981 के रूल्स नहीं बनते और एग्रीमैण्ट टू सेल को मान्यता नहीं दी जाती कानून में तो जमीन की बिक्री से और के स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन के कारण हजार करोड़ रुपए की आमदनी होती। जमीन से लगभग एक मैं आज भी कह रहा हूं कि उस जमीन से एक हजार करोड़ रुपए की आमदनी होती, लेकिन मैं आपसे यह जानकारी करना चाहता हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटीज से जिन्होंने प्लाट लेकर मकान खड़ा कर दिया, 10-10, 15-15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया अब मेरे सामने विकल्प दो ही हैं कि या तो मैं उस मकान को तुड़वाऊं या उस मकान को वहां पर रेगुलराइज करूं। मैं ऐसा मानता हूं कि लोगों ने करोड़ों रुपए के मकान बना लिये अगर मैंने मकानों को तुड़वाने का काम हाथ में लिया तो नेशनल वेस्टेज होगा और इस नेशनल वेस्टेज के लिये मैं अपनी ख्याति नहीं करना चाहता हूं...

**श्रीमती सुमित्रासिंह** : पैनल्टी करो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपकी सब की इच्छा है ना?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जिस समय यह निर्णय लिया गया था उस वक्त भी यही की यही स्थितियां विद्यमान थीं और यह निर्णय उस वक्त भी लेना पड़ा था। जो आज आप कह रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय जो निर्णय गया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

था उसका आधार यह नहीं था। 1981 में....

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : केबिनेट में डिस्कशन हुआ है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैंने सब पढ़ लिया, इतना तो मैं नहीं छोड़ता हूं। कागज तो मैं पहले ही नहीं छोड़ता था, अब कैसे छोड़ दूंगा। मैंने सारा पढ़ लिया वह आधार नहीं था। मैं आज बताऊं यह निश्चित रूप से समस्या खड़ी हो गई कि करोड़ों रुपए के भवन बन गए उनको तोड़ा जाय, उनको तोड़ कर जमीन बेचूं तो एक हजार करोड़ नहीं 2 हजार करोड़ रुपए आयें लेकिन यह नेशनल वेस्टेज करने को मैं तैयार नहीं हूं और इसी दृष्टि से आप को बता दूं यह मसला भी मैंने बेरी साहब को रेफर किया है उस कमेटी में, कि अब तक गवर्नमेन्ट के 1981 और 1981 के पहले कन्वर्शन के सम्बन्ध में जो नियम बने हैं उन नियमों को देखें और नियमों के कारण एग्रीमेण्ट टू सेल के चक्कर में गवर्नमेन्ट की जमीन जो एक्वायर होने वाली थी वह आ गई, अरबन सीलिंग की जमीन आ गई, और गवर्नमेण्ट की सिवाय चक की जमीन उसमें शामिल हो गयी, राजा-महाराजाओं की जमीन उसमें शामिल हो गयी उसको जमीन में शामिल करके मकान बना लिये, उन मकानों को तोड़ा जाय या उन मकानों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की जाय, व्यवस्था करनी है तो कानून में संशोधन किस प्रकार का किया जाय या किस प्रकार का नियमों में संशोधन किया जाय, उनकी रिपोर्ट मुझे अभी मिली है, उस रिपोर्ट का अध्ययन सरकार कर रही है उससे आय भी बढ़ेगी और जिन लोगों ने को-ऑपरेटिव सोसायटीज से जमीन लेकर मकान बना लिये, उनके ऊपर भी जो तलवार लटक रही हैं उस तलवार से भी उनको मुक्ति दिलवाने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी है कि सदन ने इस मामले में मेरा समर्थन किया है और इसी समर्थन के आधार पर मैं कोई व्यवस्था कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि यह बजट सीधा जैसा मैंने पहले अपने बजट भाषण में कहा था, यह गांव का, गरीब का और किसान का बजट है। ग्रामीण विकास के लिये यह बजट होगा। मैंने उस समय कहा था कि 60 प्रतिशत बजट का हिस्सा गांव के विकास के लिये खर्च होना चाहिये और मुझे इस बात की खुशी है कि सारी योजनाओं के ऊपर 62 प्रतिशत रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिये खर्च होगा। आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कर्जा माफी का जो वायदा किया था उसको हमने पूरा किया, कैचमैन्ट एरिया में माफी के लिये जो हमने वायदा किया उसको पूरा किया, हमने आदिवासियों को वायदा दिया था कि 50 पर्सेन्ट आपका रिजर्वेशन होगा, उसको हमने पूरा किया है, बिजली योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार से पैरवी करके ज्यादा से ज्यादा बिजली मिले इसकी कोशिश करूंगा, इसका वायदा हमने पूरा किया है, बारानी भूमि का लगान खत्म करके हमने वायदा पूरा किया, ग्रामीण विकास के लिये प्रावधान करके हमने वायदा पूरा किया और जो वायदे, जनहित के वायदे थे वह सारे के सारे पूरे किये और

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कुछ वायदे हैं जो इसी बजट सत्र के अन्दर जो आदिवासियों से सम्बन्धित हैं, वन भूमि पर जिन्होंने अतिक्रमण किया है उसको किस प्रकार से रेगूलराइज किया जा सकता है, इसी प्रकार से किसानों के अतिक्रमण के मामले वह सब निपटाये हैं। मैं समझता हूं कि प्रोफेसर केदार चाहे मण्डल आयोग के आधार पर चुनाव लड़ना चाहें, चाहे कमण्डल के नाम पर हमारा विरोध करना चाहें लेकिन, प्रोफेसर साहब, आज मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में आप भी 1952 से हैं और मैं भी 1952 से बैठा हूं, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं हुआ जिसने किसानों को, गरीबों को और मजदूरों को सब प्रकार की राहत दी है।

यह हमारी सरकार थी जिसने मिनिमम वेजेज 14 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए कर दिया, यह वही सरकार है जिसने तेन्दू पत्ते की कीमत 10 से 20 प्रति मानक बोरे के हिसाब से कर दी, आज तक सरकार कर सकती थी लेकिन नहीं की। हमने गरीब का ध्यान रखा, हमने मजदूर का ध्यान रखा, हमने किसान का ध्यान रखा और सब लोगों का ध्यान रखकर इस बजट को बनाया है। आप चाहे मण्डल का नाम लेकर चुनाव में उतर जायं, चाहे कमण्डल के विरोध में चुनाव में उतर जायं, राजस्थान की यह सब मिली-जुली पार्टियां इस बजट को लेकर चुनाव में बतायेंगी कि यह बजट जन विरोधी है या जनता के पक्ष का बजट है और उस समय आपको पता लगेगा कि इस प्रकार का बजट आज तक हिन्दुस्तान में पेश नहीं हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री रामकिशन** : एक मैं, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा जो वायदे आपने पूरे किये अपने अनुसार, उसका तो धन्यवाद आप हम से भी ले लो और आप अपनी तरफ भी दे दो लेकिन बूढ़ों की, 70 साल के बूढ़ों की पेंशन का आपने वायदा किया था। पिछली साल मैंने यह भी निवेदन किया था कि 70 साल गरीब जिन्दा ही नहीं रहता है उस वायदे को आप कैसे भूल गये?....एक मिनट....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने दो बातें कहीं.... एक मिनट। मैं भूल गया...

**श्री रामकिशन** : मैं दूसरी बात और कह दूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आपने रिक्शा चालकों की बात कही

**श्री रामकिशन** : हैं?

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कि उनके टायर ट्यूब को जो 5 से 7 पर्सेन्ट....

**श्री रामकिशन** : हां, वह तो मैं अभी अलग बात है...

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : वह मैं आपकी मंजूर करूंगा।

**श्री रामकिशन** : दूसरी बात जो कहना चाहता हूं के आपने इस बजट में किसानों के...(व्यवधान)

(श्री रामकिशन)

मुख्य मंत्रीजी, जरा सुनें। आपने किसानों के बीज के 50 पर्सेन्ट माफ करने का कहा है और 50 पर्सेन्ट टैक्स आप इसलिये माफ नहीं कर पायेंगे कि सीड्स कार्पोरेशन वगैरह जब बीज खरीदता है तब उन पर परचेज टैक्स लग जाता है और परचेज टैक्स लगने के बाद वह हो जायेगा....इसलिये उसको आप और दुरुस्त कर लें और उसके बाद इस मामले को आगे....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बात भूल गया था, पंडित जी खड़े हो गये तो याद आ गयी। आपने दो बातें कहीं कि साइकिल के कलपुर्जो और टायर ट्यूब पर टैक्स कम कर दिया और रिक्शे में काम आने वाले हैं उनमें नहीं किया। मैं आपको यह घोषणा करना चाहता हूं कि जो साइकिल में किया है उसी प्रकार का टैक्स रिक्शा टायरों में किया जायेगा....

**श्री रामकिशन** : पशु आहार का बारदाना।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : और दूसरा आपने गनी बैग्स के लिये कहा था कि कैटल फीड के गनी बैग्स पर जो टैक्स एग्जम्प्ट किया है वह कैटल फीड में काम आने वाले गनी बैग्स को किया जाय। वह भी मैं घोषणा करता हूं कि आइन्दा उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगे। आपने कुछ मुद्दे और उठाये थे उनका जवाब मैं आज भी दे सकता हूं लेकिन प्रोप्राइटरी का विवेचन है उस पर जिस दिन बिल पेश होगा उस दिन सब बातों का जवाब दे देऊंगा।

## वित्तीय समितियों के लिये प्राप्त मनोनयन पत्रों की सूचना

**श्री उपाध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जन लेखा समिति, 1991--92 प्राक्कलन समिति "क", 1991--92 प्राक्कलन समिति "ख", 1991-92 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 के लिये निम्नलिखित मनोनयन पत्र प्राप्त हुए हैं।

**जनलेखा समिति**, मो. माहिर आजाद, श्री नत्थी सिंह, श्री मोहनलाल चित्तौड़िया श्री परसराम मदेरणा, श्री हीरालाल देवपुरा, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्रीमती रमा पायलट, श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री चम्पालाल बांठिया, श्री गोपीराम जाट, श्रीमती तारा भण्डारी, श्री हरीश चन्द्र कुमावत, श्री रमाकान्त, श्री अमृतलाल परमार, श्री सांवरलाल, श्री गणपतराय, श्री गुलाब सिंह।

**प्राक्कलन समिति "क"** श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री रामेश्वर दयाल यादव, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री मनोहर सिंह, श्री रामकरण चौधरी, श्री मोहनलाल चित्तौड़िया, डा. हरिसिंह, श्री चन्दन मल बैद, श्री परसादी लाल मीणा, श्री पूनम चन्द विश्नोई, श्री बंशीलाल पटवा, श्री खंगार सिंह चौधरी, श्री शिवकिशोर सनाढ्य, श्री चुन्नीलाल खण्डार, श्री अनंग कुमार जैन, श्री कन्हैया लाल मीणा, श्री लक्ष्मीनारायण दवे, श्री रामस्वरूप मेघवाल, श्री शम्भु दयाल बडगुर्जर, श्री जगजीत सिंह, श्री गोपाल सिंह।

**प्राक्कलन समिति "ख"** श्री प्रेमसिंह दहिया, डा. चन्द्रभान, श्री मनोहरसिंह,

(श्री उपाध्यक्ष)

(लाडनूं) श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, श्री सम्पत राम, श्री इन्द्रसिंह पूनिया, श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास, श्री फूलचन्द, श्री मनोहर सिंह इन्दा, (109) श्री किशनाराम नाई, श्री लक्ष्मीचन्द मेहता, श्री जीतमल जैन, श्री रामकरण सिंह, श्री किशन गोपाल कोगटा, श्री अब्दुल हादी, श्री गोपाल सिंह ।

**राजकीय उपक्रम समिति,** श्री गोविन्द सहाय, श्री शिवजीराम मीणा, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती मदन कौर, श्री सम्पतराम, श्री रामनारायण बैरवा, श्री कुंजीलाल, श्री गुलाम मुस्तफा खान, श्री रामकरण चौधरी, श्री मनीराम सियाग, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री रामसिंह विश्नोई, श्री मदन लाल सैनी, श्री राजेन्द्र गहलोत वैद गोविन्द सहाय, श्री रंजीत, श्री हजारी लाल, श्री नन्द किशोर शर्मा, डा. जितेन्द्र सिंह, श्री रघुवीर सिंह कौशल ।

---

सदन की कार्यवाही दिनांक 18 मार्च, 1991 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 6.33 बजे सोमवार दिनांक 18-3-91 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

222



## परिशिष्ट-1

### तारांकित प्रश्न संख्या 354 की सूची

राजस्थान से स्वीकृत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) केन्द्रों का विवरण

| क्र. सं. | सत्र 1987–88 में स्वीकृत जिला प्रशिक्षण संस्थान । |
|---|---|
| 1. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अलवर । |
| 2. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माउण्ट आबू (सिरोही) |
| 3. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनेर (जयपुर) |
| 4. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विद्याशाला, जोधपुर । |
| 5. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जैसलमेर । |
| 6. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झालरापाटन (झालावाड) |
| 7. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धनविलास, (उदयपुर) |
| 8. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जालौर । |
| 9. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चित्तौडगढ़ । |
| | **सत्र 1988–89 में स्वीकृति जिला प्रशिक्षण संस्थान ।** |
| 10. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ब्यावर (अजमेर) |
| 11. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूगल मार्ग, बीकानेर । |
| 12. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शाहपुरा (भीलवाडा) |
| 13. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गडी (बांसवाडा) |
| 14. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डूंगरपुर । |
| 15. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झुन्झुनू । |
| 16. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुचामनसिटी (नागौर) |
| 17. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बगडीनगर (पाली) |
| 18. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सीकर । |
| | **सत्र 89–90 में स्वीकृत जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान** |
| 19. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, धौलपुर । |
| 20. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चुनावाडा (श्रीगंगानगर) |
| 21. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाड़मेर । |

223



| 1 | 2 |
|---|---|
| 22. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बूंदी । |
| 23. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर । |
| 24. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरू । |
| 25. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली (स. मा.) |
| 26. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, टोंक । |
| 27. | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, नातामहल, कोटा । |

## परिशिष्ट-2

### तारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची

भारत निर्मित विदेशी मदिरा रिटेल दुकान जैतारण के लिए 1 अप्रैल, 89 से जनवरी, 91 तक की अवधि हेतु जारी परमिटों की सूची ।

| परमिट संख्या व दिनांक | मात्रा ब. लि. | बेण्डफीस | परमिट फीस | ड्यूटी | योग (3 से 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46400/31.3.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 46472/6.4.89 | 450 | 1575 | 675 | 18562.50 | 20812.50 |
| 40114/29.4.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 40188/2.6.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 978/66-3.7.89 | 450 | 1575 | 675 | 18562.50 | 20812.50 |
| 978/98-4.8.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77046/21.9.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77064/18.10.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37115 | 41625.00 |
| 77081/2.11.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77409/6.12.89 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77433/8.1.90 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77469/7.2.90 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 77481/3.3.90 | 900 | 3150 | 1350 | 37125 | 41625.00 |
| 92810/31.3.90 | 1350 | 4725 | 2025 | 55687.50 | 62437.50 |
| 92850/3.5.90 | 1350 | 4725 | 2025 | 55687.50 | 62437.50 |
| 90014/22.6.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 90029/5.7.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 90073/31.7.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 6733/20.9.90 | 1485 | 5197.50 | 2970 | 61256.25 | 69423.75 |
| 6866/23.10.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 42003/17.11.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 42006/11.12.90 | 1350 | 4725 | 2700 | 55687.50 | 63112.50 |
| 42099/141.91 | 1485 | 5197.50 | 2970 | 61256.25 | 69423.75 |

228



बीयर रिटेल दुकान जैतारण के लिए 1 अप्रैल, 89 से 31 जनवरी, 91 तक की अवधि हेतु जारी परमिटों की सूची।

| परमिट संख्या व दिनांक | मात्रा ब. लि. | बेण्ड फीस | परमिट फीस | ड्यूटी | योग (3 से 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40005/31.3.89 | 780 | 390 | 1170 | 5520 | 7080.00 |
| 40041/11.4.89 | 390 | 195 | 585 | 3600 | 4380.00 |
| 40073/2.5.89 | 390 | 195 | 585 | 2400 | 3180.00 |
| 40328/30.5.89 | 780 | 390 | 1170 | 6000 | 7560.00 |
| 978/74–11.7.89 | 780 | 390 | 1170 | 4800 | 6360.00 |
| 77052/21.9.89 | 421.200 | 390 | 1170 | 2592 | 7464.00 |
| | 358.800 | | | 3312 | |
| 92858/3.5.90 | 1560 | 780 | 3120 | 10800 | 14700.00 |
| 90042/17.7.90 | 1560 | 780 | 3120 | 13200 | 17100.00 |
| 90093/24.8.90 | 780 | 390 | 1560 | 4800 | 6750.00 |
| 6725/17.9.90 | 1560 | 780 | 3120 | 12000 | 15900.00 |
| 6877/25.10.90 | 2340 | 1170 | 4680 | 19920 | 25770.00 |

226



देशी मदिरा दुकान निम्बाज के लिए इश्यू की गयी देशी मदिरा पेटे ग्राबकारी विभाग को देय राशि की माहवार सूची

| नाम माह<br>1 | इश्यू की गयी मदिरा की मात्रा ब. लि.<br>2 | देय परमिट फीस की राशि<br>3 | इश्यू प्राइस<br>4 |
|---|---|---|---|
| अप्रैल, 89 | 855.00 | 855.00 | 10347.00 |
| मई, 89 | 1125.00 | 1125.00 | 13308.75 |
| जून, 89 | 675.00 | 675.00 | 7953.75 |
| जुलाई, 89 | 675.00 | 675.00 | 7953.75 |
| अगस्त, 89 | 225.00 | 562.00 | 2598.75 |
| सितम्बर, 89 | 450.00 | 1125.00 | 2197.50 |
| अक्टूबर, 89 | 1050.00 | 2625.00 | 12127.50 |
| नवम्बर, 89 | 750.00 | 1875.00 | 10076.25 |
| दिसम्बर, 89 | 225.00 | 562.50 | 2598.75 |
| जनवरी, 90 | 225.00 | 562.50 | 2698.75 |
| फरवरी, 90 | 450.00 | 1125.00 | 5670.00 |
| मार्च, 90 | 225.00 | 562.50 | 2598.75 |
| अप्रैल, 90 | 375.00 | 937.50 | 4331.25 |
| मई, 90 | 600.00 | 1875 00 | 7087.00 |
| जून, 90 | 675.00 | 2362.50 | 8268.75 |
| जुलाई, 90 | 450.00 | 1575.00 | 5197.50 |
| अगस्त, 90 | 330.00 | 1155.00 | 4534.50 |
| सितम्बर, 90 | 255.00 | 892.50 | 3668.25 |
| अक्टूबर, 90 | 346.00 | 1207.50 | 4833.00 |
| नवम्बर, 90 | 600.00 | 2100.00 | 7402.50 |
| दिसम्बर, 90 | 375.00 | 1312.50 | 4331.25 |
| जनवरी, 91 | 900.00 | 3150.00 | 10395.00 |

227



देशी मदिरा दुकान जैतारण के लिए इश्यू की गयी देशी मदिरा पेटे आबकारी विभाग को देय राशि की महावार सूची

| नाम माह | इश्यू की गयी मदिरा की मात्रा ब. लि. | देय परमिट फीस की राशि | इश्यू प्राइस |
|---|---|---|---|
| अप्रेल, 89 | 1545.00 | 1545.00 | 20076.00 |
| मई, 89 | 2700.00 | 2700.00 | 33858.75 |
| जून, 89 | 1275.00 | 1275.00 | 14883.75 |
| जुलाई, 89 | 1500.00 | 1500.00 | 18112.50 |
| अगस्त, 89 | 825.00 | 2062.50 | 11415.00 |
| सितम्बर, 89 | 1575.00 | 3937.50 | 19136.25 |
| अक्टूबर, 89 | 375.00 | 937.50 | 5745.00 |
| नवम्बर, 89 | 525.00 | 1312.50 | 6221.25 |
| दिसम्बर, 89 | 750.00 | 1875.00 | 9135.00 |
| जनवरी, 90 | 375.00 | 937.50 | 4331.25 |
| फरवरी, 90 | 375.00 | 937.50 | 4331.25 |
| मार्च, 90 | 225.00 | 562.50 | 2598.75 |
| अप्रेल, 90 | 495.00 | 1312.50 | 6665.50 |
| मई, 90 | 225.00 | 562.50 | 2598.75 |
| जून, 90 | 675.00 | 2362.50 | 7796.25 |
| जुलाई, 90 | 723.00 | 2530.50 | 8350.65 |
| अगस्त, 90 | 915.00 | 3202.50 | 12014.25 |
| सितम्बर, 90 | 570.00 | 1995.00 | 7589.25 |
| अक्टूबर, 90 | 795.00 | 2782.50 | 10345.50 |
| नवम्बर, 90 | 1125.00 | 3937.50 | 14565.00 |
| दिसम्बर, 90 | 975.00 | 3412.50 | 11418.75 |
| जनवरी, 91 | 975.00 | 3412.50 | 12675.00 |

## परिशिष्ट—3

**तारांकित प्रश्न संख्या 360 का विवरण**

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पद के
कर्तव्य एवं शक्तियां

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राज्य सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करेंगे ।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास का कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :—

**(अ) जनजाति उपयोजना क्षेत्र :—**

बांसवाड़ा, डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की छः तहसीलें । फलासिया, (झाड़ोल) खैरवाड़ा, कोटड़ा, सराड़ा, सलूम्बर, लसाड़िया एवं गिर्वा ब्लाक के 81 गांव, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील एवं सिरोही जिले में आबूरोड़ तहसील का आबूरोड़ ब्लाक ।

**(ब) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा) :—**

राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 13 जिले अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक व उदयपुर के 36 लघु खण्ड ।

**(स) सहरिया क्षेत्र :—**

कोटा जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलें । उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जनजाति उपयोजना, माडा सहरिया क्षेत्र में शामिल किये जाने वाले क्षेत्र ।

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निम्न कर्तव्यों का निष्पादन किया जावेगा :—

(अ) वे अपने कार्यक्षेत्र के सभी विकास कार्यक्रमों के आयोजन एवं परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(ब) वे जनजाति क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों की कार्य प्रणाली में समन्वय एवं एकीकृत कार्य पद्धति को सुनिश्चित करेंगे ।

(स) वे इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि विकास कार्यक्रमों तथा पर्यावरण में उपलब्ध सम्पदा से अनुसूचित/जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ मिले और इसके लिए वे आवश्यक अधिकारों एवं शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

(द) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास निम्नलिखित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होंगे।

(1) कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।

(3) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उत्पादन, उपभोग एवं सामाजिक कार्यों की पूर्ति हेतु साख सुविधा का प्रबन्ध।

(4) वन का उपयोग एवं वन विकास।

(5) माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के कार्यक्रम (जिसमें अनौपचारिक तथा प्रौढ शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण शामिल हैं)

(6) समाज कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम (पोषाहार, महिला विकास तथा बाल विकास के सभी कार्यक्रमों सहित)

(7) लघु कुटीर और खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास तथा खनिज का खनन एवं उपयोग।

(8) उपरोक्त 2 में वर्णित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था।

(9) ग्रामीण आवासन।

(10) ऐसी कानूनी व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन जो जनजाति के सदस्यों की भूमि पर अत्याक्रमण रोकें एवं जनजाति के व्यक्तियों का साहूकारों द्वारा किया जाने वाले शोषण से सुरक्षा प्रदान करें।

(य) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, जनजाति क्षेत्र की जिला विकास अभिकरण जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों की बैठक में यथासम्भव भाग लेंगे तथा उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के सम्बन्ध में आवश्यक परामर्श देंगे।

4. राजस्व सम्बन्धी कार्यों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के लिए राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ (3) राज. ग्रुप–4/82, दिनांक 25-3-82 व एफ–6 (3) राज/ग्रुप–4/81 दिनांक 16-2-82 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास अपने क्षेत्र में करेंगे।

5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उपयोजना क्षेत्र के कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, वन, सार्वजनिक निर्माण

विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रादेशिक (डिविजनल) स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन का पुनर्वीक्षण (रिव्यू) करेंगे।

6. ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत परियोजना निदेशकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन जिलाधीश द्वारा ही प्रारम्भ किये जावेंगे परन्तु विशिष्ठ योजना संगठन के सचिव को भेजे जाने से पूर्व यह आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजेंगे, जो परियोजना निदेशक द्वारा जनजाति विकास के क्षेत्र में किये गये कार्यों के बारे में अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।

7. उक्त क्षेत्र के जिलाधीशों के सम्बन्ध में उनके द्वारा जनजाति क्षेत्र विकास के लिए किए गए कार्यों के बारे में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास अपनी टिप्पणी मुख्य सचिव को भेजेंगे जो उसे ध्यान में रखकर जिलाधीशों द्वारा जनजाति विकास कार्यक्रम में ली गयी अभिरूचि के बारे में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रविष्ट करेंगे।

8. आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में जनजाति क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए सभी प्रशासनिक शक्तियां निहित होंगी।

9. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड के भी पदेन अध्यक्ष होंगे।

## परिशिष्ट—4

### समयभाव के कारण सदन में न लिए जा सके

### तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

**राज्य के न्यायालयों में राजकीय अधिवक्ता**

361. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या विधि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार ने इस वर्ष हाईकोर्ट व सैशन कोर्टों में कितने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान में अनुसूचित जाति, जन जाति व अल्पसंख्यक के कितने सरकारी वकील बनाए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के समय इन समुदायों के वकीलों का ध्यान नहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/खण्डपीठ जयपुर व सैशन न्यायालय/ अपर सैशन न्यायालय व विशिष्ट न्यायालयों में कुल 127 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गयी है । जिलेवार सूची साथ में संलग्न है ।

(2) उक्त नियुक्त किये गये सरकारी वकीलों में से 4 अल्पसंख्यक (मुसलमान) वर्ग के सरकारी वकील हैं व इसके अतिरिक्त दो अनुसूचित जाति का सरकारी वकील नियुक्त किये गये हैं । इन सरकारी वकीलों के नामों की सूची जिलेवार साथ में संलग्न है ।

(3) यह सही नहीं है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक समुदाय के वकीलों का ध्यान नहीं रखा जाता हो, नियमानुसार उनकी नियुक्ति भी की जाती है ।

सैशन न्यायालय/अपर सेशन न्यायालय में सरकारी वकीलों की नियुक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त पेनल में से उपयुक्तता के आधार पर की जाती है ।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

**किशनगंज व शाहबाद (कोटा) में बाल विकास परियोजना**

362. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले के किशनगंज व शाहबाद में बाल विकास परियोजना संचालित है ?

(2) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में बाल विकास परियोजना अधिकारी का

(श्री हेमराज मीणा)

पद रिक्त है ? यदि हां, तो यह पद कब तक भर दिया जावेगा ?

(3) किशनगंज व शाहबाद में कितने-कितने केन्द्र कौन कौन से ग्राम में संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाल विकास परियोजना, किशनगंज एवं शाहबाद के परियोजना अधिकारियों के पद जुलाई, 1990 से रिक्त थे। किशनगंज परियोजना अधिकारी के पदस्थापना आदेश दिनांक 27--12--90 को जारी कर दिये गये जहां पर उन्होंने 18--2--91 को कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा शाहबाद परियोजना के परियोजना अधिकारी के पदस्थापन आदेश दिनांक 11-1--91 को जारी कर दिये गये जहां पर उन्होंने दिनांक 21--1--91 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। जिस समय इन परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों के पद रिक्त थे उस समय इनका कार्यभार अन्य परियोजना अधिकारियों को दिया हुआ था।

(3) किशनगंज व शाहबाद परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

किशनगंज (कोटा) परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची :—

| क्र. सं. | नाम जहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं | क्र. सं. | नाम जहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं |
|---|---|---|---|
| 1. | किशनगंज I | 32. | किशनाईपुरा |
| 2. | किशनगंज II | 33. | ब्रह्मपुरी |
| 3. | किशनगंज III | 34. | अर्जुनपुरा |
| 4. | किशनगंज IV | 35. | गरड़ा I |
| 5. | किशनगंज V | 36. | गरड़ा II |
| 6. | रानी बड़ौदा | 37. | गरड़ा III |
| 7. | हीरापुरा | 38. | बकनपुरा I |
| 8. | बांसथूनी | 39. | बकनपुरा II |
| 9. | फल्दी | 40. | पगारा I |
| 10. | रामपुरिया | 41. | पगारा II |
| 11. | अमलावदा | 42. | गोपालपुरा |
| 12. | कामठा | 43. | भगवानपुरा |
| 13. | रेलावन-I | 44. | खण्डेला I |
| 14. | रेलावन-II | 45. | खण्डेला II |
| 15. | छतरपुरा | 46. | रामपुरा ठोड़िया |
| 16. | सहावन | 47. | अमरौली |
| 17. | बरुणी | 48. | लालगंज खेड़ली |
| 18. | मोयदा | 49. | करवरी खुर्द |
| 19. | सौभागपुरा | 50. | करवारी कला |
| 20. | बड़ोदिया | 51. | जैसवा |
| 21. | कागला बम्बोरी | 52. | लक्ष्मीपुरा |
| 22. | छीनोद | 53. | बालापुरा I |
| 23. | दीलोदपार | 54. | बालापुरा II |
| 24. | सोड़ाना | 55. | नाहरगढ़ I |
| 25. | मिसाई | 56. | नाहरगढ़ II |
| 26. | महरावता | 57. | नाहरगढ़ III |
| 27. | पदमपुरा | 58. | नाहरगढ़ Iv |
| 28. | रामगढ़ I | 59. | घटी I |
| 29. | रामगढ़ II | 60. | घटी II |
| 30. | सवास | 61. | परानिया I |
| 31. | सवनी | 62. | परानिया II |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 63. | गीगचा | 82. | रुयावदा |
| 64. | बादीपुरा | 83. | पीतामपुरा |
| 65. | मामली | 84. | कुण्डी |
| 66. | पचलावड़ा | 75. | बजरंगगढ़ |
| 67. | खेड़ली | 86. | ठगनी |
| 68. | बिलासगढ़ | 87. | खेरुना |
| 69. | ठिकोनिया | 88. | गोबरचा |
| 70. | गोरधनपुरा | 89. | काकड़दा |
| 71. | भंवरगढ़ I | 90 | बरखेड़ा |
| 72. | भंवरगढ़ II | 91. | श्राकोदिया |
| 73. | भंवरगढ़ III | 92. | सकरावदा |
| 74. | भंवरगढ़ IV | 93. | भवानीपुरा |
| 75. | बुन्दा | 94. | लहरुणी |
| 76. | जलवाड़ा I | 95. | मायथा |
| 77. | जलवाड़ा II | 96. | खण्डेला खेड़ी |
| 78. | जलवाड़ा III | 97. | पीपल्दा कला |
| 79. | खल्दा | 98. | जेतपुरा मण्डी |
| 80. | खल्दी | 99. | चन्द्रपुरा |
| 81. | छतरगंज | 100. | गोपालपुरा (रामगढ़) |

235



शाहबाद (कोटा) परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची:—

| क.सं. | नाम जहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है | क.सं. | नाम जहां आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है |
|---|---|---|---|
| 1. | कस्बा थाना I | 33. | शाहबाद III |
| 2. | कस्बा थाना II | 34. | शाहबाद IV |
| 3. | कस्बा थाना III | 35. | मामोनी I |
| 4. | मंझोला | 36. | मामोनी II |
| 5. | तिलगंवा | 37. | कालोनी I |
| 6. | रामपुर तलहटी | 38. | कालोनी II |
| 7. | सदोकड़ा | 39. | मुण्ड़ियर |
| 8. | सनवाड़ा | 40. | खण्डा सहरोल |
| 9. | मरेनी | 41. | बांसखेड़ा माल |
| 10. | ओगाड़ | 42 | गदरेग |
| 11. | आगर | 43. | फरेदुआ |
| 12. | बनगवां | 44. | राजपुर I |
| 13. | देवरी I | 45. | राजपुर II |
| 14. | देवरी II | 46. | राजपुर III |
| 15. | देवरी III | 47. | बेठा I |
| 16. | मोयल | 48. | बेठा II |
| 17. | कस्बा नोनेरा | 49. | किराट पहाड़ी |
| 18. | पठारी | 50. | मुंगावली |
| 19. | खुशालपुरा | 51. | समरानिया I |
| 20. | गोबरा | 52. | समरानिया II |
| 21. | सहरोल तलहटी I | 53. | नाटई I |
| 22. | सहरोल तलहटी II | 54. | नाटई II |
| 23. | बीलखेड़ा डाक | 55. | रातई I |
| 24. | बीखेड़ा माल | 56. | रातई II |
| 25. | खेरा खाड़ी | 57. | खटका |
| 26. | होड़ापुरा | 58. | खेराई |
| 27. | मझोरी | 59. | जखोनी |
| 28. | बन्दा नोनेरा | 60. | सेमली पाठक |
| 29. | पाजन्टोरी | 61. | महोदरा |
| 30. | शुमधरा | 62. | गणेशपुरा |
| 31. | शाहबाद I | 63. | निवाड़ी |
| 32. | शाहबाद II | | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 64. | धतुरिया | 75. | ऊनी |
| 65. | टिकवाली | 76. | पेनावदा |
| 66. | अजरोड़ा | 77. | बान्दा |
| 67. | शशियारा | 78. | खिरिया |
| 68. | नारायण खेड़ा | 79. | हतवारी |
| 69. | सिरसोद खुर्द | 80. | सिरसोद कलां |
| 70. | केलवाड़ा I | 81. | चिण्डालिया |
| 71. | केलवाड़ा II | 82. | पीपलखेड़ी |
| 72. | केलवाड़ा III | 83. | महाल |
| 73. | केलवाड़ा IV | 84. | केलोनिया I |
| 74. | दाता | 85. | केदार कुई I |

**लाटरी विभाग के कर्मचारियों में बकाया**

363. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या राज्य लाटरी एवं अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लाटरी विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को पिछले पांच वर्षों में यात्रा भत्ता के मद में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(2) लाटरी विभाग की अब तक कितनी बार आडिट हुई ?

(3) लाटरी विभाग के कर्मचारियों में पिछले दस सालों में सरकार की कितनी राशि बकाया रही तथा वर्तमान में कितनी राशि किस किस कर्मचारी में बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बिक्री कर चोरी करने पर तमिलनाडू की सरकार ने राजस्थान के लाटरी विभाग के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो तमिलनाडू सरकार ने कुल कितना कर बकाया निकाला है तथा वर्तमान में इस प्रकरण की स्थिति क्या है? तमिलनाडू ने जो लाटरी विभाग पर दावा किया है, उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पिछले पांच वर्षों में लाटरी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्षवार निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया है :–

| नाम वर्ष | राशि जिसका भुगतान किया गया |
|---|---|
| 1. वर्ष 1985-86 | रु. 4.75 लाख |
| 2. वर्ष 1986-87 | रु. 2 00 लाख |
| 3. वर्ष 1987-88 | रु 0.57 लाख |
| 4. वर्ष 1988-89 | रु. 2.98 लाख |
| 5. वर्ष 1989-90 | रु. 2.49 लाख |

(2) राज्य लाटरी विभाग का दो बार महालेखाकार, राज., जयपुर द्वारा आडिट हुआ है। आडिट विवरण निम्न प्रकार है :—

| अवधि जिसका अंकेक्षण किया गया | अवधि जिसमें अंकेक्षण किया गया |
|---|---|
| 1. 4/85 से 7/87 | दि. 17-6-87 से<br>दि. 21-9-87 |
| 2. 8/87 से 3/89 | दि. 15-4-89 से 7-8-89 |

238



(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

(3) लाटरी विभाग के कर्मचारियों पर पिछले दस सालों में निम्न प्रकार राशि बकाया रही है :—

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1981–82 | रु. 13,37,756/- |
| 1982–83 | रु. 5,43,856/- |
| 1983–84 | रु. 3,77,425/- |
| 1984–85 | रु. 15,38,560/- |
| 1985–86 | रु. 10,77,549/- |
| 1986–87 | रु. 8,90,759/- |
| 1987–88 | रु. 8,90,259/- |
| 1988–89 | रु. 12,79,596/- |
| 1989–90 | रु. 11,54,455/- |
| 1990–91 (दि. 30-6-90 तक) | रु. 12,00,201/- |

वर्तमान में निम्नांकित कर्मचारियों के सम्मुख अंकित राशि बकाया है :—

| नाम | राशि |
|---|---|
| श्री धन्नुमल बंजानी | रु. 25,833/- |
| श्री अशोक कुमार शर्मा | रु. 35,289/- |
| श्री रतन लाल सैनी | रु. 7,332/- |
| श्री सत्यप्रकाश शर्मा | रु. 12,388/- |
| श्री राजेन्द्र कुमार अजमेरा | रु. 2,677/- |
| श्री मोहन लाल | रु. 10,962/- |
| श्री रतन लाल जावा | रु. 23,481/- |
| श्री देवा लाल | रु. 56,438/- |
| श्री रामचन्द्र | रु. 47,812/- |

(राज्य मंत्री, अल्प बचत)

| नाम | राशि |
|---|---|
| श्री मजीद खां | रु. 2,00,754/- |
| श्री के. वी. भास्करण | रु. 1,43,322/- |
| श्री रूप सिंह | रु. 1,31,278/- |
| श्री छीतर मल अग्रवाल | रु. 2,39,054/- |
| श्री ललित किशोर | रु. 505/- |
| श्री भूपेन्द्र सिंह | रु. 54,615/- |
| योग– | रु. 9,92,732/- |

(4) जी हां, तमिलनाड सरकार के बिक्री कर विभाग ने इस विभाग के विरुद्ध बिक्रीकर, सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज एवं एडिशनल बिक्रीकर के रूप में निम्न प्रकार से वर्षवार राशि जमा कराने हेतु अपने नोटिसों में राशि प्रस्तावित की है :—

| | |
|---|---|
| वर्ष 1983–84 | रु. 19,91,925/- |
| वर्ष 1984–85 | रु. 1,17,32741/- |
| वर्ष 1985–86 | रु. 118,58,669/- |
| वर्ष 1986–87 | रु. 44,86,000/- |
| योग– | रु. 3,00,69,335/- |

वर्तमान में इस बिक्रीकर वसूली नोटिस के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय तमिलनाडु, मद्रास से स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है (प्रति संलग्न) तमिलनाड सरकार के बिक्री कर विभाग द्वारा दिये गये नोटिसों की प्रतियां संलग्न है ।

( विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया । )

**अजमेर विश्वविद्यालय में अनिवार्य भाषा का पाठ्यक्रम**

364. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ स्टडीज एवं बोर्ड आफ कौंसिल का पूर्ण गठन हो चुका है ? यदि हां, तो दोनों समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

(2) क्या अजमेर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष कक्षा में अनिवार्य भाषा विषयों में पुस्तकें निर्धारित करने में नियमों की अनुपालना की गयी है ? क्या इन विषयों के पाठ्यक्रम का निर्माण कर विश्वविद्यालय में पंजीकृत प्रकाशकों से पुस्तकें आमन्त्रित की गयीं ? यदि नहीं, तो इस नियम की अवहेलना क्यों की गयी ?

उत्तर

(1) अजमेर विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ स्टडीज का गठन किया गया है। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। जहां तक बोर्ड आफ कौंसिल का प्रश्न है ऐसी कोई समिति विश्वविद्यालय में नहीं है।

(2) नियमानुसार प्रथम वर्ष कक्षा की अनिवार्य भाषा की पुस्तकों का निर्धारण बोर्ड आफ स्टडीज एवं एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा हुआ है। पंजीकृत प्रकाशकों से पुस्तकें आमन्त्रित नहीं की गयी चूंकि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। पंजीकृत प्रकाशकों से पुस्तकें यदि किसी शैक्षणिक समिति का निर्देश हो तो ही आमन्त्रित की जाती हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

**भेड़पालकों को बिचौलियों से मुक्ति**

365. **श्री मदन लाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई 1977 में भेड़पालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड का गठन किया था ?

(2) क्या इस फैडरेशन के गठन के बाद भेड़पालकों को बिचौलियों से मुक्ति मिल गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या फैडरेशन के नियमानुसार भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन के सदस्यों को शामिल करते हुये साधारण सभायें व आम सभायें बुलाने का प्रावधान था ? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में उक्त प्रावधान के अनुसार कितनी बैठकें बुलाई गयीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इसमें भेड़ पालक सहकारी समितियों के सदस्यों को भी सम्मिलित करते हुए चुनाव कराने का प्रावधान था ? यदि हां, तो इस प्रकार से चुनाव नहीं करवाये जाने के क्या कारण है ?

(5) क्या सरकार अभी भी उक्त फैडरेशन में भेड़पालक सहकारी समितियों के सदस्यों को जो कि बोर्ड के सदस्य हैं, को शामिल करते हुए पुनर्गठन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास जारी है।

(3) बोर्ड की साधारण सभा व समितियों की आम सभा बुलाने का प्रावधान

(राज्य मन्त्री, भेड़ व ऊन)

है। गत 5 वर्षों (1986 से 31 दिसम्बर, 1990) की अवधि में बोर्ड की समय-समय पर साधारण सभाएं हुई हैं। इस अवधि में आम सभा नहीं हुई है।

(4) जी हां। चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ की जा चुकी है।

(5) इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

**ग्राम चुनावगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयोजित नसबन्दी शिविर**

366. **श्री अचला राम** (देसूरी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम चुनावगढ़ राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयोजित नसबन्दी शिविर में सावित्री हरिजन का नसबन्दी आपरेशन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त आपरेशन किन चिकित्सकों द्वारा किया गया ?

(2) क्या उक्त नसबन्दी आपरेशन में डाक्टरों की लापरवाही के कारण उक्त हरिजन महिला की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो उन डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा मृतक महिला के परिजनों को दी गई राशि पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। राज्य में चुनावगढ़ नाम से कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध नहीं है। परन्तु श्रीमती सावित्री पत्नि श्री ओमप्रकाश मेघवाल का नसबन्दी आपरेशन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चुनागढ, जिला श्रीगंगानगर में डा. मधुरिमा सैनी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग) द्वारा किया गया था। डा. सैनी की टीम में डा. सरोजनी, डा. नरेश माकंड व डा. बेनीवाल सम्मिलित थे।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां, नसबन्दी के दौरान मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से निर्धारित राशि रुपये 10,000/- का भुगतान किया जाता है।

**अकाल राहत कार्यों की बकाया**

367. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : एवं **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत वर्षों में जिला नागौर में अकाल राहत के अन्तर्गत किये गये कार्यों का कितना, कितना भुगतान किस, किस कार्य का बकाया है ? बकाया भुगतान नहीं होने के क्या कारण है। अब कब तक बकाया भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) वर्ष 1985-86, 1986-87 व 1987-88 में किस-किस कार्य की कितनी राशि भुगतान की अनपेड में जमा कराई गई थी, अनपेड राशि का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? अब कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) सहायता विभाग द्वारा श्रमिकों को भुगतान हेतु पूरी राशि जिला कलक्टर नागौर को मय आवश्यक निर्देशों के उपलब्ध करादी गई थी। पुनः जिला कलक्टर, नागौर को इस संबंध में पत्र दि. 15-5-90 के जरिये सूचित किया गया था। विभाग द्वारा कोई बकाया भुगतान देय नहीं है क्योंकि भुगतान हेतु समस्त राशि कलक्टर को उपलब्ध कराई जा चुकी है। निर्देशों से संबंधित वितंतु संदेश दिनांक 25-5-88 एवं पत्र दिनांक 15-5-90 की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "अ, "ब")

(2) विभाग ने कोई राशि भुगतान से वंचित कर किसी दूसरे विभाग में जमा नहीं कराई। विभाग द्वारा कोई बकाया भुगतान देय नहीं है क्योंकि भुगतान हेतु समस्त राशि कलक्टर को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

243



परशिष्ट "अ"

Copy of this office latter no. F-2 (1) (41) RS/Acts Bud/APA/87/38991-9024 & may 25,1988

**Wireless**

From

Relief Secretary Rajasthan,
Jaipur.

To : All collectors.

No. F 2 (1) (41) Rs/Acts/Bud/APA/87/38991-9024 may 25, 1988

Please refer to this Departments letter No. 59258-90 Dated 2-11-1987 regarding prabable allocotion of material Component. As the finenec Department is not in a position to provide funds for material Component as stipulated vide above letter you are requested to restrict your commitment and liabilities to the amount actually being made available to you. The liabilities of past Drought should alos be met out of this actual allacation. Please ensure that no unpaid liebilities remain towards and of current Drought operations in Hape of getting extra material component. Please acknowledge receipt.

Relief Secretary

Sd.

Ralief Secretary

Forwarded the incharge wireless, Jaipur for carly transmission of the above messese.

True copy.
ह.
लेखाधिकारी
सहायता विभाग राजस्थान, जयपुर

244



परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार
सहायता विभाग

क्रमांक : एफ 2 (1) (41) (21) सहा./लेखा/बजट/एपीए/87/7740

जिला कलक्टर, नागौर, । जयपुर, दिनांक 15-5-90

विषय : श्रम एवं सामग्री मद में अधिक व्यय के बाबत ।

प्रसंग :—इस विभाग के पत्र एफ 2 (1) (41) (21) लेखा/बजट/एपीए/87/17541 दि. 10-11-89 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उक्त विषय, प्रसंग एवं आपकी दूरभाष पर सहायता सचिव महोदय से हुई वार्ता के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि विभाग ने प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको पूर्व में ही अवगत करा दिया था कि इस विभाग में उक्त प्रकरण को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है क्योंकि सामग्री मद में अधिक सर्वे को सम्बन्धित अभिकरण । विभाग स्वयं अपने मद से वहन करेंगे ।

उल्लेखनीय है कि आपके कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रपत्रों के विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि आपके जिले में इस मद में विभिन्न अभिकरणों के पास 33.60 लाख रुपये की बचत रही है । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त राशि आवंटन का प्रश्न ही नहीं है ।

यहां तक सामग्री पर किए गए अधिक व्यय का प्रश्न है, इस क्रम में विभागीय वितन्तु संदेश दिनांक 25-5-88 (प्रति संलग्न) के द्वारा सूचित कर दिया गया था कि सामग्री मद में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता ।

अतः श्रम व सामग्री मद में आवंटन से अधिक किए गए व्यय के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन के क्रम में इस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

भवदीय,

ह./–
(एस. आर. गुप्ता)
वरिष्ठ लेखाधिकारी

**तारांकित प्रश्न संख्या 368**

(स्थगित)

**न्यूजीलैण्ड से ऊन का आयात**

369. **श्री चुन्नीलाल** (नोखा) : क्या भेड़ ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में न्यूजीलैण्ड से बड़ी भारी मात्रा में ऊन आयात की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि न्यूजीलैण्ड से जो ऊन आयात की जाती है, उसके कारण स्थानीय भेड़पालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आयातित ऊन पर अतिरिक्त कर लगाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। गलीचे के निर्मातक गलीचों के निर्माण हेतु ऊनी धागे में न्यूजीलैण्ड की ऊन के सम्मिश्रण की मांग करते है। इस कारण व्यापारी न्यूजीलैण्ड की ऊन का आयात करते हैं।

(2) जी हां। न्यूजीलैण्ड से निर्बाध रूप से ऊन का आयात होने के कारण स्थानीय ऊन की दरों में कमी होना स्वाभाविक है। मुख्य कारण आयातित ऊन में सीमा शुल्क की दरों में भारी गिरावट के कारण देशी ऊन के भाव गिरे हैं। आयातित वस्तुओं पर आयात कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को है तथा केन्द्र सरकार ही इस विषय में निर्णय करती है।

**तारांकित प्रश्न संख्या 370**

(स्थगित)

**रेफरल हास्पिटल, भिनाय में रिक्त पद**

371. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भिनाय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मात्र रेफरल हास्पिटल भिनाय में ही है ?

(2) क्या इस हास्पिटल में लम्बे समय से पर्याप्त स्टाफ नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर देगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

इस अस्पताल में दो पद कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं दो पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं एक-एक पद मेल नर्स श्रेणी प्रथम, कनिष्ठ लिपिक एवं लेब टेक्नीशियन का रिक्त है। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर चिकित्सक का पदस्थापन 14-3-91 को कर दिया गया है। शेष पद शीघ्र भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**फलोदी (जोधपुर) के अकालग्रस्त ग्राम**

372. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलोदी) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

(1) फलौदी तहसील जिला जोधपुर के कितने गांव अकालग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही हैं कि इनमें से अधिकतर गांव स्थायी रूप से अकाल से प्रभावित रहते हैं ?

(3) क्या सरकार इस तहसील के अकालग्रस्त गांवों में तुरन्त मजदूरी खोलने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) फलौदी तहसील जिला जोधपुर में कोई भी गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं हैं ।

(2) इस वर्ष तहसील फलौदी में कोई भी गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं है ।

(3) जी नहीं । उपरोक्तानुसार

**पाटन (सीकर) के पैट्रोल पम्प पर अनियमितताएं**

373. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पाटन (सीकर) में पैट्रोल पम्प द्वारा की गयी अनियमिताओं को विभाग के अधिकारियों ने सही पाया है ? यदि हां, तो उक्त पैट्रोल पम्प के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त पैट्रोल पम्प पर स्टाक उपलब्ध होने के बावजूद उपभोक्ताओं को डीजल न देने की शिकायत भी सही पायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पैट्रोल पम्प का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में अप्रेल, 1990 से अब तक कुल कितना केरोसिन किस-किस डीलर को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी हां । संबंधित पैट्रोल पम्प द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये दिनांक 18-1-1991 को उसे नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण चाहा गया है, पैट्रोल पम्प के मीटर एवं नाप की जांच हेतु दिनांक 4-2-1991 को बाट एवं माप विभाग को लिखा गया है तथा संबंधित तेल कम्पनी को इसके विरुद्ध कार्यवाही करने को लिखा गया है ।

(2) जी हां । राजस्थान पैट्रोलियम उत्पादन ज्ञापन तथा नियन्त्रण (आदेश, 1990 के अन्तर्गत उक्त पैट्रोल पम्प लाइसेन्सधारी नहीं होने से लाइसेन्स रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(3) नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में अप्रेल, 1990 से फरवरी, 1991 तक जिस-जिस डीलर को जितना केरोसीन दिया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

## भाग तीन का विवरण

| क्र. सं. | नाम केरोसीन डीलर | दी गई मात्रा (के. एल. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्रीमान् आयल स्टोर, गोडावास | 105 |
| 2. | पवन आयल स्टोर, नीमकाथाना | 81 |
| 3. | शर्मा आयल स्टोर, " | 93 |
| 4. | श्री कैलाश चन्द्र पुत्र बीरबल प्रसाद, नीमकाथाना | 68 |
| 5. | गणेश आयल मिल, नीमकाथाना | 81 |
| 6. | शिव आयल एण्ड फ्लोर मील, नीमकाथाना | 75 |
| 7. | सुनील आयल स्टोर, नीमकाथाना | 65 |
| 8. | रामकिशन सतीश कुमार हसामपुर | 30 |
| 9. | बालाजी आयल स्टोर, हसामपुर | 35 |
| 10. | कुरेशी आयल स्टोर, पाटन | 42 |
| 11. | दिनेश आयल स्टोर, पाटन | 40 |
| 12. | पुरुषोत्तम आटोमोबाइल्स, पाटन | 42 |
| 13. | अग्रवाल आयल ऐजेन्सी, पाटन | 54 |
| 14. | शर्मा आयल स्टोर, डाबला | 39 |
| 15. | जयशिव आयल स्टोर, डाबला | 45 |
| 16. | चेतानी आयल स्टोर, नीमकाथाना | 49 |
| 17. | शर्मा आयल स्टोर, जीलो | 15 |
| 18. | कैलाश आयल स्टोर, डोकन | 39 |
| 19. | शंकर गैसका आयल स्टोर, मूदोली | 27 |
| 20. | जगदम्बा आयल स्टोर, मूदोली | 39 |
| 21. | जनता आयल स्टोर, दलपतपुरा | 12 |
| 22. | महावीर आयल स्टोर, हसामपुर | 30 |
| 23. | भगवती आयल स्टोर, श्यालीपुर | 15 |
| 24. | महेन्द्र आयल स्टोर, रायपुरपाटन | 12 |
| 25. | किसान आटोमोबाइल्स ऐजेन्सी, नीमकाथाना | 123 |
| 26. | पूनम आयल स्टोर, नीमकाथाना | 102 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 27. | मितल ग्रायल स्टोर नीमकाथाना | 102 |
| 28. | शंकर ग्रायल स्टोर ,, ,, | 72 |
| 29. | श्री जयसिंह पुत्र प्रभु सिंह, चीमलाटा | 33 |
| 30. | श्री रामेश्वरलाल बनवारीलाल, चला | 36 |
| 31. | अग्रवाल ग्रायल ऐजेन्सी, छावनी, नीमकाथाना | 26 |
| 32. | अग्रवाल ग्रायल स्टोर, नीमकाथाना | 83 |
| 33. | भवानीशंकर रामरिछपाल, नीमकाथाना | 30 |
| 34. | पारीक ग्रायल स्टोर, नीमकाथाना | 6 |
| 35. | राजेन्द्र गजरात, गुहाला | 54 |
| 36. | काशीराम गोविन्दराम, गुहाला | 21 |
| 37. | प्रमोद डिस्ट्रीब्यूटर्स, नृसिंहपुरी | 36 |

248



**पत्रकारों हेतु सुविधा**

374. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पत्रकारों के लिए कोई नई सुविधा नीति तय कर रही, है ? यदि हां, तो क्या, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पत्रकारों को आवास, टेलीफोन, वित्तीय सुरक्षा आदि की सुविधायें, उपलब्ध कराई जा रही ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को निम्नांकित सुविधाएं उनके आगे उल्लेखित तिथियों से उपलब्ध कराई जा रही हैं :—

1. राजस्थान आवासन मण्डल के मकानों के लिए ढाई प्रतिशत का कोटा श्रमजीवी पत्रकारों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 30-11-84 से निर्धारित किया हुआ है।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दिनांक 20-6-73 से सुलभ है।

3. टेलीफोन की प्राथमिकता के लिए अधिस्वीकृत पत्रकार होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाता है।

4. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में वातानुकूलित बसों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिनांक 15-9-85 से दी जा रही है।

5. राज्य की राजधानी पर स्थित अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेलवे बोर्ड द्वारा रियायती दरों पर दिनांक 1-10-85 से रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को निदेशालय प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं।

6. कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में समाचार संकलन हेतु प्रवेश पत्र जारी करने के लिए जिला कलेक्टर को सिफारिश की जाती है।

7. पत्रकार कल्याण कोष से दिनांक 1-1-82 से असाध्य रोग से ग्रसित पत्रकारों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के साधनविहीन पत्रकारों, मृत पत्रकारों के आश्रित आय के साधन विहीन 28 वर्ष से कम आयु के पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता को यह सुविधा प्रदान की जाती है।

8. राज्य की विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोकनार्थ पत्रकार दल भेजे जाते हैं।

9. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं सूचना सामग्री फोटोज आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

10. मंत्रीगण एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं उनके छायाचित्र आदि लेने की व्यवस्था कराई जाती है।

**लाडनूं से अजमेर द्रुतगामी बस सेवा**

375. **श्री मनोहर सिंह** (लाडनूं) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार लाडनूं से अजमेर द्रुतगामी बस सेवा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार लाडनूं से दिल्ली व लाडनूं से जोधपुर सीधी बस सेवा चलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) लाडनूं से अजमेर द्रुतगामी बस सेवा पूर्व से ही चल रही है ।

(2) जी नहीं । लाडनूं से दिल्ली एवं लाडनूं से जोधपुर के लिए सीधा यात्री भार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता ।

**वर्ष 1990--91 में वक्फ बोर्ड की आय**

376. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में वक्फ बोर्ड की कुल आय किन-किन मदों से कितनी-कितनी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1990-91 तक सरकार में वक्फ बोर्ड की जायदादों का कितना किराया बकाया है ?

(3) वर्ष 1990-91 में वक्फ बोर्ड पर एवं उसकी सम्पत्ति के रख रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) वर्ष 1990-91 में अब तक हुई वक्फ बोर्ड की आय का विवरण निम्नांकित मदों के अनुसार से इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| अंशदान– | 3,59,528 = 58 |
| किराया– | 1,26,435 = 00 |
| विविध– | 2,502 = 00 |

(2) बोर्ड मे प्राप्त सूचना के अनुसार वक्फ सम्पत्तियां विभिन्न सरकारी विभागों के कब्जे में हैं । बोर्ड एवं सम्बन्धित विभागों के बीच बैठक आयोजित की जाकर किराये की दर एवं बकाया किराये की राशि निश्चित करने एवं भुगतान की प्रक्रिया को आपसी समझौता से तय करने के प्रयास किये जा रहे हैं । अतः बकाया राशि के आंकड़े देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) राज्य सरकार द्वारा वक्फ सम्पत्ति की रख-रखाव पर कोई व्यय नहीं किया जाता हैं । वक्फ बोर्ड ही इस प्रकार सम्पत्तियों पर अपनी निजी आय से व्यय करता है ।

**वर्ष 1990 में नये न्यायालयों की स्थापना**

377. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादीलाल मीणा)

वर्ष 1990-91 में राज्य में कितने स्थानों पर न्यायालय खोलने की स्वीकृति दी गयी हैं ? स्वीकृत किए गए न्यायालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

वर्ष 90-91 अर्थात 1-4-90 से अब तक कोई नया कोर्ट नहीं खोला गया और न ही 31 मार्च 91 तक कोई नया कोर्ट खोला जाना प्रस्तावित है।

**कोष एवं लेखा विभाग में जोन आफ कन्सीडरेशन की अवहेलना**

378. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी),

**श्री भरोसीलाल** (हिण्डौन) एवं

**श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोष एवं लेखा विभाग में लेखाकार के पद पर पदोन्नति में सीधी भर्ती का अनुपात $66\frac{2}{3}\%$ कम होने से अनुसूचित जाति। जनजाति के आशार्थियों पर जोन आफ कन्सीडरेशन की शर्त लागू नहीं होती ? यदि हां, तो विभाग द्वारा बार-बार जोन आफ कन्सीडरेशन की अवहेलना किन नियमों के तहत की जा रही है ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी नहीं, लेखाकार के पद पर पदोन्नति एवं सीधी भर्ती का अनुपात क्रमशः 80 एवं 20 प्रतिशत है।

**श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर एवं संगरिया के चिकित्सालयों में मरीजों को सुविधायें**

379. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर व संगरिया के चिकित्सालयों में कुल कितने बैड हैं ?

(2) वर्ष 1990 में वहां पर इन्डोर-मरीजों की संख्या क्या रही।

(3) सरकार की ओर से उन पर दवाइयों और भोजन व्यवस्था पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(4) मरीजों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई गई ?

(5) इन चिकित्सालयों में एक्सरे की सुविधा कब से है, मशीनें कब खरीदी गई और फोटो की सुविधा कब से उपलब्ध करवायी गई ?

(6) क्या वहां प्रशिक्षित तकनीकि-कर्मचारी काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

**उत्तर**

(1) श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर एवं संगरिया चिकित्सालयों में 30-30 रोगी शैयाएं स्वीकृत हैं।

(2) वर्ष 1990 में इनडोर रोगियों की संख्या सादुलशहर में 423 एवं सांगरिया में 906 रही।

(चिकित्सा मन्त्री)

(3) सादुलशहर में दवाईयों के लिए इस वर्ष 1990-91 में रुपये 22589/= एवं संगरिया में रु. 35540/= की राशि खर्च की गई। भोजन व्यवस्था पर कोई राशि खर्च नहीं की गई।

(4) इन अस्पतालों में विशेषज्ञों, एक्सरे लेबोरेटरी, ई. सी. जी., ओप्रेशन्स, टीका निरोधक एवं क्षय रोग एवं पागल कुत्ते के काटे जाने के निरोधक टीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(5) सादुलशहर में एक्स-रे मशीन 13-4-1989 को उपलब्ध कराई गई तथा फोटो की सुविधा 10-7-1990 से शुरू की गई।

संगरिया में एक्स-रे मशीन 14-4-1989 को उपलब्ध कराई गई तथा फोटो की सुविधा 8-11-1989 से शुरू की गई।

(6) जी हां। सादुलशहर में 4-1 1990 तथा संगरियां में 7-10-1990 से एक्सरे मशीनों पर तकनीकी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

**तारांकित प्रश्न संख्या 380**

(स्थगित)

**जयपुर जिला रसद कार्यालय में पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें**

381. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिला रसद कार्यालय में पद स्थापित प्रवर्तन निरीक्षक श्री सुधीन्द्र मिश्रा के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस किस संदर्भ में? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच करवायी गयी है यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जांच परिणाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी विचाराधीन है? यदि हां, तो किस संदर्भ में?

(4) क्या सरकार इस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों?

(5) क्या इसी विभाग के श्री केशवचन्द्र शर्मा प्रवर्तन अधिकारी तथा श्री राजकुमार जैन प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध श्री सुरेश वर्मा अति. रसद अधिकारी द्वारा कोई जांच करवाई गई थी यदि हां, तो जांच परिणाम सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि श्री केशवचन्द्र शर्मा प्रवर्तन अधिकारी को भ्रष्टाचार के कारण निलंबित किया गया था? यदि हां, तो पुनः सेवा पर कब एवं क्यों लिया गया?

(7) सरकार ने इन अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। शिकायतों की जांच के आदेश दे दिये हैं। उक्त प्राप्त दो शिकायतों में से एक शिकायत की जांच रिपोर्ट विचाराधीन हैं तथा दूसरी शिकायत की जांच कराई जा रही है।

(3) इस अधिकारी के विरुद्ध वर्ष 1983 की एक विभागीय जांच दुराचरण के संबंध में विचाराधीन है।

(4) प्राप्त शिकायतों पर कराई गई जांच एवं कराई जा रही जांच रिपोर्टों पर अंतिम रूप से निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(5) जी हां। रिपोर्ट में विरोधाभास होने के कारण खाद्य विभाग के श्री केशवचन्द्र शर्मा प्रवर्तन अधिकारी तथा श्री राजकुमार जैन, प्रवर्तन निरीक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा पुनः जांच हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर को भेजी गई है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः जांच परिणाम सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है।

(6) जी हां। श्री केशवचन्द्र शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी को निलम्बित किया गया था। राज. उच्च न्यायालय द्वारा श्री केशवचन्द्र शर्मा की रिटयाचिका स्वीकार कर निलम्बन आदेश को रद्द कर देने के कारण दिनांक 12-4-89 से बहाल किया गया।

(7) सर्वश्री केशवचन्द्र शर्मा तथा श्री राजकुमार जैन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को निस्तारण के लिए सरकार ने जिला कलेक्टर, जयपुर को जांच के लिए भेजी है, जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(शिकायतों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

**आम्बेश्वर महादेव पहाड़ी पर दूरदर्शन केन्द्र**

382. **श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) :** क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सिरोही के निकट श्री आम्बेश्वर महादेव पहाड़ी पर दूरदर्शन का बड़ा केन्द्र खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को कोई योजना भेजी गई है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है।

**जयपुर नगर में टैम्पो व मिनी बसों से हुई सड़क दुर्घटनाएं**

383. **श्री रामनारायण बैरवा (निवाई) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण बैरवा)

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर नगर में टैम्पुओं व मिनी बसों, से कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुए ?

(2) क्या यह सही है कि इन मिनी बसों के चालकों व परिचालकों की गुण्डागर्दी से जनता व छात्र बहुत परेशान हैं ?

(3) क्या इस प्रकार की घटनाओं एवं व्यवहार को देखते हुए, सरकार रोडवेज की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में गत तीन वर्षों में मिनी बसों एवं टैम्पुओं से कुल 445 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें टैम्पुओं से सन् 88 में 55, सन् 89 में 64 व वर्ष 1990 में 79 तथा मिनी बसों से वर्ष 88 में 75, वर्ष 89 में 82 तथा वर्ष 90 में 79 दुर्घटनायें हुई हैं ।

(2) यही सही है कि मिनी बसों के चालक अपनी बसों को बहुत तेज रफ्तार से चलाते हैं तथा बसों में परिचालकों द्वारा काफी तादाद में सवारियां बिठाई जाती हैं तथा इनके द्वारा ऐसा करने से जनता को व छात्रों को परेशानी होती है । कोई व्यक्ति इनके इन कृत्यों का विरोध करते हैं तो वे उसके साथ दुर्व्यवहार अपनाते हैं । मिनी बसों के चालकों, परिचालकों द्वारा ऐसा व्यवहार किये जाने पर इनके खिलाफ चालान किये जाने की कार्यवाही की जाती रही है ।

(3) सिद्धान्त रूप से सरकार जयपुर शहर में रोडवेज की बसें चलाने के प्रस्ताव से सहमत हैं । जैसे ही पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे वैसे वैसे निगम की बसें चलाने की कार्यवाही की जायेगी । इसी परिपेक्ष में निगम द्वारा कुछ चुनिन्दा जयपुर शहर के मार्गों पर नियमित बसें चलायी जा रही हैं ।

### छबड़ा में सत्र न्यायालय

384. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार छबड़ा में सत्र न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि बारां कोर्ट नं. 2 सत्र न्यायालय में छबड़ा, छीपाबड़ोद के केस साठ प्रतिशत से भी ऊपर हैं ?

(3) क्या यह भी सही हैं कि वहां की जनता को न्याय प्राप्त करने के लिये 125 किलोमीटर का लम्बा सफर तय करना पड़ता है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । ए. डी. जे. नं. 2 बारां में छबड़ा सब डिविज़न से सम्बन्धित 40.70 प्रतिशत प्रकरण विचाराधीन हैं ।

(3) जी नहीं । बारां से छबड़ा की दूरी 67 **किलोमीटर हैं** तथा बारां

(विधि राज्य मंत्री)

से छीपाबड़ोद की दूरी 62 किलो मीटर है। अतः वहां की जनता को 125 किलोमीटर का लम्बा सफर न्याय प्राप्ति के लिए नहीं करना पड़ता है।

**विधान सभा क्षेत्र रूपवास की सड़कें**

385. **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितनी सड़कें स्वीकृत की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कितनी सड़कों की मरम्मत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र रूपवास में कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में निम्न 8 सड़कों पर वर्ष 1990-91 में मरम्मत का कार्य किया गया है।

**अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्यों पर व्यय**

386. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) व **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में राज्य के किन-किन गांवों में अकाल एवं अभाव की स्थिति रही? जिलेवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कोलायत, लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील के अधिकांश गांव अभावग्रस्त हैं? यदि हां, तो अभावग्रस्त गांवों में चारे, पेयजल एवं राहत कार्यों की क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई?

(3) राज्य में अभावग्रस्त गांवों में वित्तीय वर्ष 1990-91 में पेयजल, चारा एवं राहत कार्यों के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1990-91 में राज्य में कोई भी गांव अभावग्रस्त नहीं है।

(2) बीकानेर जिले की कोलायत, लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील में पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता को देखते हुए चारे की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा उर्मूल डेयरी, बीकानेर को 15 लाख रुपये की राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। उर्मूल डेयरी द्वारा वर्तमान में 17 चारा डिपो के जरिये चारा बिना लाभ हानि के आधार पर पशुपालकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा 12 डिपो और शीघ्र चालू किया जाना प्रस्तावित है।

(3) वर्ष 1989-90 (संवत 2046) की अभावस्थिति के फलस्वरूप वर्ष 1990-91 में पेयजल एवं राहत कार्य हेतु निम्न राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है :—

(अकाल राहत मन्त्री)

| | |
|---|---|
| 1, राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु | 26.13 करोड़ रु. विशिष्ट योजना संगठन को आवंटित |
| 2. पेयजल-टैंकर के जरिये जिलों में | 1.00 करोड़ रु. |

**धर्मार्थ ट्रस्टों को रेन्ट कंट्रोल एवं इविक्शन एक्ट के प्रावधानों से छूट**

387. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक):** क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वक्फ की जायदाद को रेन्ट कन्ट्रोल एवं एवीक्शन एक्ट 1950 के प्रावधानों से मुक्त किया हुआ है ? यदि हां, तो राज्य में किन-किन धर्मार्थ मन्दिरों एवं ट्रस्टों को यह छूट (मुक्ति) मिली हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में राज्य एवं धर्मार्थ ट्रस्टों को रेन्ट कन्ट्रोल एवं एवीक्शन एक्ट के प्रावधानों से मुक्त करने की घोषणा की गई थी ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त घोषणा की क्रियान्विति नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या अब राजस्थान सरकार राज्य में वक्फ जायदाद की तरह अन्य धर्मार्थ ट्रस्टों एवं मन्दिरों को उपरोक्त एक्ट के प्रावधानों से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक की जावेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

राज्य में निम्न धर्मार्थ मन्दिरों एवं ट्रस्टों के स्वामित्व एवं प्रबन्धाधीन परिसरों को राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा लोक हित में राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम 1950 के उपबन्धों से छूट (मुक्ति) प्रदान की हुई है :—

1. नाथद्वारा टेम्पल बोर्ड द्वारा प्रबन्धित श्री श्रीनाथजी के स्वामित्व में निहित परिसर।
2. मेहता गोविन्दसिंह जी ट्रस्ट, उदयपुर के स्वामित्व के परिसर।
3. श्री मेहता सेक्यूलर ट्रस्ट, जोधपुर।
4. पुष्टिकर एजूकेशन ट्रस्ट, जोधपुर।
5. गुजराती लेउआ पटीदार समाज चेरिटेबल ट्रस्ट, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार (गृह विभाग) राजस्थान परिसर (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) अधिनियम 1950 की धारा 2 की उप धारा (3) के अन्तर्गत लोक हित में आवश्यक समझे जाने पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा अधि-

(देवस्थान मन्त्री)

नियम के समस्त एवं किन्हीं उपबन्धों से धार्मिक या पूर्त संस्थाओं के स्वामित्व में निहित परिसरों को मुक्ति प्रदान कर सकती है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

(4) राज्य सरकार ने राजस्थान परिसर (किराया नियन्त्रण एवं बेदखली) अधिनियम 1950 में संशोधन करने के उद्देश्य से विधि सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मामला अभी विचाराधीन है।

**झालावाड़ जिले में बसों का संचालन**

388. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में किन-किन मार्गों पर किस-किस श्रेणी की बसें कहां से कहां तक चलती हैं? उनकी समय सारणी क्या है, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ से भवानी मंडी, डग से चौमेला मार्ग पर बसों का अभाव होने के कारण जनता को आने जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है? क्या सरकार उक्त मार्गों पर बसें बढ़ाने का विचार रखती है?

**उत्तर**

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

## परिशिष्ट–5

### अतारांकित प्रश्न संख्या 658 की सूची

अग्निकाण्ड दिनांक 27.11.84 ग्राम नारी का बास, तहसील जयपुर

| क. सं. | अग्निपीड़ित परिवार के मुखिया का नाम एवं पिता का नाम व जाति |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | श्रीमती बरजी बेवा काना अहीर |
| 2. | श्री मंगल पुत्र घीसा बलाई |
| 3. | श्री गोपाल पुत्र सूजा बलाई |
| 4. | श्री छीतर पुत्र सूजा बलाई |
| 5. | श्री राम पुत्र नारायण यादव |
| 6. | श्री नारायण पुत्र भीमा अहीर |
| 7. | श्री रूडा पुत्र जगन्नाथ बलाई |
| 8. | श्री नागना पुत्र हर बक्स खाती |
| 9. | श्री रामप्रताप पुत्र रामदेव बलाई |
| 10. | श्री प्रभूदयाल पुत्र नारायण यादव |
| 11. | श्री मांगीलाल पुत्र लच्छू बलाई |
| 12. | श्री शंकरलाल पुत्र गणेश बलाई |
| 13. | श्री काना पुत्र गणेश बलाई |
| 14. | श्री प्रभु पुत्र रामदेव बलाई |
| 15. | श्री रामचन्द्र पुत्र घीसा बलाई |
| 16. | श्री सूज्या पुत्र जोधा बलाई |
| 17. | श्री घीसा पुत्र काना अहीर |
| 18. | श्री रामप्रताप पुत्र सूरजमल नाई |
| 19. | श्री भूरा पुत्र भीमा अहीर |
| 20. | श्री भूरा पुत्र नागना खाती |
| 21. | श्री मदन पुत्र रामनाथ खाती |
| 22. | श्री रामेश्वर पुत्र लादूराम ब्राह्मण |
| 23. | श्रीगोपाल पुत्र नानगा खाती |

259



## परिशिष्ट–6

### अतारांकित प्रश्न संख्या 661 की सूची

बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में सड़क द्वारा जुड़े हुए गांवों (ग्राम पंचायतों) का विवरण :—

| क्र. सं. | गांव का नाम व ग्राम पंचायत | जनसंख्या (1971) | सड़क का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बोहेड़ा | 4838 | डामर |
| 2. | निकुम्भ | 2772 | ,, |
| 3. | बान्सी | 2320 | ,, |
| 4. | खरदेवला | 1398 | ,, |
| 5. | पारसोली | 1111 | ,, |
| 6. | मनुजा | 1105 | ,, |
| 7. | पिन्ड | 1038 | ,, |
| 8. | महुडा | 833 | ,, |
| 9. | पुनावली | 531 | ,, |
| 10. | लक्ष्मीपुरा | 488 | ,, |
| 11. | डूगला | 4036 | ,, |
| 12. | मंगलवाड | 2157 | ,, |
| 13. | चिकारडा | 2136 | ,, |
| 14. | बिलोदा | 1456 | ,, |
| 15. | बडबई | 290 | ,, |
| 16. | मधुरा तालाब | 1965 | ,, |
| 17. | बारावरदा | 1995 | ,, |
| 18. | घमोतर | 119 | ,, |
| 19. | कुलमीपुरा | 865 | ,, |
| 20. | पानमोडी | 1085 | ,, |
| 21. | रठाजना | 1247 | ,, |
| 22. | धडा | 636 | ,, |
| 23. | जरखाणा | 481 | मैटल |
| 24. | मुंजवा | 1167 | ,, |
| 25. | सांगरिया | 1029 | ,, |
| 26. | संगेसरा | 1224 | ,, |
| 27. | इडरा | 969 | ,, |
| 28. | लोठियाना | 720 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 29. | खेरमालिया | 723 | ग्रेवल |
| 30. | किरतपुरा | 299 | " |
| 31. | रतीचन्दजी का खेडा | 222 | " |
| 32. | बनाकिया | 139 | " |
| 33. | केवलपुरा | 370 | " |
| 34. | मोरवान | 1915 | " |
| 35. | नगवाली | 1591 | " |
| 36. | करसाना | 1143 | " |
| 37. | पिराना | 1097 | " |
| 38. | डेलवास | 990 | " |
| 39. | रावतपुरा | 446 | " |
| 40. | अरनेद | 1376 | " |
| 41. | सिद्धपुरा | 962 | " |
| 42. | नारायण खेड़ा | 251 | " |
| 43. | बडवल | 949 | कच्चा |
| 44. | सेमलिया पिलाखेड़ा | 1157 | " |
| 45. | आलोद | 718 | " |
| 46. | नाडाखेडा | 667 | " |
| 47. | पालोदडा | 639 | " |
| 48. | माटोली बागरियान | 553 | " |
| 49. | पालोद | 1584 | " |
| 50. | बरडिया | 977 | " |
| 51. | खोरिया | 752 | " |
| 52. | पिलू | 872 | " |
| 53. | गादोला | 1439 | " |

## परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 663 की सूची

वर्ष 1989–90 तथा 1990–91 में खण्डार विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के पेच रिपेयर का विवरण

| क्र. सं. | सड़क का नाम | लंबाई किमी. में | व्यय (रुपयों में) वर्ष 1989–90 | 1990–91 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ईसरदा-शिवाड़ सड़क किमी. 0/0 से 14/0 तक | 14 | 15900/- | 22825/- |
| 2. | स्टेट हाईवे 29 के किमी. 127 से सूरवाल भगवतगढ़ सड़क किमी. 0/0 से किमी. 16/0 तक | 16 | 57900/- | 102367/- |
| 3. | स्टेट हाइवे नं. 30 के किमी. 55 से-चोथ का बरवाड़ा सड़क किमी. 9/0 से 12/0 तक | 3 | 29000/- | 47000/- |
| 4. | स्टेट हाईवे नं. 29–बूंदी–इन्द्रगढ़–सवाईमाधोपुर सड़क किमी. 9/0 से 108/0 तक किमी. | 18 | 275100/- | 109028/- |
| 5. | स्टेट हाईवे नं. 30 टोंक-सवाईमाधोपुर-शिवपुरी रोड़ किमी. 63/0 से 69/0 एवं 89/0 से 112/0 तक | 29 | 258320/- | 285566/- |
| 6. | स्टेट हाईवे नं. 30 के किमी. 89/200 से टोडरा-फलोदी सड़क किमी. 0/0 से 14/0 तक | 14 | 48100/- | 130916/- |
| 7. | स्टेट हाईवे नं. 30 के किमी. 103/400 से बहरांवडा–खण्डार सड़क किमी. 0/0 से 16/0 तक | 16 | 176600/- | 150744/- |
| 8. | खण्डार–बालेर सड़क किमी. 0/0 से किमी. 19/0 तक | 19 | 275700/- | 147550/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | खण्डार–तलावड़ा सड़क किमी. 0/0 से किमी, 8/0 तक | 8 | 23300/- | 60000/- |
| 10. | बहरावंडा-खण्डार सड़क के किमी. 7/600 से मीई–गण्डावर सड़क किमी. 0/0 से किमी. 7/0 तक | 7 | 23500/- | 67210/- |
| 11. | बहरावण्डा–खण्डार सड़क के किमी. 14/400 से खण्डार–रामेश्वरघाट सड़क किमी. 0/0 से किमी. 10/0 तक | 10 | 34600/- | 60000/- |
| | | 154 | 1218029/- | 1183206/- |

263



परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 666 की सूची

सूची–1

सड़कों का ब्यौरा

**1. टोलों का लौहारिया जावदा नीमडी सड़क—**

भैसरोड गढ़ पंचायत समिति में टोलों का लौहारिया जावदा नीमडी गांव स्थित है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 15 कि. मी. है जिसमें 6 कि. मी. मेटल रोड़ है तथा बाकी हिस्सा ग्रेवल है। 6 कि. मी. मेटल सड़क का भाग ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। इस सड़क के डामरीकरण एवं पुलिया निर्माण में लगभग 51.00 लाख रुपये राशि के खर्च होने की लागत आयेगी।

**2. नन्दवाई चराछ सड़क—**

इस सड़क की लम्बाई 12 कि. मी. है। इस सड़क पर आगलदा अनुपपुरा एवं चराछ गांव जुड़ जाते हैं, जिनकी आबादी 439–374–295 है। वर्तमान में 2 कि. मी. ग्रेवल रोड़ है एवं शेष भाग शुष्क ऋतु में काम लेने योग्य है। इस सड़क पर से 3.00 लाख रुपये की स्वीकृति एम. एन. पी. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा की गई।

इस पर 3.00 लाख की स्वीकृति के अन्तर्गत 0/0 से 1/500 कि.मी. का डामरीकरण प्रस्तावित है एवं गांव आगलदा सड़क से जुड़ जायेगा। इस कार्य के निविदा स्वीकृत हो चुके हैं एवं कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है तथा कार्य माह मार्च 91 में आरम्भ कर दिया जायेगा जिसके वर्ष 91–92 में पूर्ण होने की आशा है। रोड़ 10.50 कि.मी. के डामरीकरण व पुलिया निर्माण के लिए कुल 82 लाख रुपया लागत आयेगी।

**3. नन्दवाई–भैरुघाटी सड़क —**

इस सड़क की कुल लम्बाई 14 कि.मी. है। वर्तमान में कि.मी. 0/0 से 6/0 तक शुष्क ऋतु में काम लेने योग्य है तथा शेष ग्रेवल सड़क विद्यमान है। इस मार्ग के बनने से महेसरा गांव सड़क से जुड़ जायेगा। जिसकी आबादी 462 है। यह सड़क पर पूर्णघाट सेक्शन को गुजरती है। तथा सी. डी. वर्क्स ज्यादा बनेगें। सडक के डामरीकरण हेतु कुल 141.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत आयेगी।

## परिशिष्ट–9

### अतारांकित प्रश्न संख्या 667 की सूची

जिला सवाई माधोपुर 389 पंचायत मुख्यालय हैं उनमें से 186 डामर सड़क से 12 मेटल सडक से एवं 35 ग्रेवल सड़क से जुडे हुए हैं। शेष 156 पंचायत मुख्यालय जो सड़क से नहीं जुडे हुए हैं उनमें से 13 मुख्यालय निम्न प्रकार विभिन्न स्वीकृतियों के तहत नीचे दर्शाये गये अनुसार जोड़ दिये जाने की सम्भावना है :—

| क्र. सं. | स्वीकृत सड़क का नाम | पंचयत मुख्यालय जो जुड जावेंगे | अवधि जिस तक जुडने की सम्भावना है |
|---|---|---|---|
| 1. | सम्पर्क सड़क हुडला | (1) रामगढ<br>(2) हुडला | 31.3.92 |
| 2. | महावीर जी से लिपावली | (1) निसूरा | 31.3.91 |
| 3. | सम्पर्क सड़क लिवाली | (1) लिवाली | 31.3.92 |
| 4. | सम्पर्क सड़क चूली | (1) चूली | 31.3.92 |
| 5. | बाबन बडौदा से नौ गांव | (1) नौ गांव | 31.3.92 |
| 6. | सम्पर्क सड़क खानपुर बडौदा | (1) खानपुर बड़ौदा | 31.3.92 |
| 7. | कोटरी गादोली सड़क | (1) फतेहपुर | 31.3.93 |
| 8. | कैलादेवी लांगरा | (1) बहादुरपुर | 31.3.93 |
| 9. | सम्पर्क सड़क बूकना | (1) बूकना | 31.3.92 |
| 10. | सम्पर्क सड़क जाखोदा | (1) जाखोदा | 31.3.92 |
| 11. | कैलादेवी करणपुर | (1) करणपुर | 31.3.93 |
| 12. | सम्पर्क सड़क रामेश्वर घाट | (1) अनियाला | 31.3.92 |

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष बचे हुए 143 पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के लिये लगभग 2690 लाख रुपये की स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

## परिशिष्ट–10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 668 की सूची

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण सड़कों की सूची :—

**तहसील टोडाभीम**

1. टोडाभीम से पदमपुरा
2. टोडाभीम से बालाजी
3. टोडाभीम से गाजीपुर
4. टोडाभीम से जैसनी
5. टोडाभीम से पाडला
6. पाटोली से करीरी

**तहसील नादोती**

7. गंगापुर नादोती गुढाचन्द्रजी सिकन्दरा अलवर रोड़ (स्टेट हाईवे नं. 25).
8. नादोती श्री महावीर जी रोड़
9. पहुंच सड़क केमरी
10. पहुंच सड़क राजाहेडा
11. पहुंच सड़क चैनपुरा मीनापट्टी
12. पहुच सड़क ढहरिया
13. नादोती भांडारेज सड़क
14. पहुंच सड़क महस्वा

टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों की सूची :—

**तहसील टोडाभीम**

1. मूडिया से धीलेटा
2. जैसनी से नांगल
3. पहुंच सड़क साकरवाड़ा
4. जैसनी से माचडी
5. पहुंच सड़क नांद खुर्द
6. पहुंच सड़क राजौर
7. पहुंच सड़क खेडी
8. पहुंच सड़क उर्दन
9. पहुंच सड़क अंदरूनी भण्डारी
10. पहुंच सड़क अजीजपुर
11. पहुंच सड़क पहाड़ी
12. पहुंच सड़क शेखपुरा
13. पहुंच सड़क महस्वा
14. पहुंच सड़क राजोली
15. पहुंच सड़क गांवडी
16. पहुंच सड़क झाडीसा
17. पहुंच सड़क मातासूला
18. पहुंच सड़क खिरकिड़ी
19. पहुंच सड़क शेराखर
20. पहुंच सड़क सुजानपुरा
21. पहुंच सड़क दांतली
22. पहुंच सड़क पाडला से खालसा (कार्य प्रगति पर है)

**तहसील नादोती**

23. गुढाचन्दजी लालसर गढमोरा सलावद नादोती सड़क
24. पहुंच सड़क सोप कूंजेला केमला तक
25. पहुंच सड़क रोंसी
26. पहुंच सड़क लहावद
27. पहुंच सड़क मीलापाड़ा

28. पहुंच सड़क राजपुरा
29. पहुंच सड़क रामपुरा
30. पहुंच सड़क बरदाला
31. पहुंच सड़क जीतकीपुर-दलपुरा
32. पहुंच सड़क तेसगांव
33. पहुंच सड़क गढखेडा वाया बागोर

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कों का विवरण

**तहसील टोडाभीम**

1. पहुंच सड़क बोंल
2. पहुंच सड़क खड़ी
3. पहुंच सड़क ऊरदैन
4. पहुंच सड़क राजोर
5. पहुंच सड़क नांद खुर्द
6. पहुंच सड़क सांकरवाड़
7. पहुंच सड़क ढंड
8. पहुंच जैसिनी से माचडी

**तहसील नादोती**

9. पहुंच सड़क सोप कुन्जेला केमला सड़क
10. पहुंच सड़क भीलापाड़ा
11. पहुंच सड़क गढखेडा वाया बागोर
12. पहुंच सड़क लहावद
13. पहुंच सड़क राजपुर
14. पहुंच सड़क रामपुरा
15. पहुंच सडक रोंसी
16. पहुंच सड़क कुन्जेला
17. पहुंच सड़क तेसगांव
18. पहुंच सड़क जीतकीपुरा

## परिशिष्ट 11

### अतारांकित प्रश्न संख्या 670 की सूची

कोटा ज़िले में वर्ष 1989--90 में स्वीकृत सड़कों की सूची

| क्र. सं. | सड़क का नाम | स्वीकृति संख्या | स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | छबड़ा धरनावदा राज्य सीमा तक सड़क निर्माण कार्य (27 किमी.) | एफ--8 (7) पी. डब्ल्यू./डी-333 दि. 15-6-89 | 95.00 |
| 2. | कस्बाथाना अांगर सड़क का निर्माण कार्य (12 किमी.) | ,, | 30.00 |
| 3. | भंवरगढ़ से नाहरगढ़ सड़क का निर्माण कार्य (288 किमी.) | ,, | 50.00 |
| 4. | एप्रोच रोड़ पटना वाया मूंडला | एफ-2 (3) पी. डब्ल्यू. /ए. एस./ 89/दि. 2-9-80 | 8. 00 |
| 5. | अन्ता सांगोद सड़क पर बालदड़ा सड़क का निर्माण कार्य (3 किमी.) | ,, | 6. 00 |
| 6. | एप्रोच रोड़ पाटूणदा का निर्माण कार्य (1. 5 किमी.) | ,, | 3. 00 |
| 7. | मांगरोल से बम्बोरी कलां गांव तक सड़क निर्माण | एफ-2(37) पी. डब्ल्यू/एएस/89 दि. 22-1-90 | 5. 00 |
| 8. | पिलोद गांव से रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण | ,, | 2. 00 |
| 9. | सुन्दलक रेल्वे स्टेशन से ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य | प्रशा./जे आर वाई/89-90/1571-78 दि. 2-6-89 | 3. 05 |
| 10. | सम्पर्क सड़क बरवढ़ खेडी का निर्माण कार्य | ,, | 1. 70 |
| 11. | निर्माण कार्य ढाबादेह से रामगंज-मंडी वाया निमाना | एफ-[illegible](3) सानि/एएस/89 दिनांक 8-9-89 | 10. 00 |
| 12. | निर्माण कार्य चेचट से इकलिंगपुरा | ,, | 9. 00 |
| 13. | निर्माण कार्य बनियानी से आवां-सड़क पर डामरी करण | ,, | 8. 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | निर्माण कार्य मानसगांव के पास आलनिया नदी पर पुल की सम्पर्क सड़क | एफ- (3) सानि/ए एस/89 दि. 8-9-89 | 5. 00 |
| 15. | निर्माण कार्य केथून समांगोद मार्ग खजूरी गांव की सम्पर्क सड़क | प–12(37) सानि/एएस/89/ दि. 22-1-91 | 3. 00 |
| 16. | निर्माणकार्य सांगोद तहसील दीगोद गांव पंचायत मुख्यालय की सम्पर्क सड़क | ,, | 3. 00 |
| 17. | सम्पर्क सड़क बडगांव किमी. 0/0 से 2/0 | प्रशा/जे आर वाई/80-90/1223-40 दि. 9-6-89 | 1. 00 |
| 18. | सम्पर्क सड़क बड़गांव किमी. 2/0 से 5/0 | ,, | 1. 97 |

269



## परिशिष्ट—12

### अतारांकित प्रश्न संख्या 678 की सूची

नियम 47 (1) (ए) के अन्तर्गत बीयर के थोक अनुज्ञाधारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम अनुज्ञाधारी | स्थान (बोण्डेडवेयरहाउस) |
|---|---|---|
| 1. | मै. इण्डोलोवेम्ब्रो ब्रेवरीज लि. हरियाणा | जयपुर |
| 2. | मै. माऊन्ट शिवालिक बेवरीज लि. नई दिल्ली | जोधपुर |
| 3. | मै.मैसोर ब्रेवरीज, लि. बैंगलोर | जयपुर |
| 4. | मै. दिवानस मोर्डन ब्रेवरीज, जम्मू | जयपुर |
| 5. | मै. मोहन गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लि. लखनऊ | जयपुर |
| 6. | मै. खोड़े ब्रिविंग एण्ड डिस्टलिंग इण्डस्ट्रीज लि. बैंगलोर | जयपुर |
| 7. | मै. माऊन्ट शिवालिक ब्रेवरीज लि. नई दिल्ली | जयपुर |
| 8. | मै. हिन्दुस्तान ब्रेवरीज एण्ड बोटलिंग लि. बोम्बे | जोधपुर |
| 9. | मै. हरियाणा ब्रेवरीज लि. हरियाणा | जयपुर |
| 10. | मै. पंजाब ब्रेवरीज लि. लुधियाना (पंजाब) | जयपुर |
| 11. | मै. एम. पी. बीयर प्रोडक्ट्स, इन्दौर | जयपुर |

नियम 47 (1) (बी) के अन्तर्गत बीयर के थोक अनुज्ञाधारियों की सूची

| क्र. सं. | नाम अनुज्ञाधारी | स्थान |
|---|---|---|
| 1. | श्री सुनिलकुमार मुरलीधर एण्ड पार्टी जोधपुर | जोधपुर |
| 2. | श्री सरदारसिंह मनोहरलाल एण्ड पार्टी उदयपुर | उदयपुर |
| 3. | श्री रमेशचन्द्र एण्ड पार्टी चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ |
| 4. | श्री जयमलराम कस्तुरीलाल एण्ड पार्टी श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर |
| 5. | ,, | हनुमानगढ़ |
| 6. | ,, | अनुपगढ़ |
| 7. | श्री दिनेशकुमार एण्ड पार्टी जालोर | जालोर |
| 8. | श्री उषा एम. नाडोला कमलादेवी एण्ड पार्टी | आसोतरा (बाडमेर) |
| 9. | श्री पवनकुमार एण्ड पार्टी सिरोही | सिरोही |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | श्री गुरुबचनसिंह एण्ड पार्टी | ब्यावर |
| 11. | श्री त्रिलोकचन्द्र एण्ड पार्टी | भीलवाड़ा |
| 12. | श्री श्यामपारवानी एण्ड पार्टी | अजमेर |
| 13. | श्री जसबीरसिंह एण्ड पार्टी | सवाईमाधोपुर |
| 14. | श्री कृष्णलाल एण्ड राजाराम एण्ड पार्टी | जयपुर शहर |
| 15. | श्री जसबीरसिंह एण्ड पार्टी | दौसा |
| 16. | श्री अजयकुमार एण्ड पार्टी | भरतपुर |
| 17. | श्री बाबुलाल एण्ड पार्टी | अलवर |
| 18. | श्री फेजुखा एण्ड पार्टी | झुंझुनू |
| 19. | श्री कुलदीप अशोक कुमार एण्ड पार्टी | सीकर |
| 20. | श्री ओमप्रकाश एण्ड पार्टी | कोटा |
| 21. | श्री मौलूखां एण्ड पार्टी | बीकानेर |
| 22. | श्री निदेशक, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. जयपुर | जयपुर |

बीयर खुदरा दुकानात की सूची

| क्र. सं. | नाम आबकारी जिला | मुख्य दुकान | उपदुकान | क्र. स. | नाम आबकारी जिला | मुख्य दुकान | उपदुकान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उदयपुर | 32 | 10 | 10. | सवाईमाधोपुर | 20 | 5 |
| 2. | उदयपुर मुख्यालय | — | — | 11. | कोटा | 39 | 4 |
| 3. | चित्तौड़गढ़ | 11 | 3 | 12. | गंगानगर | 55 | 6 |
| 4. | भीलवाड़ा | 11 | 2 | 13. | बीकानेर | 41 | 6 |
| 5. | अजमेर | 33 | 3 | 14. | जोधपुर | 47 | 8 |
| 6. | जयपुर नगर | 98 | 11 | 15. | जालौर | 24 | 5 |
| 7. | जयपुर ग्रामीण | 25 | 4 | | | | |
| 8. | अलवर | 11 | 6 | | योग :– | 465 | 79 |
| 9. | भरतपुर | 18 | 6 | | | | |

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को स्वीकृत बीयर खुदरा दुकानात की सूची

| क्र. सं. | नाम दुकान | क्र. सं. | नाम दुकान |
|---|---|---|---|
| 1. | तीज जयपुर | 24. | शोपिंग सेन्टर कोटा |
| 2. | चांदी की टकसाल जयपुर | 25. | कजरी उदयपुर |
| 3. | घाट गेट जयपुर | 26. | सूरजपोल उदयपुर |
| 4. | रेल्वे स्टेशन जयपुर | 27. | लेक्पेलेस रोड़ उदयपुर |
| 5 | राजापार्क जयपुर | 28. | अलवर नम्बर 1 |
| 6. | सोडाला जयपुर | 29. | अलवर नम्बर 2 |
| 7. | झोटवाड़ा जयपुर | 30. | ढोलामारू बीकानेर |
| 8. | इन्द्रा बाजार जयपुर | 31. | राणीबाजार बीकानेर |
| 9. | चांदपोल जयपुर | 32. | जसूसर गेट बीकानेर |
| 10. | ट्यूरिस्ट होटल जयपुर | 33. | चित्तौड़गढ़ |
| 11. | ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर | 34. | भीलवाड़ा |
| 12. | बरफखाना जयपुर | 35. | फुरजन निवास माउन्ट आबू |
| 13. | लालकोठी जयपुर | 36. | आबूरोड़ |
| 14. | स्टेशन रोड़ अजमेर | 37. | सीकर माउन्ट आबू |
| 15. | सरदार पटेल मार्ग अजमेर | 38. | जैसलमेर |
| 16. | कवनदासपुर अजमेर | 39. | भरतपुर |
| 17. | देहलीगेट अजमेर | 40. | सवाई माधोपुर |
| 18. | घुमर जोधपुर | 41. | रतनगढ़ |
| 19. | रातानाडा जोधपुर | 42. | बिछीवाड़ा |
| 20. | शास्त्री सर्कल जोधपुर | 43. | ब्यावर |
| 21. | रावत रोड जोधपुर | 44. | बहरोड़ |
| 22. | नयापुरा कोटा | 45. | पोकरण |
| 23. | गुमानपुरा कोटा | 46. | महुआ |

## परिशिष्ट—13

### अतारांकित प्रश्न संख्या 685 की सूची

| क्र. सं. | दुकान नं. | दुकान जिसको आवटित की गई | स्थान | दुकान आवंटन का दिनांक | व्यवसाय स्थल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 291 | मै. अम्बाबाड़ी सहकारी उपभोक्ता भण्डार। | सैक्टर नं. 214–ए. | 26-3-83 | प्लाट नं. सी–82, अम्बाबाडी। |
| | 292 | श्री संतोष कुमार विजय पुत्र श्री भगवानसहाय। | सैक्टर नं. 214–ए. चौमू रोड़ का पश्चिमी हिस्सा। | 26-3-83 | प्लाट नं. ई–147, अम्बाबाडी। |

नोट : दुकान नं. 292 को दुकान से सम्बन्ध कर रखी है।

## परिशिष्ट "ख"

| क्र. सं. | केस नम्बर | निरीक्षण दिनांक | नाम निरीक्षक | व्यक्ति/फर्म जिसके विरुद्ध अभियोग बना। | अनियमितता का विवरण | किस आदेश का उल्लघंन | जप्त सिक्योरिटी | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 47/84 | 23-12-83 | श्री पवन कुमार, प्र. नि. | अम्बाबाड़ी सह. उप. भण्डार, जयपुर। | अनुज्ञापत्र पेश नहीं रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया। | राज. खाद्यान्न आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1976. | 50/–20-4-85 रसीद नं. 356/14/24 दि. 8-8-86 द्वारा 50/– जमा। | |
| 2. | 208/84 | 12-1-84 | श्री लालचन्द सोनी प्र. नि. | ,, ,, ,, | स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर प्रमाणित नहीं, रिटर्न नहीं भेजी मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन नहीं किया गया। | ,, ,,, ,, | 50/–20-4-85 रसीद नं. 35914/21 दि. 8-8-86 द्वारा 50/–जमा। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 363/88 | 6-10-88 | श्री सीताराम वर्मा प्र. नि. | एफ. पी. एस. नं. 292, अम्बाबाडी, जयपुर। | रिकार्ड अपूर्ण। | „ „ „ | — | वास्ते व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दि. 14-3-91 |
| 4. | 325/89 | 27-4-89 | श्री पवन कुमार, प्र. नि. क्षेत्र नं. 4 जयपुर। | मैं. अम्बाबाड़ी सह. उप. भण्डार, एफ. पी. एस. नं. 291 व 292. | दुकान बन्द। | „ „ „ 50/- | 19-8-89, रसीद नं. 307734/04 दि. 19-8-89 द्वारा 50/-जमा। | |

## परिशिष्ट–14

**अतारांकित प्रश्न संख्या 689 की सूची**

वर्ष 1990-1991

(मात्रा मी. टनों में)

| क्र. सं. | नाम जिला | गेहूं | चांवल | लेवी चीनी | खाद्य तेल | केरोसीन (कि. लीटर में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 101200 | 5800 | 8563.2 | 700 | 20643 |
| 2. | अलवर | 8450 | 600 | 10570 | 280 | 13020 |
| 3. | बाड़मेर | 66000 | 800 | 7008.4 | 270 | 7410 |
| 4. | बून्दी | 5950 | 360 | 3543 | 200 | 6600 |
| 5. | बांसवाड़ा | 19500 | 6950 | 5425 | 255 | 6730 |
| 6. | भरतपुर | 8754.9 | 150 | 7786 | 290 | 10202 |
| 7. | भीलवाड़ा | 24700 | 240 | 7725 | 295 | 10600 |
| 8. | बीकानेर | 029000 | 240 | 5372 | 645 | 12156 |
| 9. | चुरू | 450000 | 480 | 7208 | 275 | 10606 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 9500 | 600 | 7454 | 290 | 9962 |
| 11. | डूंगरपुर | 43300 | 6030 | 4109 | 280 | 5330 |
| 12. | श्रीगंगानगर | 9500 | 240 | 12953 | 345 | 19214 |
| 13. | जयपुर | 51000 | 4060 | 21047.5 | 1230 | 52552 |
| 14. | जोधपुर | 79850 | 600 | 10530 | 745 | 22640 |
| 15. | जैसलपुर | 20500 | 360 | 1667.1 | 225 | 1990 |
| 16. | जालौर | 47354.9 | 360 | 5511 | 265 | 8514 |
| 17. | झालावाड़ | 11000 | 120 | 4699 | 235 | 6593 |
| 18. | झुन्झुनू | 18100 | 240 | 7344 | 260 | 8180 |
| 19. | कोटा | 8450 | 570 | 9570 | 670 | 22665 |
| 20. | नागौर | 20362 | 240 | 9842.4 | 385 | 11450 |
| 21. | पाली | 65209.8 | 240 | 7712 | 330 | 13540 |
| 22. | सीकर | 21000 | 820 | 8340 | 290 | 11820 |
| 23. | सवाईमाधोपुर | 7800 | 280 | 9214 | 315 | 10899 |
| 24. | सिरोही | 41500 | 240 | 3234 | 260 | 6594 |
| 25. | टौंक | 27300 | 360 | 4687 | 220 | 5120 |
| 26. | उदयपुर | 78500 | 7300 | 14158 | 895 | 20720 |
| 27. | धौलपुर | 4800 | 120 | 3506 | 225 | 4657 |

| क. सं. | नाम जिला | सहकारी दुकानें | प्राईवेट दुकानें | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अजमेर | 192 | 455 | 647 |
| 2. | अलवर | 311 | 370 | 681 |
| 3. | बाडमेर | 244 | 258 | 502 |
| 4. | बांसवाड़ा | 148 | 270 | 418 |
| 5. | भरतपुर | 198 | 421 | 619 |
| 6. | भीलवाड़ा | 342 | 208 | 550 |
| 7. | बीकानेर | 175 | 291 | 466 |
| 8. | बून्दी | 103 | 119 | 222 |
| 9. | चित्तोड़गढ़ | 203 | 300 | 503 |
| 10. | चूरू | 190 | 340 | 530 |
| 11. | धौलपुर | 70 | 154 | 224 |
| 12 | डूंगरपुर | 110 | 279 | 389 |
| 13. | गंगानगर | 404 | 311 | 805 |
| 14. | जयपुर | 465 | 1115 | 1580 |
| 15. | जैसलमेर | 66 | 122 | 178 |
| 16. | जालौर | 135 | 213 | 348 |
| 17. | झालावाड | 121 | 178 | 299 |
| 18. | झुन्झूनू | 137 | 223 | 360 |
| 19. | जोधपुर | 416 | 284 | 700 |
| 20. | कोटा | 210 | 407 | 617 |
| 21. | नागौर | 273 | 308 | 581 |
| 22. | पाली | 260 | 398 | 558 |
| 23. | सवाईमाधोपुर | 251 | 355 | 606 |
| 24. | सीकर | 271 | 314 | 585 |
| 25. | सिरोही | 102 | 133 | 235 |
| 26. | टौंक | 166 | 178 | 344 |
| 27. | उदयपुर | 426 | 740 | 1175 |
| | योग | 6070 | 8643 | 14722 |

(275)



## परिशिष्ट—15

### अतारांकित प्रश्न संख्या 690 की सूची

| क्र. सं. | नाम डीलर | गांव का नाम | प्राधिकार संख्या |
|---|---|---|---|
| | **तहसील– प्रतापगढ़ :–** | | |
| 1. | श्री लक्ष्मीलाल महावीर कुमार | वार्ड नं. 1 | 25/77 |
| 2. | ,, ललित कुमार शान्तीलाल | ,, 2 | 27/77 |
| 3. | ,, मांगीलाल माण्डावत | ,, 3 | 39/80 |
| 4. | ,, डाडमचन्द मेघराज | ,, 4 | 29/77 |
| 5. | ,, कैलाशचन्द्र माहेश्वरी | ,, 5 | 92/83 |
| 6. | ,, रमेशचन्द मोहन लाल | ,, 6 | 41/80 |
| 7. | ,, समरथ मल रतनलाल | ,, 7 | 55/81 |
| 8. | ,, कमल कुमार चान्दमल | ,, 8 | 59/82 |
| 9. | ,, कान्ती लाल मगन लाल | ,, 9 | 37/80 |
| 10. | ,, मती शकुन्तला सोमानी | ,, 10 | 266/87 |
| 11. | ,, मोहन लाल पूनमचन्द | ,, 11 | 30/77 |
| 12. | ,, कान्तीलाल सज्जन लाल | ,, 12 | 28/77 |
| 13. | ,, सेवन्ती लाल मांगी लाल | ,, 13 | 26/77 |
| 14. | ,, चान्दमल किशन लाल | ,, 14 | 42/80 |
| 15. | ,, नरेन्द्र कुमार चौपड | ,, 15 | 241/86 |
| 16. | ,, नेमीचन्द धनपावा गांधी | ,, 16 | 40/80 |
| 17. | ,, भंवरलाल टांक | मथुरा तालाब | 2/90 |
| 18. | ,, गणपतलाल सुथार | बारावरदा | 223/86 |
| 19. | ,, रिखबचन्द मीणा | तलाया | 269/88 |
| 20. | ,, भागचन्द खटीक | जाखम | 268/87 |
| 21. | ,, महालक्ष्मी क्रय विक्रय सह स. | धमोतर | 252/88 |
| 22. | ,, लैम्प कुलमीपुरा | बावड़ी खेड़ा | 3/90 |
| 23. | ,, ,, | कुलमीपुरा | 15/77 |
| 24. | ,, ,, | नकौर | 385/88 |
| 25. | ,, केशरसिंह राजपूत | चिकलाड | 225/86 |
| 26. | ,, महेन्द्र सिंह | ग्यासपुर | 226/86 |
| 27. | ,, कचरू मीणा | देवगढ़ | 246/86 |

(276)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 28. | श्री केशरी मल मीणा | पण्डावा 1/2 | 356/88 |
| 29. | ,, रूपलाल मीणा | बड़ीग्रम्बेरी | 350/88 |
| 30. | ,, पनवलराम मीणा | रामपुरिया | 219/85 |
| 31. | ,, लैम्प अचलपुर | अचलपुर | 375/88 |
| 32. | ,, पृथ्वीराज मीणा | पांचईमली | 409/88 |
| 33. | ,, लैम्प सिद्धपुरा | सिद्धपुरा | 43/80 |
| 34. | ,, लैम्प पानमोडी | पानमोडी | 23/77 |
| 35. | ,, लक्ष्मण लाल | सेमलापुर | 368/88 |
| 36. | ,, भैरूलाल मीणा | नारायणखेड़ा | 366/88 |
| 37. | ,, आशाराम मीणा | खजनखेड़ा | 364/88 |
| 38. | ,, विमलकुमार जैन | खोरिया | 367/88 |
| 39. | ,, भैरूलाल मीणा | वरडिया | 255/86 |
| 40. | ,, नारायण लाल कुमावत | रठांजना | 9/90 |
| 41. | ,, लैम्प पीलू | पीलू | 34/77 |
| 42. | ,, कमलकुमार | गादोला | 377/88 |
| 43. | ,, नन्दकिशोर तेली | अमलावद | 258/83 |
| 44. | ,, किशनलाल दर्जी | डाबड़ा | 45/80 |
| 45. | ,, लेम्प सेलारपुरा | कुनी | 14/79 |
| 46. | ,, ,, | बसेरी | ,, |
| 47. | ,, लेम्प असावता | असावता | 21/79 |
| 48. | ,, कन्हैया लाल दर्जी | अवलेश्वर | 287/87 |
| 49. | ,, शंकरलाल टांक | झांसडी | 223/78 |
| 50. | ,, बहादुर सिंह | बसाड | 317/87 |
| 51. | ,, मोहनलाल दोषी | मनोहरगढ़ | 237/85 |
| 52. | ,, लेम्प सुहागपुरा | सुहागपुरा | 242/86 |
| 53. | ,, दिलीपकुमार चान्दमल | वीरपुर (सुहागपुरा) | 315/87 |
| 54. | ,, दिनेश कुमार | खैरोट | 231/86 |
| 55. | ,, लेम्प, कुलथाना | कुलथाना | 23/79 |
| 56. | ,, ,, | गंधेर | ,, |
| 57. | ,, लेम्प कल्याणपुरा | घोटारसी | 15/77 |
| 58. | ,, केशर सिंह अस्थाई | जोलर | 225/86 |
| 59. | ,, महेन्द्र सिंह ,, | मोगिया अम्बापाल | 226/86 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 60. | श्री केशरीमल मीना | अस्थाई | मण्डावा 1/2 | 256/88 |
| 61. | ,, नरेन्द्र कुमार चीपड | ,, | दौतई | 241/86 |
| 62. | ,, लेम्प सिद्धपुरा | ,, | मुवासियो | 43/80 |
| 63. | ,, कमल कुमार | ,, | थडा | 377/88 |
| 64. | ,, नारायण लाल कुमावत | ,, | रठाजना | 9/90 |
| 65. | ,, कन्हैयालाल किशनलाल | ,, | बरमण्डल | 287/87 |
| 66. | ,, दिलीपकुमार | ,, | बगडावद | 315/87 |
| 67. | ,, निदेश कुमार | ,, | कचौटिया | 231/86 |

**तहसील—अरनोद :—**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | लेम्प अरनौद | अरनौद | 3/79 |
| 2. | श्री भैरूलाल ओमप्रकाश | ,, | 56/81 |
| 3. | लेम्प अरनौद | अचलावदा | 398/88 |
| 4. | लेम्प सांखथली खुर्द | गौतमेश्वर (लालगढ़) | 256/86 |
| 5. | ,, ,, | सांखथली खुर्द | 253/88 |
| 6. | श्री भगवान लाल डांगी | ,, | 58/82 |
| 7. | ,, रंगलाल मीणा | बड़वास | 87/82 |
| 8. | ,, तोलाराम मीणा | सातसहेलिया | 6/90 |
| 9. | ,, मांगी लाल मीणा | बोरी | 414/89 |
| 10. | ,, लक्ष्मीनारायण चौधरी | रायपुर | 153/84 |
| 11. | ,, लेम्प दलोट | ,, | 13/79 |
| 12. | लेम्प सालमगढ़ | सालमगढ़ | 46/80 |
| 13. | श्री जसवन्त सिंह | ,, | 296/87 |
| 14. | लेम्प बड़ी साखथली | अम्बीरामा | 217/85 |
| 15. | ,, ,, | बड़ीसाथली | ,, |
| 16. | श्री अभयकुमार जैन | निनौर | 250/86 |
| 17. | लेम्प दलोट | बोरदिया | 13/79 |
| 18. | लेम्प दलोट | दलौट | 13/79 |
| 19. | श्री मानसिंह जैन | ,, | 232/86 |
| 20. | ,, उमराव सिंह जैन | ,, | 98/83 |
| 21. | ,, रामचन्द मीणा | मचुण्डला | 1/91 |
| 22. | लेम्प बरखेड़ी | बरखेड़ी | 14/77 |

(278)



| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | श्री जगदीश चन्द्र आंजना | | चकुण्डा | 264/81 |
| 24. | लेम्प कोटडी | | कोटडी | 7/77 |
| 25. | श्री भगवान लाल | | मोवई | 3/77 |
| 26. | लेम्प मोहेडा | | मोहेडा | 53/83 |
| 27. | लेम्प चूपना | | चूपना | 11/77 |
| 28. | लेम्प साखथली खुर्द | | नौगांवा | 192/85 |
| 29. | श्री मांगीलाल डागी | | फरेरी | 243/86 |
| 30. | ,, पूंगा मीणा | | जांजली | 234/86 |
| 31. | ,, अमृतराम मीणा | | कोदीनेरा | 411/89 |
| 32. | लेम्प नागदेडा | | नागदेडा | 4/79 |
| 33. | ,, ,, | अस्थाई | चाचाखेड़ी | ,, |
| 34. | लेम्प मोहेडा | ,, | फतहगढ़ | 53/83 |
| 35. | ,, ,, | ,, | हिंगलाट | ,, |
| 36. | श्री लक्ष्मीनारायण | ,, | उठेल | 153/84 |
| 37. | ,, ,, | ,, | ,, बासलाई | ,, |
| 38. | लेम्प सातामगढ़ | ,, | चिकली | 46/80 |

(279)



## परिशिष्ट-16

### अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर (संवत 2043) के अकाल राहत कार्यों का विवरण :—

| क्र. सं. | नाम कार्य | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | पेयजल टांके | 21 |
| 2. | आंगन बाड़ी | 12 |
| 3. | पशु चिकित्सालय | 2 |
| 4. | साण्ड घर | 7 |
| 5. | पटवार घर | 6 |
| 6. | शाला भवन | 28 |
| 7. | नाला निर्माण | 2 |
| 8. | एसीएम कोर्ट | 1 |
| 9. | पक्षकार विश्राम घर | 1 |
| 10. | उप स्वास्थ्य केन्द्र | 2 |
| 11. | पंचायत घर | 2 |
| 12. | आई. आर. भवन | 1 |
| 13. | गृह निर्माण | 108 |
| | कुल योग | 193 |

कार्यालय पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर (संवत 2044) के अकाल राहत कार्यों का विवरण :—

| क्र. सं. | नाम कार्य | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | चार दिवारी | 70 |
| 2. | तालाब | 8 |
| 3. | शाला भवन | 7 |
| 4. | पटवार घर | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | साण्ड घर | 4 |
| 6. | चिकित्सालय | 1 |
| 7. | पंचायत घर | 1 |
| 8. | सार्वजनिक कूप | 3 |
| 9. | पेयजल टांका | 1 |
| 10. | अन्य कार्य | 4 |
| 11. | कृषि कूण्ड | 59 |
| 12. | गृह निर्माण | 246 |
| 13. | निजी टांके | 334 |
| | कुल योग | 739 |

## परिशिष्ट–17

### अतारांकित प्रश्न संख्या 704 की सूची

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा/छोटी सादड़ी के चिकित्सा केन्द्रों की सूची

| क्र. सं. | संस्थानों का नाम | निम्बाहेड़ा | छोटी सादड़ी |
|---|---|---|---|
| 1. | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र | निम्बाहेड़ा | छोटी सादड़ी |
| 2. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 1. कनेरा | 1. बम्बोरी |
| | | 2. अरनोदा | |
| | | 3. बिनोता | |
| | | 4. मण्डलाचरण | |
| | | 5. केली | |
| 2. | उच्चीकृत उप केन्द्र | 1. बिनोता | 1. कखण्डा |
| | | 2. बागरेड़ा | 2. केसून्दा |
| | | 3. गादोली | |
| | | 4. बडोलीमाधोसिंह | |
| 4. | उपकेन्द्र | 1. बाडी | 1. साटोला |
| | | 2. चरलिया | 2. नाराणी |
| | | 3. मैलाना | 3. अम्बावली |
| | | 4. लाडावन | 4. गणेशपुरा |
| | | 5. मांगरोल | 5. सूबी |
| | | 6. रानीखेडा | 6. बरखेडा |
| | | 7. बागरेडाघाट | 7. धोलापानी |
| | | 8. उत्प्रेलिया | 8. सेमरथली |
| | | 9. सतखनबा | 9. जालोदाजागीर |
| | | 10. अरनियाजोशी | 10. स्वरूपगंज |
| | | 11. कोटडीकला | 11. कैंरज |
| | | 12. मीनाणा | 12. पीथलबडीकला |
| | | 13. जावदी | |
| | | 14. फलवा | |
| | | 15. भगवानपुरा | |

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा/छोटी सादड़ी में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की स्थिति

**विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा :—**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रा. स्वा. केन्द्र अरनोदा | 1. च. श्रे. कर्मचारी (हरिजन) | 1 |
| 2. | ,, बिनोता | 1. स्वा. निरीक्षक | 1 |
| 3. | ,, मण्डलाचारण | 1. सी. ए. एस. | 1 |
| | | 2. वरिष्ठ लिपिक | 1 |
| | | 3. लेब. टेक्नीशियन | 1 |
| | | 4. स्वा. निरीक्षक | 1 |
| 4. | ,, केली | 1. सी. ए. एस. | 1 |
| | | 2. वरिष्ठ लिपिक | 1 |
| | | 3. लेब टेक्नीशियन | 1 |
| 5. | उपकेन्द्र, बिनोता | 1. प्रसाविका | 1 |
| 6. | उप केन्द्र, बांगरेड़ा | 1. प्रसाविका | 1 |
| 7. | सामु. स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बाहेड़ा | 1. क. विशेषज्ञ | 1 |

**विधान सभा क्षेत्र छोटी सादड़ी**

| क्र. सं. | संस्था का नाम | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सामुदायिक स्वा. केन्द्र छोटीसादड़ी | 1. क. वि. | 2 |
| | | 2. सी. ए. एस. | 2 |
| | | 3. नर्सश्रेणी 2 | 2 |
| | | 4. स्टाफनर्स | 2 |
| | | 5. वरिष्ठ लिपिक | 1 |
| | | 6. कनिष्ठ लिपिक | 1 |
| | | 7. सहा. रेडियोग्राफर | 1 |
| | | 8. लेब. टेक्नीशियन | 1 |

(283)



## परिशिष्ट–18

### अतारांकित प्रश्न संख्या 710 की सूची

नागौर जिले के समस्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूची

| नाम संस्थान (चिकित्सालय) 1 | पद का नाम 2 | रिक्त पदों की संख्या 3 | कब से रिक्त हैं। 4 |
|---|---|---|---|
| 1. राज. चि. नागौर | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथो) | 1 | 14-7-90 |
| | 2. उप नियंत्रक | 1 | 8-7-90 |
| | 3. चिकित्सा अधिकारी | 11 | 1 पद 8/90 से तथा 10 पद 1-12-90 नव सृजन से |
| 2. क्षय निवारण केन्द्र नागौर। | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ | 1 | 2-9-89 |
| | 2. वरिष्ठ चिकित्साधिकारी | 1 | 12-2-91 |
| 3. राज. चिकित्सालय, मेडतासिटी | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) | 1 | 1-12-90 से |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ(गायनी) | 1 | 4/90 से |
| | 3. चिकित्साधिकारी (दन्त) | 1 | 1-12-90 से |
| 4. राज. चिकि. लाडनू | 1. कनिष्ठविशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 12/90 से |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) | 1 | ,, |
| | 3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) | 1 | ,, |
| | 4. कनिष्ठ चिकित्साधिकारी | 1 | 9/90 से |
| | 5. चिकित्सा अधिकारी (दन्त) | 2 | 1 पद 7-2-91<br>1 पद 6/90 से |
| 5. राज. चिकि. डीडवाना | 1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) | 1 | 17-8-90 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 9/88 से |
| | 3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) | 1 | ,, |
| | 4. कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) | 1 | ,, |
| | 5. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) | 1 | ,, |
| | 6. उप नियन्त्रक | 1 | 7-5-89 |
| 6. राज चिकि. परबतसर | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) | 1 | 8-7-88 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) | 1 | ,, |
| | 3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) | 1 | ,, |
| 7. राज. चिकि. मकराना | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) | 1 | 4/89 से |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) | 1 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. राज. चिकि. कुचामन-सिटी | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) | 1 | 3-11-90 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | ,, |
| | 3. चिकित्साधिकारी | 3 | ,, |
| 9. राज. चिकि. नावा | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 10/90 से |
| 10. राज. चिकि. मुण्डवा | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 28-12-90 |
| 11. राज. चिकि. कुचेरा | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 11-4-89 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) | 1 | ,, |
| 12. राज. चिकि. जायल | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) | 1 | 11-4-89 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | ,, |
| 13. प्रा. स्वा. के. रियागडी | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 24-1-90 |
| | 2. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 16-2-91 |
| 14. प्रा. स्वा. के. मोलासर | 1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) | 1 | 24-1-90 |
| | 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) | 1 | ,, |
| | 3. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 2/91 |
| 15. मीनी प्रा. स्वा. के. मीठडी (ला) | 1. चिकित्सा अधिकारी (महीला) | 1 | 15-12-89 |
| 16. ,, ,, पीपलाद | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 15-2-91 |
| 17. ,, ,, जावला | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 7-2-91 |
| 18. ,, ,, गुढासाल्ट | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 15-11-90 |
| 19. ,, ,, तरनऊ | 1. चिकित्सा अधिकारी | 1 | 15-11-90 |

## परिशिष्ट—19

**अतारांकित प्रश्न संख्या 712 की सूची**

| क्र. सं. | पद नाम | रिक्त पद सं. | संस्था का नाम | तिथि जबसे रिक्त है। |
|---|---|---|---|---|
| (1) | वरिष्ठ विशेषज्ञ | 1 | सादत अस्पताल, टोंक | 12/90 से |
| (2) | कनिष्ठ विशेषज्ञ | 2 | सामु. स्वा. केन्द्रों पर | 9/90 |
| (3) | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी | 4 | प्रा. स्वा. के./सादत अस्प./ क्षय निवारण केन्द्र। | 12/90 से |
| (4) | चिकित्सा अधिकारी | 10 | प्रास्वाक/चिकित्सालय | 90/91 |
| (5) | निर्सिग अधीक्षक | 1 | सादत अस्प. टोंक | 9/90 |
| (6) | सिस्टर | 1 | सादत अस्प. टोंक | 1/91 |
| (7) | जन विश्लेषक | 1 | सादत अस्प. टोंक | 11/90 |
| (8) | पी. एच. एन. | 3 | एम. पी. डब्लू. प्रशिक्षण केन्द्र | 11/90 |
| (9) | एस. एस. आई. | 1 | ,, ,, | 11/90 |
| (10) | एल. एच. वी | 20 | प्रा. स्वा केन्द्रों | 1/90 |
| (11) | वरिष्ठ लिपिक | 3 | प्रा. स्वा. केन्द्रों | 1/90 |
| (12) | कनिष्ठ लिपिक | 6 | प्रा. स्वा. केन्द्रों | 1/90 |
| (13) | एक्सरे टैक्नीशियन | 1 | प्रा. स्वा. केन्द्रों | 7/90 |
| (14) | स्वास्थ्य निरीक्षक | 22 | प्रा. स्वा. केन्द्रों | 1/90 |
| (15) | लेब. टैक्नीशियन | 27 | प्रा. स्वा. केन्द्रों | 1/90 |
| (16) | सहायक रेडियोग्राफर | 1 | सामु. स्वा. केन्द्र | 1/90 |
| (17) | वाहन चालक | 3 | चिकित्सालय/मलेरिया | 12/90 |
| (18) | विद्युतकार | 3 | इमुनाईजेशन | 11/90 |
| (19) | वार्डब्याव/हरीजन | 41 | सादत चिकित्सालय | 1/90 |
| (20) | कम्पूटर | 2 | प्रा. स्वा. केन्द्र | 1/90 |
| (21) | बहु. उदे. कार्यकर्ता (महिला) | 66 | उपकेन्द्रों | ,, ,, |
| (22) | वरिष्ठ बहु.स्वा. कार्यकर्ता | 2 | मलेरिया उपकेन्द्र | ,, ,, |
| (23) | बहुउदेशीय कार्यकर्ता | 1 | मलेरिया उपकेन्द्र | ,, ,, |
| (24) | सेक्टर सुपरवाईजर | 1 | प्रास्ताके/उपकेन्द्र | ,, ,, |

## परिशिष्ट—20

### अतारांकित प्रश्न संख्या 720 की सूची

माह सितम्बर 1989 से 6 जून 1990 तक की गई नियुक्तियों की जिलेवार सूची

| क्र. सं. | जिला | नियुक्ति करने वाले अधिकारी का पदनाम | नियुक्त किए कर्मचारियों की संख्या | नियुक्ति का स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | संयुक्त निदेशक (जोन) | 4 | जिलों की विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियुक्तियां की गई |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 14 | |
| 2. | अलवर | ,, ,, | 50 | |
| 3. | बांसवाड़ा | ,, ,, | 16 | ,, ,, |
| 4. | बाड़मेर | ,, ,, | 140 | ,, ,, |
| 5. | भरतपुर | संयुक्त निदेशक (जोन) | 59 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 1 | ,, ,, |
| 6. | भीलवाड़ा | निदेशक, | 5 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 69 | ,, ,, |
| 7. | बीकानेर | संयुक्त निदेशक (जोन) | 57 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 22 | ,, ,, |
| 8. | बून्दी | निदेशक | 1 | ,, ,, |
| | | संयुक्त निदेशक (जोन) | 11 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 22 | ,, ,, |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | ,, ,, | 96 | ,, ,, |
| 10. | चुरू | ,, ,, | 2 | ,, ,, |
| 11. | डूंगरपुर | ,, ,, | 7 | ,, ,, |
| 12. | धोलपुर | ,, ,, | 6 | ,, ,, |
| 13. | गंगानगर | | — | ,, ,, |
| 14. | जयपुर | निदेशक | 14 | ,, ,, |
| | | निदेशक (आई. ई. सी.) | 11 | ,, ,, |
| | | संयुक्त निदेशक (जोन) | 58 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 201 | ,, ,, |
| 15. | जैसलमेर | ,, ,, | 14 | ,, ,, |
| 16. | झालावाड़ | संयुक्त निदेशक (जोन) | 4 | ,, ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 28 | ,, ,, |
| 17. | जालौर | ,, ,, | 196 | ,, ,, |
| 18. | झुन्झुनू | निदेशक, | 1 | ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संयुक्त निदेशक, (जोन) | 3 | जिलों की विभिन्न | |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा अधिकारी | 92 | चिकित्सा संस्थानों में | |
| 19. | जोधपुर | निदेशक, | 3 | नियुक्तियां की गई | |
| | | संयुक्त निदेशक, (जोन) | 137 | | |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 55 | ,, | ,, |
| 20. | कोटा | निदेशक, | 2 | ,, | ,, |
| | | संयुक्त निदेशक, (जोन) | 19 | ,, | ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 25 | ,, | ,, |
| 21. | नागौर | निदेशक, | 1 | ,, | ,, |
| | | संयुक्त निदेशक (जोन) | 11 | ,, | ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 2 | ,, | ,, |
| 22. | पाली | ,, ,, | 2 | ,, | ,, |
| 23. | सवाई माधोपुर | निदेशक, | 2 | ,, | ,, |
| | | संयुक्त निदेशक (जोन) | 13 | ,, | ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 24 | ,, | ,, |
| 24. | सीकर | निदेशक, | 2 | ,, | ,, |
| | | संयुक्त निदेशक (जोन) | 2 | ,, | ,, |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 6 | ,, | ,, |
| 25. | सिरोही | ,, ,, | 28 | ,, | ,, |
| 26. | टोंक | संयुक्त निदेशक (जोन) | 15 (11) | ,, | ,, |
| 27. | उदयपुर | निदेशक, | 2 | | |
| | | मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी | 70 | | |
| | | | 102 | | |

## परिशिष्ट–21

### अतारांकित प्रश्न संख्या 721 की सूची

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसे महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर चयनित की गई उनकी सूची

1. देवीकी शर्मा
2. कौशल्या कातरा
3. राजेश्वरी मित्तल
4. बृजकिशोरी
5. मौसूफ सुल्ताना
6. इन्द्रबाला शर्मा
7. मंजू पारीक
8. राजकुमारी
9. अनिता कुमारी शर्मा
10. चन्द्रकान्ता
11. प्रेम पारीक
12. शमा माथुर
13. इन्द्रा जोशी
14. पुष्पा देवी
15. मंजू लता
16. योगमाया सैनी
17. आशा पाल
18. मंजू गुप्ता
19. कमलेश कुमारी
20. कुसुमलता शर्मा
21. सुमनलता शर्मा
22. आशा मीणा
23. शकुन्तला जैन
24. चन्द्रकला
25. चन्द्रकला चतुर्वेदी
26. विजय व्यास
27. हरि लुहानिया
28. आशा कंसल
29. मधुबाला पंजाबी
30. मुन्नी मीणा
31. विमला शर्मा
32. माला शर्मा
33. शोभा लक्ष्मी भार्गव
34. शीला देवी
35. सावित्री देवी
36. साधना मिश्रा
37. सतीश गैरा
38. राधा देवी रोहत

बाल विकास परियोजनाओं से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्राप्त नामों की सूची :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. सविता कुमारी | 2. विजय जैन | 3. शकुन्तला सिंह |
| 4. दयावन्ती शर्मा | 5. कमला गुप्ता | 6. राजेश्वरी शर्मा |
| 7. संगीता गुप्ता | 8. दीक्षी कुमारी | 9. आशा कुमारी |
| 10. कमलेश कुमारी | 11. मनोरमा | 12. विद्यादेवी |
| 13. शरदकला | 14. सुशीला | 15. आशा कुमारी |
| 16. भारती | 17. इन्दुबाला त्रिवेदी | 18. बसंत लता |
| 19. मनोरमा | 20. भानुमती | 21. देवलता |
| 22. जयादेवी | 23. कैलाश | 24. शकुन्तला |
| 25. लताभंवर | 26. पुष्पा वाखर | 27. उमा अग्रवाल |
| 28. निर्मला तोमर | 29. स्नेहलता शर्मा | 30. विजया शर्मा |
| 30. पुष्पा बारोठ | 32. मधुकान्ता | 33. कल्पना व्यास |
| 34. हंसा मोगरा | 35. मंजुला | 36. शशीकला |
| 37. कान्ता जैन | 38. प्रमीला गौड़ | 39. प्रभा उपाध्याय |
| 40. जसकुंवर | 41. मनसुखदेवी | 42. गायत्री देवी |
| 43. विमला ठाकुर | 44. रेखा सोनी | 45. चन्द्रकला दवे |
| 46. अनिता जैन | 47. पुष्पा शर्मा | 48. निर्मला व्यास |
| 49. अगूंवाला | 50. मीना शर्मा | 51. शरद बाला |
| 52. धर्मा निष्ठा | 53. मनोरमा | 54. विद्यादेवी |
| 55. शरदबाला मरेडा | 56. सुशीला | 57. आशा गुप्ता |
| 58. निर्मला जैन | 59. दीक्षा | 60. गीता |
| 61. आशा | 62. कमलेश गौतम | 63. प्रेमलता गोधी |
| 64. गीतादेवी | 65. भारती | 66. मीना शर्मा |
| 67. चन्द्रकान्ता पंवार | 68. द्रोपदी देवी | 69. सरोज कंवर |
| 70. सरला बडेरा | 71. देवलता | 72. सुनीता टांक |
| 73. कमला | 74. संतोष शर्मा | 75. मंजू तोषनीवाल |
| 76. त्रिदेश नन्दनी | 77. सुधा शर्मा | 78. दमयन्ती शर्मा |
| 79. शहनाज कुरेशी | 80. बनिता जैन | 81. फरीदा बानो |
| 82. यशोदा कालरा | 83. उषा भार्गव | 84. चन्द्रकान्ता चतुर्वेदी |
| 85. विद्या वर्मा | 86. मालतीदेवी | 87. कौशल्या बाई |
| 88. चन्दाबाई | 89. सलमा प्रवीन | 90. रजनी सक्सैना |
| 91. ममता रानी | 92. सतनामकौर | 93. तारा पड्या |
| 94. लक्ष्मी सोलंकी | 95. पूनम लता | 96. कुसुम शर्मा |

## परिशिष्ट—22

### अतारांकित प्रश्न संख्या 723 की सूची

| क.सं. | नाम वस्तु | वर्ष 1990-91 में आवंटित मात्रा | उठाई गई मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1. | मिट्टी का तेल | 343090 कि. ली. | 282241 कि.ली. |
| 2. | पेट्रोल (अप्रैल—दिसम्बर) | 116975 कि. ली. | 116975 कि.ली. |
| 3. | डीजल (अप्रैल—दिसम्बर) | 846609 कि. ली. | 846609 कि.ली. |
| 4. | लेवी चीनी | 208842.4 मै. टन | 166815.4 मै.टन |

नोट:—1. कैरोसीन तेल के उठाव की सूचना माह जनवरी, 1991 तक की ही है।

2. जनवरी, 1991 की आवंटित लेवी चीनी को उठाने की अवधि 31-3-1991 तक की है। मार्च, 1991 की आवंटित लेवी चीनी का उठाव शुरू नहीं हुआ है।

## परिशिष्ट—23

### अतारांकित प्रश्न संख्या 730 की सूची

1 अप्रैल, 90 से 1 जनवरी, 91 तक चैकिंग की गई मेडिकल स्टोर्स की सूची

| क्र.सं. | नाम मेडिकल स्टोर्स | क्र. सं. | नाम मेडिकल स्टोर्स |
|---|---|---|---|
| 1. | मै. शिव मेडिकल हाल, अलवर | 29. | मै. मनीष मेडिकल स्टोर्स, मानोखर |
| 2. | मै. प्रशान्त मेडिकोज, बहरोड | 30. | मै. देवीप्रसाद राजेन्द्र कुमार, खेडली |
| 3. | मै. अनन्त स्वरूप एण्ड सन्स, बहरोड | 31. | मै. रमेश चन्द एण्ड सन्स, खेडली |
| 4. | मै. विजय स्टोर्स, राजगढ़ | 32. | मै. धोकरिया मेडिकल स्टोर, थानागाजी |
| 5. | मै. जूजण्डियन मेडिकल हाल, बहरोड | 33. | मै. मामोडिया मेडिकल हाल, थानागाजी |
| 6. | मै. पन्नालाल गिर्राज प्रसाद, लक्ष्मणगढ़ | 34. | मै. कैलाश मेडिकल हाल, थानागाजी |
| 7. | मै. कोठारी एजेन्सीज, लक्ष्मणगढ़ | 35. | मै. अलवर मेडिकोज, अलवर |
| 8. | मै. दीपक मेडिकल हाल, कठूमर | 36. | मै. जैन मेडिकल हाल. रामगढ़ |
| 9. | मै. बनबारी लाल रामवतार, कठूमर | 37. | मै. महावीर मेडिकल हाल, रामगढ़ |
| 10. | मै. प्रभुदयाल सुभाष चन्द कठूमर | 38. | मै. घनश्याम दत्त विपिन बिहारी, लक्ष्मणगढ़ |
| 11. | मै. रामकिशन, लक्ष्मण प्रसाद कठूमर | 39. | मै. कन्हैया लाल रामकुमार, लक्ष्मणगढ़ |
| 12. | मै. सतीश मेडिकल स्टोर, कठूमर | 40. | मै. शुक्ला मेडिकल हॉल, मालाखेडा |
| 13. | मै. खूटटा मेडिकल स्टोर, लक्ष्मणगढ़ | 41. | मै. बत्रा डिस्ट्रीब्यूटर, अलवर |
| 14. | मै. राजस्थान मेडिकल्स, अलवर | 42. | मै. राज मेडिकल हाल, शाहजहापुर |
| 15. | मै. शिव मेडिकल हाल, अलवर | 43. | मै. उमेश मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, अलवर |
| 16. | मै. सोनी मेडिकल्स हाल, अलवर | 44. | मै. आरोड़ा मेडिकल, अलवर |
| 7. | मै. खण्डेलवाल मेडिकल स्टोर, माचेडी | 45. | मै. दीप मेडिकल्स, अलवर |
| 18. | मै. राजेन्द्र मेडिकल हाल, राजगढ़ | 46. | मै. एस. के. मेडिकल ऐजेन्सी, अलवर |
| 19. | मै. सुपर मेडिकल स्टोर, तिजारा | 47. | मै. दयाल मेडिकल हाल, टहला |
| 20. | मै. ओम मेडिकल हाल, अलवर | 48. | मैं. गूजरमल रामनिवास, टहला |
| 21. | मैं. राजेश फार्मा, अलवर | 49. | मै. प्रिन्स मेडिकल्स, अलवर |
| 22. | मै. आशादीप मेडिकल, अलवर | 50. | मै. शुक्ला मेडिकल हाल, मालाखेड़ा |
| 23. | मै. फूल मेडिकल, अलवर | 51. | मै. रामचरण मेडिकल हाल, मालाखेड़ा |
| 24. | मै. राज मेडिकल, अकबरपुर | | |
| 25. | मै. शर्मा मेडिकल स्टोर, अकबरपुर | | |
| 26. | मै. प्रकाश मेडिकल्स, अलवर | | |
| 27. | मै. मधु सर्जीकल, अलवर | | |
| 28. | मै. भावना मेडिकल्स, अलवर | | |

| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 52. | मै. शिव मेडिकल हाल, अलवर | 61. | मै. गंडा मेडिकल हाल, अलवर |
| 53. | मै. खेडमल गुलजारी लाल शाहजहांपुर | 62. | मै. देवीप्रसाद राजेन्द्र कुमार, खेडली |
| 54. | मै. गुप्ता मेडिकोज, जाटव रोड़ | 63. | मै. देवीप्रसाद राजेन्द्र कुमार, खेडली |
| 55. | मै. अशोका मेडिकोज, बानसूर | 64. | मै. महेश मेडिकल्स, खेडली |
| 56. | मै. शर्मा मेडिकल हाल, बानसूर | 65. | मै. दीपमाया मेडिकल्स, अलवर |
| 57. | मै. सिंहल मेडिकल हाल, बानसूर | 66. | मै. डी. के. मेडिकल ऐजेन्सी, अलवर |
| 58 | मै. आशादीप मेडिकल्स, अलवर | 67. | मै. किसान मेडिकल हाल, अलवर |
| 59 | मै. सुबोध मेडिकल्स, हरसोली | 68. | मै. कोस मैडीको, अलवर |
| 60. | मै. ओमप्रकाश मोहन लाल, हरसोली | 69. | मै. फ्रेन्डर्स मेडिकल्स, अलवर |

292



परिशिष्ट "ख"

| क्र. सं. | दोषी पाये गये मेडिकल स्टोर का नाम | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1. | मै. देवीप्रसाद राजेन्द्र कुमार खेडली | चेतावनी जारी की गई |
| 2. | मै. राजस्थान मेडिकल्स, अलवर | निलंबन किया गया (3 दिन) |
| 3. | मै. गुप्ता मेडिकल स्टोर, बहरोड़ | चेतावनी जारी की गई |
| 4. | मै. यादव मेडिकल हाल, शाहजहापुर | निलबंन किया गया ( 3 दिन) |
| 5. | मै. लक्ष्मी मेडिकल हाल, खेडली | चेतावनी जारी की गई |
| 6. | मै. विजय मेडिकल स्टोर, राजगढ | चेतावनी जारी की गई |
| 7. | मै. अग्रवाल मेडिकल स्टोर, खेडली | चेतावनी जारी की गई |
| 8. | मै. राजस्थान पेशन्र्स ऐसो. मेडिकलस्टोर, अलवर | निलंबन किया गया (8 दिन) |
| 9. | मै. भवानी मेडिकल हाल, अलवर | ,, ,, (8 दिन जिसे) |
| 10. | मै. मेडिक्योर, अलवर | अपील अधिकारी ने 5 दिन किया निलबंन किया गया-(8 दिन) |
| 11. | मै. प्रकाश मेडिकल अलवर | निरस्त किया गया |
| 12. | मै. रावत मेडिकलस हाल, बीजवाड़चौहान | निरस्त किया गया |
| 13. | मैं. राज मेडिकल् अलवर | ,, ,, |
| 14. | मै. प्रवीण मेडिकल ऐजेन्सी, अलवर | चेतावनी जारी की गई |
| 15. | मै. सोनी मेडिकोज, चाँदपुर | निलबंन किया गया (7 दिन) |
| 16. | मै. खण्डेलवाल मेडिकल हाल, बडोदामेव | निलंबन किया गया (3 दिन) |
| 17. | मै. सिंघल मेडिकल हलॉ, बानसूर | निरस्त किया गया |
| 18. | मै. अशोका मेडिकोज, बानसूर | निरस्त किया गया |
| 19. | मै. शर्मा मेडिकल हाल, बानसूर | चेतावनी जारी की गई |
| 20. | मै. आशादीप मेडिकल अलवर | निरस्त किया गया। |
| 21. | मै. ओम मेडिकल हाल, अलवर | निरस्त किया गया |
| 22. | मै. शर्मा मेडिकल हाल, अलवर | निरस्त किया गया। |
| 23. | मै. कैलाश मेडिकल हाल, थानागाजी | कारण बताओ नोटिस जारी किया गया |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 24. मैं. मामोड़िया मेडिकल हाल, थानागाजी | कारण बताओ नोटिस जारी किया गया |
| 25. मैं. धीकरिया मेडिकल हाल, थानागाजी | " " |
| 26. मैं. देवी प्रसाद राजेन्द्र कुमार, खेडली | " " |
| 27. मैं. मनीश मेडिकल स्टोर, मनोखर | " " |
| 28. मैं. भावना मेडिकल स्टोर, अलवर | " " |
| 29. मैं. अलवर मेडिकल, अलवर | " " |
| 30. मैं. दीप मेडिकल्स अलवर | " " |
| 31. मैं. उमेश मेडिकल्स एण्ड जनरल स्टोर, अलवर | " " |
| 32. मैं. शिव मेडिकल हाल, अलवर | " " |
| 33. मैं. महाविर मेडिकल हाल, रामगढ | " " |
| 34. मैं. मेडिसन सेन्टर, अलवर | " " |

# परिशिष्ट—24

## अतारांकित प्रश्न संख्या 733 की सूची

अजमेर जिले में वर्ष 1988 से जनवरी, 90 तक खोले गए चिकित्सा संस्थानों की सूची :—

1. सेटेलाईट चिकित्सालय :

अजमेर

2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :—

1. मसूदा
2. जवाजा

3. नए प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र :

1. किशनपरा
2. जामोला
3. सराना
4. बड़ली

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसूति सुविधा का विस्तार :—

1. राजियावास
2. जेठाना

5. उपकोण डिस्पेन्सरियों को प्रा. स्वा. केन्द्रों में क्रमोन्यन :—

1. जेठाना
2. दातरा
3. गगवाना
4. तिहारी
5. फतेहगढ़
6. बोराड़ा
7. गोठीयाना
8. हरमाड़ा
9. कुचिल
10. बावनवाड़ा
11. टाटोटी
12. देवलीकला
13. प्रान्हेड़ा
14. पारा
15. सादर
16. जुनिया
17. जालिया-II
18. बड़ाखेडा
19. रामगढ़

6. उपकेन्द्रों का उच्चीकरण :—

1. तारावट
2. बड़कोचरा
3. बामन खेड़ा
4. कोटड़ी
5. बरल
6. अन्धेरी जैवरी
7. पीपलाज
8. लल्टा
9. भुड़ोल
10. कुचानी
11. वीर
12. भावता
13. मांगलियावास
14. चापानेरी
15. शेरगढ़
16. बड़गांव
17. कनईकला
18. नानसी

19. बिन्दूसरी
20. घाटीयाली
21. करोज
22. तसवारिया
23. कटसूरा
24. खिरिया
25. मनोहरपुर
26. सापला
27. बादून

23. कीर्ती
24. जाजोदा
25. गनाहेड़ा
26. ड़ोकरा
27. अर्जुनपुरा जागीर
28. ड़वरेला
29. दोलतपुरा
30. केलू
31. लोरड़ी
32. रामपुरा
33. मोवगा

7. उपकेन्द्र :—

1 देराठू
2. नाद
3. भवानी खेड़ा
4. अलीपुरा
5. पगारा
6. लेसवा
7. लल्लाई
8. बन्छाली
9. ढसुक
10. किराप
11. टांकवास
12. आकेली
13. बोगला
14. रसुलपुरा
15. कारपुरा
16. खोरकड़ी
17. कालियावास
18. नारेली
19. ढाल
20. सराना
21. ललाई
22. नलू

34. हरराजपुरा
35. चिंतिवास
36. देवखेड़ी
37. सदारा
38. पालड़ी
39. खीडमाल
40. अवाकर
41. दुर्गावास
42. आसन
43. करोटी
44. बबूरिया
45. कनोईकला
46. राजनवाड़ा
47. पंचायत चांदियावास
48. सूरजपुरा
49. गेगल
50. नक्सर
51. देवगांव
52. बूबरी
53. फारकिया
54. सरसड़ी
55. तीतरिया

(297)



56. मीणो कानया गांव
57. सिलोरा
58. पिंगलोद
59. त्योड़ा
60. जाजोता
61. अलाम्बू
62. जालिया
63. धामोलाव
64. देवाता
65. रावतमाल
66. सीलीबेरी
67. धापा
68. बुन्दरी मालदेव
69. कानाखेड़ा
70. चावण्डिय
71. बाटला
72. निम्बेहेड़ा
73. भागवन्तपुरा
74. बरोल
75. नरियाबास
76. कालेसरा
77. अलीपुरा

## परिशिष्ट–25

### अतारांकित प्रश्न संख्या 735 की सूची

पाली जिले में चिकित्सीय संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण

| क्र. सं. 1 | संस्था का नाम 2 | मेल नर्स-I 3 | मेल नर्स-II 4 | सिस्टर 5 | स्टॉफनर्स 6 | डाक्टर्स 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बांगड चिकित्सालय | 3 | — | 4 | — | 6 |
| 2. | राजकीय चिकि. सोजतसिटी | 2 | — | 1 | — | 8 |
| 3. | सामु. स्वा. केन्द्र बगड़ी | 1 | — | — | — | 2 |
| 4. | खारची, सामु. स्वा. केन्द्र | 1 | — | — | — | 3 |
| 5. | सामु. स्वा. केन्द्र, रायपुर | — | — | — | — | 2 |
| 6. | ,, तख्तगढ | — | — | — | — | 2 |
| 7. | ,, बाली | — | — | — | — | 2 |
| 8. | प्रा. स्वा. के., कुड़की | — | — | — | — | 2 |
| 9. | सामु. स्वा. के., रानी | — | — | — | — | 2 |
| 10. | प्रा. स्वा . के., राणावास | — | — | — | — | 3 |
| 11. | ,, सियाट | — | — | — | — | 2 |
| 12. | उ. प्रा. स्वा. के., निमाज | — | — | — | — | 1 |
| 13. | प्रा. स्वा. केन्द्र, चाडवास | — | — | — | — | 1 |
| 14. | ग्रा. प. क., खैरवा | — | — | — | — | 1 |
| 15. | मा. शि. क. के., सुमेरपुर | — | — | — | — | 1 |
| 16. | राज. डिस्पे., बाबरा | — | — | — | — | 1 |
| 17. | प्रा. स्वा. केन्द्र, बेड़ा | — | — | — | — | 1 |
| 18. | रा. डिस्पे , सरदारसमन्द | — | — | — | — | 1 |
| 19. | मा. शि. क. केन्द्र, गुन्दोज | — | — | — | — | 1 |
| 20. | प्रा. स्वा. केन्द्र, पाटवा | — | — | — | — | 1 |
| 21. | ,, बीसलपुर | — | — | — | — | 1 |
| 22. | ,, जैतपुर | — | — | — | — | 1 |
| 23. | ,, सिवास (खिवाड़ा) | — | — | — | — | 1 |
| 24. | ,, बेडकलाँ | — | — | — | — | 1 |
| 25. | ,, बागोल | — | — | — | — | 1 |
| | | 7 | — | 5 | — | 47 |

299



नोटः–इनके अतिरिक्त उप स्वा. केन्द्रों पर प्रसाविकाओं के रिक्त पदों का ब्लाक वाइज विवरण निम्न प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1. बाली | 17 |
| 2. सुमेरपुर | 11 |
| 3. रानी | 9 |
| 4. दोहट | 3 |
| 5. सोजत | 10 |
| 6. पाली | 5 |
| 7. खारची | 9 |
| 8. देसूरी | 4 |
| 9. जैतारण | 12 |
| 10. रायपुर | 7 |

(300)



## परिशिष्ट–26

### अतारांकित प्रश्न संख्या 737 की सूची

| क्र. सं. पद का नाम | पुनरीक्षित वेतनमान |
|---|---|
| **(i) राजस्थान समाज कल्याण सेवा** | |
| 1. जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी | 2000-3200 |
| 2. क्षेत्र परियोजना अधिकारी | 2000-3200 |
| 3. मुख्य बालक अधिकारी | 2200-4000 |
| 4. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी | 2200-4000 |
| 5. सहायक निदेशक | 2200-4000 |
| 6. उप निदेशक | 2650-4500 |
| **(ii) राजस्थान समाज कल्याण अधिनस्थ सेवा** | |
| **ग्रुप "छ"** | |
| 1. कल्याण कार्यकर्ता | 950-1680 |
| 2. अध्यापक | 950-1680 |
| 3. सहाहक अधीक्षक (ग्रेड "सी" छात्रावास के लिए) | 950-1680 |
| 4. सहायक अधीक्षक (ग्रेड "ए" और "बी" छात्रावास के लिए) | 1025-1800 |
| **ग्रुप (ङ) और (च)** | |
| 1. अन्वेषक (जिला आश्रयालय आदि) | 975-1720 |
| 2. अन्वेषक (भिक्षुग्रह) | 975-1720 |
| 3. अन्वेषक (प्रकोष्ठ) | 1025-1800 |
| 4. अन्वेषक (गृह) | 1025-1800 |
| **ग्रुप "घ"** | |
| 1. पोषाहार निरीक्षक | 1200-2050 |
| 2. कल्याण निरीक्षक | 1200-2050 |
| **ग्रुप "ग"** | |
| 1. अन्वेषक (भिक्षावृत्ति सर्वेक्षण) | 1400-2360 |
| **ग्रुप "ख"** | |
| 1. समाज कल्याण अधिकारी | 1640-2900 |
| 2. परिवीक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी | 1640-2900 |
| 3. सहायक अधीक्षक, सदन/गृह | 1640-2900 |
| 4. सचिव, अनाथालय | 2200-4000 |
| **ग्रुप "क"** | |
| 1. सहायक अनुसंधान अधिकारी | 1640-2900 |
| 2. परियोजना अधिकारी (सर्वेक्षण) | 1640-2900 |

(301)



| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | अधीक्षक, सदन/गृह | 1640-2900 |
| 4. | जिला बालक अधिकारी | 1640-2900 |
| 5. | परिवीक्षा अधिकारी (वर्गीकरण) | 1640-2900 |
| 6. | परिवीक्षा अधिकारी | 1640-2900 |
| 7. | प्रोग्राम अधिकारी | 2650-4500 |
| | **अन्य** | |
| 1. | मशीनमैन एवं यांत्रिक | 800-1250 |
| 2. | अनुदेशक | 910-1520 |
| 3. | शिल्प शिक्षक/निरीक्षक | 950-1680 |
| 4. | अवघाता | 950-1680 |
| 5 | व्यावसायिक अनुदेशक | 975-1720 |
| 6. | महिला पर्यवेक्षक | 1025-1800 |
| | **(iii) अन्य पद** | |
| 1. | बाल सहायक | 800-1250 |
| 2. | मेट | 800.1250 |
| 3. | कुशल हैल्पर | 800-1250 |
| 4. | नर्स दायी | 825-1350 |
| 5. | कृषि अनुदेशक | 910-1520 |
| 6. | आपरेटर | 910-1520 |
| 7. | संगीत अध्यापक | 950-1680 |
| 8. | नर्स/कम्पाउण्डर | 950-1680 |
| 9. | स्टाफ नर्स | 1200-2050 |
| 10. | पुस्तकाध्यक्ष | 1400-2300 |
| 11. | फोटोग्राफर | 1400-2360 |